रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--03 REGISTERED No. DL(N)--04/0007/2003--05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 19—मई 25, 2007 (वैशाख 29, 1929)

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19—MAY 25, 2007 (VAISAKHA 29, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई-400005, दिनांक 22 फरवरी 2007

सं. डीएनबीएस.192/डीजी (वीएल)-2007--भारतीय रिज़र्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर, और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से नीचे दिए गए विवेक पूर्ण मानदण्डों से संबंधित निदेश जारी करना जरूरी है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 अक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इसकी ओर से प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 31 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं. डीएफसी.119/डीजी (एसपीटी)/98 में दिए गए गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश 1998 का अधिक्रमण करते हुए सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार/धारण करने वाली प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कम्पनी को छोड़कर) तथा प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कम्पनी को इसके पश्चात् निर्दिष्ट निदेश देता है।

संक्षिप्त नाम, निदेशों का प्रारंभ और उनकी प्रयोज्यता

1. (1) इन निदेशों को "गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार या धारण) कम्पनी विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" के नाम से जाना जाएगा।

(2) ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(3) (i) इन निदेशों के प्रावधान, निम्नलिखित पर लागू होंगे--

(क) कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी किसी पारस्परिक हितलाभ वित्तीय कम्पनी [और पारस्परिक हित लाभ कम्पनी] को छोड़कर, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी जनता की जमाराशि स्वीकार्यता (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 में यथापरिभाषित और जनता से/जमाराशियां स्वीकार/धारित करती हैं;

(ख) अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कम्पनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 में यथापरिभाषित कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कम्पनी।

(ii) ये निदेश कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित उस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं होंगे जो एक सरकारी कंपनी है और सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार/धारण करती है।

परिभाषा

2. (1) इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(i) "विघटित मूल्य(break-up value)" का अर्थ है ईक्विटी पूंजी तथा आरक्षित निधि, जिसे अमूर्त परिसंपत्तियों एवं पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि से /के रूप में घटाया गया है, व निवेशिती(इनवेस्टी) कंपनी के ईक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित किया गया है;

(ii) "वहन लागत(carrying cost)" का अर्थ है परिसंपत्तियों का बही मूल्य और उस पर उपचित ब्याज किंतु जो प्राप्त न हुआ हो;

(iii) "वर्तमान निवेश(current investment)" का अर्थ है ऐसा निवेश जिसे तुरंत भुनाया जा सके और निवेश करने की तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि तक धारित न किए जाने के लिए हो;

(iv) "संदिग्ध परिसंपत्तियों" का अर्थ है -

(क) मीयादी ऋण, अथवा

(ख) पड़ा परिसंपत्ति, अथवा

(ग) किराया खरीद परिसंपत्ति, अथवा

(घ) कोई अन्य परिसंपत्ति,

जो 18 महीने से अधिक अवधि तक अवमानक परिसंपत्ति बनी रही हो;

(v) "अर्जन मूल्य" का अर्थ है ईक्विटी शेयरों का वह मूल्य जिसकी गणना करने के बाद करोत्तर लाभों के औसत तथा अधिमानी लाभांश को घटाते हुए तथा असाधारण एवं गैर-आवर्ती मदों को समायोजित करते हुए तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए की गई हो और उसे निवेशिती कंपनी के ईक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित किया गया हो तथा जिसे निम्नलिखित दर पर पूंजीकृत किया गया हो:

(क) प्रमुखतः विनिर्माण कंपनी के मामले में, आठ प्रतिशत

(ख) प्रमुखतः व्यापार कंपनी के मामले में, दस प्रतिशत; और

(ग) एनबीएफसी-सहित किसी अन्य कंपनी के मामले में, बारह प्रतिशत;

टिप्पणी :

यदि निवेशिती कंपनी घाटे वाली कंपनी है तो अर्जन मूल्य शून्य पर लिया जाएगा;

(vi) "उचित मूल्य" का अर्थ है अर्जन मूल्य और विघटित मूल्य का औसत;

(vii) "संमिश्र ऋण(hybrid debt)" का अर्थ है ऐसा पूंजीगत लिखत जिसमें ईक्विटी तथा ऋण की कतिपय विशेषताएं हों;

(viii) 'मूलभूत संरचना ऋण' का अर्थ है एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ता को दी गई ऐसी ऋण सुविधा जो मीयादी ऋण, परियोजना ऋणस्वरूप किसी परियोजना वित्त पैकेज के हिस्से के रूप में अर्जित किसी परियोजना कंपनी के बाण्ड/डिबेंचर/अधिमानी शेयर/ईक्विटी शेयर में अभिदान हो और अभिदान की यह रकम "अग्रिम के रूप में" हो अथवा निम्नलिखित गतिविधियों में संलग्न किसी उधारकर्ता कंपनी को दी गई किसी अन्य प्रकार की दीर्घावधि निधिक सुविधा हो:

* *विकास कार्य अथवा*

* *परिचालन एवं परिरक्षण, अथवा*

* *विकास, परिचालन एवं परिरक्षण*

ऐसी कोई मूलभूत संरचना सुविधा जो निम्नलिखित क्षेत्र की कोई परियोजना हो:

क) सड़क, पथकर सड़क-सहित, पुल अथवा रेल प्रणाली;

ख) महामार्ग परियोजना जिसमें महामार्ग परियोजना की अभिन्न अंगवाली अन्य गतिविधियां भी शामिल हैं;

ग) बंदरगाह, हवाई अड्डा, अंतर्देशीय जलमार्ग अथवा अंतर्देशीय बंदरगाह;

घ) जल आपूर्ति परियोजना, सिंचाई परियोजना, जल शुद्धिकरण प्रणाली, सफाई एवं मलजल प्रणाली अथवा ठोस कचरा वस्तुओं के प्रबंधन की प्रणाली;

ङ) मूलभूत(basic) या सेल्यूलर दूरसंचार सेवाएं, साथ ही रेडियो पेजिंग, घरेलू उपग्रह सेवा (अर्थात दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराने हेतु ऐसा उपग्रह जिसका

स्वामित्व एवं परिचालन भारतीय कंपनी के पास हो), ट्रंकिंग का नेटवर्क, ब्राडबैंड नेटवर्क तथा इंटरनेट सेवाएं;

च) औद्योगिक क्षेत्र अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र;

छ) बिजली उत्पादन अथवा बिजली उत्पादन एवं वितरण;

ज) नई प्रेषण या वितरण लाइनों के नेटवर्क लगाकर बिजली का प्रेषण या वितरण;

झ) कृषि-प्रसंस्करण तथा कृषि निविष्टि आपूर्ति वाली परियोजनाओं से संबंधित निर्माण;

ञ) प्रसंस्कृत कृषि-उत्पाद, खराब हो जानेवाली वस्तुओं जैसे फल, सब्जी तथा फूल के परिरक्षण एवं भंडारण हेतु निर्माण, इसमें गुणवत्ता की जांच सुविधा भी शामिल है;

ट) शिक्षा संस्थाओं एवं अस्पतालों का निर्माण; और

ठ) समान प्रकृति की कोई अन्य मूलभूत संरचना सुविधा

(ix) "हानि वाली परिसंपत्ति" का अर्थ है:

(क) ऐसी परिसंपत्ति जिसे एनबीएफसी द्वारा अथवा उसके आंतरिक या बाह्य लेखा-परीक्षकों द्वारा अथवा एनबीएफसी के निरीक्षण के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा हानि वाली परिसंपत्ति के रूप में उस सीमा तक पहचाना गया है जिस सीमा तक एनबीएफसी द्वारा बट्टे खाते नहीं डाला गया है; और

(ख) ऐसी परिसंपत्ति जो प्रतिभूति मूल्य में या तो क्षरण के कारण अथवा प्रतिभूति की अनुपलब्धता अथवा उधारकर्ता के धोखाधड़ीपूर्ण कृत्य या चूक के कारण वसूल न हो पाने की संभावित खतरे से(विपरीत रूप से) प्रभावित हो;

(x) "दीर्घावधि निवेश" का अर्थ है वर्तमान निवेश से इतर निवेश;

(xi) "निवल परिसंपत्ति मूल्य" का अर्थ है किसी खास योजना के संबंध में संबंधित म्युचुअल फंड द्वारा घोषित अद्यतन निवल परिसंपत्ति मूल्य;

(xii) "निवल बही मूल्य" का अर्थ है :

(क) किराया खरीद परिसंपत्ति के मामले में, अतिदेयों तथा प्राप्य भावी किस्तों की कुल राशि, जिनमें से अपरिपक्व वित्त प्रभारों की रकम घटाई गई हो तथा इन निदेशों के पैराग्राफ 9(2)(i) के प्रावधानों के अनुसार आगे और घटाई गई हो;

(ख) पट्टाकृत परिसंपत्ति के मामले में, प्राप्य राशि के रूप में लेखाकृत पट्टे के अतिदेय किरायों के पूंजीकृत अंश की कुल रकम और पट्टे की परिसंपत्ति का मूल्यह्रासित बही मूल्य जिसे पट्टा समायोजन खाते की रकम में समायोजित किया गया है।

(xiii) 'अनर्जक परिसंपत्ति' (इन निदेशों में "एनपीए" नाम से संदर्भित) का अर्थ है:

(क) ऐसी परिसंपत्ति जिस पर ब्याज छह या उससे अधिक महीने से अतिदेय हो;

(ख) अदत्त ब्याज-सहित ऐसा मीयादी ऋण, जिसकी किस्त छह या उससे अधिक महीने से बकाया हो अथवा जिस पर ब्याज की रकम छह या उससे अधिक महीने से अतिदेय हो;

(ग) ऐसा मांग अथवा सूचना ऋण, जो मांग या सूचना की तारीख से छह महीने या उससे अधिक समय से अतिदेय हो अथवा जिस पर ब्याज की रकम छह महीने या उससे अधिक अवधि से अतिदेय हो;

(घ) ऐसा बिल जो छह महीने या उससे अधिक अवधि से अतिदेय हो;

(ङ) अल्पावधि ऋण/अग्रिम के रूप में 'अन्य चालू परिसंपत्तियां' शीर्ष के अंतर्गत कर्ज से संबंधित ब्याज अथवा प्राप्य राशि से होने वाली आय, जो छह महीने या उससे अधिक अवधि से अतिदेय हो;

(च) परिसंपत्तियों की बिक्री या दी गई सेवाओं के लिए अथवा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति से संबंधित कोई बकाया, जो छह महीने या उससे अधिक अवधि से अतिदेय हो;

(छ) पट्टा किराया और किराया खरीद किस्त, जो 12 महीने या उससे अधिक अवधि से अतिदेय हो गई हो;

(ज) ऋणों, अग्रिमों और अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में (खरीदे और भुनाए गए बिलों-सहित), एक ही उधारकर्ता/लाभार्थी को उपलब्ध करायी गयी ऋण सुविधाओं (उपचित ब्याज-सहित) के अंतर्गत शेष बकाया राशि जब उक्त ऋण सुविधाओं में से कोई एक अनर्जक परिसंपत्ति बन जाए:

बशर्ते पट्टा और किराया खरीद लेनदेन के मामले में, एनबीएफसी ऐसे प्रत्येक खाते को उसकी वसूली स्थिति के आधार पर वर्गीकृत करें;

(xiv) "स्वाधिकृत निधि" से तात्पर्य है चुकता ईक्विटी पूंजी, अधिमानी शेयर जो अनिवार्यतः ईक्विटी में परिवर्तनीय हों, मुक्त आरक्षित निधियां, शेयर प्रीमियम खाते में शेष और पूंजीगत आरक्षित निधि जो परिसंपत्ति के बिक्री आगमों से होनेवाले अधिशेष को दर्शाती है, परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा सृजित आरक्षित निधियों को छोड़कर, संचित हानि राशि, अमूर्त परिसंपत्तियों का बही मूल्य और आस्थगित राजस्व व्यय को यथा घटाकर, यदि कोई हो;

(xv) "मानक परिसंपत्ति" का अर्थ ऐसी परिसंपत्ति है जिसकी चुकौती या मूल रकम या ब्याज के भुगतान में कोई चूक न हुई हो और जिसमें किसी प्रकार की समस्या न हो और न ही उस कारोबार के सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम हो;

(xvi) *"अवमानक परिसंपत्ति" का अर्थ है:*

(क) ऐसी परिसंपत्ति जिसे अधिक-से-अधिक 18 महीने की अवधि के लिए अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो;

(ख) ऐसी परिसंपत्ति जिसके ब्याज और/अथवा मूलधन से संबंधित करार की शर्तों का परिचालन शुरू होने के बाद पुनःसौदाकृत अथवा पुनर्निर्धारित अथवा पुनर्संरचनाकृत शर्तों के अंतर्गत संतोषजनक निष्पादन के एक वर्ष की समाप्ति तक पुनः सौदा किया गया हो अथवा शर्तें पुनर्निर्धारित अथवा शर्तों की पुनर्संरचना की गई हो:

बशर्ते अवमानक परिसंपत्ति के रूप में मूलसंरचना ऋण का वर्गीकरण इन निदेशों के पैराग्राफ 23 के प्रावधानों के अनुसार होगा;

(xvii) "गौण ऋण" का अर्थ है पूर्णतः चुकता लिखत, जो गैर-जमानती होता है और अन्य ऋणदाता के दावों के अधीन होता है और प्रतिबंधित खण्डों से मुक्त होता है और धारक के अनुरोध पर अथवा एनबीएफसी के पर्यवेक्षी प्राधिकारी की सहमति के बिना विमोच्य नहीं होता है। ऐसे लिखत का बही मूल्य निम्नानुसार पुनर्भुनाई के अधीन होगा:

लिखतों की शेष परिपक्वता अवधि	बट्टा दर
(क) एक वर्ष तक	100%
(ख) एक वर्ष से अधिक किंतु दो वर्ष तक	80%
(ग) दो वर्ष से अधिक किंतु तीन वर्ष तक	60%

(घ) तीन वर्ष से अधिक किंतु चार वर्ष तक 40%

(ङ) चार वर्ष से अधिक किंतु पांच वर्ष तक 20%

ऐसी भुनाई का मूल्य टियर-I पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक न हो;

(xviii) "पर्याप्त हित" का अर्थ है किसी व्यक्ति अथवा उसके पति-पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे द्वारा एकल या सामूहिक रूप से किसी कंपनी के शेयरों में लाभभोगी हित धारिता जिस पर अदा की गई रकम कंपनी की चुकता पूंजी अथवा भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक है;

(xix) "टियर-I पूंजी" का अर्थ ऐसी स्वाधिकृत निधि से है जिसमें से अन्य एनबीएफसी के शेयरों और शेयरों, डिबेंचरों, बाण्डों, बकाया ऋणों और अग्रिमों में, जिनमें किराया खरीद तथा किए गए पट्टा वित्तपोषण एवं सहायक कंपनियों तथा उसी समूह की कंपनियों में रखी जमाराशियां शामिल हैं, स्वाधिकृत निधि के दस प्रतिशत से अधिक निवेश, सकल रूप में, घटाया गया है:

(xx) "टियर -II पूंजी" में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) उनसे इतर अधिमानी शेयर जो ईक्विटी में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय है;

(ख) 55 प्रतिशत की भुनाई /घटी दर पर पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि;

(ग) सामान्य प्रावधान एवं उस सीमा तक हानि आरक्षित निधि जो किसी विशिष्ट परिसंपत्ति के मूल्य में वास्तविक कमी अथवा उसमें शातव्य संभावित हानि के कारण नहीं है और ये अप्रत्याशित हानि की पूर्ति के लिए जोखिम भारित परिसंपत्तियों के एक और एक चौथाई प्रतिशत की सीमा तक उपलब्ध रहती हैं;

(घ) संमिश्र (हाइब्रिड) ऋण पूंजी लिखत; और

(ङ) गौण ऋण

जिसकी सीमा सकल राशि, टियर-I पूंजी से अधिक न हो।

(2) इसमें प्रयुक्त अन्य शब्द अथवा अभिव्यक्तियों, जो यहां परिभाषित नहीं हैं और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार्यता (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 अथवा अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1987 में परिभाषित की गई हैं, का अर्थ वही होगा जो उक्त

अधिनियम अथवा उक्त निदेशों में है। कोई अन्य शब्द अथवा अभिव्यक्ति, जो उक्त अधिनियम या उन निदेशों में परिभाषित नहीं है, का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में उनसे अभिप्रेत है।

आय निर्धारण

3. (1) आय निर्धारण मान्यताप्राप्त लेखा सिद्धांतों पर आधारित होगा।

(2) ब्याज/बट्टा-सहित आय अथवा एनपीए पर किसी अन्य प्रभार को गणना में तभी लिया जाएगा जब वह वास्तव में प्राप्त हो गया हो। ऐसी कोई भी आय जिसकी गणना परिसंपत्ति के अनर्जक बनने से पहले कर ली गई हो और वसूली न गई हो, तो उसे उसमें से घटा (रिवर्स कर)दिया जाएगा।

(3) किराया खरीद परिसंपत्तियों के संबंध में, जहां किस्त 12 महीने से अधिक समय से अतिदेय है, आय के रूप में उनकी गणना तभी की जाएगी जब किराया प्रभार वास्तव में प्राप्त हो जाएं। ऐसी कोई भी आय जिसे परिसंपत्ति के अनर्जक बनने से पूर्व लाभ और हानि खाता में जमा के रूप में ले लिया गया है और जिसकी वसूली नहीं हुई है, उसे पलट(रिवर्स कर) दिया जाएगा।

(4) पट्टा वाली परिसंपत्तियों के संबंध में, जहां पट्टा किराया 12 महीने से अधिक समय तक अतिदेय हों, आय के रूप में उनकी गणना तभी की जाएगी जब पट्टा किराया वास्तव में प्राप्त हो गए हों। पट्टा किराया की वह निवल राशि जो परिसंपत्ति के गैर-निष्पादक होने से पूर्व लाभ और हानि खाते में ले ली गई है और जिसकी वसूली नहीं हुई है, पलट (रिवर्स कर)दी जाएगी।

स्पष्टीकरण

इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, 'निवल पट्टा किराया' का अर्थ है सकल पट्टा किराया जो लाभ-हानि खाते में नामे/जमा, पट्टा समायोजन खाते से समायोजित किया गया हो और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की अनुसूची XIV के अंतर्गत लागू दर पर मूल्यह्रास के रूप में घटाया गया हो।

निवेशों से प्राप्त आय

4. (1) कंपनी निकायों के शेयरों और पारस्परिक निधियों की यूनिटों के लाभांश से होने वाली आय की गणना नकदी के आधार पर की जाएगी;

बशर्ते कंपनी निकाय द्वारा उसकी वार्षिक आम बैठक में इस प्रकार के लाभांश घोषित किए जाने पर कंपनी निकायों के शेयरों पर लाभांश से होने वाली आय की गणना उपचय के आधार पर की जाए और एनबीएफसी का भुगतान प्राप्त करने से संबंधित अधिकार स्थापित हो जाए।

(2) कंपनी निकायों के बाण्डों एवं डिबेंचरों तथा सरकारी प्रतिभूतियों/बाण्डों से होनेवाली आय की गणना उपचय के आधार पर की जाए:

बशर्ते इन लिखतों पर ब्याज दर पूर्व-निर्धारित हो और ब्याज का भुगतान नियमित रूप से हो रहा हो और वह बकाया न हो।

(3) कंपनी निकायों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियों से होने वाली आय, ब्याज भुगतान और मूलधन की चुकौती जो केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत हो, उसकी गणना उपचय के आधार पर की जाए।

लेखांकन मानक

5. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (इन निदेशों में "आइसीएआइ" नाम से उल्लिखित) द्वारा जारी लेखांकन मानक और मार्गदर्शी नोट का पालन उस सीमा तक किया जाएगा जहां तक वे इन निदेशों से बेमेल न हों।

निवेशों का लेखांकन

6. *(1)(क) प्रत्येक एनबीएफसी का निदेशक मण्डल अपनी निवेश नीति तैयार करेगा और उसे कार्यान्वित करेगा;*

(ख) इस निवेश नीति में कंपनी का मण्डल निवेश को चालू तथा दीर्घावधि निवेश में वर्गीकृत करने से संबंधित मानदण्ड का उल्लेख करेगा;

(ग) प्रत्येक निवेश करते समय प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों को चालू एवं दीर्घावधि में वर्गीकृत किया जाएगा;

(घ) (i) तदर्थ आधार पर कोई अंतर-श्रेणी अंतरण नहीं किया जाएगा;

(ii) आवश्यक होने पर, मण्डल के अनुमोदन से 'अंतर-श्रेणी' अंतरण प्रत्येक छमाही के प्रारंभ में ही पहली अप्रैल अथवा पहली अक्तूबर को किया जाएगा;

(iii) निवेश को चालू से दीर्घावधि एवं दीर्घावधि से चालू श्रेणी में बही मूल्य पर अथवा बाजार मूल्य पर जो भी कम हो, शेयरवार अंतरित किया जाएगा;

(iv) यदि कोई मूल्यह्रास है, तो प्रत्येक शेयर में उसके लिए पूरा प्रावधान किया जाएगा और यदि कोई मूल्यवृद्धि होती है तो उसे नजरअंदाज किया जाएगा;

(v) अंतर-श्रेणी अंतरण के समय, यहां तक कि एक ही श्रेणी के शेयरों के मामले में भी किसी शेयर का मूल्यह्रास अन्य शेयर की मूल्यवृद्धि के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा.

(2) मूल्यांकन के उद्देश्य से उद्धृत चालू निवेशों को निम्नलिखित श्रेणियों के समूह में रखा जाएगा, अर्थात्

(क) ईक्विटी शेयर,

(ख) अधिमानी शेयर,

(ग) डिबेंचर और बाण्ड,

(घ) खजाना बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियां,

(ङ) पारस्परिक निधियों की यूनिटें, और

(च) अन्य।

प्रत्येक श्रेणी हेतु उद्धृत चालू निवेश का मूल्यांकन लागत अथवा बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाएगा। इस प्रयोजन से, प्रत्येक श्रेणी का निवेश शेयर-वार देखा जाएगा और प्रत्येक श्रेणी के सभी निवेशों की लागत एवं बाजार मूल्य को एकीकृत किया जाएगा। यदि श्रेणी विशेष का सकल बाजार मूल्य उस श्रेणी की सकल लागत से कम है, तो निवल मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाएगा अथवा लाभ-हानि खाते में उसे प्रभारित किया जाएगा। यदि श्रेणी निवेश का सकल बाजार मूल्य उस श्रेणी की सकल लागत से अधिक है, तो निवल वृद्धि को नजरअंदाज किया जाएगा। एक श्रेणी के निवेश के मूल्यह्रास को अन्य श्रेणी की मूल्यवृद्धि के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा।

(3) चालू निवेशों के रूप में अनुद्धृत ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन लागत अथवा अलग-अलग मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाएगा। एनबीएफसी, आवश्यक समझने पर, शेयरों के अलग-अलग मूल्य के स्थान पर उचित मूल्य रख सकती हैं। जहां निवेश प्राप्त कंपनी के पिछले दो वर्ष के तुलनपत्र उपलब्ध नहीं हैं, वहां ऐसे शेयरों का मूल्यांकन एक रुपए मात्र पर किया जाएगा।

(4) चालू निवेशों की प्रकृति के अनुद्धृत अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन लागत अथवा अंकित मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाएगा।

(5 अनुद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों या सरकारी गारंटीकृत बाण्डों में निवेशों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।

(6) पारस्परिक निधि की यूनिटों में चालू स्वरूप के अनुद्धृत निवेशों का मूल्यांकन पारस्परिक निधि द्वारा प्रत्येक विशिष्ट योजना के संबंध में घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर किया जाएगा।

(7) वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।

(8) दीर्घावधि निवेश का मूल्यांकन आइसीएआइ द्वारा जारी लेखा मानक द्वारा किया जाएगा।

टिप्पणी : आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण के प्रयोजन से अनुद्धृत डिबेंचरों को मीयादी ऋण के रूप में अथवा अन्य ऋण सुविधाओं के रूप में माना जाएगा जो इस प्रकार के डिबेंचरों की अवधि पर निर्भर करेगा।

मांग/सूचना ऋण से संबंधित नीति की आवश्यकता

7. (1) मांग/सूचना ऋण दे रही/देने का इरादा रखने वाली प्रत्येक एनबीएफसी के निदेशक मण्डल को कंपनी के लिए एक नीति तैयार करनी होगी और उसे कार्यान्वित करना होगा;

(2) इस नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शर्तों का निर्धारण किया जाएगा:

(i) एक अंतिम तारीख जिसके भीतर मांग अथवा सूचना ऋण की चुकौती की मांग की जा सकेगी या सूचना भेजी जा सकेगी;

(ii) मांग अथवा सूचना ऋण की मंजूरी देते समय, यदि ऐसे ऋणों को वापस मांगने अथवा वापसी की सूचना देने हेतु अंतिम तारीख ऋण की मंजूरी की तारीख से एक वर्ष बाद की निर्धारित की गई है तो मंजूरी देने वाला अधिकारी लिखित रूप में उसके विशेष कारणों का उल्लेख करेगा;

(iii) ब्याज की दर जो ऐसे ऋणों पर देय होगी;

(iv) इन ऋणों पर यथानिर्धारित ब्याज या तो मासिक अथवा तिमाही अंतराल पर देय होगा;

(v) मांग अथवा सूचना ऋण मंजूर करते समय, यदि कोई ब्याज निर्धारित नहीं किया गया है अथवा यदि किसी अवधि के लिए ऋण स्थगन (मोरेटोरियम) किया गया है तो मंजूरी देने वाला अधिकारी उसके विशेष कारणों का उल्लेख करेगा;

(vi) ऋण के निष्पादन की समीक्षा हेतु एक अंतिम तारीख का निर्धारण,जो ऋण मंजूरी की तारीख से छह महीने से अधिक न हो;

(vii) इन मांग अथवा सूचना ऋणों को तब तक नवीकृत नहीं किया जाएगा जब तक आवधिक समीक्षा से यह पता न चले कि मंजूरी की शर्तों का संतोषजनक अनुपालन किया जा रहा है।

परिसंपत्ति वर्गीकरण

8. (1) प्रत्येक एनबीएफसी, स्पष्ट रूप से परिभाषित ऋण कमजोरियों (क्रेडिट वीकनेस) की डिग्री एवं वसूली हेतु संपार्श्विक जमानत पर निर्भरता की सीमा को ध्यान में रखते हुए, पट्टा/किराया खरीद परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिमों तथा किसी अन्य प्रकार के ऋण को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करें, अर्थात् :

(i) मानक परिसंपत्तियां,

(ii) अवमानक परिसंपत्तियां,

(iii) संदिग्ध परिसंपत्तियां, और

(iv) हानि वाली परिसंपत्तियां,

(2) उपर्युक्त परिसंपत्तियों की श्रेणी मात्र पुनर्निर्धारण किए जाने के कारण पदोन्नत नहीं की जाएगी, जब तक परिसंपत्तियां अनर्जक पदोन्नति के लिए अपेक्षित शर्तें पूरा नहीं करतीं ।

प्रावधानीकरण अपेक्षा

9. प्रत्येक एनबीएफसी, किसी खाते के अनर्जक होते जाने, उसके अनर्जक हो जाने के बीच लगने वाले समय, जमानत राशि की वसूली तथा उस समय में प्रभारित जमानती राशि के मूल्य में हुए क्षरण को ध्यान में रखकर अवमानक, संदिग्ध और हानि वाली परिसंपत्तियों के लिए निम्नानुसार प्रावधान करेंगी :

खरीदे और भुनाए गए बिलों-सहित ऋण, अग्रिम और अन्य ऋण सुविधाएं

(1) खरीदे और भुनाए गए बिलों-सहित ऋणों, अग्रिमों और अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया जाएगा:

(i) हानिवाली परिसंपत्तियां	समस्त परिसंपत्ति बट्टे खाते डाली जाएगी। यदि किसी कारण से परिसंपत्तियों को बहियों में बने रहने दिया जाता है तो बकाया के लिए 100% प्रावधान किया जाए;
(ii) संदिग्ध परिसंपत्तियां	(क) अग्रिम के उस भाग के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाएगा जो उस जमानत के वसूलीयोग्य मूल्य से पूरा नहीं होता है जिसका एनबीएफसी के पास वैध आश्रय है। वसूली योग्य मूल्य का आकलन वास्तविक आधार पर किया जाना है; (ख) उपर्युक्त मद (क) के साथ-साथ, परिसंपत्ति के संदिग्ध बने रहने की अवधि को देखते हुए जमानती भाग के 20% से 50% तक के लिए (अर्थात् बकाया का आकलित वसूली योग्य मूल्य) निम्नलिखित आधार पर प्रावधान किया जाएगा:

जिस अवधि तक परिसंपत्ति को संदिग्ध माना गया	प्रावधान का प्रतिशत
एक वर्ष तक	20
एक से तीन वर्ष तक	30
तीन वर्ष से अधिक	50

(iii) अवमानक परिसंपत्तियां	कुल बकाया के 10% का सामान्य प्रावधान किया जाएगा।

पट्टा और किराया खरीद परिसंपत्तियां

(2) किराया खरीद और पट्टेवाली परिसंपत्तियों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया जाएगा:

किराया खरीद परिसंपत्तियां

(i) किराया खरीद परिसंपत्तियों के संबंध में, कुल बकाया (आतिदेय और भविष्य की किस्तों को मिलाकर) को निम्नानुसार घटाकर प्रावधान किया जाएगा :

(क) लाभ-हानि खाता मे वित्त प्रभार जमा नहीं करके और अपरिपक्व वित्त प्रभार के रूप में आगे ले जा करके: तथा

(ख) विचाराधीन (प्रतिभूतिगत) परिसंपत्ति के ह्रासित मूल्य से ।

स्पष्टीकरण

इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए,

(1) परिसंपत्ति के ह्रासित मूल्य की गणना आनुमानिक (नोशनल) आधार पर परिसंपत्ति की मूल लागत में सीधे क्रम पद्धति (स्ट्रेट लाइन मेथड) से 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष मूल्यह्रास की दर से घटाकर की जाएगी; और

(2) पुरानी परिसंपत्तियों के मामले में, मूल लागत वह लागत होगी जो उस परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए व्यय की गई वास्तविक लागत होगी।

किराया खरीद और पट्टाकृत परिसंपत्तियों हेतु अतिरिक्त प्रावधान

(ii) किराया खरीद और पट्टाकृत परिसंपत्तियों के मामले में, अतिरिक्त प्रावधान निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 12 महीने तक अतिदेय हो	*शून्य*
(ख) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 12 महीने से अधिक किंतु 24 महीने तक अतिदेय हो	*निवल बही मूल्य का 10 प्रतिशत*
(ग) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 24 महीने से अधिक किंतु 36 महीने तक अतिदेय हो	*निवल बही मूल्य का 40 प्रतिशत*
(घ)जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 36 महीने से अधिक किंतु 48 महीने तक अतिदेय हो	*निवल बही मूल्य का 70 प्रतिशत*

(ङ) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 48 महीने निवल बही मूल्य का 100 प्रतिशत से अधिक समय से अतिदेय हो

(iii) किराया खरीद/पट्टाकृत परिसंपत्ति की अंतिम किस्त की नियत तारीख से 12 महीने का समय समाप्त हो जाने पर समस्त निवल बही मूल्य का पूरा प्रावधान किया जाएगा।

टिप्पणी :

(1) किराया खरीद करार के अनुसरण में उधारकर्ता द्वारा एनबीएफसी में रखी गई जमानत राशि/मार्जिन राशि अथवा जमानती राशि को यदि करार के अंतर्गत समान मासिक किस्तें निर्धारित करते समय हिसाब में नहीं लिया गया है, तो उसे उक्त खण्ड (i) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान में से घटाया जाए। किराया खरीद करार के अनुसरण में उपलब्ध अन्य किसी भी जमानत राशि को उक्त खण्ड (ii) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान से ही घटाया जाएगा।

(2) पट्टा करार के अनुसरण में उधारकर्ता द्वारा एनबीएफसी में जमानत के तौर पर रखी गई राशि तथा पट्टा करार के अनुसरण में उपलब्ध अन्य किसी जमानत का मूल्य, दोनों को उक्त खण्ड (ii) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान से ही घटाया जाएगा।

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि एनपीए के लिए आय का निर्धारण और प्रावधानीकरण, विवेकपूर्ण मानदण्डों के दो अलग पहलू हैं और मानदंडों के अनुसार कुल बकायों के एनपीए पर प्रावधान करने की आवश्यकता है साथ ही संदर्भाधीन पट्टाकृत परिसंपत्ति के डासित बही मूल्य का, पट्टा समायोजन खाते में शेषराशि को, यदि कोई हो, समायोजित करने के बाद, प्रावधान किया जाएगा। यह तथ्य कि एनपीए पर आय का निर्धारण नहीं किया गया है, प्रावधान न करने के कारण के रूप में नहीं माना जाएगा।

(4) इन निदेशों के पैरा (2)(1)(xvi)(ख) में संदर्भित परिसंपत्ति जिसके लिए पुनः बातचीत(रिनिगोशएट) की गई अथवा जिसे पुनर्निर्धारित किया गया, अवमानक परिसंपत्ति मानी जाएगी अथवा यह उसी श्रेणी में बनी रहेगी जिस श्रेणी में वह पुनः बातचीत अथवा पुनर्निर्धारण के पूर्व,जैसा भी मामला हो, संदिग्ध अथवा हानिवाली परिसंपत्ति के रूप में थी। ऐसी परिसंपत्तियों के लिए यथा लागू प्रावधान तब तक किया जाता रहेगा जब तक यह उन्नत श्रेणी में न बदल जाए।

(5) पैरा 10 के उप पैरा (2) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार एनबीएफसी द्वारा तुलनपत्र तैयार किया जाए।

(6) 1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद लिखे गए सभी वित्तीय पट्टों के लिए किराया खरीद परिसंपत्तियों पर लागू प्रावधान उन पर भी लागू होंगे।

तुलनपत्र में प्रकटीकरण

10. (1) प्रत्येक एनबीएफसी अपने तुलनपत्र में अलग से, उपर्युक्त पैरा 9 के अनुसार किए गए प्रावधानों को आय अथवा परिसंपत्तियों के मूल्य से घटाए बिना प्रकट करेंगी।

(2) प्रावधानों का उल्लेख विशेष रूप से निम्नलिखित पृथक खाता शीर्षकों के अंतर्गत किया जाएगा:

(i) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान; तथा

(ii) निवेशों में मूल्यह्रास हेतु किए गए प्रावधान।

(3) इन प्रावधानों को एनबीएफसी द्वारा धारित सामान्य प्रावधान एवं हानिगत आरक्षित निधि, यदि कोई हो, से समायोजित नहीं किया जाएगा।

(4) इन प्रावधानों को प्रत्येक वर्ष लाभ-हानि खाता में नामे डाला जाएगा। सामान्य प्रावधान एवं हानिगत आरक्षित निधि शीर्ष के अंतर्गत धारित अधिशेष प्रावधान, यदि कोई हो, के साथ उन्हें समायोजित किए बिना पुनरांकित किया जाए।

एनबीएफसी द्वारा लेखा-परीक्षा समिति का गठन

11. एनबीएफसी जिसकी परिसंपत्तियां पिछले लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक हैं, एक लेखा-परीक्षा समिति का गठन करेगी जिसमें उसके निदेशक मण्डल के कम से कम तीन सदस्य होंगे।

स्पष्टीकरण 1 : कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 292-क के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार गठित लेखा-परीक्षा समिति इस पैरा के प्रयोजनार्थ लेखा-परीक्षा समिति होगी।

स्पष्टीकरण 2: इस पैरा के अंतर्गत गठित लेखा-परीक्षा समिति को वही शक्तियां, कार्य एवं कर्तव्य प्राप्त होंगे, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 292-क में दिए गए हैं।

लेखा वर्ष

12. प्रत्येक एनबीएफसी प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपना तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा तैयार करेगी। जब कभी कोई एनबीएफसी कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने तुलनपत्र की तारीख बढ़ाने का इरादा करती है, तो इसके लिए उसे कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जाने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, उन मामलों में भी जिनमें बैंक तथा कंपनी रजिस्ट्रार ने समय बढ़ाने की मंजूरी दी है, एनबीएफसी वर्ष के 31 मार्च को एक प्रोफार्मा तुलनपत्र (बिना लेखा परीक्षित) और उक्त तारीख को देय सांविधिक विवरणियां बैंक को प्रस्तुत करेगी।

तुलनपत्र की अनुसूची

13. प्रत्येक एनबीएफसी, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित अपने तुलनपत्र के साथ संलग्नक 1 में दी गई अनुसूची में ब्योरे संलग्न करेगी।

सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन

14. प्रत्येक एनबीएफसी सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन उसके सीएसजीएल खाते या उसके डिमैट खाते के जरिए कर सकती है;

बशर्ते कोई भी एनबीएफसी सरकारी प्रतिभूति में कोई लेनदेन किसी दलाल के जरिए भौतिक रूप में नहीं करेगी।

सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र बैंक को प्रस्तुत करना

15. प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को अपने सांविधिक लेखापरीक्षक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह (कंपनी) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार कर रही है जिसके लिए उसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-झक के अंतर्गत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र रखना आवश्यक है। सांविधिक लेखा परीक्षक से इस आशय का प्रमाण पत्र 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के लिए प्राप्त कर गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को हर वर्ष 30 जून तक प्रस्तुत किया जाए जिसके अंतर्गत कंपनी का पंजीकरण है। ऐसे प्रमाणपत्र में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की परिसंपत्ति/आय के स्वरूप का उल्लेख भी होगा जिसके कारण कंपनी परिसंपत्ति वित्त कंपनी, निवेश कंपनी या ऋण कंपनी के रूप में वर्गीकृत होने के लिए पात्र हुई ।

पूंजी पर्याप्तता संबंधी अपेक्षा

16. (1) प्रत्येक एनबीएफसी, टियर -I और टियर II पूंजी पर आधारित न्यूनतम पूंजी अनुपात बनाए रखेगी, जो तुलनपत्र में उसकी सकल जोखिम भारित परिसंपत्तियों और तुलनपत्र से इतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य के बारह प्रतिशत से कम नहीं होगी:

(2) टियर II पूंजी का जोड़, किसी भी समय, टियर I पूंजी के एक सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण

तुलनपत्र की परिसंपत्तियों के संबंध में

(1) इन निदेशों में, प्रतिशत भार के रूप में व्यक्त ऋण जोखिम की मात्रा तुलनपत्र की परिसंपत्तियों के लिए है। अतः, परिसंपत्तियों के जोखिम समायोजित मूल्य की गणना के लिए प्रत्येक परिसंपत्ति/मद को संबंधित जोखिम भार से गुणा किया जाएगा ताकि परिसंपत्तियों का जोखिम समायोजित मूल्य निकाला जा सके। न्यूनतम पूंजी अनुपात की गणना हेतु इस प्रकार आकलित जोखिम भार के सकल(aggregate) को हिसाब में लिया जाएगा। जोखिम भारित परिसंपत्ति की गणना निधि प्रदत्त(funded) मदों के भारित सकल के रूप में निम्नानुसार किया जाएगा:

भारित जोखिम परिसंपत्तियां- तुलनपत्र में दी गई मदों के संबंध में

	प्रतिशत भार
(i) बैंकों में मीयादी जमा एवं उनके पास जमा प्रमाणपत्र-सहित नकदी और बैंक शेष	0
(ii) निवेश	
(क) अनुमोदित प्रतिभूतियां	*0*
[नीचे (ग) के अलावा]	
(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बांड	20
(ग) सरकारी वित्तीय संस्थाओं की मीयादी जमा/जमा प्रमाणपत्र/बांड	100
(घ) सभी कंपनियों के शेयर तथा सभी कंपनियों के डिबेंचर/बांड/ वाणिज्य पत्र एवं सभी म्युचुअल फंड की यूनिटें	100

(iii) चालू (current) परिसंपत्तियां	
(क) किराए पर स्टॉक (निवल बही मूल्य)	100
(ख) अंतर-कंपनी ऋण/जमा	100
(ग) कंपनी ही द्वारा धारित जमाराशियों की पूरी जमानत पर ऋण और अग्रिम	0
(घ) स्टाफ को ऋण	0
(ङ) अन्य जमानती ऋण और अग्रिम जिन्हें अच्छा पाया गया है	100
(च) खरीदे/भुनाए गए बिल	100
(छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	100
(iv) अचल परिसंपत्तियां (मूल्यह्रास घटाने के बाद)	
(क) पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां (निवल बही मूल्य)	100
(ख) परिसर	100
(ग) फर्नीचर और फिक्सचर	100
(v) अन्य परिसंपत्तियां	
(क) स्रोत पर काटे गए आय कर (प्रावधान घटाकर)	0
(ख) अदा किया गया अग्रिम कर (प्रावधान घटाकर)	0
(ग) सरकारी प्रतिभूतियों पर देय (ड्यू) ब्याज	0
(घ) अन्य (स्पष्ट किया जाए)	100

टिप्पणी

(1) घटाने का कार्य केवल उन्हीं परिसंपत्तियों के संबंध में किया जाए जिनमें मूल्यह्रास अथवा अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किए गए हों।

(2) निवल स्वाधिकृत निधि की गणना के लिए जिन परिसंपत्तियों को स्वाधिकृत निधि से घटाया गया है उस पर भार 'शून्य' होगा।

(3) जोखिम भार लगाने के प्रयोजन से किसी उधारकर्ता के समग्र निधिक जोखिम की गणना करते समय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ उधारकर्ता के खाते में कुल बकाया अग्रिमों से

नकदी मार्जिन/प्रतिभूति जमा/जमानती राशि रूपी संपार्श्विक प्रतिभूति, जिसकी मुजरायी(set off) के लिए अधिकार उपलब्ध है, का समायोजन कर सकती हैं।"

तुलनपत्र से इतर मदें

(2) इन निदेशों में, तुलनपत्र से इतर मदों से संबद्ध ऋण जोखिम(एक्सपोजर) की मात्रा को ऋण परिवर्तन कारक के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। अतः, तुलनपत्र से इतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य की गणना के लिए सबसे पहले प्रत्येक मद के अंकित मूल्य को उसके संगत परिवर्तन कारक (कन्वर्सन फैक्टर) से गुणा करना होगा। इसके सकल को न्यूनतम पूंजी अनुपात निकालने के लिए हिसाब में लिया जाएगा। इसे पुनः जोखिम भार 100 से गुणा किया जाएगा। तुलनपत्र से इतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य की गणना, गैर-निधिक मदों के ऋण परिवर्तन कारकों द्वारा निम्नानुसार की जाएगी:-

मद का स्वरूप	ऋण परिवर्तन कारक- प्रतिशत
(i) वित्तीय एवं अन्य गारंटियां	100
(ii) शेयर/डिबेंचर हामीदारी दायित्व	50
(iii) आंशिक-प्रदत्त शेयर/डिबेंचर	100
(iv) भुनाए/पुनः भुनाए गए बिल	100
(v) किए गए पट्टा करार जो निष्पादित होने हैं	100
(vi) अन्य आकस्मिक देयताएं (स्पष्ट किया जाए)	50

टिप्पणी : परिवर्तन कारक लागू करने से पहले नकदी मार्जिन/जमा राशियों को घटाया जाएगा।

एनबीएफसी के अपने शेयरों पर ऋण वर्जित

17. (1) कोई भी एनबीएफसी अपने शेयरों पर ऋण नहीं देगी।

(2) इन निदेशों के लागू होने की तारीख को किसी एनबीएफसी द्वारा उसके शेयरों पर दिए गए ऋण की बकाया राशि को चुकौती अनुसूची के अनुसार एनबीएफसी द्वारा वसूला जाएगा।

जनता की जमाराशि की चुकौती करने में असफल एनबीएफसी को ऋण देने और निवेश करने पर प्रतिबंध

18. कोई भी एनबीएफसी जो जनता की जमा को अथवा उसके किसी अंश को इस जमा की शर्तों के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 थक (1) के उपबंधों के अनुसार चुकाने में असफल रहती है तो वह कोई ऋण अथवा किसी भी नाम से अन्य कोई ऋण सुविधा नहीं दे सकेगी या जब तक उक्त चूक बनी रहती है तब तक कोई निवेश नहीं कर सकेगी या कोई अन्य परिसंपत्ति का सृजन नहीं करेगी।

भूमि और भवन तथा अनुद्धृत (अनकोटेड) शेयरों में निवेश पर प्रतिबंध

19. (i) कोई भी परिसंपत्ति वित्त कंपनी जो जनता से जमाराशियां स्वीकार करती है, निम्नलिखित में निवेश नहीं करेगी :

(क) भूमि अथवा भवन में, स्वयं के उपयोग को छोड़कर, अपनी स्वाधिकृत निधि के दस प्रतिशत से अधिक राशि;

(ख) किसी अन्य कंपनी के अनुद्धृत शेयरों में, जो सहायक कंपनी न हो अथवा एनबीएफसी की उसी समूह की कंपनी न हो, अपनी स्वाधिकृत निधि के दस प्रतिशत से अधिक राशि।

(ii) कोई ऋण कंपनी अथवा निवेश कंपनी, जो जनता से जमाराशियां स्वीकार करती है, निम्नलिखित में निवेश नहीं करेगी :-

(क) भूमि अथवा भवन में, स्वयं के उपयोग को छोड़कर, अपनी स्वाधिकृत निधि के दस प्रतिशत से अधिक राशि;

(ख) किसी अन्य कंपनी के अनुद्धृत शेयरों में, जो सहायक कंपनी न हो अथवा एनबीएफसी की उसी समूह की कंपनी न हो, अपनी स्वाधिकृत निधि के बीस प्रतिशत से अधिक राशि;

बशर्ते उसके कर्ज को पूरा करने के लिए अधिगृहीत भूमि अथवा भवन अथवा अनुद्धृत शेयरों, यदि एनबीएफसी द्वारा पहले से ही धारित इस प्रकार की परिसंपत्तियों सहित उनमें किया गया निवेश उक्त अधिकतम सीमा से अधिक है, तो उक्त अभिग्रहण की तारीख से एनबीएफसी द्वारा तीन वर्ष के भीतर अथवा बैंक द्वारा दी गई विस्तारित अवधि के भीतर उसका निपटान करना होगा;

स्पष्टीकरण

अनुद्धृत शेयरों में निवेश की अधिकतम सीमा की गणना करते समय सभी कंपनियों के ऐसे शेयरों में किए गए निवेश को जोड़ा जाएगा ।

बशर्ते यह भी कि अनुद्धृत शेयरों में निवेश की सीमा परिसंपत्ति बिना कंपनी अथवा ऋण कंपनी अथवा निवेश कंपनी के लिए उस सीमा तक लागू नहीं होगी जिस सीमा तक किसी बीमा कंपनी की ईक्विटी पूंजी में निवेश के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, लिखित रूप में, विशेष अनुमति दी गई हो।

ऋण/निवेश का संकेंद्रण

20. (1) कोई भी एनबीएफसी

(i) निम्नलिखित को ऋण नहीं देगी:

(क) किसी एक उधारकर्ता को अपनी स्वाधिकृत निधि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक; तथा

(ख) किसी एक उधारकर्ता समूह को अपनी स्वाधिकृत निधि के पचीस प्रतिशत से अधिक;

(ii) निम्नलिखित में निवेश नहीं करेगी:

(क) अन्य कंपनी के शेयरों में अपनी स्वाधिकृत निधि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक; और

(ख) एक समूह की कंपनियों के शेयरों में अपनी स्वाधिकृत निधि के पचीस प्रतिशत से अधिक:

(iii) निम्नलिखित से अधिक ऋण नहीं देगी और निवेश नहीं करेगी (ऋण/निवेश मिलाकर):

(क) किसी एक पार्टी को अपनी स्वाधिकृत निधि का पन्द्रह प्रतिशत; और

(ख) किसी एक समूह की कंपनियों को अपनी स्वाधिकृत निधि का चालीस प्रतिशत ।

बशर्ते उक्त ऋण/निवेश केंद्रीकरण की सीमा सरकारी कंपनी अथवा सार्वजनिक वित्तीय संस्था अथवा अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा जारी अनुमोदित

प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 के पैरा 6(1)(क) व 6(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी पर लागू नहीं होगी।

बशर्ते यह भी कि अन्य कंपनी के शेयरों में निवेश के संबंध में उक्त अधिकतम सीमा, एनबीएफसी पर उस सीमा तक लागू नहीं होगी जिस सीमा तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, लिखित रूप में, विशेष रूप से बीमा कंपनी की ईक्विटी पूंजी में निवेश के संबंध में अनुमति दी गई हो।

बशर्ते यह और भी कि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिसंपत्ति वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत कोई एनबीएफसी, आपवादिक परिस्थितियों में, किसी एक पार्टी या पार्टियों के एक समूह के लिए ऋण/निवेश संकेन्द्रण के संबंध में उपर्युक्त अधिकतम सीमा, अपने बोर्ड के अनुमोदन से अपनी स्वाधिकृत निधि के 5 प्रतिशत तक पार कर सकती है।

टिप्पणी :

(1) सीमाओं के निर्धारण के लिए, तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर को पैराग्राफ 16 में स्पष्ट किए गए परिवर्तन कारकों का इस्तेमाल करते हुए ऋण जोखिम में बदल दिया जाएगा।

(2) इस पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए डिबेंचरों में किए गए निवेश को ऋण के रूप में माना जाएगा, न कि निवेश के रूप में।

(3) ऋण/निवेश से संबंधित ये अधिकतम सीमाएं स्वयं की एनबीएफसी समूह तथा अन्य उधारकर्ताओं/निवेशिती कंपनी के समूह पर लागू होगी।

छमाही विवरणी प्रस्तुत करना

21. पैरा 1(3)(i)(क) और (ख) में उल्लिखित एनबीएफसी तथा आरएनबीसी प्रत्येक वर्ष सितंबर और मार्च की संबंधित छमाही की समाप्ति से तीन महीने के भीतर संलग्नक (2) फार्मेट एनबीएस-2 में छमाही विवरणी प्रस्तुत करेंगी, जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकार्यता (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 की दूसरी अनुसूची तथा अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 की अनुसूची ख के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

पूंजी बाजार में एक्सपोजर

22. पिछले लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार 100 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक की कुल परिसंपत्तियोंवाली प्रत्येक एनबीएफसी (आरएनबीसी-सहित) उस माह की समाप्ति के 7 दिन के भीतर एक मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगी । यह विवरणी वह संलग्नक 3 में दिए गए फार्मेट एनबीएस 6 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकार्यता (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 की दूसरी अनुसूची तथा अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1987 की अनुसूची 'ख' के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।

मूलभूत संरचना ऋण से संबंधित मानदण्ड

23. (1) प्रयोज्यता

(i) इन निदेशों के पैरा 2(1)(viii) में यथापरिभाषित ये मानदण्ड मूलभूत संरचना ऋण से संबंधित करार की शर्तों की पुनर्संरचना तथा/अथवा पुनर्निर्धारण और/अथवा पुनःसौदा (रिनिगोशिएट) करने के लिए लागू होगा, जो पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से मानक एवं अवमानक आस्तियों तथा ऋण के लिए जमानती है, जो शर्तों की पुनर्संरचना करने और/अथवा पुनर्निर्धारित करने और/अथवा पुनः सौदा करने के अधीन है।

(ii) जहां परिसंपत्ति की जमानत आंशिक रूप से है, वहां वर्तमान मूल्य आधार पर और विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान करने के अलावा, ऋण की पुनर्संरचना तथा/अथवा पुनर्निर्धारण करने तथा/अथवा पुनः सौदा करते समय उपलब्ध जमानत में जितने की कमी है उतने का प्रावधान किया जाएगा।

(2) मूलभूत संरचना ऋण की शर्तों की पुनर्संरचना, पुनर्निर्धारण अथवा पुनः सौदा

एनबीएफसी, कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित नीतिगत ढांचे के अनुसार मूलभूत संरचना ऋण करार की शर्तों में निम्नलिखित चरणों के अंतर्गत पुनर्संरचना अथवा पुनर्निर्धारण अथवा पुनः सौदा एक बार से अधिक नहीं करें:

(क) वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से पहले;

(ख) वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद किंतु परिसंपत्ति को अवमानक के रूप में वर्गीकृत करने से पहले;

(ग) वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद और परिसंपत्ति को जब अवमानक के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया हो;

बशर्ते उपर्युक्त तीन चरणों में से प्रत्येक चरण में पुनर्संरचना अथवा पुनर्निर्धारण अथवा पुनः सौदा करने का पैकेज देने पर मूल और/अथवा ब्याज-सहित या रहित पुनर्संरचना और/अथवा पुनर्निर्धारण और/अथवा पुनःसौदा किया जा सकता है।

(3) पुनर्संरचनाकृत मानक ऋण का प्रतिपादन(ट्रीटमेंट)

उपर्युक्त पहले दो चरणों में से किसी एक चरण में केवल मूलधन की किस्तों का पुनर्निर्धारण अथवा पुनर्संरचना अथवा पुनःसौदा करने पर किसी मानक परिसंपत्ति को अवमानक श्रेणी में पुनः वर्गीकृत नहीं करना होगा, यदि कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा अथवा प्रारंभिक ऋण मंजूर करने वाले अधिकारी से एक दर्जा ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मण्डल द्वारा निर्धारित नीति ढांचे के अंतर्गत परियोजना की पुनः जांच करने पर उसे संभाव्य पाया जाता है;

बशर्ते पहले के दो चरणों में से किसी एक चरण में ब्याज तत्व का पुनर्निर्धारण अथवा पुनः सौदा अथवा पुनर्संरचना किए जाने पर परिसंपत्ति को नीचे अवमानक श्रेणी में वर्गीकृत नहीं करना होगा लेकिन शर्त यह है कि बाद में यथानिर्दिष्ट ब्याज तत्व में समायोजन के प्रयोजन से छोड़ दी गई ब्याज की रकम को, यदि कोई हो, या तो बट्टे खाते डाला जाएगा या उसके लिए 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाएगा।

(4) पुनर्संरचित अवमानक परिसंपत्ति का प्रतिपादन

मूलधन की किस्तों की पुनर्संरचना अथवा पुनर्निर्धारण अथवा पुनः सौदा किये जाने के मामले में अवमानक परिसंपत्ति एक वर्ष की समाप्ति तक उसी श्रेणी में बनी रहेगी और समायोजन के कारण छोड़ी गई ब्याज की रकम, यदि कोई हो, जिसमें पिछले बकाया ब्याज को बट्टे खाते डालने के रूप में समायोजन शामिल है, ब्याज तत्व में यथानिर्दिष्ट, बट्टे खाते डाला जाएगा अथवा उसके लिए 100 प्रतिशत का प्रावधान किया जाएगा।

(5) ब्याज का समायोजन

पुनर्निर्धारण अथवा पुनः सौदा अथवा पुनर्संरचना में जहाँ ब्याज दर को घटाना पड़े, वहाँ ब्याज समायोजन की गणना मूलभूत संरचना ऋण के लिए लागू ब्याज दर (उधारकर्ता पर लागू जोखिम रेटिंग हेतु यथा समायोजित) तथा घटाई गई दर के बीच के अंतर से की जाएगी और पुनर्संरचना, पुनर्निर्धारण अथवा पुनः सौदा प्रस्ताव में इस प्रकार से

निर्धारित भावी ब्याज का वर्तमान सकल मूल्य (मूलभूत संरचना ऋण पर लागू वर्तमान दर पर भुनाया गया जोखिम संवर्धन हेतु समायोजित) निकाला जाएगा।

(6) निधिक ब्याज

एनपीए के संबंध में ब्याज के निधीयन के मामले में, जहां निधिक ब्याज को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है, निधिक ब्याज का पूरा प्रावधान किया जाएगा।

(7) आय निर्धारण मानदण्ड

मूलभूत संरचना ऋण के संबंध में आय निर्धारण प्रक्रिया इन निदेशों के पैरा 3 के प्रावधानों द्वारा संचालित होगी:

(8) धारित प्रावधानों का प्रतिपादन

एनबीएफसी द्वारा अनर्जक मूलभूत संरचना ऋण के लिए किए गए प्रावधानों को, जिसे इसके ऊपर के उप पैरा (3) के अनुसार 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, बनाए रखना तब तक जारी रहेगा जब तक ऋण की पूरी वसूली न हो जाए।

(9) पुनर्संरचनाकृत अवमानक मूलभूत संरचना ऋण के उन्नयन हेतु पात्रता

अवमानक परिसंपत्ति, जिसका पुनर्निर्धारण और/अथवा पुनः सौदा और/अथवा पुनर्संरचना की जानी है, चाहे वह मूलधन की किस्तों अथवा ब्याज के संबंध में हो, चाहे जो तरीका हो, का पुनर्संरचना और/अथवा पुनर्निर्धारण और/अथवा पुनःसौदा की शर्तों के अंतर्गत संतोषजनक निष्पादन के एक वर्ष की समाप्ति से पहले मानक श्रेणी में उन्नयन नहीं किया जाएगा।

(10) कर्ज को ईक्विटी में परिवर्तित करना

जहां ब्याज के रूप में देय रकम ईक्विटी अथवा अन्य लिखत में परिवर्तित की जाती है और फलस्वरूप आय का निर्धारण किया जाता है, वहां इस प्रकार से निर्धारित आय की रकम का पूरा प्रावधान ऐसे आय निर्धारण के प्रभाव को समाप्त करने हेतु किया जाएगा;

बशर्ते कोई प्रावधान किये जाने की अपेक्षा ही न होगी, यदि ब्याज का परिवर्तन उस ईक्विटी में हो जिसकी दर उद्धृत है;

बशर्ते यह भी कि ऐसे मामलों में, ब्याज आय का निर्धारण परिवर्तन की तारीख को, ईक्विटी के बाजार मूल्य पर हो सकता है, जो ईक्विटी में परिवर्तित ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगा।

(11) कर्ज को डिबेंचर में परिवर्तित करना

जहां एनपीए के संबंध में मूलधन और/अथवा ब्याज की रकम को डिबेंचर में परिवर्तित किया जाता है, वहां ऐसे डिबेंचरों को एनपीए माना जाएगा, प्रारंभ से ही, उसी परिसंपत्ति वर्गीकरण में जो ऋण के लिए परिवर्तन से पहले लागू था और मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किया जाएगा।

(12) मूलभूत संरचना ऋण और निवेश की एक्सपोजर सीमा में वृद्धि

एनबीएफसी इन निदेशों के पैरा 20 के प्रावधान के अनुसार ऋण/निवेश मानदंडों के केंद्रीकरण को एक पार्टी के लिए 5 प्रतिशत और पार्टियों के एक समूह के लिए 10 प्रतिशत तक पार कर सकती है, यदि अतिरिक्त एक्सपोजर मूलभूत संरचना ऋण और/अथवा निवेश के कारण हो।

(13) एएए रेटिंग वाले प्रतिभूतिकृत पेपर में निवेश के लिए जोखिम भार

मूलभूत संरचना सुविधा से संबंधित "एएए" रेटिंग वाले प्रतिभूतिकृत पेपर में निवेश पर पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए 50 प्रतिशत जोखिम भार लगाया जाएगा जिसके लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

(i) मूलभूत संरचना सुविधा से आय /नकदी पैदा होती है, जो प्रतिभूतिकृत पेपर की सर्विसिंग/चुकौती सुनिश्चित करती है;

(ii) अनुमोदित ऋण साख एजेंसियों में से किसी एक द्वारा दी गई रेटिंग चालू और वैध है।

स्पष्टीकरण :

जिस रेटिंग पर भरोसा किया गया है वह मौजूदा और वैध समझी जानी चाहिए, यदि रेटिंग निर्गम के खुलने की तारीख से एक महीने से अधिक समय की नहीं है, और रेटिंग एजेंसी से रेटिंग का औचित्य निर्गम खुलने की तारीख से एक वर्ष से अधिक का नहीं है, और रेटिंग पत्र तथा रेटिंग औचित्य दोनों प्रस्ताव दस्तावेज का हिस्सा हों।

(iii) द्वितीयक बाजार अभिग्रहण के मामले में निर्गम में, 'एएए' रेटिंग लागू है और संबंधित रेटिंग ऐजेंसी द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन से उसकी पुष्टि की जाती है।

(iv) प्रतिभूतिकृत पेपर एक अर्जक परिसंपत्ति है।

छूट

24. भारतीय रिजर्व बैंक, यदि किसी कठिनाई को टालने अथवा किसी अन्य उचित एवं पर्याप्त कारण से ऐसा आवश्यक समझता है, तो वह किसी एनबीएफसी अथवा एनबीएफसी की श्रेणी को इन निदेशों के सभी अथवा किसी प्रावधान के अनुपालन के लिए और समय प्रदान कर सकता है अथवा या तो सामान्य रूप से या किसी विशिष्ट अवधि के लिए छूट दे सकता है, जो उन शर्तों के अधीन होगा जिसे भारतीय रिजर्व बैंक उन पर लगाए।

व्याख्या

25. इन निदेशों के प्रावधानों को लागू करने के प्रयोजन से, भारतीय रिजर्व बैंक यदि आवश्यक समझता है, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के बारे में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन निदेशों के किसी प्रावधान की दी गई व्याख्या अंतिम होगी और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगी।

निरसन और छूट

26. (1) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 इन निदेशों द्वारा निरसित माना जाएगा।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उप-खंड (1) में निदेशों के अंतर्गत जारी कोई परिपत्र, अनुदेश, आदेश एनबीएफसी पर उसी प्रकार से लागू रहेंगे जैसे वे ऐसे निरसन से पहले ऐसी कंपनियों पर लागू होते थे।

वी. लीलाधर

उप गवर्नर

संलग्नक 1

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के तुलन-पत्र की अनुसूची
(गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकरण या धारण) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007 के पैरा 13 के अनुसार अपेक्षित)

(लाख रुपए में)

	ब्योरे		
	देयताएं पक्ष		
1	**गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम जिनमें इन पर उपचित पर न चुकाया गया ब्याज शामिल है:**	बकाया राशि	अतिदेय राशि
	(क) डिबेंचर : जमानती : गैर-जमानत		
	(जनता की जमाराशि की परिभाषा से बाहर)*		
	(ख) आस्थगित ऋण		
	(ग) मीयादी ऋण		
	(घ) अंतर-कंपनी ऋण और उधार		
	(ङ.) वाणिज्यिक पत्र		
	(च) जनता की जमाराशि*		
	(छ) अन्य ऋण (उनका स्वरूप बताएं)		
	* कृपया नीचे का नोट । देखें		

2	**उपर्युक्त (1) (च) का अलग-अलग विवरण (बकाया जनता की जमाराशि जिनमें इन पर उपचित, पर न चुकाया गया ब्याज शामिल है)** (क) गैर-जमानती डिबेंचरों के रूप में (ख) आंशिक जमानती डिबेंचरों के रूप में अर्थात वे डिबेंचर जिनकी प्रतिभूति के मूल्य में कुछ गिरावट हो (ग) जनता की अन्य जमाराशियां * कृपया नीचे का नोट 1 देखें।	
	परिसंपत्तियां पक्ष	
		बकाया राशि
(3)	**प्राप्य बिलों-सहित ऋणों और अग्रिमों का अलग-अलग विवरण [नीचे (4) में शामिल के अलावा]** - (क) जमानती (ख) गैर-जमानती	
(4)	**एएफसी गतिविधियों के लिए गणना की जानेवाली पट्टेवाली परिसंपत्तियों तथा किराये पर स्टाक और अन्य परिसंपत्तियों का अलग-अलग विवरण** (i) विविध देनदारों के अंतर्गत पट्टा किराया समेत पट्टा परिसंपत्तियां (क) वित्तीय पट्टे (ख) परिचालन पट्टे (ii) विविध देनदारों के अंतर्गत किराया प्रभार समेत किराए पर स्टाक (क) किराए पर परिसंपत्तियां (ख) पुनःधारित परिसंपत्तियां	

	(iii) एएफसी गतिविधियों के लिए गणना किए जानेवाले अन्य ऋण (क) ऐसे ऋण जिनमें आस्तियां पुनः धारित की गईं (ख) उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त ऋण	
(5)	**निवेशों का अलग-अलग ब्योरा** <u>चालू निवेश</u> 1. <u>उद्धृत (कोटेड) भाव :</u> (i) शेयर : (क) ईक्विटी (ख) अधिमान (ii) डिबेंचर और बांड (iii) म्यूचुअल फंडों की यूनिटें (iv) सरकारी प्रतिभूतियां (v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।) 2. <u>अनुद्धृत (अनकोटेड)</u> (i) शेयर : (क) ईक्विटी (ख) अधिमान (ii) डिबेंचर और बांड (iii) म्यूचुअल फंडों की यूनिटें (iv) सरकारी प्रतिभूतियां (v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।)	
	<u>दीर्घावधि निवेश</u> 1. <u>उद्धृत (कोटेड):</u> (i) शेयर : (क) ईक्विटी (ख) अधिमान (ii) डिबेंचर और बांड (iii) म्यूचुअल फंडों की यूनिटें	

	(iv) सरकारी प्रतिभूतियां (v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।) 2. अनुद्धृत (अनकोटेड) (i) शेयर : (क) ईक्विटी (ख) अधिमान (ii) डिबेंचर और बांड (iii) म्यूचुअल फंडों की यूनिटें (iv) सरकारी प्रतिभूतियां (v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।)
(6)	**उपर्युक्त (3) एवं (4) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों का उधारकर्ता समूहवार वर्गीकरण :** कृपया नीचे का नोट 2 देखें

श्रेणी	राशि प्रावधानों को घटाकर		
	जमानती	गैर-जमानती	कुल
1. संबंधित पक्ष **			
(क) सहायक कंपनियां			
(ख) उसी समूह की कंपनियां			
(ग) अन्य संबंधित पक्ष			
2. संबंधित पक्ष के अलावा अन्य			
कुल			

7.	**शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और अनुद्धृत दोनों) में किए गए समस्त निवेशों (चालू और दीर्घावधि) का निवेशक समूहवार वर्गीकरण** कृपया नीचे का नोट 3 देखें

	श्रेणी	बाजार मूल्य/अलग-अलग या अंकित मूल्य या निवल परिसंपत्ति मूल्य	बही मूल्य (प्रावधान घटाकर)
	1. संबंधित पक्ष **		
	(क) सहायक कंपनियां		
	(ख) उसी समूह की कंपनियां		
	(ग) अन्य संबंधित पक्ष		
	2. संबंधित पक्ष के अलावा अन्य		
	कुल		

** आइसीएआइ के लेखा मानक के अनुसार (कृपया नोट 3 देखें)

8. अन्य जानकारी

ब्योरा	राशि
(i) सकल अनर्जक परिसंपत्तियां	
(क) संबंधित पक्ष	
(ख) संबंधित पक्ष के अलावा अन्य	
(ii) निवल अनर्जक परिसंपत्तियां	
(क) संबंधित पक्ष	
(ख) संबंधित पक्ष के अलावा अन्य	
(iii) ऋण की संतुष्टि में अधिगृहीत परिसंपत्तियां	

नोट :

1. *गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशियां स्वीकार्यता (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 के पैरा 2(1)(xii) में यथापरिभाषित।*

2. *गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमा राशि स्वीकरण या धारण) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007 में यथा निर्धारित प्रावधान मानदंड लागू होंगे।*

3. *निवेश तथा अन्य परिसंपत्तियों के साथ-साथ ऋण की संतुष्टि में अधिगृहीत अन्य परिसंपत्तियों के मूल्यांकन -सहित सभी पर आइसीएआइ द्वारा जारी सभी लेखा मानक और निर्देश नोट लागू होंगे। फिर भी, उद्धृत निवेशों के संबंध में बाजार मूल्यों और अनुद्धृत निवेशों के अलग-अलग/उचित मूल्य/निवल परिसंपत्ति मूल्यों का खुलासा किया जाना चाहिए, भले ही उपर्युक्त (5) में इन्हें दीर्घावधि या चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।*

xxx

संलग्नक 2

फार्म-एनबीएस 2

मार्च/सितंबर 200.. की समाप्ति की स्थिति के अनुसार पूंजीगत निधियों, जोखिम परिसंपत्ति/ऋण (एक्सपोजर) तथा जोखिम परिसंपत्ति अनुपात आदि का छमाही विवरण

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नाम और पता	
कंपनी की कोड सं. (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई)	
पंजीकरण सं. (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई)	
कंपनी का वर्गीकरण (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया)	

(लाख रुपए में)

भाग - क		
मद का नाम	**मद कोड**	**राशि**
पूंजीगत निधियां -टियर I		
(i) चुकता ईक्विटी पूंजी	111	
(ii) वे अधिमान शेयर जिन्हें अनिवार्यतः ईक्विटी में परिवर्तित किया जाना हो	112	
(iii) मुक्त आरक्षित निधियां		
(क) सामान्य आरक्षित निधि	113	
(ख) शेयर प्रीमियम	114	
(ग) पूंजीगत आरक्षित निधि (अलग खाते में रखे परिसंपत्ति के विक्रय पर अधिशेष को दर्शाते हों)	115	
(घ) डिबेंचर शोधन आरक्षित निधि	116	
(ङ) पूंजीगत शोधन आरक्षित निधि	117	
(च) लाभ और हानि खाते में जमा शेष	118	
(छ) अन्य मुक्त आरक्षित निधि (विनिर्दिष्ट किए जाएं)	119	
कुल (111 से 119)	**110**	
(iv) हानि का संचित शेष	121	

(v) आस्थगित राजस्व व्यय	122	
(vi) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	123	
कुल (121 से 123)	**120**	
(vii) स्वाधिकृत निधि (110-120)	**130**	
(viii) निम्नलिखित के शेयरों में निवेश		
(क) सहायक कंपनियां	141	
(ख) उसी समूह की कंपनियां	142	
(ग) अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	143	
(ix) डिबेंचरों, बांडों, बकाया ऋण और अग्रिमों, खरीदे गए और भुनाए ग . बिलों (किराया खरीद तथा पट्टा वित्त सहित) के बही-मूल्य और निम्नलिखित के पास रखी जमाराशियां		
(क) सहायक कंपनियां	144	
(ख) उसी समूह की कंपनियां	145	
(x) कुल (141 से 145)	**140**	
(xi) मद 140 की राशि, उपर्युक्त मद 130 के 10% से अधिक	**150**	
(xii) टियर - I पूंजी		
निवल स्वाधिकृत निधि (130-150)	**151**	

(लाख रुपए में)

भाग - ख		
मद का नाम	**मद कोड**	**राशि**
पूंजीगत निधि - टियर II		
(निदेश का पैरा 2(1)(xx)(ख)		
(i) अनिवार्यतः ईक्विटी में परिवर्तनीय से इतर अधिमान पूंजी शेयर	161	
(ii) पूनर्मूल्यन आरक्षित निधि	162	
(iii) सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधि	163	
(iv) संमिश्र ऋण पूंजी लिखत	164	
(v) गौण ऋण	165	
(vi) कुल टियर-II पूंजी (मद 161 से 165)	**160**	
कुल पूंजी निधि (151 + 160)	**170**	

(लाख रुपए में)

भाग -ग		
मद का नाम	मद कोड	राशि
जोखिम परिसंपत्ति और तुलन पत्र से इतर (ऑफ बैलैंस शीट) मदें		
(i) निधिक जोखिम परिसंपत्ति का समायोजित मूल्य अर्थात् तुलन पत्र की (आन-बैलैंस शीट) मदें (भाग घ से मिलना चाहिए)	181	
(ii) अनिधिक और तुलन पत्र से परे मदों का समायोजित मूल्य (भाग ङ से मिलना चाहिए)	182	
(iii) जोखिम भारित कुल परिसंपत्तियां/एक्सपोजर (181 + 182)	180	
(iv) जोखिम भारित कुल परिसंपत्तियों/एक्सपोजरों की तुलना में पूंजीगत निधियों का प्रतिशत		
(क) टियर -I पूंजी (मद 151 से मद 180 का प्रतिशत)	191	
(ख) टियर -II (मद 160 से मद 180 का प्रतिशत)	192	
(ग) कुल (मद 170 से मद 180 का प्रतिशत)	193	

(लाख रुपए में)

भाग -घ				
धारित परिसंपत्तियां अर्थात तुलन पत्र की मदें				
मद का नाम	**मद कोड**	**बही मूल्य**	**जोखिम भार**	**समायोजित मूल्य**
I. सावधि जमा तथा जमा प्रमाणपत्रों सहित नकदी और बैंक शेष	210		0	0
II. निवेश (निदेश का पैरा 6 देखें)			0	0
(क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित अनुमोदित प्रतिभूतियां	221		0	0
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बांड				
(i) भाग 'क' मद (x) में काटी गई राशि (मद कोड 150)	222 क		0	
(ii) भाग 'क' मद (x) में न काटी गई राशि (मद कोड 150)	223 क		20	
(ग) सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के सावधि जमा/जमा प्रमाणपत्र/बांड				
(i) भाग 'क' मद (x) में काटी गई राशि (मद कोड 150)	224 क		0	0
(ii) भाग 'क' मद (x) में न काटी गई राशि (मद कोड 150)	225 क		100	
उप-जोड़ (222 क + 223क + 224 क + 225क)	**उप जोड़ 225क**			
(घ) सभी कंपनियों के शेयर और कंपनियों के डिबेंचर/बांड/वाणिज्यिक पत्र तथा सभी म्युचुअल फंडों की यूनिटें				
(i) भाग 'क' मद (xi) में काटी गई राशि (मद कोड 150)	226		0	0
(ii) भाग 'क' में न काटी गई राशि	227		100	
उप जोड़ (226 + 227)	**उप जोड़ 227**			
III. चालू परिसंपत्तियां				
(क) किराए पर स्टॉक (कृपया नीचे का नोट 2 देखें)				

मद का नाम	मद कोड	बही मूल्य	जोखिम भारित	समायोजित मूल्य
(i) भाग 'क' [मद (xi) मद कोड 150] में काटी गई राशि	231		0	0
(ii) भाग क में न काटी गई राशि	232		100	0
उप-जोड़ (231+232)	**उप-जोड़ 232**			
(ख) अंतर-कंपनी ऋण/जमाराशि				
(i) भाग 'क' [मद (xi) मद कोड 150] में काटी गई राशि	233		0	0
(ii) भाग 'क' में न काटी गई राशि	234		100	
उप-जोड़ (233 + 234)	**उप जोड़ 234**			
(ग) कंपनी की अपनी जमाराशि से पूर्णतः रक्षित ऋण और अग्रिम	235		0	0
(घ) स्टाफ को ऋण	236		0	0
(ङ) अन्य जमानती ऋण और अग्रिम जो अच्छे माने गए				
(i) भाग क [मद (xi) मद कोड 150] में काटी गई राशि	241		0	0
(ii) भाग क में न काटी गई राशि	242		100	
उप-जोड़ (235+236+241+242)	**उप जोड 242**			
(च) खरीदे/भुनाए गए बिल				
(i) भाग क [मद (xi) मद कोड 150] में काटी गई राशि	243		0	0
(ii) भाग-क में न काटी गई राशि	244		100	
उप-जोड़ (243+244)	**उप-जोड़ 244**			
(छ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	245		100	

मद का नाम	मद कोड	बही मूल्य	जोखिम भारित	समायोजित मूल्य
IV. अचल परिसंपत्ति (मूल्यह्रास को घटाकर)				
(क) पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां				
(i) भाग क [मद (xi) मद कोड 150] में काटी गई राशि	251		0	0
(ii) भाग क में न काटी गई राशि	252		100	
उप जोड़ (251+252)	**उप-जोड़ 252**			
कुल ऋण जोखिम (एक्सपोजर) (उपजोड़ 232 + उप जोड़ 234 + उपजोड़ 242 + उपजोड़ 244+245 + उपजोड़ 252)	**सीटी 200**			
(ख) परिसर	253		100	
(ग) फर्नीचर और फिक्सचर	254		100	
V. अन्य परिसंपत्तियां				
(क) स्रोत पर काटा गया आयकर (प्रावधानों को घटाकर)	255		0	0
(ख) अग्रिम चुकाया गया कर (प्रावधानों को घटाकर)	256		0	0
(ग) सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्य ब्याज	257		0	0
(घ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	258		100	
भारित कुल परिसंपत्तियां (मद 210 से 258 जिन मद कोडों के पहले 'उप-जोड़' लिखा हो उसे शामिल न करें)	200			

नोट :

1. उन आस्तियों का निवलीकरण किया जाए जिनमें मूल्यह्रास या अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान किये गये हैं।

2. वित्तीय प्रभारों अर्थात ब्याज तथा वसूली योग्य अन्य प्रभारों को घटाकर किराए पर स्टाकों को दर्शाया जाए।

3. निवल स्वाधिकृत निधि की गणना के लिए जिन परिसंपत्तियों को स्वाधिकृत निधि से घटाया गया है उस पर भार "शून्य" होगा।

4. किसी उधारकर्ता के समग्र बकाया जोखिम के संबंध में निवलीकरण नकदी मार्जिन जमानती राशि/प्रतिभूति जमा से किया जा सकता है जिनकी जमानत पर मुजरायी(set off) के लिए अधिकार उपलब्ध है।

भाग- ङ

भारित अनिधिक(non-funded) एक्सपोजर/तुलन पत्र से इतर मदें

मद नाम	मद कोड	बही मूल्य	परिवर्तन कारक	समतुल्य मूल्य	जोखिम भार	समायोजित मूल्य
1. वित्तीय और अन्य गारंटियां	310	-	100	-	100	-
2. शेयर/डिबेंचर हामीदारी बाध्यताएं	320	-	50	-	100	-
3. आंशिक रूप से चुकता शेयर/ डिबेंचर	330	-	100	-	100	-
4. बिलों की पुनर्भुनाई	340	-	100	-	100	-
5. पट्टेदारी करार कर तो लिए गए हैं पर निष्पादित होना बाकी है	350	-	100	-	100	-
6. अन्य आकस्मिक देयताएं (निर्दिष्ट करें)	360	-	50	-	100	-
कुल अनिधिक एक्सपोजर (मद 310 से 360)	300	-	-	-	-	-

टिप्पणी : परिवर्तन कारक लगाने के पहले नकदी मार्जिन/जमाराशियां काट ली जाएंगी।

भाग - च

परिसंपत्ति वर्गीकरण

I. निम्नलिखित में वर्गीकृत ऋण जोखिमों का सकल योग:

मद का नाम	*मद कोड*	*राशि*
(i) मानक परिसंपत्ति	411	
(ii) अवमानक परिसंपत्ति		
(क) पट्टेवाली और किराया खरीद परिसंपत्ति	412	
(ख) अन्य ऋण सुविधाएं	413	
(iii) संदिग्ध परिसंपत्तियां	414	
(iv) हानि परिसंपत्तियां	415	
जोड़ (411 से 415)	**410**	
नोट (मद 410 सीटी 200 से मेल खानी चाहिए)		

II. निर्धारित निदेश के अनुसार उपर्युक्त I के संबंध में सकल प्रावधान

मद का नाम	*मद कोड*	*अपेक्षित प्रावधान*	*किए गए वास्तविक प्रावधान*
(क) ऋण, अग्रिम तथा अन्य ऋण सुविधाएं			
(i) अवमानक परिसंपत्तियां			
(क) परिसंपत्ति के अनर्जक परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले पूरी राशि लाभ और हानि लेखा की जमा में ले जायी जाए [निदेश का पैरा 3(2)]	421		

मद का नाम	*मद कोड*	*अपेक्षित प्रावधान*	*किए गए वास्तविक प्रावधान*
(ख) बकाया शेष राशि का 10%	422		
(ii) संदिग्ध परिसंपत्तियां			
(क) परिसंपत्ति के अनर्जक परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले पूरी राशि लाभ और हानि लेखा की जमा में ले जायी जाए। [निदेश का पैरा 3(2)]	423		
(ख) जमानत के वसूली योग्य मूल्य द्वारा पूर्ति नहीं हुई सीमा तक 100 प्रतिशत और परिसंपत्ति संदिग्ध रही अवधि तक जमानती भाग का 20 से 50 प्रतिशत।	424		
(iii) हानिवाली परिसंपत्तियां			
(क) परिसंपत्ति के अनर्जक परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले पूरी राशि लाभ और हानि लेखा की जमा में ले जायी जाए। [निदेश का पैरा 3(2)]	425		
(ख) बकाया शेष राशि का 100%	426		
जोड़ : (मद सं. 421 से 426)	**उप-जोड़ 426**		
(ख) किराया खरीद और पट्टेवाली परिसंपत्तियां			

मद का नाम	*मद कोड*	*अपेक्षित प्रावधान*	*किए गए वास्तविक प्रावधान*
(i) अवमानक परिसंपत्तियां [निदेश का पैरा 9(2)]			
किराया खरीद परिसंपत्तियां			
(क) परिसंपत्ति के अनर्जक परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले पूरी राशि लाभ और हानि लेखा की जमा में ले जायी जाए। [निदेश का पैरा 3(3)]	427		
(ख) कुल प्राप्य राशि और ह्रासित मूल्य के बीच की कमी [निदेश का पैरा 9(2)(i)]	428		
(ग) निवल बही मूल्य का 10% [निदेश का पैरा 9(2)(ii)]	429		
पट्टे पर दी हुई परिसंपत्तियां			
(घ) परिसंपत्ति के अनर्जक परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले निवल पट्टा किराए की पूरी राशि लाभ और हानि लेखा में जमा की जाए। [निदेश का पैरा 3(4)]	430		
(ङ)) निवल बही मूल्य का 10% [निदेश का पैरा 9(2)(ii)]	431		
(ii) संदिग्ध परिसंपत्तियां			
किराया खरीद परिसंपत्तियां			

मद का नाम	*मद कोड*	*अपेक्षित प्रावधान*	*किए गए वास्तविक प्रावधान*
(क) परिसंपत्ति के अनर्जक परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले पूरी राशि लाभ और हानि लेखा की जमा में ले जायी जाए। [निदेश का पैरा 3(3)]	432		
(ख) कुल प्राप्य राशि और ह्रासित मूल्य के बीच की कमी [निदेश का पैरा 9(2)(i)]	433		
(ग) निवल बही मूल्य का 40% [निदेश का पैरा 9(2)(ii)]	434		
पट्टेपर दी गई परिसंपत्तियां			
(घ) परिसंपत्ति के अनर्जक परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले निवल पट्टा किराए की पूरी राशि लाभ और हानि लेखा में जमा की जाए। [निदेश का पैरा 3(4)]	435		
(ङ) निवल बही मूल्य का 40% [निदेश का पैरा 9(2) (ii)]	436		
किराया खरीद परिसंपत्ति			
(च) परिसंपत्ति के अनर्जक परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले पूरी राशि लाभ और हानि लेखा की जमा में ले जायी जाए। [निदेश का पैरा 3(3)]	437		
(छ) कुल प्राप्य राशि और ह्रासित मूल्य के बीच की कमी [निदेश का पैरा 9(2)(i)]	438		

मद का नाम	*मद कोड*	*अपेक्षित प्रावधान*	*किए गए वास्तविक प्रावधान*
(ज) निवल बही मूल्य का 70% [निदेश का पैरा 9(2)(ii)]	439		
पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां			
(झ) परिसंपत्ति के अनर्जक परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले निवल पट्टा किराए की पूरी राशि लाभ और हानि लेखा की जमा में ले जायी जाए।[निदेश का पैरा 3(4)]	440		
(ज) निवल बही मूल्य का 70% [निदेश का पैरा 9(2)(ii)]	441		
(iii) हानिवाली परिसंपत्तियां			
किराया खरीद परिसंपत्तियां			
(क) परिसंपत्ति के अनर्जक परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले पूरी राशि लाभ और हानि लेखा की जमा में ले जायी जाए। [निदेश का पैरा 3(3)]	442		
(ख) कुल प्राप्य राशि और ह्रासित मूल्य के बीच की कमी [निदेश का पैरा 9(2)(i)]	443		
(ग) निवल बही मूल्य का 100% [निदेश का पैरा 9(2)(ii)]	444		

मद का नाम	*मद कोड*	*अपेक्षित प्रावधान*	*किए गए वास्तविक प्रावधान*
पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां			
(क) परिसंपत्ति के अनर्जक परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले निवल पट्टा किराए की पूरी राशि लाभ और हानि लेखा में जमा की जाए। [निदेश का पैरा 3(4)]	445		
(ख) निवल बही मूल्य का 100% [निदेश के पैरा 9(2)(ii)]	446		
उप-जोड़ : (मद सं. 427 से 446)	**उप-जोड़ 446**		
कुल प्रावधान (उप-जोड़ 426 + उप-जोड़ 446)	**420**		
III. निम्नलिखित के संबंध में अन्य प्रावधान			
(i) अचल परिसंपत्तियों में मूल्यह्रास	451		
(ii) निवेश में मूल्यह्रास	452		
(iii) हानि/अमूर्त परिसंपत्तियां	453		
(iv) कराधान हेतु प्रावधान	454		
(v) उपदान/भविष्य निधि	455		
(vi) अन्य (निर्दिष्ट करें)	456		
जोड़	**450**		

भाग -छ

उसी समूह की कंपनियों/फर्मों और अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में निवेश और उन्हें प्रदत्त अग्रिमों से संबंधित ब्योरे

मद का नाम	मद कोड	राशि
(i) सहायक कंपनियों और उसी समूह की कंपनियों को दिये गये ऋण और अग्रिमों का बकाया और उनके पास जमाराशियों और बांडों और डिबेंचरों के बही मूल्य (परिशिष्ट सं. में ब्योरे संलग्न किए जाएं।	510	
(ii) सहायक कंपनियों और उसी समूह की कंपनियों तथा सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के शेयरों में निवेश (परिशिष्ट सं. में ब्योरे संलग्न किए जाएं)	520	
(iii) अन्य कंपनियों, फर्मों और उन स्वामित्व प्रतिष्ठानों में, जिनमें कंपनी के निदेशकों के पर्याप्त हित शामिल हों, शेयरों, डिबेंचरों, ऋणों और अग्रिमों, पट्टा, किराया खरीद वित्त-पोषण, जमाराशि आदि के रूप में किया गया निवेश (परिशिष्ट सं. में ब्योरे संलग्न किए जाएं)	530	

भाग - ज

उपर्युक्त भाग 'छ 'में शामिल-सहित पार्टियों को तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर और निवेशों-सहित अग्रिमों के संकेंद्रीकरण से संबंधित ब्योरे

मद का नाम	मद कूट	राशि
(i) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक किसी एक पार्टी को तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर-सहित दिए गए ऋण और अग्रिम (परिशिष्ट सं. में ब्योरे संलग्न किए जाएं)	610	

मद का नाम	मद कूट	राशि
(ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक किसी एक समूह को तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर सहित दिए गए ऋण और अग्रिम (परिशिष्ट सं. में ब्योरे संलग्न किए जाएं)	620	
(iii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक किसी एक कंपनी में किये गये निवेश (परिशिष्ट सं. में ब्योरे संलग्न किए जाएं)	630	
(iv) गैर-बैंकिंग कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक किसी एक ही समूह की कंपनियों द्वारा जारी शेयरों में किये गये निवेश	640	
(v) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक किसी एक पार्टी को दिए गए ऋण और अग्रिमों (डिबेंचरों/बांडों और तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर सहित) तथा उसके शेयरों में निवेश	650	
(vi) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 40 प्रतिशत से अधिक किसी एक समूह की पार्टियों को दिए गए ऋणों, अग्रिमों (डिबेंचरों/बांडों और तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर-सहित) तथा उनके शेयरों में किये गये निवेश	660	

नोट :

1. एक्सपोजर की वे सारी सीमाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के अपने समूह के साथ-साथ उधारकर्ताओं/निवेशिती कंपनी समूह पर लागू होंगे।

2. इस प्रयोजन के लिए डिबेंचरों में किया गया निवेश ऋण माना जाएगा, न कि निवेश।

भाग - झ

परिसर तथा अनुद्धृत (अनकोटेड) शेयरों में किए गए निवेश से संबंधित ब्योरे

मद का नाम	मद कूट	राशि
(i) कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत से अधिक अपने निजी उपयोग को छोड़कर (विवरणी के मद कोड 253 में से) परिसर (भूमि और भवन) में किया गया निवेश		
(क) कंपनी द्वारा स्वतंत्र रूप से अधिगृहीत	710	
(ख) अपने ऋण की क्षतिपूर्ति के लिए अधिगृहीत	720	
(ii) सहायक कंपनियों और उसी समूह की कंपनियों में (देखें मद कूट 141 तथा 142) निवेश को छोड़कर अनुद्धृत शेयरों में निम्नलिखित से अधिक निवेश		
(क) परिसंपत्ति वित्त कंपनियों के मामले में स्वाधिकृत निधि का 10 प्रतिशत	730	
(ख) ऋण और निवेश कंपनियों के मामले में स्वाधिकृत निधि का 20 प्रतिशत	740	

भाग - अ

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा और इसके विरुद्ध दाखिल वाद तथा डिक्री प्राप्त ऋण के ब्योरे

मद का नाम	मद कूट	राशि
I (i) ऋण, अग्रिम, अन्य ऋण सुविधाएं, पट्टेवाली परिसंपत्तियां और किराया खरीद परिसंपत्तियां जिनके लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने किसी न्यायालय में डिक्रीप्राप्त ऋणों-सहित अपने बकायों की वसूली के लिए वाद दाखिल कर रखे हों:	810	
5 वर्ष से अधिक से विचाराधीन	811	
3 से 5 वर्ष तक	812	
1 से 3 वर्ष तक	813	
एक वर्ष से कम के लिए विचाराधीन	814	
(ii) उपर्युक्त (i) में से जिन ऋणों, अग्रिमों, अन्य ऋण सुविधाओं तथा किराया खरीद परिसंपत्तियों के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने डिक्री हासिल कर ली है	820	
(iii) वाद दाखिल/डिक्री प्राप्त ऋण (न्यायालय में जमा की गई राशि सहित) से हुई वसूली	830	
II. कंपनी के विरुद्ध दाखिल वाद और डिक्रीप्राप्त	840	

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

(1) इस विवरण में आय निर्धारण, लेखा मानक, परिसंपत्ति वर्गीकरण, अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान, पूंजी पर्याप्तता और ऋण तथा निवेश के संकेंद्रण के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार ही आंकड़े/सूचना दी गई है। कंपनी के बही खातों तथा अन्य अभिलेखों से ही विवरण का संकलन किया गया है और मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार ये सही हैं;

(2) कंपनी की परिसंपत्ति तथा आय के स्वरूप से प्राप्त साक्ष्य के अनुसार इसके प्रधान कारोबार के आधार पर रिजर्व बैंक ने इसे ----------के रूप में वर्गीकृत किया है जो सही रूप में बकरार है/बरकरार नहीं है (जो लागू न हो उसे काट दें);

(3) कंपनी ने जनता की जमाराशियां स्वीकार की हैं और ये जमाराशियां कंपनी के लिए लागू सीमाओं के तहत हैं;

(4) कंपनी ने जमाराशि पर निदेशों में निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक ब्याज/दलाली का भुगतान नहीं किया है;

(5) कंपनी ने परिपक्व जमाराशि की चुकौती में चूक नहीं की है;

(6) मीयादी जमाराशि के लिए साख श्रेणी निर्धारण एजेंसी ---------- (एजेंसी का नाम) ने ----------(साख श्रेणी का स्तर/साख श्रेणी) प्रदान की है जो वैध है;

(7) भाग घ, ङ, और च में दिए गए ब्यौरों को ध्यान में रखते हुए भाग ग की विवरणी में जिस पूंजी पर्याप्तता का प्रकटीकरण किया गया है उसकी सही गणना की गई है;

(8) मार्च/सितंबर--- को समाप्त छमाही के दौरान ऋण, उपस्कर पट्टे, किराया खरीद वित्तपोषण और निवेश के साथ-साथ कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों से संबंधित सकल बकाया राशि को यह सुनिश्चित करने के लिए गणना में लिया जाता है कि कंपनी के लिए निर्धारित न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात को संबंधित अवधि के दौरान अनवरत आधार पर बनाए रखा गया है;

(9) विवरणी के भाग च में यथा प्रकट परिसंपत्ति वर्गीकरण का सत्यापन किया गया और सही पाया गया। ऋणों, पट्टे और किराया खरीद लेनदेनों और देय तारीखों के बाद भुनाए गए बिलों का रोलओवर /पुनर्निर्धारण नहीं देखा गया है। अवमानक या संदिग्ध या हानिवाली परिसंपत्तियों का यदि उन्नयन किया गया है तो ऐसा गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमा राशि स्वीकरण या धारण) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007 के अनुरूप किया गया है;

(10) विवरणी के भाग छ में यथा प्रकट समूह कंपनियों में निवेश छमाही विवरणी के भाग ज में ऋण/निवेश संकेंद्रण मानदंडों से अधिक अलग-अलग व्यक्तियों/फर्मों अन्य कंपनियों को यथा प्रकट एक्सपोजर, विवरणी के भाग झ में परिसरों और अनुषक्त शेयरों में यथा प्रकट निवेशों और विवरणी के भाग ञ में कंपनी द्वारा और इसके विरुद्ध दाखिल वाद तथा डिक्रीप्राप्त ऋण के ब्योरे और ऐसी परिसंपत्तियों का वर्गीकरण सही है।

स्थान : कंपनी के लिए तथा कंपनी की ओर से

दिनांक (कंपनी का नाम)

प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

हमने ----------20--- की स्थिति के अनुसार पूंजीगत निधि, जोखिम परिसंपत्तियों/एक्सपोजर और जोखिम परिसंपत्ति अनुपात आदि के संबंध में ---------- ----------लिमिटेड द्वारा रखे गए बही खातों और अन्य अभिलेखों तथा कंपनी के प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिए गए उपर्युक्त विवरणों/प्रमाणपत्र की जांच की है। यादृच्छिक जांच के आधार पर, हम उपर्युक्त पैरा (8) में दिए गए विवरण को प्रमाणित करते हैं। इसके अतिरिक्त हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और दी गई जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा हमें दिखाए गए अभिलेख और हमारे द्वारा की गयी उनकी जांच के अनुसार उपर्युक्त विवरण के भाग क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ और ञ में दर्शाए गए आंकड़े सही हैं।

स्थान :

दिनांक :

सांविधिक लेखा परीक्षक

संलग्नक -3

फार्म एनबीएस 6

पूंजी बाजार जोखिम(CME) से संबंधित मासिक विवरणी

---------- 200 माह की समाप्ति पर

एनबीएफसी/आरएनबीसी का नाम :

कंपनी की कूट सं. :
(भारिबैंक के भरने के लिए)

पंजीकृत कार्यालय का पता :

भारिबैंक पंजीयन सं. :

कंपनी का वर्गीकरण : एएफसी/ऋण/निवेश/आरएनबीसी

विवरणी भरने के लिए टिप्पणियां और अनुदेश

1. **प्रयोज्यता**

यह विवरणी जमाराशि लेनेवाली उन सभी एनबीएफसी को भरनी है जिनकी कुल परिसंपत्तियां पिछले वर्ष 31 मार्च को 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक रही हैं (उदाहरण के लिए अप्रैल 2007 या अक्तूबर 2007 माह की विवरणी के लिए कुल परिसंपत्तियों की आधार तारीख मार्च 2007 होगी, इसी प्रकार मार्च 2008 माह की विवरणी के लिए कुल परिसंपत्तियों की आधार तारीख मार्च 2007 होगी)। लेखापरीक्षित आंकड़ों के अभाव में, इस प्रयोजन के लिए अनंतिम आंकड़े लिए जाएं।

2. यह विवरणी गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसके कार्य क्षेत्र में उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

3. **पूंजी बाजार जोखिम (सीएमई) की परिभाषा**

इस विवरणी के लिए, सीएमई निम्नलिखित के रूप में कंपनी के ऋण जोखिमों का सकल योग होगा:

(i) उद्धृत ईक्विटी शेयरों में निवेश, उद्धृत अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमान शेयर (सीसीपीएस), उद्धृत परिवर्तनीय बांड तथा डिबेंचर और मूलतः ईक्विटी मूलक पारस्परिक निधियों की उद्धृत यूनिटें;

(ii) उपर्युक्त (i) की प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण एवं अग्रिम, जिसमें आइपीओं, आदि को वित्तपोषित करने वाले ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं;

(iii) शेयर दलालों को दिए गए जमानती तथा बेजमानती ऋण एवं अग्रिम और उनकी ओर से जारी गारंटियाँ;

(iv) बुकबिल्डिंग रूट के माध्यम-सहित ईक्विटी से संबंधित प्राथमिक निर्गमों के संबंध में हामीदारी वचनबद्धताएं; और

(v) पूंजी बाजार को ईक्विटी से संबंधित कोई अन्य ऋण जोखिम।

4. संपार्श्विक या अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में एनबीएफसी तथा आरएनबीसी को सौंपे गए शेयर, डिबेंचर, पारस्परिक निधियों की यूनिटों, आदि की स्वीकार्यता सीएमई के अंतर्गत नहीं आती, यदि उन्हें सामान्य कारबार प्रथा तथा मूल्यांकन कार्यविधि के अनुसार स्वीकार किया जाता है, साथ ही अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 के पैराग्राफ 6 के प्रावधानों के अनुपालन में आरएनबीसी द्वारा किए गए निवेशों को भी इसी के अनुरूप माना जाता है।

5. इस विवरणी में उल्लिखित 'सहायक कंपनियों' तथा 'उसी समूह की कंपनियों' का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 एवं धारा 372(11) में उनके बारे में क्रमशः बताया गया है।

6. 'पण्यावर्त' का अर्थ है निवेशों की उसी श्रेणी में बिक्री एवं खरीद का कुल योग।

7. यदि विवरणी के किसी अंश/मद में कोई बात रिपोर्ट करने के लिए नहीं हो, तो 'राशि' के कालम में '00' दिखाया जाए।

8. विवरणी पर प्रधान अधिकारियों में से किसी एक के हस्ताक्षर होने चाहिए, जैसा कि जमाराशियों के संबंध में वार्षिक विवरणी में दिया गया है (एनबीएस-1/एनबीएस-1ए)।

9. 'सकल क्रय' शब्दावली ऐसे ऋण जोखिमों का संकेत करती है जिनसे पूंजी बाजार ऋण जोखिम में बढ़ोत्तरी होती है तथा 'सकल विक्रय' का अर्थ उस ऋण जोखिम से है जिससे एनबीएफसी/आरएनबीसी का पूंजी बाजार ऋण जोखिम कम होता है।

भाग-1 उद्धृत निवेश

(लाख रुपए में)

निवेशों के ब्यौरे	पिछले माह में पर्यावर्तन			माह के अंत में बही मूल्य	माह के अंत में बाजार मूल्य
	सक्र*	सवि**	योग		
1. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों-सहित कंपनियों के उद्धृत ईक्विटी शेयरों में निवेश					
1.1 उसी समूह की कंपनियां					
1.2 अन्य कंपनियां					
2. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों-सहित कंपनियों के उद्धृत परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों में निवेश					
2.1 उसी समूह की कंपनियां					
2.2 अन्य कंपनियां					
3. मूलतः ईक्विटी मूलक पारस्परिक निधियों की यूनिटों में निवेश					
4. उद्धृत अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमान शेयर					
4.1 उसी समूह की कंपनियां					
4.2 अन्य कंपनियां					
5. उद्धृत शेयरों, बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों, मूलतः ईक्विटी मूलक पारस्परिक निधियों की यूनिटों में निवेशों का योग (1+2+3+4)					
6. उद्धृत शेयरों या उद्धृत परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों एवं मूलतः ईक्विटी मूलक पारस्परिक निधियों की यूनिटों की (निम्न स्वरूप की प्रतिभूतियों की) जमानत पर कंपनियों को ऋण तथा अग्रिम					
(क) भौतिक प्रतिभूतियां					
(ख) डिमैट प्रतिभूतियां					
6.1 उपर्युक्त 6 में से, किसी कंपनी को दी गई अधिकतम राशि					
6.2 उपर्युक्त 6 में से आइपीओ के वित्तपोषण के लिए कंपनियों को ऋण तथा अग्रिम					

6.2.1 भौतिक प्रतिभूतियां					
6.2.2 डिमैट प्रतिभूतियां					
6.3 उपर्युक्त 6 में से, निम्नलिखित को ऋण तथा अग्रिम					
6.3.1 उसी समूह की कंपनियां					
6.3.2 अन्य कंपनियां					
7. उद्धृत शेयरों या उद्धृत परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों एवं मूलतः ईक्विटी मूलक पारस्परिक निधियों की यूनिटों की (निम्न स्वरूप की प्रतिभूतियों की) जमानत पर व्यक्तियों, फर्मों, अविभक्त हिंदू परिवारों तथा लोगों के अनिगमित संघों को ऋण तथा अग्रिम					
(क) भौतिक प्रतिभूतियां					
(ख) डिमैट प्रतिभूतियां					
7.1 उपर्युक्त 7 में से, एक व्यक्ति या एक फर्म या हिंदू अविभक्त एक परिवार या लोगों के एक अनिगमित संघ को दिए गए ऋण एवं अग्रिमों की अधिकतम राशि					
7.2 उपर्युक्त 7 में से , निम्नलिखित की जमानत पर आइपीओ के वित्तपोषण के लिए व्यक्तियों, फर्मों, हिंदू अविभक्त परिवारों तथा लोगों के अनिगमित संघों को ऋण एवं अग्रिम					
7.2.1 भौतिक प्रतिभूतियां					
7.2.2 डिमैट प्रतिभूतियां					
8. शेयर दलालों को ऋण जोखिम सीमा					
8.1 शेयर दलालों को ऋण :					
8.1.1 जमानती					
8.1.2 बेजमानती					
8.1.3 उप-योग (8.1.1+8.1.2)					
8.2 शेयर दलालों की ओर से गारंटियां					
8.3 किसी शेयर दलाल को दिए गए ऋण एवं अग्रिमों की अधिकतम राशि					
8.4 शेयर दलालों को ऋण जोखिम का योग (8.1.3+8.2)					
8.5 उपर्युक्त 8.4 में से, एनबीएफसी के स्वयं समूह में दलाली कंपनियों/फर्मों को ऋण जोखिम					

9. बुक बिल्डिंग रूट के माध्यम-सहित इक्विटी संबंधी प्राथमिक निर्गमों के संबंध में कंपनी की हामीदारी वचनबद्धताएं				
10. पूंजी बाजार को ईक्विटी संबंधी कोई अन्य ऋण जोखिम (कृपया उल्लेख करें)				
11. कुल पूंजी बाजार ऋण जोखिम (5+6+7+8+9+10)				
भाग-2 अनुद्धृत निवेश				
12. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों-सहित कंपनियों के अनुद्धृत ईक्विटी शेयरों में निवेश				
12.1 उसी समूह की कंपनियां				
12.2 अन्य कंपनियां				
13. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों-सहित कंपनियों के अनुद्धृत बांडों/डिबेंचरों में निवेश				
13.1 उसी समूह की कंपनियां				
13.2 अन्य कंपनियां				
14. अनुद्धृत ईक्विटी शेयरों/बांडों/ डिबेंचरों में निवेशों का योग (12+13)				

* सक्र = सकल क्रय

** सवि = सकल विक्रय

भाग -3 पिछले लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार स्थिति

15. पिछले लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार कंपनी की स्वाधिकृत निधियां	
16. पिछले लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार कंपनी की कुल परिसंपत्तियां (अमूर्त को घटाकर)	
17. जिस माह से विवरणी संबंधित है उस माह के अंत में कंपनी की कुल जमाराशियां (आरएनबीसी के लिए)/सार्वजनिक जमाराशियां (एनबीएफसी के लिए)	

प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान ----------

तारीख ----------

नाम ----------

पदनाम ----------

डीएनबीएस.193/डीजी (वीएल)-2007

भारतीय रिज़र्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर, और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से नीचे दिए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों से संबधित निदेश जारी करना जरूरी है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 ञक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इसकी ओर से प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 31 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं. डीएफसी.119/डीजी (एसपीटी)/98 में दिए गए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश 1998 का अधिक्रमण करते हुए सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार/धारण न करनेवाली प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को इसके पश्चात निर्दिष्ट निदेश देता है।

संक्षिप्त नाम, निदेशों का प्रारंभ और उनकी प्रयोज्यता

1. (1) इन निदेशों को "गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार या धारण न करनेवाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" के नाम से जाना जाएगा।

(2) ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(3) (i) इन निदेशों के प्रावधान, आगे खंड (ii), (iii) तथा (iv) में यथा उल्लिखित को छोड़कर, निम्नलिखित पर लागू होंगे:

सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार/धारण न करनेवाली प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी।

(ii) इन निदेशों के पैराग्राफ 16 तथा 18 के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

(क) कोई ऋण कंपनी;

(ख) कोई निवेश कंपनी;

(ग) कोई परिसंपत्ति वित्त कंपनी;

जो संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा राशि न लेनेवाली कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी नहीं है।

(iii) ये निदेश, निवेश कंपनी होने के नाते किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं होंगे;

बशर्ते, वह

(क) अपने समूह/नियंत्रण/सहायक कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश रखती हो और ऐसे धारण के बही मूल्य उसकी कुल परिसंपत्तियों के नब्बे प्रतिशत से कम न हो और वह ऐसी प्रतिभूतियों में क्रय-विक्रय न करती हो;

(ख) सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार/धारण न करती हो; तथा

(ग) संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा राशि न लेनेवाली कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी नहीं है।

तथापि, ऐसी निवेश कंपनियों पर पैराग्राफ 16 एवं 18 के प्रावधान लागू होंगे जो संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा राशि न लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है।

(iv) पैराग्राफ 19 के प्रावधानों को छोड़कर, ये निदेश सरकारी कंपनी होने के नाते ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं होंगे, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 के अंतर्गत परिभाषित है और सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार/धारण नहीं करती है।

परिभाषा

2. (1) इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(i) "विघटित मूल्य(break-up value)" का अर्थ है ईक्विटी पूंजी तथा आरक्षित निधि, जिसे अमूर्त परिसंपत्तियों एवं पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि के रूप में घटाया गया है, व निवेशिती (इनवेस्टी) कंपनी के ईक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित किया गया है;

(ii) "वहन लागत(carrying cost)" का अर्थ है परिसंपत्तियों का बही मूल्य और उस पर उपचित ब्याज किंतु जो प्राप्त न हुआ हो;

(iii) "वर्तमान निवेश(current investment)" का अर्थ है ऐसा निवेश जिसे तुरंत भुनाया जा सके और निवेश करने की तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि तक धारित न किए जाने के लिए हो;

(iv) "संदिग्ध परिसंपत्तियों" का अर्थ है -

(क) मीयादी ऋण, अथवा

(ख) पट्टा परिसंपत्ति, अथवा

(ग) किराया खरीद परिसंपत्ति, अथवा

(घ) कोई अन्य परिसंपत्ति,

जो 18 महीने से अधिक अवधि तक अवमानक परिसंपत्ति बनी रही हो;

(v) "अर्जन मूल्य" का अर्थ है ईक्विटी शेयरों का वह मूल्य जिसकी गणना करने के बाद करोत्तर लाभों के औसत तथा अधिमानी लाभांश को घटाते हुए तथा असाधारण एवं गैर-आवर्ती मदों को समायोजित करते हुए तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए की गई हो और उसे निवेशिती कंपनी के ईक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित किया गया हो तथा जिसे निम्नलिखित दर पर पूंजीकृत किया गया हो:

(क) प्रमुखतः विनिर्माण कंपनी के मामले में, आठ प्रतिशत

(ख) प्रमुखतः व्यापार कंपनी के मामले में, दस प्रतिशत; और

(ग) एनबीएफसी सहित किसी अन्य कंपनी के मामले में, बारह प्रतिशत;

टिप्पणी :

यदि निवेशिती कंपनी घाटे वाली कंपनी है तो अर्जन मूल्य शून्य पर लिया जाएगा;

(vi) "उचित मूल्य" का अर्थ है अर्जन मूल्य और विघटित मूल्य का औसत;

(vii) "संमिश्र ऋण(hybrid debt)" का अर्थ है ऐसा पूंजीगत लिखत जिसमें ईक्विटी तथा ऋण की कतिपय विशेषताएं हों;

(viii) 'मूलभूत संरचना ऋण' का अर्थ है एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ता को दी गई ऐसी ऋण सुविधा जो मीयादी ऋण, परियोजना ऋणस्वरूप किसी परियोजना वित्त पैकेज के हिस्से के रूप में अर्जित किसी परियोजना कंपनी के बाण्ड/डिबेंचर/अधिमानी शेयर/ईक्विटी शेयर में अभिदान हो और अभिदान की यह रकम "अग्रिम के रूप में" हो

अथवा निम्नलिखित गतिविधियों में संलग्न किसी उधारकर्ता कंपनी को दी गई किसी अन्य प्रकार की दीर्घावधि वित्तिक सुविधा हो:

* विकास कार्य अथवा

* परिचालन एवं परिरक्षण, अथवा

* विकास, परिचालन एवं परिरक्षण

ऐसी कोई मूलभूत संरचना सुविधा जो निम्नलिखित क्षेत्र की कोई परियोजना हो:

क) सड़क, पथकर सड़क-सहित, पुल अथवा रेल प्रणाली;

ख) महामार्ग परियोजना जिसमें महामार्ग परियोजना की अभिन्न अंगवाली अन्य गतिविधियां भी शामिल हैं;

ग) बंदरगाह, हवाई अड्डा, अंतर्देशीय जलमार्ग अथवा अंतर्देशीय बंदरगाह;

घ) जल आपूर्ति परियोजना, सिंचाई परियोजना, जल शुद्धिकरण प्रणाली, सफाई एवं मलजल प्रणाली अथवा ठोस कचरा वस्तुओं के प्रबंधन की प्रणाली;

ङ) मूलभूत(basic) या सेल्यूलर दूरसंचार सेवाएं, साथ ही रेडियो पेजिंग, घरेलू उपग्रह सेवा (अर्थात दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराने हेतु ऐसा उपग्रह जिसका स्वामित्व एवं परिचालन भारतीय कंपनी के पास हो), ट्रंकिंग का नेटवर्क, ब्राडबैंड नेटवर्क तथा इंटरनेट सेवाएं;

च) औद्योगिक क्षेत्र अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र;

छ) बिजली उत्पादन अथवा बिजली उत्पादन एवं वितरण;

ज) नई प्रेषण या वितरण लाइनों के नेटवर्क लगाकर बिजली का प्रेषण या वितरण;

झ) कृषि-प्रसंस्करण तथा कृषि निविष्टि आपूर्ति वाली परियोजनाओं से संबंधित निर्माण;

ञ) प्रसंस्कृत कृषि-उत्पाद, खराब हो जानेवाली वस्तुओं जैसे फल, सब्जी तथा फूल के परिरक्षण एवं भंडारण हेतु निर्माण, इसमें गुणवत्ता की जांच सुविधा भी शामिल है;

ट) शिक्षा संस्थाओं एवं अस्पतालों का निमार्ण; और

ठ) समान प्रकृति की कोई अन्य मूलभूत संरचना सुविधा

(ix) "हानि वाली परिसंपत्ति" का अर्थ है:

(क) ऐसी परिसंपत्ति जिसे एनबीएफसी द्वारा अथवा उसके आंतरिक या बाह्य लेखा-परीक्षकों द्वारा अथवा एनबीएफसी के निरीक्षण के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा हानि वाली परिसंपत्ति के रूप में उस सीमा तक पहचाना गया है जिस सीमा तक एनबीएफसी द्वारा बट्टे खाते नहीं डाला गया है; और

(ख) ऐसी परिसंपत्ति जो प्रतिभूति मूल्य में या तो क्षरण के कारण अथवा प्रतिभूति की अनुपलब्धता अथवा उधारकर्ता के धोखाधड़ीपूर्ण कृत्य या चूक के कारण वसूल न हो पाने की संभावित खतरे से (विपरीत रूप से) प्रभावित हो;

(x) "दीर्घावधि निवेश" का अर्थ है वर्तमान निवेश से इतर निवेश;

(xi) "निवल परिसंपत्ति मूल्य" का अर्थ है किसी खास योजना के संबंध में संबंधित म्युचुअल फंड द्वारा घोषित अद्यतन निवल परिसंपत्ति मूल्य;

(xii) "निवल बही मूल्य" का अर्थ है :

(क) किराया खरीद परिसंपत्ति के मामले में, अतिदेयों तथा प्राप्य भावी किस्तों की कुल राशि, जिनमें से अपरिपक्व वित्त प्रभारों की रकम घटाई गई हो तथा इन निदेशों के पैराग्राफ 9(2)(i) के प्रावधानों के अनुसार आगे और घटाई गई हो;

(ख) पट्टाकृत परिसंपत्ति के मामले में, प्राप्य राशि के रूप में लेखाकृत पट्टे के अतिदेय किरायों के पूंजीकृत अंश की कुल रकम और पट्टे की परिसंपत्ति का मूल्यह्रासित बही मूल्य जिसे पट्टा समायोजन खाते की रकम में समायोजित किया गया है।

(xiii) 'अनर्जक परिसंपत्ति' (इन निदेशों में "एनपीए" नाम से संदर्भित) का अर्थ है:

(क) ऐसी परिसंपत्ति जिस पर ब्याज छह या उससे अधिक महीने से अतिदेय हो;

(ख) अदत्त ब्याज-सहित ऐसा मीयादी ऋण, जिसकी किस्त छह या उससे अधिक महीने से बकाया हो अथवा जिस पर ब्याज की रकम छह या उससे अधिक महीने से अतिदेय हो;

(ग) ऐसा मांग अथवा सूचना ऋण, जो मांग या सूचना की तारीख से छह महीने या उससे अधिक समय से अतिदेय हो अथवा जिस पर ब्याज की रकम छह महीने या उससे अधिक अवधि से अतिदेय हो;

(घ) ऐसा बिल जो छह महीने या उससे अधिक अवधि से अतिदेय हो;

(ङ) अल्पावधि ऋण/अग्रिम के रूप में 'अन्य चालू परिसंपत्तियां' शीर्ष के अंतर्गत कर्ज से संबंधित ब्याज अथवा प्राप्य राशि से होने वाली आय, जो छह महीने या उससे अधिक अवधि से अतिदेय हो;

(च) परिसंपत्तियों की बिक्री या दी गई सेवाओं के लिए अथवा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति से संबंधित कोई बकाया, जो छह महीने या उससे अधिक अवधि से अतिदेय हो;

(छ) पट्टा किराया और किराया खरीद किस्त, जो 12 महीने या उससे अधिक अवधि से अतिदेय हो गई हो;

(ज) ऋणों, अग्रिमों और अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में (खरीदे और भुनाए गए बिलों-सहित), एक ही उधारकर्ता/लाभार्थी को उपलब्ध करायी गयी ऋण सुविधाओं (उपचित ब्याज-सहित) के अंतर्गत शेष बकाया राशि जब उक्त ऋण सुविधाओं में से कोई एक अनर्जक परिसंपत्ति बन जाए:

बशर्ते पट्टा और किराया खरीद लेनदेन के मामले में, एनबीएफसी ऐसे प्रत्येक खाते को उसकी वसूली स्थिति के आधार पर वर्गीकृत करें;

(xiv) "स्वाधिकृत निधि" से तात्पर्य है चुकता ईक्विटी पूंजी, अधिमानी शेयर जो अनिवार्यतः ईक्विटी में परिवर्तनीय हों, मुक्त आरक्षित निधियां, शेयर प्रीमियम खाते में शेष और पूंजीगत आरक्षित निधि जो परिसंपत्ति के बिक्री आगमों से होनेवाले अधिशेष को दर्शाती है, परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा सृजित आरक्षित निधियों को छोड़कर, संचित हानि राशि, अमूर्त परिसंपत्तियों का बही मूल्य और आस्थगित राजस्व व्यय को यथा घटाकर, यदि कोई हो;

(xv) "मानक परिसंपत्ति" का अर्थ ऐसी परिसंपत्ति है जिसकी चुकौती या मूल रकम या ब्याज के भुगतान में कोई चूक न हुई हो और जिसमें किसी प्रकार की समस्या न हो और न ही उस कारोबार के सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम हो;

(xvi) *"अवमानक परिसंपत्ति" का अर्थ है:*

(क) ऐसी परिसंपत्ति जिसे अधिक-से-अधिक 18 महीने की अवधि के लिए अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो;

(ख) ऐसी परिसंपत्ति जिसके ब्याज और/अथवा मूलधन से संबंधित करार की शर्तों का परिचालन शुरू होने के बाद पुनःसौदाकृत अथवा पुनर्निर्धारित अथवा पुनर्संरचनाकृत

शर्तों के अंतर्गत संतोषजनक निष्पादन के एक वर्ष की समाप्ति तक पुनः सौदा किया गया हो अथवा शर्तें पुनर्निर्धारित अथवा शर्तों की पुनर्संरचना की गई हो:

बशर्ते अवमानक परिसंपत्ति के रूप में मूलसंरचना ऋण का वर्गीकरण इन निदेशों के पैराग्राफ 20 के प्रावधानों के अनुसार होगा;

(xvii) "गौण ऋण" का अर्थ है पूर्णतः चुकता लिखत, जो गैर-जमानती होता है और अन्य ऋणदाता के दावों के अधीन होता है और प्रतिबंधित खण्डों से मुक्त होता है और धारक के अनुरोध पर अथवा एनबीएफसी के पर्यवेक्षी प्राधिकारी की सहमति के बिना विमोच्य नहीं होता है। ऐसे लिखत का बही मूल्य निम्नानुसार पुनर्भुनाई के अधीन होगा:

लिखतों की शेष परिपक्वता अवधि	बट्टा दर
(क) एक वर्ष तक	100%
(ख) एक वर्ष से अधिक किंतु दो वर्ष तक	80%
(ग) दो वर्ष से अधिक किंतु तीन वर्ष तक	60%
(घ) तीन वर्ष से अधिक किंतु चार वर्ष तक	40%
(ङ) चार वर्ष से अधिक किंतु पांच वर्ष तक	20%

ऐसी भुनाई का मूल्य टियर-1 पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक न हो;

(xviii) "पर्याप्त हित" का अर्थ है किसी व्यक्ति अथवा उसके पति-पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे द्वारा एकल या सामूहिक रूप से किसी कंपनी के शेयरों में लाभभोगी हित धारिता, जिस पर अदा की गई रकम कंपनी की चुकता पूंजी अथवा भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक है;

(xix) 'संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा राशि न लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी' का अर्थ ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से है जो सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार/धारण नहीं करती तथा पिछले लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दिखाए गए अनुसार जिसकी कुल परिसंपत्तियां 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक हैं।

(xx) "टियर-I पूंजी" का अर्थ ऐसी स्वाधिकृत निधि से है जिसमें से अन्य एनबीएफसी के शेयरों और शेयरों, डिबेंचरों, बाण्डों, बकाया ऋणों और अग्रिमों में, जिनमें किराया खरीद तथा किए गए पट्टा वित्तपोषण एवं सहायक कंपनियों तथा उसी

समूह की कंपनियों में रखी जमाराशियां शामिल हैं, स्वाधिकृत निधि के दस प्रतिशत से अधिक निवेश, सकल रूप में, घटाया गया है;

(xxi) "टियर -II पूंजी" में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) उनसे इतर अधिमानी शेयर जो ईक्विटी में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय है;

(ख) 55 प्रतिशत की भुनाई /घटी दर पर पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि;

(ग) सामान्य प्रावधान एवं उस सीमा तक हानि आरक्षित निधि जो किसी विशिष्ट परिसंपत्ति के मूल्य में वास्तविक कमी अथवा उसमें ज्ञातव्य संभावित हानि के कारण नहीं है और ये अप्रत्याशित हानि की पूर्ति के लिए जोखिम भारित परिसंपत्तियों के एक और एक चौथाई प्रतिशत की सीमा तक उपलब्ध रहती हैं;

(घ) संमिश्र (हाइब्रिड) ऋण पूंजी लिखत; और

(ङ) गौण ऋण

जिसकी सीमा सकल राशि, टियर-I पूंजी से अधिक न हो।

(2) इसमें प्रयुक्त अन्य शब्द अथवा अभिव्यक्तियों, जो यहां परिभाषित नहीं हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार्यता (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 में परिभाषित की गई है, का अर्थ वही होगा जो उक्त अधिनियम अथवा उक्त निदेशों में है। कोई अन्य शब्द अथवा अभिव्यक्ति, जो उक्त अधिनियम या उक्त निदेशों में परिभाषित नहीं है, का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में उनसे अभिप्रेत है।

आय निर्धारण

3. (1) आय निर्धारण मान्यताप्राप्त लेखा सिद्धांतों पर आधारित होगा।

(2) ब्याज/बट्टा-सहित आय अथवा एनपीए पर किसी अन्य प्रभार को गणना में तभी लिया जाएगा जब वह वास्तव में प्राप्त हो गया हो। ऐसी कोई भी आय जिसकी गणना परिसंपत्ति के अनर्जक बनने से पहले कर ली गई हो और वसूली न गई हो तो उसे उसमें से घटा दिया जाएगा।

(3) किराया खरीद परिसंपत्तियों के संबंध में, जहां किस्त 12 महीने से अधिक समय से अतिदेय है, आय के रूप में उनकी गणना तभी की जाएगी जब किराया प्रभार वास्तव में प्राप्त हो जाएं। ऐसी कोई भी आय जिसे परिसंपत्ति के अनर्जक बनने

से पूर्व लाभ और हानि खाता में जमा के रूप में ले लिया गया है और जिसकी वसूली नहीं हुई है, उसे पलट (रिवर्स कर)दिया जाएगा।

(4) पट्टा वाली परिसंपत्तियों के संबंध में, जहां पट्टा किराया 12 महीने से अधिक समय तक अतिदेय हों, आय के रूप में उनकी गणना तभी की जाएगी जब पट्टा किराया वास्तव में प्राप्त हो गए हों। पट्टा किराया की वह निवल राशि जो परिसंपत्ति के गैर-निष्पादक होने से पूर्व लाभ और हानि खाते में ले ली गई है और जिसकी वसूली नहीं हुई है, पलट (रिवर्स कर) दी जाएगी।

स्पष्टीकरण

इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, 'निवल पट्टा किराया' का अर्थ है सकल पट्टा किराया जो लाभ-हानि खाते में नामे/जमा, पट्टा समायोजन खाते से समायोजित किया गया हो और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की अनुसूची XIV के अंतर्गत लागू दर पर मूल्यह्रास के रूप में घटाया गया हो।

निवेशों से प्राप्त आय

4. (1) कंपनी निकायों के शेयरों और पारस्परिक निधियों की यूनिटों के लाभांश से होने वाली आय की गणना नकदी के आधार पर की जाएगी;

बशर्ते कंपनी निकाय द्वारा उसकी वार्षिक आम बैठक में इस प्रकार के लाभांश घोषित किए जाने पर कंपनी निकायों के शेयरों पर लाभांश से होने वाली आय की गणना उपचय के आधार पर की जाए और एनबीएफसी का भुगतान प्राप्त करने से संबंधित अधिकार स्थापित हो जाए।

(2) कंपनी निकायों के बाण्डों एवं डिबेंचरों तथा सरकारी प्रतिभूतियों/बाण्डों से होनेवाली आय की गणना उपचय के आधार पर की जाए:

बशर्ते इन लिखतों पर ब्याज दर पूर्व-निर्धारित हो और ब्याज का भुगतान नियमित रूप से हो रहा हो और वह बकाया न हो।

(3) कंपनी निकायों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियों से होने वाली आय, ब्याज भुगतान और मूलधन की चुकौती जो केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत हो, उसकी गणना उपचय के आधार पर की जाए।

लेखांकन मानक

5. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (इन निदेशों में "आईसीएआइ" नाम से उल्लिखित) द्वारा जारी लेखांकन मानक और मार्गदर्शी नोट का पालन उस सीमा तक किया जाएगा जहां तक वे इन निदेशों से बेमेल न हों।

निवेशों का लेखांकन

6. *(1)(क) प्रत्येक एनबीएफसी का निदेशक मण्डल अपनी निवेश नीति तैयार करेगा और उसे कार्यान्वित करेगा;*

(ख) इस निवेश नीति में कंपनी का मण्डल निवेश को चालू तथा दीर्घावधि निवेश में वर्गीकृत करने से संबंधित मानदण्ड का उल्लेख करेगा;

(ग) प्रत्येक निवेश करते समय प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों को चालू एवं दीर्घावधि में वर्गीकृत किया जाएगा;

(घ) (i) तदर्थ आधार पर कोई अंतर-श्रेणी अंतरण नहीं किया जाएगा;

(ii) आवश्यक होने पर, मण्डल के अनुमोदन से अंतर-श्रेणी अंतरण प्रत्येक छमाही के प्रारंभ में ही पहली अप्रैल अथवा पहली अक्तूबर को किया जाएगा;

(iii) निवेश को चालू से दीर्घावधि एवं दीर्घावधि से चालू श्रेणी में बही मूल्य पर अथवा बाजार मूल्य पर जो भी कम हो, शेयरवार अंतरित किया जाएगा;

(iv) यदि कोई मूल्यह्रास है तो प्रत्येक शेयर में उसके लिए पूरा प्रावधान किया जाएगा और यदि कोई मूल्यवृद्धि होती है तो उसे नजरअंदाज किया जाएगा;

(v) अंतर-श्रेणी अंतरण के समय, यहां तक कि एक ही श्रेणी के शेयरों के मामले में भी किसी शेयर का मूल्यह्रास अन्य शेयर की मूल्यवृद्धि के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा,

(2) मूल्यांकन के उद्देश्य से, उद्धृत चालू निवेशों को निम्नलिखित श्रेणियों के समूह में रखा जाएगा, अर्थात्

(क) ईक्विटी शेयर,

(ख) अधिमानी शेयर,

(ग) डिबेंचर और बाण्ड,

(घ) खजाना बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियां,

(ङ) पारस्परिक निधियों की यूनिटें, और

(च) अन्य।

प्रत्येक श्रेणी हेतु उद्धृत चालू निवेश का मूल्यांकन लागत अथवा बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाएगा। इस प्रयोजन से, प्रत्येक श्रेणी का निवेश शेयर-वार देखा जाएगा और प्रत्येक श्रेणी के सभी निवेशों की लागत एवं बाजार मूल्य को एकीकृत किया जाएगा। यदि श्रेणी विशेष का सकल बाजार मूल्य उस श्रेणी की सकल लागत से कम है, तो निवल मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाएगा अथवा लाभ-हानि खाते में उसे प्रभारित किया जाएगा। यदि श्रेणी विशेष का सकल बाजार मूल्य उस श्रेणी की सकल लागत से अधिक है, तो निवल वृद्धि को नजरअंदाज किया जाएगा। एक श्रेणी के निवेश के मूल्यह्रास को अन्य श्रेणी की मूल्यवृद्धि के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा।

(3) चालू निवेशों के रूप में अनुद्धृत ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन लागत अथवा अलग-अलग मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाएगा। तथापि, एनबीएफसी, आवश्यक समझने पर, शेयरों के अलग-अलग मूल्य के स्थान पर उचित मूल्य रख सकती हैं। जहां निवेश प्राप्त कंपनी के पिछले दो वर्ष के तुलनपत्र उपलब्ध नहीं हैं, वहां ऐसे शेयरों का मूल्यांकन एक रुपए मात्र पर किया जाएगा।

(4) चालू निवेशों की प्रकृति के अनुद्धृत अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन लागत अथवा अंकित मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाएगा।

(5 अनुद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों या सरकारी गारंटीकृत बाण्डों में निवेशों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।

(6) पारस्परिक निधि की यूनिटों में चालू स्वरूप के अनुद्धृत निवेशों का मूल्यांकन पारस्परिक निधि द्वारा प्रत्येक विशिष्ट योजना के संबंध में घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर किया जाएगा।

(7) वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।

(8) दीर्घावधि निवेश का मूल्यांकन आइसीएआइ द्वारा जारी लेखा मानक द्वारा किया जाएगा।

टिप्पणी : आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण के प्रयोजन से अनुद्धृत डिबेंचरों को मीयादी ऋण के रूप में अथवा अन्य ऋण सुविधाओं के रूप में माना जाएगा जो इस प्रकार के डिबेंचरों की अवधि पर निर्भर करेगा।

13-6962/07

मांग/सूचना ऋण से संबंधित नीति की आवश्यकता

7. (1) मांग/सूचना ऋण दे रही/देने का इरादा रखने वाली प्रत्येक एनबीएफसी के निदेशक मण्डल को कंपनी के लिए एक नीति तैयार करनी होगी और उसे कार्यान्वित करना होगा;

(2) इस नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शर्तों का निर्धारण किया जाएगा:

(i) एक अंतिम तारीख जिसके भीतर मांग अथवा सूचना ऋण की चुकौती की मांग की जा सकेगी या सूचना भेजी जा सकेगी;

(ii) मांग अथवा सूचना ऋण की मंजूरी देते समय, यदि ऐसे ऋणों को वापस मांगने अथवा वापसी की सूचना देने हेतु अंतिम तारीख ऋण की मंजूरी की तारीख से एक वर्ष बाद की निर्धारित की गई है तो मंजूरी देने वाला अधिकारी लिखित रूप में उसके विशेष कारणों का उल्लेख करेगा;

(iii) ब्याज की दर जो ऐसे ऋणों पर देय होगी;

(iv) इन ऋणों पर यथानिर्धारित ब्याज या तो मासिक अथवा तिमाही अंतराल पर देय होगा;

(v) मांग अथवा सूचना ऋण मंजूर करते समय, यदि कोई ब्याज निर्धारित नहीं किया गया है अथवा यदि किसी अवधि के लिए ऋण स्थगन (मोरेटोरियम) किया गया है तो मंजूरी देने वाला अधिकारी उसके विशेष कारणों का उल्लेख करेगा;

(vi) ऋण के निष्पादन की समीक्षा हेतु एक अंतिम तारीख का निर्धारण,जो ऋण मंजूरी की तारीख से छह महीने से अधिक न हो;

(vii) इन मांग अथवा सूचना ऋणों को तब तक नवीकृत नहीं किया जाएगा जब तक आवधिक समीक्षा से यह पता न चले कि मंजूरी की शर्तों का संतोषजनक अनुपालन किया जा रहा है।

परिसंपत्ति वर्गीकरण

8. (1) प्रत्येक एनबीएफसी, स्पष्ट रूप से परिभाषित ऋण कमजोरियों (क्रेडिट वीकनेस) की डिग्री एवं वसूली हेतु संपार्श्विक जमानत पर निर्भरता की सीमा को ध्यान में रखते हुए, पट्टा/किराया खरीद परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिमों तथा किसी अन्य प्रकार के ऋण को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करें, अर्थात् :

(i) मानक परिसंपत्तियां,

(ii) अवमानक परिसंपत्तियां,

(iii) संदिग्ध परिसंपत्तियां, और

(iv) हानि वाली परिसंपत्तियां।

(2) उपर्युक्त परिसंपत्तियों की श्रेणी, मात्र पुनर्निर्धारण किए जाने के कारण पदोन्नत नहीं की जाएगी, जब तक परिसंपत्तियां अनर्जक पदोन्नति के लिए अपेक्षित शर्तें पूरा नहीं करतीं ।

प्रावधानीकरण अपेक्षा

9. प्रत्येक एनबीएफसी, किसी खाते के अनर्जक होते जाने, उसके अनर्जक हो जाने के बीच लगने वाले समय, जमानत राशि की वसूली तथा उस समय में प्रभारित जमानती राशि के मूल्य में हुए क्षरण को ध्यान में रखकर अवमानक, संदिग्ध और हानि वाली परिसंपत्तियों के लिए निम्नानुसार प्रावधान करेंगी :

खरीदे और भुनाए गए बिलों-सहित ऋण, अग्रिम और अन्य ऋण सुविधाएं

(1) खरीदे और भुनाए गए बिलों-सहित ऋणों, अग्रिमों और अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया जाएगा:

(i) हानिवाली परिसंपत्तियां	समस्त परिसंपत्ति बट्टे खाते डाली जाएगी। यदि किसी कारण से परिसंपत्तियोंको बहियों में बने रहने दिया जाता है तो बकाया के लिए 100% प्रावधान किया जाए;
(ii) संदिग्ध परिसंपत्तियां	(क) अग्रिम के उस भाग के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाएगा जो उस जमानत के वसूलीयोग्य मूल्य से पूरा नहीं होता है जिसका एनबीएफसी के पास वैध आश्रय है। वसूली योग्य मूल्य का आकलन वास्तविक आधार पर किया जाना है;
	(ख) उपर्युक्त मद (क) के साथ-साथ, परिसंपत्ति के संदिग्ध बने रहने की अवधि को देखते हुए जमानती भाग के 20% से 50% तक के लिए (अर्थात् बकाया का आकलित

वसूली योग्य मूल्य) निम्नलिखित आधार पर प्रावधान किया जाएगा

जिस अवधि तक परिसंपत्ति को संदिग्ध माना गया	प्रावधान का प्रतिशत
एक वर्ष तक	20
एक से तीन वर्ष तक	30
तीन वर्ष से अधिक	50
(iii) अवमानक परिसंपत्तियां	कुल बकाया के 10% का सामान्य प्रावधान किया जाएगा।

पट्टा और किराया खरीद परिसंपत्तियां

(2) किराया खरीद और पट्टेवाली परिसंपत्तियों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया जाएगा:

किराया खरीद परिसंपत्तियां

(i) किराया खरीद परिसंपत्तियों के संबंध में, कुल बकाया (अतिदेय और भविष्य की किस्तों को मिलाकर) को निम्नानुसार घटाकर प्रावधान किया जाएगा :

(क) लाभ-हानि खाता में वित्त प्रभार जमा नहीं करके और अपरिपक्व वित्त प्रभार के रूप में आगे ले जा करके; तथा

(ख) विचाराधीन (प्रतिभूतिगत) परिसंपत्ति के ह्रासित मूल्य से ।

स्पष्टीकरण

इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए,

(1) परिसंपत्ति के ह्रासित मूल्य की गणना आनुमानिक (नोशनल) आधार पर परिसंपत्ति की मूल लागत में सीधे क्रम पद्धति (स्ट्रेट लाइन मेथड) से 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष मूल्यह्रास की दर से घटाकर की जाएगी; और

(2) पुरानी परिसंपत्तियों के मामले में, मूल लागत वह लागत होगी जो उस परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए व्यय की गई वास्तविक लागत होगी।

किराया खरीद और पट्टाकृत परिसंपत्तियों हेतु अतिरिक्त प्रावधान

(ii) किराया खरीद और पट्टाकृत परिसंपत्तियों के मामले में, अतिरिक्त प्रावधान निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 12 महीने तक अतिदेय हो	शून्य
(ख) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 12 महीने से अधिक किंतु 24 महीने तक अतिदेय हो	निवल बही मूल्य का 10 प्रतिशत
(ग) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 24 महीने से अधिक किंतु 36 महीने तक अतिदेय हो	निवल बही मूल्य का 40 प्रतिशत
(घ)जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 36 महीने से अधिक किंतु 48 महीने तक अतिदेय हो	निवल बही मूल्य का 70 प्रतिशत
(ङ) जहां किराया प्रभार अथवा पट्टा किराया 48 महीने से अधिक समय से अतिदेय हो	निवल बही मूल्य का 100 प्रतिशत

(iii) किराया खरीद/पट्टाकृत परिसंपत्ति की अंतिम किस्त की नियत तारीख से 12 महीने का समय समाप्त हो जाने पर समस्त निवल बही मूल्य का पूरा प्रावधान किया जाएगा।

टिप्पणी :

(1) किराया खरीद करार के अनुसरण में उधारकर्ता द्वारा एनबीएफसी में रखी गई जमानत राशि/मार्जिन राशि अथवा जमानती राशि को यदि करार के अंतर्गत समान मासिक किस्तें निर्धारित करते समय हिसाब में नहीं लिया गया है, तो उसे उक्त खण्ड (i) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान में से घटाया जाए। किराया खरीद करार के अनुसरण में उपलब्ध अन्य किसी भी जमानत राशि को उक्त खण्ड (ii) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान से ही घटाया जाएगा।

(2) पट्टा करार के अनुसरण में उधारकर्ता द्वारा एनबीएफसी में जमानत के तौर पर रखी गई राशि तथा पट्टा करार के अनुसरण में उपलब्ध अन्य किसी जमानत का मूल्य, दोनों को उक्त खण्ड (ii) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान से ही घटाया जाएगा।

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि एनपीए के लिए आय का निर्धारण और प्रावधानीकरण, विवेकपूर्ण मानदण्डों के दो अलग पहलू हैं और मानदंडों के अनुसार कुल बकायों के एनपीए पर प्रावधान करने की आवश्यकता है साथ ही संदर्भाधीन पट्टाकृत परिसंपत्ति

के ह्रासित बही मूल्य का, पड़ा समायोजन खाते में शेषराशि को, यदि कोई हो, समायोजित करने के बाद, प्रावधान किया जाएगा। यह तथ्य कि एनपीए पर आय का निर्धारण नहीं किया गया है, प्रावधान न करने के कारण के रूप में नहीं माना जाएगा।

(4) इन निदेशों के पैरा (2)(1)(xvi)(ख) में संदर्भित परिसंपत्ति जिसके लिए पुनः बातचीत (रिनिगोशिएट) की गई अथवा जिसे पुनर्निर्धारित किया गया, अवमानक परिसंपत्ति मानी जाएगी अथवा यह उसी श्रेणी में बनी रहेगी जिस श्रेणी में वह पुनः बातचीत अथवा पुनर्निर्धारण के पूर्व, जैसा भी मामला हो, संदिग्ध अथवा हानिवाली परिसंपत्ति के रूप में थी। ऐसी परिसंपत्तियों के लिए यथा लागू प्रावधान तब तक किया जाता रहेगा जब तक यह उन्नत श्रेणी में न बदल जाए।

(5) पैरा 10 के उप पैरा (2) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार एनबीएफसी द्वारा तुलनपत्र तैयार किया जाए।

(6) 1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद लिखे गए सभी वित्तीय पट्टों के लिए किराया खरीद परिसंपत्तियों पर लागू प्रावधान उन पर भी लागू होंगे।

तुलनपत्र में प्रकटीकरण

10. (1) प्रत्येक एनबीएफसी अपने तुलनपत्र में अलग से उपर्युक्त पैरा 9 के अनुसार किए गए प्रावधानों को आय अथवा परिसंपत्तियों के मूल्य से घटाए बिना प्रकट करेंगी।

(2) प्रावधानों का उल्लेख विशेष रूप से निम्नलिखित पृथक खाता शीर्षकों के अंतर्गत किया जाएगा:

(i) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान; तथा

(ii) निवेशों में मूल्यह्रास हेतु किए गए प्रावधान।

(3) इन प्रावधानों को एनबीएफसी द्वारा धारित सामान्य प्रावधान एवं हानिगत आरक्षित निधि, यदि कोई हो, से समायोजित नहीं किया जाएगा।

(4) इन प्रावधानों को प्रत्येक वर्ष लाभ-हानि खाता में नामे डाला जाएगा। सामान्य प्रावधान एवं हानिगत आरक्षित निधि शीर्ष के अंतर्गत धारित अधिशेष प्रावधान, यदि कोई हो, के साथ उन्हें समायोजित किए बिना पुनरांकित किया जाए।

एनबीएफसी द्वारा लेखा-परीक्षा समिति का गठन

11. एनबीएफसी जिसकी परिसंपत्तियां पिछले लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक हैं, एक लेखा-परीक्षा समिति का गठन करेंगी जिसमें उसके निदेशक मण्डल के कम से कम तीन सदस्य होंगे।

स्पष्टीकरण 1 : कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 292-क के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार गठित लेखा-परीक्षा समिति इस पैरा के प्रयोजनार्थ लेखा-परीक्षा समिति होगी।

स्पष्टीकरण 2: इस पैरा के अंतर्गत गठित लेखा-परीक्षा समिति को वही शक्तियां, कार्य एवं कर्तव्य प्राप्त होंगे, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 292-क में दिए गए हैं।

लेखा वर्ष

12. प्रत्येक एनबीएफसी प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपना तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा तैयार करेगी। जब कभी कोई एनबीएफसी कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने तुलनपत्र की तारीख बढ़ाने का इरादा करती है, तो इसके लिए उसे कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जाने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, उन मामलों में भी जिनमें बैंक तथा कंपनी रजिस्ट्रार ने समय बढ़ाने की मंजूरी दी है, एनबीएफसी वर्ष के 31 मार्च को एक प्रोफार्मा तुलनपत्र (बिना लेखा परीक्षित) और उक्त तारीख को देय सांविधिक विवरणियां बैंक को प्रस्तुत करेगी।

तुलनपत्र की अनुसूची

13. प्रत्येक एनबीएफसी, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित अपने तुलनपत्र के साथ, संलग्नक में दी गई अनुसूची में ब्योरे संलग्न करेगी।

सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन

14. प्रत्येक एनबीएफसी सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन उसके सीएसजीएल खाते या उसके डिमैट खाते के जरिए कर सकती हैं ।

बशर्ते कोई भी एनबीएफसी सरकारी प्रतिभूति में कोई लेनदेन किसी दलाल के जरिए भौतिक रूप में नहीं करेगी।

सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र बैंक को प्रस्तुत करना

15. प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को अपने सांविधिक लेखापरीक्षक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह (कंपनी) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार कर रही है जिसके लिए उसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-झक के अंतर्गत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र रखना आवश्यक है। सांविधिक लेखा परीक्षक से इस आशय का प्रमाण पत्र 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के लिए प्राप्त कर गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को हर वर्ष 30 जून तक प्रस्तुत किया जाए जिसके अंतर्गत कंपनी का पंजीकरण है। ऐसे प्रमाणपत्र में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की परिसंपत्ति/आय के स्वरूप का उल्लेख भी होगा जिसके कारण कंपनी परिसंपत्ति वित्त कंपनी, निवेश कंपनी या ऋण कंपनी के रूप में वर्गीकृत होने के लिए पात्र हुई ।

पूंजी पर्याप्तता संबंधी अपेक्षा

16. (1) जमा राशि न लेने वाली संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रत्येक एनबीएफसी, 1 अप्रैल, 2007 से टियर -1 और टियर II पूंजी पर आधारित न्यूनतम पूंजी अनुपात बनाए रखेगी, जो तुलनपत्र में उसकी सकल जोखिम भारित परिसंपत्तियों और तुलनपत्र से इतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य के दस प्रतिशत से कम नहीं होगा:

(2) टियर II पूंजी का जोड़, किसी भी समय, टियर I पूंजी के एक सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण

तुलनपत्र की परिसंपत्तियों के संबंध में

(1) इन निदेशों में, प्रतिशत भार के रूप में व्यक्त ऋण जोखिम की मात्रा तुलनपत्र की परिसंपत्तियों के लिए है। अतः, परिसंपत्तियों के जोखिम समायोजित मूल्य की गणना के लिए प्रत्येक परिसंपत्ति/मद को संबंधित जोखिम भार से गुणा किया जाएगा ताकि परिसंपत्तियों का जोखिम समायोजित मूल्य निकाला जा सके। न्यूनतम पूंजी अनुपात की गणना हेतु इस प्रकार आकलित जोखिम भार के सकल(aggregate) को हिसाब में लिया जाएगा। जोखिम भारित परिसंपत्ति की गणना निधि प्रदत्त(funded) मदों के भारित सकल के रूप में निम्नानुसार किया जाएगा:

भारित जोखिम परिसंपत्तियां- तुलनपत्र में दी गई मदों के संबंध में

	प्रतिशत भार
(i) बैंकों में मीयादी जमा एवं उनके पास जमा प्रमाणपत्र-सहित नकदी और बैंक शेष	0
(ii) निवेश	
(क) अनुमोदित प्रतिभूतियां	*0*
[नीचे (ग) के अलावा]	
(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बांड	20
(ग) सरकारी वित्तीय संस्थाओं की मीयादी जमा/जमा प्रमाणपत्र/बांड	100
(घ) सभी कंपनियों के शेयर तथा सभी कंपनियों के डिबेंचर/बांड/ वाणिज्य पत्र एवं सभी म्युचुअल फंड की यूनिटें	100
(iii) चालू (current) परिसंपत्तियां	
(क) किराए पर स्टॉक (निवल बही मूल्य)	100
(ख) अंतर-कंपनी ऋण/जमा	100
(ग) कंपनी ही द्वारा धारित जमाराशियों की पूरी जमानत पर ऋण और अग्रिम	0
(घ) स्टाफ को ऋण	0
(ङ) अन्य जमानती ऋण और अग्रिम जिन्हें अच्छा पाया गया है	100
(च) खरीदे/भुनाए गए बिल	100
(छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	100
(iv) अचल परिसंपत्तियां (मूल्यह्रास घटाने के बाद)	
(क) पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां (निवल बही मूल्य)	100
(ख) परिसर	100
(ग) फर्नीचर और फिक्सचर	100

(v) अन्य परिसंपत्तियां

(क) स्रोत पर काटे गए आय कर (प्रावधान घटाकर)	0
(ख) अदा किया गया अग्रिम कर (प्रावधान घटाकर)	0
(ग) सरकारी प्रतिभूतियों पर देय (ड्यू) ब्याज	0
(घ) अन्य (स्पष्ट किया जाए)	100

टिप्पणी

(1) घटाने का कार्य केवल उन्हीं परिसंपत्तियों के संबंध में किया जाए जिनमें मूल्यह्रास अथवा अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किए गए हों।

(2) निवल स्वाधिकृत निधि की गणना के लिए जिन परिसंपत्तियों को स्वाधिकृत निधि से घटाया गया है उस पर भार 'शून्य' होगा।

(3) जोखिम भार लगाने के प्रयोजन से किसी उधारकर्ता के समग्र निधिक जोखिम की गणना करते समय, ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ उधारकर्ता के खाते में कुल बकाया अग्रिमों से नकदी मार्जिन/प्रतिभूति जमा/जमानती राशि रूपी संपार्श्विक प्रतिभूति, जिसकी मुजरायी(set off) के लिए अधिकार उपलब्ध है, का समायोजन कर सकती हैं।"

तुलनपत्र से इतर मदें

(2) इन निदेशों में, तुलनपत्र से इतर मदों से संबद्ध ऋण जोखिम(एक्सपोजर) की मात्रा को ऋण परिवर्तन कारक के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। अतः, तुलनपत्र से इतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य की गणना के लिए सबसे पहले प्रत्येक मद के अंकित मूल्य को उसके संगत परिवर्तन कारक (कन्वर्सन फैक्टर) से गुणा करना होगा। इसके सकल को न्यूनतम पूंजी अनुपात निकालने के लिए हिसाब में लिया जाएगा। इसे पुनः जोखिम भार 100 से गुणा किया जाएगा। तुलनपत्र से इतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य की गणना, गैर-निधिक मदों के ऋण परिवर्तन कारकों द्वारा निम्नानुसार की जाएगी:-

मद का स्वरूप	ऋण(क्रेडिट)परिवर्तन कारक-प्रतिशत
(i) वित्तीय एवं अन्य गारंटियां	100
(ii) शेयर/डिबेंचर हामीदारी दायित्व	50

(iii) आंशिक-प्रदत्त शेयर/डिबेंचर	100
(iv) भुनाए/पुनः भुनाए गए बिल	100
(v) किए गए पट्टा करार जो निष्पादित होने हैं	100
(vi) अन्य आकस्मिक देयताएं (स्पष्ट किया जाए)	50

टिप्पणी : परिवर्तन कारक लागू करने से पहले नकदी मार्जिन/जमा राशियों को घटाया जाएगा।

एनबीएफसी के अपने शेयरों पर ऋण वर्जित

17. (1) कोई भी एनबीएफसी अपने शेयरों पर ऋण नहीं देगी।

(2) इन निदेशों के लागू होने की तारीख को किसी एनबीएफसी द्वारा उसके शेयरों पर दिए गए ऋण की बकाया राशि को चुकौती अनुसूची के अनुसार एनबीएफसी द्वारा वसूला जाएगा।

ऋण/निवेश का संकेंद्रण

18. (1) 1 अप्रैल, 2007 को और उस तारीख से संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेनेवाली कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी

(i) निम्नलिखित को ऋण नहीं देगी:

(क) किसी एक उधारकर्ता को अपनी स्वाधिकृत निधि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक; तथा

(ख) किसी एक उधारकर्ता समूह को अपनी स्वाधिकृत निधि के पचीस प्रतिशत से अधिक;

(ii) निम्नलिखित निवेश नहीं करेगी:

(क) अन्य कंपनी के शेयरों में अपनी स्वाधिकृत निधि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक; और

(ख) एक समूह की कंपनियों के शेयरों में अपनी स्वाधिकृत निधि के पचीस प्रतिशत से अधिक;

(iii) निम्नलिखित से अधिक ऋण नहीं देगी और निवेश नहीं करेगी (ऋण/निवेश मिलाकर):

(क) किसी एक पार्टी को अपनी स्वाधिकृत निधि के पचीस प्रतिशत से; और

(ख) किसी एक समूह की कंपनियों को अपनी स्वाधिकृत निधि के चालीस प्रतिशत से।

बशर्ते अन्य कंपनी के शेयरों में निवेश के संबंध में उक्त अधिकतम सीमा संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेनेवाली किसी एनबीएफसी पर उस सीमा तक लागू नहीं होगी जिस सीमा तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, लिखित रूप में, विशेष रूप से बीमा कंपनी की ईक्विटी पूंजी में निवेश के संबंध में अनुमति दी गई हो।

बशर्ते यह और भी कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिसंपत्ति वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत जमाराशि न लेनेवाली संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण कोई एनबीएफसी, आपवादिक परिस्थितियों में, किसी एक पार्टी या पार्टियों के एक समूह के लिए ऋण/निवेश संकेंद्रण के संबंध में उपर्युक्त अधिकतम सीमा को, अपने बोर्ड के अनुमोदन से, अपनी स्वाधिकृत निधि के 5 प्रतिशत तक पार कर सकती है।

बशर्ते यह और भी कि संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा राशि न लेनेवाली कोई गैर-वित्तीय कंपनी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, जो सार्वजनिक निधियां स्वीकार नहीं करती है, निर्धारित उच्चतम सीमा में आशोधन के लिए बैंक को आवेदन दे सकती है।

स्पष्टीकरण : इस परंतुक के प्रयोजन से 'सार्वजनिक निधि' में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सार्वजनिक जमाराशियों, वाणिज्य पत्रों, डिबेंचरों, अंतर-कंपनी जमाराशियों तथा बैंक वित्त के माध्यम से जुटाई गई निधियां शामिल होंगी।

(2) संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेनेवाली प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी एकल पार्टी/पार्टियों के एकल समूह के प्रति ऋण जोखिम के बारे में एक नीति तैयार करेगी।

टिप्पणी :

(1) उपर्युक्त सीमाओं के निर्धारण के लिए, तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर को पैराग्राफ 16 में स्पष्ट किए गए परिवर्तन कारकों का इस्तेमाल करते हुए ऋण जोखिम में बदल दिया जाएगा।

(2) इस पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए डिबेंचरों में किए गए निवेश को ऋण के रूप में माना जाएगा, न कि निवेश के रूप में।

(3) ऋण/निवेश से संबंधित ये अधिकतम सीमाएं स्वयं की एनबीएफसी समूह तथा अन्य उधारकर्ताओं/निवेशिती कंपनी के समूह पर लागू होगी।

पता, निदेशकों, लेखा परीक्षकों आदि के परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत की जानेवाली सूचना

19. सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार/धारण न करनेवाली प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी निम्नलिखित में किसी प्रकार का परिवर्तन होने की सूचना एक माह के भीतर देगी:

(क) पंजीकृत/कंपनी (कार्पोरेट) कार्यालय के डाक का पूरा पता, टेलीफोन नं. तथा फैक्स नंबर;

(ख) कंपनी के निदेशकों के नाम तथा आवासीय पते;

(ग) उसके प्रधान अधिकारियों के नाम एवं पदनाम;

(घ) कंपनी के लेखा परीक्षकों के नाम तथा उनके कार्यालय के पते;

(ङ) कंपनी की ओर हस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षरों के नमूने।

यह सूचना वह भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को देगी, जैसा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सार्वजनिक जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 की द्वितीय अनुसूची में बताया गया है।

मूलभूत संरचना ऋण से संबंधित मानदण्ड

20. (1) प्रयोज्यता

(i) इन निदेशों के पैरा 2(1)(viii) में यथापरिभाषित ये मानदण्ड मूलभूत संरचना ऋण से संबंधित करार की शर्तों की पुनर्संरचना तथा/अथवा पुनर्निर्धारण और/अथवा पुनः सौदा (रिनिगोशिएट) करने के लिए लागू होगा, जो पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से मानक एवं अवमानक आस्तियों तथा ऋण के लिए जमानती है, जो शर्तों की पुनर्संरचना करने और/अथवा पुनर्निर्धारित करने और/अथवा पुनः सौदा करने के अधीन है।

(ii) जहां परिसंपत्ति की जमानत आंशिक रूप से है, वहां वर्तमान मूल्य आधार पर और विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान करने के अलावा, ऋण की पुनर्संरचना तथा/अथवा पुनर्निर्धारण करने तथा/अथवा पुनः सौदा करते समय उपलब्ध जमानत में जितने की कमी है उतने का प्रावधान किया जाएगा।

(2) मूलभूत संरचना ऋण की शर्तों की पुनर्संरचना, पुनर्निर्धारण अथवा पुनः सौदा

एनबीएफसी, कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित नीतिगत ढांचे के अनुसार मूलभूत संरचना ऋण करार की शर्तों में निम्नलिखित चरणों के अंतर्गत पुनर्संरचना अथवा पुनर्निर्धारण अथवा पुनः सौदा एक बार से अधिक नहीं, करें:

(क) वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से पहले;

(ख) वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद किंतु परिसंपत्ति को अवमानक के रूप में वर्गीकृत करने से पहले;

(ग) वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद और परिसंपत्ति को अवमानक के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया हो;

बशर्ते उपर्युक्त तीन चरणों में से प्रत्येक चरण में पुनर्संरचना अथवा पुनर्निर्धारण अथवा पुनः सौदा करने का पैकेज देने पर मूल और/अथवा ब्याज-सहित या रहित पुनर्संरचना और/अथवा पुनर्निर्धारण और/अथवा पुनः सौदा किया जा सकता है;

(3) पुनर्संरचनाकृत मानक ऋण का प्रतिपादन

उपर्युक्त पहले दो चरणों में से किसी एक चरण में केवल मूलधन की किस्तों का पुनर्निर्धारण अथवा पुनर्संरचना अथवा पुनःसौदा करने पर किसी मानक परिसंपत्ति को अवमानक श्रेणी में पुनः वर्गीकृत नहीं करना होगा, यदि कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा अथवा प्रारंभिक ऋण मंजूर करने वाले अधिकारी से एक दर्जा ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मण्डल द्वारा निर्धारित नीति ढांचे के अंतर्गत परियोजना की पुनः जांच करने पर उसे संभाव्य पाया जाता है;

बशर्ते पहले के दो चरणों में से किसी एक चरण में ब्याज तत्व का पुनर्निर्धारण अथवा पुनः सौदा अथवा पुनर्संरचना किए जाने पर परिसंपत्ति को नीचे अवमानक श्रेणी में वर्गीकृत नहीं करना होगा लेकिन शर्त यह है कि बाद में यथानिर्दिष्ट ब्याज तत्व में समायोजन के प्रयोजन से छोड़ दी गई ब्याज की रकम को, यदि कोई हो, या तो बट्टे खाते डाला जाएगा या उसके लिए 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाएगा।

(4) पुनर्संरचित अवमानक परिसंपत्ति का प्रतिपादन

मूलधन की किस्तों की पुनर्संरचना अथवा पुनर्निर्धारण अथवा पुनः सौदा किये जाने के मामले में अवमानक परिसंपत्ति एक वर्ष की समाप्ति तक उसी श्रेणी में बनी रहेगी और समायोजन के कारण छोड़ी गई ब्याज की रकम, यदि कोई हो, जिसमें पिछले बकाया ब्याज को बट्टे खाते डालने के रूप में समायोजन शामिल है, ब्याज तत्व में यथानिर्दिष्ट, बट्टे खाते डाला जाएगा अथवा उसके लिए 100 प्रतिशत का प्रावधान किया जाएगा।

(5) ब्याज का समायोजन

पुनर्निर्धारण अथवा पुनः सौदा अथवा पुनर्संरचना में ब्याज दर को जहाँ घटाना पड़े, वहाँ ब्याज समायोजन की गणना मूलभूत संरचना ऋण के लिए लागू ब्याज दर (उधारकर्ता पर लागू जोखिम रेटिंग हेतु यथा समायोजित) तथा घटाई गई दर के बीच के अंतर से की जाएगी और पुनर्संरचना, पुनर्निर्धारण अथवा पुनः सौदा प्रस्ताव में इस प्रकार से निर्धारित भावी ब्याज का वर्तमान सकल मूल्य (मूलभूत संरचना ऋण पर लागू वर्तमान दर पर भुनाया गया, जोखिम संवर्धन हेतु समायोजित) निकाला जाएगा।

(6) निधिक ब्याज

एनपीए के संबंध में ब्याज के निधीयन के मामले में, जहां निधिक ब्याज को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है, निधिक ब्याज का पूरा प्रावधान किया जाएगा।

(7) आय निर्धारण मानदण्ड

मूलभूत संरचना ऋण के संबंध में आय निर्धारण प्रक्रिया इन निदेशों के पैरा 3 के प्रावधानों द्वारा संचालित होगी;

(8) धारित प्रावधानों का प्रतिपादन

एनबीएफसी द्वारा अनर्जक मूलभूत संरचना ऋण के लिए किए गए प्रावधानो को, जिसे इसके ऊपर के उप पैरा (3) के अनुसार 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, बनाए रखना तब तक जारी रहेगा जब तक ऋण की पूरी वसूली न हो जाए।

(9) पुनर्संरचनाकृत अवमानक मूलभूत संरचना ऋण के उन्नयन हेतु पात्रता

अवमानक परिसंपत्ति, जिसका पुनर्निर्धारण और/अथवा पुनः सौदा और/अथवा पुनर्संरचना की जानी है, चाहे वह मूलधन की किस्तों अथवा ब्याज के संबध में हो, चाहे जो तरीका हो, का पुनर्संरचना और/अथवा पुनर्निर्धारण और/अथवा पुनःसौदा की शर्तों के अंतर्गत संतोषजनक निष्पादन के एक वर्ष की समाप्ति से पहले मानक श्रेणी में उन्नयन नहीं किया जाएगा।

(10) कर्ज को ईक्विटी में परिवर्तित करना

जहां ब्याज के रूप में देय रकम ईक्विटी अथवा अन्य लिखत में परिवर्तित की जाती है और फलस्वरूप आय का निर्धारण किया जाता है, वहां इस प्रकार से निर्धारित आय की रकम का पूरा प्रावधान ऐसे आय निर्धारण के प्रभाव को समाप्त करने हेतु किया जाएगा;

बशर्ते कोई प्रावधान किये जाने की अपेक्षा ही न होगी, यदि ब्याज का परिवर्तन उस ईक्विटी में हो जिसकी दर उद्धृत है;

बशर्ते यह भी कि ऐसे मामलों में, ब्याज आय का निर्धारण परिवर्तन की तारीख को, ईक्विटी के बाजार मूल्य पर हो सकता है, जो ईक्विटी में परिवर्तित ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगा।

(11) कर्ज को डिबेंचर में परिवर्तित करना

जहां एनपीए के संबंध में मूलधन और/अथवा ब्याज की रकम को डिबेंचर में परिवर्तित किया जाता है, वहां ऐसे डिबेंचरों को एनपीए माना जाएगा, प्रारंभ से ही, उसी परिसंपत्ति वर्गीकरण में जो ऋण के लिए परिवर्तन से पहले लागू था और मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किया जाएगा।

(12) मूलभूत संरचना ऋण और निवेश की एक्सपोजर सीमा में वृद्धि

संपूर्ण की प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण एनबीएफसी इन निदेशों के पैरा 18 के प्रावधान के अनुसार ऋण/निवेश मानदंडों के केंद्रीकरण को एक पार्टी के लिए 5 प्रतिशत और पार्टियों के एक समूह के लिए 10 प्रतिशत की सीमा तक पार कर सकती है, यदि अतिरिक्त एक्सपोजर मूलभूत संरचना ऋण और/अथवा निवेश के कारण हो।

(13) एएए रेटिंग वाले प्रतिभूतिकृत पेपर में निवेश के लिए जोखिम भार

मूलभूत संरचना सुविधा से संबंधित "एएए" रेटिंग वाले प्रतिभूतिकृत पेपर में निवेश पर पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए 50 प्रतिशत जोखिम भार लगाया जाएगा जिसके लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

(i) मूलभूत संरचना सुविधा से आय /नकदी पैदा होती है, जो प्रतिभूतिकृत पेपर की सर्विसिंग/चुकौती सुनिश्चित करती है;

(ii) अनुमोदित ऋण साख एजेंसियों में से किसी एक द्वारा दी गई रेटिंग चालू और वैध है।

<u>*स्पष्टीकरण :*</u>

जिस रेटिंग पर भरोसा किया गया है वह मौजूदा और वैध समझी जानी चाहिए, यदि रेटिंग निर्गम के खुलने की तारीख से एक महीने से अधिक समय की नहीं है, और रेटिंग एजेंसी से रेटिंग का औचित्य निर्गम खुलने की तारीख से एक वर्ष से अधिक का नहीं है, और रेटिंग पत्र तथा रेटिंग औचित्य दोनों प्रस्ताव दस्तावेज का हिस्सा हों।

(iii) द्वितीयक बाजार अभिग्रहण के मामले में निर्गम में, 'एएए' रेटिंग लागू है और संबंधित रेटिंग ऐजेंसी द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन से उसकी पुष्टि की जाती है।

(iv) प्रतिभूतिकृत पेपर एक अर्जक परिसंपत्ति है।

<u>**छूट**</u>

21. भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि किसी कठिनाई को टालने अथवा किसी अन्य उचित एवं पर्याप्त कारण से ऐसा आवश्यक समझता है, तो वह किसी एनबीएफसी अथवा एनबीएफसी की श्रेणी को इन निदेशों के सभी अथवा किसी प्रावधान के अनुपालन के लिए और समय प्रदान कर सकता है अथवा या तो सामान्य रूप से या किसी विशिष्ट अवधि के लिए छूट दे सकता है, जो उन शर्तों के अधीन होगा जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक उन पर लगाए।

<u>**व्याख्या**</u>

22. इन निदेशों के प्रावधानों को लागू करने के प्रयोजन से, भारतीय रिज़र्व बैंक यदि आवश्यक समझता है, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के बारे में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन निदेशों के किसी प्रावधान की दी गई व्याख्या अंतिम होगी और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगी।

<u>**निरसन और छूट**</u>

23. (1) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 इन निदेशों द्वारा निरसित माना जाएगा।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उप-खंड (1) में निदेशों के अंतर्गत जारी कोई परिपत्र, अनुदेश, आदेश एनबीएफसी उसी प्रकार से लागू रहेंगे जैसे वे ऐसे निरसन से पहले ऐसी कंपनियों पर लागू होते थे।

वी. लीलाधर
उप गवर्नर

संलग्नक

जमा न स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
के तुलन-पत्र की अनुसूची
(गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकरण या धारण)
कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक)
निदेश, 2007 के पैरा 13 के अनुसार अपेक्षित)

(लाख रुपए में)

	ब्योरे		
	देयताएं पक्ष		
1	**गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम जिनमें इन पर उपचित पर ना चुकाया गया ब्याज शामिल है:**	बकाया राशि	अतिदेय राशि
	(क) डिबेंचर : जमानती : गैर-जमानती		
	(जनता की जमाराशि* की परिभाषा से बाहर)		
	(ख) आस्थगित ऋण		
	(ग) मीयादी ऋण		
	(घ) अंतर-कंपनी ऋण और उधार		
	(ड.) वाणिज्यिक पत्र		
	(च) अन्य ऋण (उनका स्वरूप बताएं)		
	* कृपया नीचे का नोट 1 देखें		

	परिसंपत्तियां पक्ष	
		बकाया राशि
(2)	**प्राप्य बिलों-सहित ऋणों और अग्रिमों का अलग-अलग विवरण [नीचे (4) में शामिल के अलावा]-** (क) जमानती (ख) गैर-जमानती	
(3)	**एएफसी गतिविधियों के लिए गणना की जानेवाली पट्टेवाली परिसंपत्तियों तथा किराये पर स्टाक और अन्य परिसंपत्तियों का अलग-अलग विवरण** (i) विविध देनदारों के अंतर्गत पट्टा किराया समेत पट्टा परिसंपत्तियां (क) वित्तीय पट्टे (ख) परिचालन पट्टे (ii) विविध देनदारों के अंतर्गत किराया प्रभार समेत किराए पर स्टाक (क) किराए पर परिसंपत्तियां (ख) पुनःधारित परिसंपत्तियां (iii) एएफसी गतिविधियों के लिए गणना किए जानेवाले अन्य ऋण (क) ऐसे ऋण जिनमें परिसंपत्तियां पुनः धारित की गईं (ख) उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त ऋण	

(4)	**निवेशों का अलग-अलग ब्योरा** चालू निवेश 1. उद्धृत (कोटेड) (i) शेयर : (क) ईक्विटी (ख) अधिमान (ii) डिबेंचर और बांड (iii) म्युचुअल फंडों की यूनिटें (iv) सरकारी प्रतिभूतियां (v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।) 2. अनुद्धृत (अनकोटेड) (i) शेयर : (क) ईक्विटी (ख) अधिमान (ii) डिबेंचर और बांड (iii) म्यूचुअल फंडों की यूनिटें (iv) सरकारी प्रतिभूतियां (v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।)	
	दीर्घावधि निवेश 1. उद्धृत (कोटेड): (i) शेयर : (क) ईक्विटी (ख) अधिमान (ii) डिबेंचर और बांड (iii) म्यूचुअल फंडों की यूनिटें (iv) सरकारी प्रतिभूतियां	

	(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।)	
	2. अनुद्धृत (अनकोटेड)	
	(i) शेयर : (क) ईक्विटी	
	(ख) अधिमान	
	(ii) डिबेंचर और बांड	
	(iii) म्यूचुअल फंडों की यूनिटें	
	(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	
	(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें।)	

(5)	**उपर्युक्त (2) एवं (3) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों का उधारकर्ता समूहवार वर्गीकरण :** कृपया नीचे का नोट 2 देखें			
	श्रेणी	राशि - प्रावधानों को घटाकर		
		जमानती	गैर-जमानती	कुल
	1. संबंधित पक्ष **			
	(क) सहायक कंपनियां			
	(ख) उसी समूह की कंपनियां			
	(ग) अन्य संबंधित पक्ष			
	2. संबंधित पक्ष के अलावा अन्य			
	कुल			

6.	**शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और अनुद्धृत दोनों) में किए गए समस्त निवेशों (चालू और दीर्घावधि) का निवेशक समूहवार वर्गीकरण** कृपया नीचे का नोट 3 देखें		
	श्रेणी	बाजार मूल्य/अलग-अलग या उचित मूल्य या निवल परिसंपत्ति मूल्य	बही मूल्य (प्रावधान घटाकर)
	1. संबंधित पक्ष **		
	(क) सहायक कंपनियां		
	(ख) उसी समूह की कंपनियां		
	(ग) अन्य संबंधित पक्ष		
	2. संबंधित पक्ष के अलावा अन्य		
	कुल		

** आइसीएआइ के लेखा मानक के अनुसार (कृपया नोट 3 देखें)

7. अन्य जानकारी

ब्योरा	राशि
(i) सकल अनर्जक परिसंपत्तियां	
(क) संबंधित पक्ष	
(ख) संबंधित पक्ष के अलावा अन्य	
(ii) निवल अनर्जक परिसंपत्तियां	
(क) संबंधित पक्ष	
(ख) संबंधित पक्ष के अलावा अन्य	
(iii) ऋण की संतुष्टि में / की पूर्ति हेतु अधिगृहीत परिसंपत्तियां	

नोट :

1. *गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशियां स्वीकार्यता (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 के पैरा 2(1)(xii) में यथापरिभाषित।*

2. *गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमा राशि स्वीकरण या धारण न करनेवाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) निदेश, 2007 में यथा निर्धारित प्रावधान मानदंड लागू होंगे।*

3. *निवेश तथा अन्य परिसंपत्तियों के साथ-साथ ऋण की संतुष्टि में /की पूर्ति हेतु अधिगृहीत अन्य परिसंपत्तियों के मूल्यांकन-सहित सभी पर आइसीएआइ द्वारा जारी सभी लेखा मानक और निर्देश नोट लागू होंगे। फिर भी, उद्धृत निवेशों के संबंध में बाजार मूल्यों और अनुद्धृत निवेशों के अलग-अलग/उचित मूल्य/निवल परिसंपत्ति मूल्यों का खुलासा किया जाना चाहिए, भले ही उपर्युक्त (4) में इन्हें दीर्घावधि या चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।*

xxx

मुंबई-400005, दिनांक 24 अप्रैल 2007

सं. गैबैंपवि. 195/सीजीएम(पी.कं.)-2007--

भारतीय रिजर्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनता के हित में और वित्तीय प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु बैंक को समर्थ बनाने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ-जनता की जमाराशियों की स्वीकृति (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 को संशोधित करना आवश्यक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 ञ, 45ट तथा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे सक्षम बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देता है कि 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं. डीएफसी. 118/डीजी(एसपीटी)-98 में अंतर्विष्ट उक्त निदेश तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित होंगे अर्थात-

पैराग्राफ 4 में उप पैराग्राफ 7 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(7) 24 अप्रैल 2007 को तथा उस दिन से कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, साढ़े बारह प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक ब्याज दर पर जनता की जमाराशि आमंत्रित अथवा स्वीकार अथवा उसका नवीकरण नहीं करेगी। ब्याज अदा किया जाएगा अथवा अंतराल शेष राशि पर संयोजित किया जाएगा यह अंतराल मासिक अंतराल से कम नहीं होगा।"

पी. कृष्णमूर्ति
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

सं. गैबैंपवि. 196/सीजीएम(पी.के.)-2007--

भारतीय रिजर्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनता के हित में और वित्तीय प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु बैंक को समर्थ बनाने के लिए विविध गैर बैंकिंग कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1977 को संशोधित करना आवश्यक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 ञ, 45ट तथा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे सक्षम बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देता है कि 20 जून 1977 की अधिसूचना सं. डीएनबीसी. 39/डीजी(एच)-77 में अंतर्विष्ट उक्त निदेश तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित होंगे अर्थात-

1. पैराग्राफ 9 ए में "4 मार्च 2003" शब्दों एवं अंकों को "24 अप्रैल 2007" शब्दों एवं अंकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. पैराग्राफ 9 ए के खंड (क) में शब्द "ग्यारह" को शब्द "साढ़े बारह" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पी. कृष्णमूर्ति
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

मुंबई-400005, दिनांक 20 अप्रैल 2007

बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 83/12.01.001/2006-07--

भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा (3) की अधिसूचना के फलस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934(1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (1) में किए गए संशोधन 1 अप्रैल 2007 से लागू हो गये हैं । तदनुसार, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के संबंध में कुल मांग तथा मीयादी देयताओं के 3 प्रतिशत की न्यूनतम आरक्षित नकदी निधि अनुपात की अपेक्षा 1 अप्रैल 2007 से समाप्त हो गयी है । यह निर्णय लिया गया है कि 4 अप्रैल 2007 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 73/ 12.01.001/2006-07 के परिचालन में तदनुसार संशोधन किया जाए । इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की संशोधित उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि 20 अप्रैल 2007 की अधिसूचना सं. बैंपविवि. आरईटी. बीसी. 85/ 12.01.001/ 2006-2007 में दी गयी छूटों के अधीन प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक 14 अप्रैल 2007 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से 6.25 प्रतिशत तथा 28 अप्रैल 2007 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से 6.50 प्रतिशत आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखना जारी रखे ।

आनन्द सिन्हा
कार्यपालक निदेशक

23—69 GI/2007

बैंपविवि. सं. आरईवी. बीसी. 85/12.01.001/2006-07--

भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 के 1 अप्रैल 2007 से लागू होने से संबंधित अधिसूचना के फलस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (1) में किए गए संशोधन लागू हो गये हैं । तदनुसार, अनुसूचित वाणिज्य बैंक के संबंध में कुल मांग तथा मीयादी देयताओं के 3 प्रतिशत की सांविधिक न्यूनतम आरक्षित नकदी निधि अनुपात अपेक्षा 1 अप्रैल 2007 से समाप्त हो गयी है । अतः यह निर्णय लिया गया है कि 1 मार्च 2007 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी. 63/12.01.001/2006-07 के परिचालन में 1 अप्रैल 2007 से तदनुसार संशोधन किया जाए । भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक को 1 अप्रैल 2007 से निम्नलिखित देयताओं पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखने से छूट देता है :

(i) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप धारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के अंतर्गत की गयी गणना के अनुसार भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं;

(ii) एसीयू (अमरीकी डालर) खातों में जमा शेष;

(iii) भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआइएल) के साथ संपार्श्विकृत उधार लेने और ऋण देने के दायित्व (सीबीएलओ) संबंधी लेनदेन; और

(iv) उनकी अपतटीय बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) के संबंध में मांग और मीयादी देयताएं

आनन्द सिन्हा
कार्यपालक निदेशक

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

(केन्द्रीय कार्यालय)

मुंबई, दिनांक 25 अप्रैल 2007

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल, 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल, 1954 की अधिसूचना सं. एफ.(8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली, 1946 के नियम 18 के अनुसरण, मार्च 2007 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्ट्या आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई–400 008 को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग ''क'' में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग ''ख'' में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों को सूची दी गई है।

सूची ''क''

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6
अहमदाबाद सर्कल 9 % राहत पत्र 1999 (क्युमुलेटिव)					
एएचसी-001637	रु. 3,00,000/-	1. हरिस्मिता एन. हिवाटिक और 2. ज्योति आर. मुजुमदार (कोई एक या उत्तरजीवी)	-	ज्योति आर. मुजुमदार	एल.एन./एस 001 दिनांक 09.03.2007
भायखला, मुंबई सर्कल 9% राहत पत्र 1999 (क्यूमेट)					
बीसीसी–010160 से 10165	रु.50,000/- (प्रत्येकी)	सरोजनी वासुदेव कामत (मृत) नयना पी. नायक	10.08.2000	सरोजनी वासुदेव कामत (मृत) नयना पी. नायक	06.25.100 8.11.2006

सूची ''ख''

नई दिल्ली सर्कल 10% राहत पत्र 1993

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6
डीएच-000432	रु. 40,000/-	किशन सिंह	-	श्रीमती जगदीप साहनी और सुरिन्दरजीत सिंह	पीडीओ/डीयी/एलएन-1/2000 5.2.2007

जे. एम. बावा
सहायक प्रबंधक

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई, दिनांक 28 अप्रैल 2007

एसबीडी क्र. 1/07–08––एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25, उप धारा (1) के अनुच्छेद (ग) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक श्री अवतार सिंग हिंडला, जे–26, सराभा नगर, लुधियाना को स्टेट बैंक आफ पटियाला के निदेशक पद पर दिनांक 1 मई 2007 से 31 अक्तूबर 2008 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए पुन: नामित करता है।

ओम प्रकाश भट्ट
अध्यक्ष

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई 2007

सं. एनएचबी.एचएफसी.आरईबी-II/सीएमडी/2007--राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धारा 29ए की उप-धारा (1) की धारा (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक एतद्द्वारा आवास वित्त संस्थान के लिए जो एक कम्पनी हो और जो 31 मार्च, 2008 तक या उससे पहले आवास वित्त संस्थान का कारोबार करता हो, न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि दो करोड़ रुपए निर्दिष्ट करता है।

एस. श्रीधर

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 7 फरवरी 2007

सं. 13-सी.ए. (परीक्षा)/आई.एस.ए./जून/2007--चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगूलेशन 1988 (जो अधिसूचना संख्या-1 सी.ए.(7)/59/2001 दिनांक 28 सितम्बर 2001 के द्वारा संशोधित किया गया) के नियम-7, अनुसूची 'एफ' के रेगूलेशन 204 के अनुसार दि कॉंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट आफ इंडिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि इनफोरमेशन सिस्टम्स आडिट (आई.एस.ए.) कोर्स की निर्धारित परीक्षा (असेस्मेन्ट टैस्ट) दिनांक 23.06.2007 को सत्र 8 बजे प्रात: से 12 बजे दोपहर को निम्नलिखित केन्द्रों पर होगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं।

परीक्षा केन्द्र :--

1. अहमदाबाद	13. कानपुर
2. बैंगलोर	14. कोलकाता
3. भुवनेश्वर	15. लखनऊ
4. चंडीगढ़	16. मुम्बई
5. चेन्नई	17. नागपुर
6. दिल्ली/न्यू दिल्ली	18. नासिक
7. ईरनाकुलम	19. पूना
8. गोवा	20. रायपुर
9. गुवाहाटी	21. राजकोट
10. हैदराबाद	22. सूरत
11. इंदौर	23. वाराणसी
12. जयपुर	

परिषद् अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण दिये रद्द कर सकती है। यह परीक्षा इंस्टीट्यूट के केवल पात्र सदस्य जो कि पहले से ही पंजीकृत हैं के लिये है। इस परीक्षा (असेस्मेन्ट टैस्ट) के लिए परीक्षा शुल्क 1000/- (एक हजार रुपये) मात्र है।

परीक्षा शुल्क की राशि का भुगतान केवल डिमांड द्वारा जो कि किसी भी अनुसूचित बैंक का हो होना चाहिये। डिमांड ड्राफ्ट 'सचिव' दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया के पक्ष में होना चाहिये और उसकी अदायगी नई दिल्ली पर हो। आवेदन पत्र उपयुक्त शुल्क के साथ इस प्रकार भेजा जाना चाहिये कि वह संयुक्त सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में दिनांक 01.06.2007 तक पहुंच जायें।

इस परीक्षा के लिये आवेदन निर्धारित आवेदन पत्रों पर ही किया जाना चाहिये जो कि दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव (परीक्षा) के नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 25/- रुपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचों के कार्यालय में भी उपलब्ध है और नकद भुगतान करने पर 12 मई, 2007 से प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. आईसीएआई. ओआरजी से प्रिन्ट करके परीक्षा शुल्क 1025/- रुपये के साथ भी भेजा जा सकता है।

आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 01.06.2007 है। आवेदन पत्र निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा संयुक्त सचिव (परीक्षा,) नई दिल्ली को भेजा जाना है। दिनांक 1 जून, 2007 के पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

जी. सोमशेखर

संयुक्त सचिव (परीक्षा)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 16 अप्रैल 2007

सं. ए-12(11) 4/2002-स्था.I--कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के खंड (xxi) और उप धारा (2क) तथा धारा 17 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (बीमा निरीक्षक/प्रबन्धक श्रेणी-II/अधीक्षक) भर्ती विनियम, 1999 का अधिक्रमण करते हुए ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा करने से रह गये कार्यों के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से कर्मचारी राज्य बीमा निगम में (बीमा निरीक्षक/प्रबन्धक श्रेणी-II/अधीक्षक) के पद पर भर्ती को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :--

(1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (बीमा निरीक्षक/प्रबन्धक श्रेणी-II/अधीक्षक) भर्ती विनियम, 2007 कहे जायेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान :--

पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में उल्लिखित अनुसार होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि :--

पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 5 से 14 में उल्लिखित अनुसार होंगे।

4. निरर्हता :--

ऐसा कोई व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति अथवा विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुमेय है अथवा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वे किसी व्यक्ति को इस विनियम से छूट दे सकते हैं।

5. ढील देने की शक्ति :--

जहां क.रा.बी. निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा कालोचित है तो वे आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन लेने के पश्चात् तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके किसी श्रेणी अथवा व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकते हैं।

6. अवशिष्ट मामले :--

इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, निगम में पदों की तदनुरूपी श्रेणी पर लागू कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भर्ती) विनियम, 1965 में उल्लिखित सभी अन्य विनियम और शर्तें इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित पद पर लागू होंगी।

7. अपवाद :--

इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में ढील और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा व्यक्तियों के अन्य वर्गों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर- चयन पद	क्या जोड़े गए सेवा के वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत स्वीकार्य है	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]	*1673 (2007) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21-27 वर्ष के बीच [illegible] टिप्पणी [illegible]	अनिवार्य: [illegible] वांछनीय [illegible]

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	विभागीय पदोन्नति समिति, मौजूद होने की स्थिति में उसका गठन	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाएगा
9	10	11	12	13	14
1. आयु- नहीं 2. अनिवार्य शैक्षिक अर्हता - नहीं "ऑफिस सुइटस और इंटरनेट के प्रयोग सहित कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान" सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा पदोन्नत अनिवार्य अर्हता है ।	एक वर्ष (पदोन्नत हेतु) दो वर्ष (सीधी भर्ती वालों हेतु)	i क) 50% वरीयता के आधार पर पदोन्नति द्वारा बशर्ते कि अनुपयुक्त कर्मचारियों को अस्वीकार किया जा सकता है । ख) 25% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर योग्यता से पदोन्नति द्वारा । ग) 25% प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । ii सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम : (1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 और उसके तहत बनाए गए नियम एवं विनियम । (2) स्थानीय कार्यालय नियम पुस्तक । (3) लेखा नियम पुस्तक । (4) चिकित्सा नियम पुस्तक । (5) वसूली नियम पुस्तक । (6) मूल नियमावली, अनुपूरक नियमावली, मसौदा लेखन तथा कार्यालय पद्धति, पेंशन नियमावली, आचरण नियमावली एवं सामान्य वित्तीय नियमावली । (7) बहीखाता पद्धति तथा दोहरी प्रविष्टि पद्धति । (8) प्रशासनिक विधि । (9) प्रबंधन के सामान्य सिद्धान्त तथा (10) कम्प्यूटर पर कार्य करने की योग्यता ।	पदोन्नति प्रधान लिपिक अथवा सहायक ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा । टिप्पणी-1 : अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार करते समय उनके वरिष्ठ कर्मचारियों के नामों पर भी विचार किया जायेगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा की आधी अवधि से अधिक कम अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने से कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ-साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप में पूरी कर ली हो । टिप्पणी-2 : सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की गणना उक्त परीक्षा हेतु आवेदन मांगे जाने से संबंधित ज्ञापन की अधिसूचित तारीख के अनुसार की जायेगी ।	पदोन्नति पर विचार करने हेतु ग्रुप 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :- 1 बीमा आयुक्त, क.रा.बी. निगम -अध्यक्ष 2 अपर आयुक्त(का. एवं प्रशा.), क.रा.बी. निगम -सदस्य 3 केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा नामित (न्यूनतम 12000-16500/- रुपये के ग्रेड का) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का एक अधिकारी सदस्य स्थायीकरण पर विचार करने हेतु ग्रुप 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति 1. अपर आयुक्त(का. एवं प्रशा.), क.रा.बी. निगम -अध्यक्ष 2. निदेशक(वित्त), क.रा.बी. निगम -सदस्य	लागू नहीं

फाइल संख्या : ए-12(11)4/2002-स्था.1

एस. कृष्णन्,
महानिदेशक
कर्मचारी राज्य बीमा निगम

2

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

मार्च ३१, २००६ का तुलन पत्र

देनदारियां	सूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पूंजीगत विधि	1	-	1,406,831,553
प्रयोजन विशिष्ट / धर्मादा निधि	2	144,054,552	79,218,182
वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान	3	1,945,753,303	396,766,227
कुल		**2,089,807,855**	**1,882,815,962**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां (सकल ब्लाक)	4	883,930,109	1,406,831,553
प्रयोजन विशिष्ट / धर्मादा निधि मे निवेश	5	77,127,500	14,765,646
निवेश अन्य	6	235,980	92,070
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	7	617,958,764	461,126,693
समाप्त न किए जाने की सीमा तक का विविध व्यय		510,555,502	-
पूंजीगत निधि में घटाया शेष			
कुल		**2,089,807,855**	**1,882,815,962**

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
आयतुल्ला	जफरुल्लाह खान	एन.यू.सिद्दकी	एस.एम. अफजल
लेखाकार	**लेखाधिकारी**	**वित्त अधिकारी**	**कुलसचिव**

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली - ११००२५
३१ मार्च २००६ को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय खाता

क. आय

(राशि रुपयों में)

विवरण	सूची	राशि
अनुदान / पूरक अनुदान	8	531,586,830
अकादमिक प्राप्तियां	9	59,836,671
प्रकाशनों से आय	10	21,290
निवेश से आय	11	21,359
अर्जित ब्याज	12	13,935,425
अन्य आय	13	19,719,045
कालावधि पूर्व आय	14	6,297,118
कुल (क)		**631,417,798**

ख. व्यय

स्थापना व्यय	15	636,988,851
अकादमिक व्यय	16	30,882,148
प्रशासनिक व्यय	17	78,785,623
अनुरक्षण एवं देखभाल	18	35,821,129
विविध व्यय	19	10,479,049
ह्रास	4	76,723,637
कालावधि पूर्व व्यय	20	1,231,469,341
कुल ख		**2,101,149,778**
आस्थीकय (घाटा) शेष पूंजीगत निधि को ले जाया गया (क - ख)		**-1,469,731,980**
विशिष्ट खाता लेखा नीतियां	21	
पूरक देनदारियां एवं लेखाओं पर टिप्पणियां	22	

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

31-03-2006 को तुलन पत्र की सारणी

तालिका १ : पूंजीगत निधि

विषय		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथ शेष		1 406,831 553	1,188,931,827
जोड़ें : पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त अनुदान		156,906.183	
		1,563,737,736	
जोड़ें : [illegible] नयी परिसंपत्तियां	42 366		
प्रायोजित [illegible] से सृजित परिसंपत्तियां	586.726		
[illegible] परियोजनाओं से सृजित परिसंपत्तियां	2.012,055		
प्रायोजित परियोजना (पूंजी) से सृजित परिसंपत्तियां	13.897,355		
[illegible] एवं [illegible] से सृजित परिसंपत्तियां	289 299		
[illegible] के साथ लिया गया [illegible]	763.731		
[illegible] से सृजित परिसंपत्तियां	30,787.124		
		48,378,656	
जोड़ें : [illegible] का मूल्य		143 910	
कुल		1,612,260.302	
[illegible]	550 836 458		
घटाएं : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गयी परिसंपत्तियां	2.247 366	653,083.824	217 899.726
शेष		**959,176,478**	
घटाएं : आय एवं व्यय खातों के अनुसार वर्ष के लिए घाटा		1,469,731.980	
अंत शेष *		**(510,555,502)**	**1,406,831,553**

* टिप्पणी : पूंजीगत निधि का ऋण शेष 'बट्टे खाते नहीं डाले गए विविध व्यय' शीर्ष के विरुद्ध तुलन पत्र की परिसंपत्तियों की ओर दिखाया जा रहा है।

अनुसूची 2 - प्रयोजन विशिष्ट / धर्मादा निधि

राशि आधारित विवरण							
विवरण	वि.नि. राशि	भ.नि.अ. राशि	एम.सी.ए राशि	वि.अ.आ. क. छा. वृद्धि	एस आर एम प्रकाशन राशि	धर्मादा निधि	कुल
क. आय शेष	21,442,267	33,110,438	2,652,156	1,413,809	2,801,857	17,797,655	**79,218,182**
ख. वर्ष के दौरान वृद्धि	81,267,332	5,009,078		2,920,253	5,904,939	4,467,768	**99,569,370**
(1) निधियों के निवेश से आय	1,061,370	15,582,503				119,224	**16,763,097**
(2) निधियों के निवेश से प्राप्त ब्याज							-
(3) अन्य वृद्धियां					465,809		**465,809**
कुल	**103,770,969**	**53,702,019**	**2,652,156**	**4,334,062**	**9,172,605**	**22,384,647**	**196,016,458**
(ग) निधियों के लक्ष्यों का व्यय / उपयोग		37,905,520	2,652,156	3,348,819	219,749	2,101,469	**46,227,713**
(1) राजस्व व्यय	305,936						**305,936**
(2) पूंजीगत व्यय	586,726				4,841,531		**5,428,257**
कुल	**892,662**	**37,905,520**	**2,652,156**	**3,348,819**	**5,061,280**	**2,101,469**	**51,961,906**
वर्ष के अंत में अंत: शेष	**102,878,307**	**15,796,499**	-	**985,243**	**4,111,325**	**20,283,178**	**144,054,652**
पिछला वर्ष	21,442,267	33,110,438	2,652,156	1,413,809	2,801,857	17,797,655	**79,218,182**

टिप्पणी : 1. निवेश से आय के विरुद्ध दर्शायी गयी 1, 55, 82, 503 रुपये की राशि कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम पर प्राप्त ब्याज आय का दर्शाती है

2. एस.आर.एम. प्रकाशन निधि के विरुद्ध वर्ष के दौरान वृद्धि राज्य संसाधन केन्द्र भवन के निर्माण के लिए वि.वि.अ. आयोग (62,00,000/- रुपये) से प्राप्त अनुदान 295,186! रुपये अथ ऋण शेष घटाकर को दर्शाती है।

तालिका २ कं.

	धर्मादा निधियां ३१.०३.२००६		राशि	कुल
1	प्रो. एम. मुजीब अनुसंधान सम्मान निधि	जमा	6,686	
2	इ.जे. कोलट छात्रवृत्ति निधि	जमा	157,938	
3	विकलांग छात्र निधि (नर्सरी स्कूल)	जमा	49,417	
4	छात्रसंघ छात्रवृत्ति निधि	जमा	765,786	
5	काजी मो. अहमद स्मारक निधि	जमा	28,971	
6	मिर्जा महमूद बेग छात्रवृत्ति	जमा	2,000	
7	एस.सी. शुक्ला स्मारक निधि	जमा	213,691	
8	प्रो. दलीप धर्मादा निधि	जमा	25,000	
9	प्रो. सईद अंसारी स्मारक निधि	जमा	104,630	
10	डि. और श्रीमती एन दीन एवं अहमद स्मारक छात्रवृत्ति	जमा	26,107	
11	छात्रों के लिए जा. शिक्षक छात्रवृत्ति	जमा	60,500	
12	कंवर मोहिन्दर सिंह बेदी साहित्य न्यास	जमा	12,000	
13	सर्वोत्तम छात्रों के लिए छात्रवृत्ति निधि (10 .2 कक्षा तक)	जमा	75,504	
14	श्रेष्ठ निबंधों के लिए पुरस्कार निधि	जमा	93,599	
15	सर्वोत्तम छात्रों के लिए इस्लामी अध्ययन छात्रवृत्ति	जमा	249,039	
16	तंदुल और मसिंह पानी निधि	जमा	10,500	
17	सर्वोत्तम के लिए छात्रवृत्ति निधि अरबी विभाग	जमा	132,481	
18	संकायों के सर्वोत्तम के लिए छात्रवृत्ति निधि	जमा	219,714	
19	सर्वोत्तम छात्रों के लिए नसीमा शैक्षिक पुरस्कार	जमा	125,000	
20	[illegible] स्वर्ण पदक पुरस्कार	जमा	125,000	
21	डि. नूरुद्दीन स्मारक छात्रवृत्ति निधि	जमा	1,100,000	
22	[illegible] स्मारक धर्मादा निधि [illegible]	जमा	114,614	
23	[illegible] छात्रवृत्ति निधि	[illegible]	251,803	
24	[illegible] विकास	[illegible]	476,000	
25	[illegible] निधि	[illegible]	80,000	4,505,980
1	[illegible]	[illegible]	1,500,000	
2	[illegible] अध्ययन पीठ धर्मादा	[illegible]	13,277,637	
3	[illegible] अध्ययन पीठ	[illegible]	348,993	15,126,630
1	युवा मीडिया कर्मियों के लिए पुरस्कार (छात्रवृत्ति निधि)	एस.सी.आर.सी	653,043	
2	मीडिया स्टार छात्रवृत्ति	एस.सी.आर.सी	12,082	665,125
	कुल			20,297,735
	घटाएं : ऋण शेष			
1	जामिया शिक्षक छात्रवृत्ति धर्मादा	जमा	11,857	
2	वजीफा / छात्रवृत्ति	एस.सी.आर.सी	2,700	14,557
	सकल राशि			20,283,178
	अप्रैल 2006 में वसूली			
	प्रतिवर्ष संग्रहित 50 प्रतिशत ब्याज को संग्रह राशि का दर्शाती है।			
	ब्याज के 50 प्रतिशत शेष को दर्शाता है जो पीठ पर व्यय के लिए प्रयुक्त होता है।			

तालिका 3 : वर्तमान देनदारियां और प्रावधान

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष
(क)	वर्तमान देनदारियां			
(i)	कर्मचारियों से जमा	-		2,000
(ii)	छात्रों से जमा	11,989,554		10,382,006
(iii)	अन्य जमा (ईएमडी प्रतिभूतियां)	25,982,577		20,296,587
(iv)	संवैधानिक दायित्व (जीपीएफ / टीडीएस/डब्ल्यूसी कर / सी पी एफ / जी आई एस / एन पी एफ			6,341,839
(v)	अन्य वर्तमान देनदारियां			-
	(क) वेतन	31,179,533		
	(ख) प्रायोजित परियोजनाओं के विरुद्ध प्राप्तियां	36,353,981		31,118,674
	(ग) प्रोयाजित फेलोशिप व स्कालरशिप के विरुद्ध प्राप्तियां	1,569,765		2,150,926
	(घ) उपयोग नहीं हो पाया अनुदान	349,679,108		160,459,772
	(ड) अन्य अनुदान	102,876,845		153,009,708
	(च) अन्य देनदारियां	5,266,940		13,004,715
	कुल (क)		**564,898,303**	**396,766,227**
(ख)	प्रावधान			
1	सेवा निवृत्त पेंशन	1,245,335,000		
2	ग्रेचुटी	135,520,000		
3	अवकाश भुनाना	-		
4	अन्य	-	1,380,855,000	
	योग (ख)		**1,380,855,000**	-
	योग (क + ख)		**1,945,753,303**	**396,766,227**

तालिका ३ (बी) बी

जारी प्रायोजित परियोजनाओं के विरूद्ध
वर्तमान देन्दारियां अन्य देन दारियां प्राप्तियां

लेखा शीर्ष	१.४.०५ को अथ शेष		२००५-२००६ वर्ष के दौरान लेन-देन		३१.३.०६ को अंत: शेष	
	DR	CR	DR	CR	DR	CR
प्रायोजित परियोजनाएं						
वित्तपोषित						
वि.वि.अ. आयोग	1,637,547	5,170,951	14 112 611	10,762 922	2 341,752	2 525,467
मा.सं.वि. मंत्रालय	675,296	1,155,269	6,508 059	6 375 956	972,346	1 320 216
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (डी एस टी)	212 853	8 229,031	5 932,786	8,721,553	206,524	11 011 469
कल्याण मंत्रालय	64,005	2,760	637	40,712	23,293	2 123
आई सी एस एस आर	75,757	750 605	1,157,181	948,805	27 518	493 990
आई सी एच आर	109,129	5 891	91,514	135,000	69,054	9 302
आई सी सी आर	..	..		250 000	--	250 000
एन एम आइ आर	..	130,879	610 326	958 542		479 095
विविध स्रोत	4,680,931	10,129,690	14,977,120	14,713 018	5,747,776	10 932,433
योग	**7,455,518**	**25,575,076**	**43,390,234**	**42,906,508**	**9,388,263**	**27,024,095**

जारी प्रायोजित परियोजनाओं के विरुद्ध

वर्तमान देनदारियां अन्य देनदारियां – प्राप्तियां

लेखा शीर्ष	१.४.०५ को अथ शेष		वर्ष २००५-२००६ के दौरान लेन देन		३१.३.०६ को अंत: शेष	
	DR	CR	DR	CR	DR	CR
1	2	3	4	5	6	7
सिविल इंजीनियरिंग की नयी चुनौतियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	--	3,970	--	--	--	3,970
एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स पर सिंपोजियम	--	2,000	--	--	--	2,000
वर्षा जल संरक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	--	32,523	21,219	--	--	11,304
विद्युत प्रबंधन की वर्तमान प्रवृत्तियां पर सम्मेलन (इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग विभाग)	--	14,134	--	--	--	14,134
संकिंड इटरनेशनल के लीवर, 2004 डॉ. जाकिर हुसैन पुस्तकालय	--	98,269	600	--	--	97,669
टनकसी : स्याना बेक्ट्रियल एक्सट्रक्ट्स ऑन वेरियस माइक्रा आर्गनाइज्म्स	--	3,267	78,267	100,000	--	25,000
'थर्ड ग्लोगिप्ट कान्फ्रेंस' अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	--	105,234	3,800	--	--	101,434
थाम्सन प्रेस : कम्युनिटी वेसलाइन	--	780	--	--	--	780
यशराज बायोटेक मुंबई के सहयोग से शोध परियोजना	--	97,500	22,762	--	--	74,738
सॉफ्टकम्प्यूटिंग, मशीनलर्निंग एण्ड बायोइन्फार्मेटिक्स एप्लीकेशंस पर राष्ट्रीय कार्यशाला	--	32,030	5,000	--	--	27,030
प्रो. एस आई अहसान	--	375,000	--	--	--	375,000
उत्तर प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के समाजार्थिक प्रभाव के आंकलन का अध्ययन (सफिया मेहदी ए टी डब्ल्यू एस)	--	--	--	1,000	--	1,000
हादी हसन स्मृति व्याख्यान	--	--	11,000	11,000	--	--
सामुदायिक शिक्षकों के क्षमता निर्माण पर कार्यशाला (समाज कल्याण विभाग)	--	--	--	205,500	--	205,500
नवीन एंटी एपिलिप्टिक्स का विकास (मुख्य शोधकर्ता डॉ. अमीर आज़म)	--	--	48,900	63,719	-	14,819
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडवांसेस पर राष्ट्रीय सम्मेलन	--	--	--	10,000	-	10,000
'अंत: व्यवसाय में उभरते मुद्दे' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, वाणिज्य विभाग	--	--	40,000	40,000	--	--
विद्यालयों में मानव अधिकार शिक्षा पर दक्षिण एशियाई कार्यशाला (आसाका)	--	--	--	100,000	--	100,000
ए एम ख्वाजा स्मारक निधि, अलीगढ़ के सहयोग से ज.ला. नेहरू कन्द्र में व्याख्यान	--	--	20,000	20,000	--	--
संगोष्ठी 'इंडिया एण्ड ईस्ट एशिया पेराडिग्म्स फार न्यू ग्लोबल कॉपरेशन'	--	--	49,980	50,000	--	20
प्रगतिशील लेखक आंदोलन मासालोजी एण्ड सोसाइटी बेस ज.ने.अ. कन्द्र	--	--	--	37,129	--	37,129
नीड एसेसमेंट सर्वे एण्ड इंपेक्ट एसिसमेंट . . ,फरीदाबाद जी पी एस ए एस कांउसी	--	--	3,586	55,000	--	51,414
अमीर खुसरो पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी - फारसी विभाग	--	--	--	10,000	--	10,000
सस्टेनेबुल डेवलपमेंट पर कार्यशाला	--	25,000	20,000	20,000	--	25,000
कम्प्यूटर एप्लीकेशन एंड डी टी पी सेंटर के लिए संग्रहित निधि	--	--	77,822	259,525	--	181,703
आपात प्रबंधन सृष्टि, समाज कल्याण विभाग	--	--	200,500	219,307	--	18,807
योग	--	789,707	603,436	1,202,180	--	1,386,451

जारी परियोजनाओं के विरुद्ध वर्तमान देनदारियां प्राप्तियां

एम सी आर सी

लेखा शीर्ष	१.४.२००५ को अथ शेष		वर्ष ०५-०६ के दौरान लेनदेन		३१.३.२००६ को अंत: शेष	
	DR.	CR.	DR.	CR.	DR.	CR.
[illegible]	--	--	--	700,000	--	700,000
[illegible] , छात्रवृत्ति	--	--	2,700	--	2,700	--
[illegible] में अल्पकालीन पाठ्यक्रम	--	21,983	--	--	-	21,983
कश्मीर विश्वविद्यालय का वर्कशॉप [illegible]	--	2,780	--	--	--	2,780
[illegible]	--	11,847	--	--	--	11,847
[illegible]	--	17,173	300,693	354,350	--	70,830
[illegible]	--	2,600	--	--	-	2,600
ग्रामीण [illegible] (आर.एल.डी.के.)	--	20,000	--	--	--	20,000
[illegible] एजेंसी	--	1,359,740	2,447,919	1,768,933	--	680,754
[illegible]	--	29,000	--	--	--	29,000
[illegible] पर कार्यशाला	--	7,500	--	--	--	7,500
[illegible]	-	--	770,392	1,452,335	-	681,943
[illegible]	--	30,969	451,124	450,000	--	29,845
[illegible]		--	512,014	493,640	18,374	
[illegible] कम्युनिकेशन	--	5,563,678	1,185,549	1,267,050	--	5,645,179
[illegible]	--	34,500	--	--	--	34,500
कार्यशाला / संगोष्ठी	--	2,674	--	--	--	2,674
योग	--	7,104,444	5,670,391	6,486,308	21,074	7,941,435
कुल योग	7,455,518	33,469,227	49,664,061	50,594,996	9,409,337	36,353,981

तालिका : ३ (बी) (सी)

जारी प्रायोजित फेलोशिप एवं स्कालरशिप के विरुद्ध

वर्तमान देनदारियां / अन्य देनदारियां : प्राप्तियां

लेखा शीर्ष	१.४.२००५ को आद्य शेष		वर्ष २००५-०६ के दौरान लेन देन		३१.३.२००६ को अंत शेष	
	DR	CR	DR	CR	DR	CR
प्रायोजित फेलोशिप एवं स्कालरशिप						
वित्तपोषित द्वारा						
वि.वि.अ. आयोग	--	98,001	173,692	115,600	--	39,909
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	--	17,914	17,914	--	--	--
आई सी एस एस आर	--	155,556	402,681	400,680	--	153,555
आई सी एच आर	--	86,000	399,433	392,100	2,400	81,067
आई सी सी आर	--	17,400	25,980	9,730	--	1,150
सी एस आई आर	--	800,051	2,787,968	2,490,935	--	503,018
विविध स्रोत	--	834,640	1,918,683	1,875,109	--	791,066
योग	--	2,009,562	5,726,351	5,284,154	2,400	1,569,765

तालिका 5 (बी) (डी) भारत सरकार, वि.अ.आ. का अप्रयुक्त अनुदान

	जामिया प्र.	एम सी आर सी	योग
ए. योजना अनुदान : भारत सरकार			
शेष सी/एफ	18,371,621	-	18,371,621
वर्ष के दौरान प्राप्ति वृद्धि		-	-
योग	**18,371,621**	-	18,371,621
पूंजीगत व्यय के लिए कम प्रयुक्त	13,603,769	-	13,603,769
शेष	4,767,852	-	4,767,852
राजस्व व्यय के लिए कम प्रयुक्त	-	-	-
शेष	**4,767,852**	-	4,767,852
वि.वि.अ.आ. अनुदान : गैर योजना गत			
शेष सी / एफ	-	547,792	547,792
वर्ष के दौरान प्राप्ति वृद्धि	527,833,000	26,000,000	553,833,000
योग	**527,833,000**	**26,547,792**	554,380,792
पूंजीगत व्यय के लिए कम प्रयुक्त	32,516,526	3,058,839	35,575,365
शेष	495,316,474	23,488,953	518,805,427
राजस्व व्यय के लिए कम प्रयुक्त	564,277,157	32,478,233	596,755,390
घाटा	68,960,683	8,989,280	77,949,963
अंतर्निधि प्राप्तियां	75,491,664	4,779,818	80,271,482
शेष / सी एफ	6,530,981	4,209,462	2,321,519
वि.वि.अ.आ. अनुदान योजना			
शेष	8,581,626	(658,898)	7,922,728
वर्ष के दौरान प्राप्ति वृद्धि	93,432,071	6,598,000	100,030,071
योग	**102,013,697**	**5,939,102**	107,952,799
पूंजीगत व्यय के लिए कम प्रयुक्त	38,932,948	416,439	39,349,387
शेष	63,080,749	5,522,663	68,603,412
राजस्व व्यय के लिए कम प्रयुक्त	7,141,982	793,324	7,935,306
शेष सी/एफ	**55,938,767**	**4,729,339**	60,668,106
वि.वि.अ.आ. अनुदान : अन्य			
शेष सी/एफ	69,920,849	69,064,088	138,984,937
वर्ष के दौरान प्राप्ति वृद्धि	168,482,032	50,000,000	218,482,032
योग	**238,402,881**	**119,064,088**	357,466,969
पूंजीगत व्यय के लिए कम प्रयुक्त	26,472,400	41,905,262	68,377,662
शेष	211,930,481	77,158,826	289,089,307
राजस्व व्यय के लिए कम प्रयुक्त	7,152,503	15,173	7,167,676
शेष सी/एफ	**204,777,978**	**77,143,653**	281,921,631
कुल शेष सी / एफ	**272,015,578**	**86,082,454**	**349,679,108**

यूजीसी इएमएफ (2005-06) अन्य अनुदान

Sr.	लेखा शीर्ष	अथ शेष		प्राप्तियां	कुल व्यय	पूंजीगत व्यय	राजस्व व्यय	अंत: शेष	
		DR	CR					DR	CR
1	प्रौढ़ और सतत एवं विस्तार शिक्षा का 10 वीं योजना कार्यक्रम		1,746,198		525,870	275,587	250,283		1,220,328
2	अर्नेट 10 वीं योजना का इन्फोनेट कार्यक्रम स्थापना	174,038		1,589,600	1,544,561		1,544,561	128,999	
3	मैने.,अ.घर,एटीडब्लूएस,सीआइटी,भा.व.भाग,संकाय भवनों के लिए सबस्टेशन का निर्माण (रु.44.28क.विशेष अनुदान में से)			2,354,229	31,655	31,655	-		2,322,574
4	जामिया कालिज कैंपस में सब स्टेशन का निर्माण (44.28 करोड़ रुपए के विशेष अनुदान में से)			5,250,618	39,818	39,818	-		5,210,800
5	जामिइ में कैंटीन का निर्माण (44.28 करोड़ रुपए के विशेष अनुदान में से)			3,934,383	63,457	63,457	-		3,870,926
6	एसएस मेंहदी छात्रावास परिसर में भोजन कक्ष व रसोईघर का निर्माण (44.28 करोड़ रुपए के विशेष अनुदान में से)			4,947,303	2,281,855	2,281,855	-		2,665,448
7	डा. जाकिर हुसैन अध्ययन केन्द्र			450,000	-	-	-		450,000
8	10वीं योजना सरोजिनी नायडू महिला अध्ययन केन्द्र			860,000	848,586	243,714	604,872	-	11,414
9	जवाहरलाल नेहरू अध्ययन केन्द्र (1 करोड़ के अनुदान में से)		9,809,549	-	708,583	573,066	135,517		9,100,966
10	तुलनात्मक धर्म एवं सभ्यता केन्द्र (आवर्ती)			500,000	428,446	165,060	263,386		71,554
11	नवीन गांधीवादी अध्ययन केन्द्र			820,000	474,338	128,003	346,335		345,662
12	दलित एवं अल्पसंख्यक अध्ययन केन्द्र (आवर्ती)			500,000	472,635	206,475	266,160		27,365
13	पश्चिम एशियाई अध्ययन केन्द्र (आवर्ती)			500,000	359,662	269,403	90,259		140,338
14	स्पेनी पुर्तगाली एवं लातिन अमरीकी अध्ययन केन्द्र (आवर्ती)			500,000	389,952	46,606	343,346		110,048
15	तुलनात्मक धर्म एवं सभ्यता केन्द्र(वेतन एवं भत्ते)			176,434	176,434	-	176,434		
16	जवाहरलाल नेहरू अध्ययन केन्द्र(वेतन एवं भत्ते)			1,163,018	1,163,018	-	1,163,018		
17	पश्चिम एशियाई अध्ययन केन्द्र(वेतन एवं भत्ते)			595,144	595,144	-	595,144		

Sr.	लेखा शीर्ष	अथ शेष		प्राप्तियाँ	कुल व्यय	पूंजीगत व्यय	राजस्व व्यय	अंत: शेष	
18	दलित एवं अल्पसंख्यक अध्ययन केन्द्र (वेतन एवं भत्ता)			77,869	77,869	-	77,869		
19	भारतीय पुनर्जागरण एवं [illegible] अध्ययन केन्द्र (वेतन एवं भत्ते)			57,040	57,040	-	57,040		
20	रवीन्द्रनाथ में [illegible] अध्ययन केन्द्र			300,000	145,818	145,818	-		154,182
21	[illegible] (रु. 44.28 करोड़ में से)			500,000	231,156	50,000	181,156		268,844
22	[illegible] विशेष अनुदान		14,964,325	-	6,581,025	6,581,025	-		8,383,300
	[illegible]		-	-	-	-	-		-
	[illegible]		-	-	-	-	-		-
	[illegible]		-	-	-	-	-		-
23	[illegible]		2,758,000		1,028,481	666,212	162,269		1,729,519
24	[illegible]					-			
25	[illegible]		40,000,000	[illegible]0			-		40,0[illegible]
26	[illegible]			40,641,536	12,649,538	1[illegible],649,538	-		37,991,998
27	[illegible] (44.28 करोड़ [illegible] के विशेष अनुदान में से)			48,669,323	449,255	449,255	-		48,220,068
28	[illegible] के अधीन [illegible] विकास अनुदान (44.28 करोड़ रुपए के विशेष अनुदान में से)			51,233,103	-	-	-		51,233,103
29	एस.एस.सी., इलेक्ट्रॉनिक्स व पर्यावरण इंजीनियरिंग - भवन	1,167,877					-	1,167,877	
30	विशेष सहायता कार्यक्रम (डीआरएस.) भौतिकशास्त्र (द्वितीय चरण)		3,521		3,521	-	3,521		
31	विशेष सहायता कार्यक्रम (डीआरएस.) इतिहास एवं संस्कृति		425,310	331,811	923,849	675,755	248,094	166,728	
32	विशेष सहायता कार्यक्रम (डीआरएस.) अंग्रेजी एवं एमइएल (तीसरा चरण)		111,382	421,456	608,880	296,768	312,112	76,042	

Sr.	लेखा शीर्ष	अथ शेष		प्राप्तियां	कुल व्यय	पूंजीगत व्यय	राजस्व व्यय	अंत: शेष	
33	विशेष सहायता कार्यक्रम (डीआरएस.) उर्दू (प्रथम चरण)		395,835	109,165	441,724	161,552	280,172		63,276
34	विशेष सहायता कार्यक्रम (डीआरएस.) मनोविज्ञान (तीसरा चरण)		1,070,000	-	322,733	271,778	50,955		747,267
35	कंप्यूटर केन्द्र का विकास			2,000,000					2,000,000
36	9वीं योजना सरोजिनी नायडू महिला अध्ययन केन्द्र	21,356	-	-	-	-	-	21,356	
	योग	**1,363,271**	**71,284,120**	**168,482,032**	**33,624,903**	**26,472,400**	**7,152,503**	**1,561,002**	**206,338,980**
	* ब्याज रु.1434289 और रु. 228748।कम संख्या कमश: 24 और 28 नहीं दिखाया गया है।								

कुल **20,47,77,978**

तुलन पत्र का सार

अप्रयुक्त अनुदान			**योग**
वि वि अ आ अनुदान	Cr.	281,921,631	
वि वि अ आ योजना	Cr.	60,668,106	
भारत सरकार योजना	Cr.	4,767,852	
वि वि अ आ आयोग गैर योजना	Cr.	2,321,519	**349,679,108**
प्राप्तियोग्य अनुदान			
बि वि अ आ गैर योजना	Dr.	62,346,459	
बि वि अ आ गैर अनिर्दिष्ट अनुदान	Dr.	1,675,064	**64,021,523**

तालिका: ३ (एफ) (डी)

	अन्य अनुदान						
A		जमा	राशि	योग			
1	कुलपति राहत कोश	जमा	211,800				
2	पकवत्रा जामिया कोश	जमा	5,000	216,800			
B	कर्मचारी छात्र संबद्ध कोश	जमा					
1	जामिया कर्मचारी राहत कोश	जमा	6,633				
2	प्रशा. स्टाफ आरक्षित कोश	जमा	25,770				
3	प्रशा. स्टाफ संघ	जमा	28,394				
4	एम आर के. संघ	जमा	5,000				
5	वि शि संघ	जमा	106,695				
6	विद्यालय शिक्षक संघ	जमा	8,346				
7	ओल्ड बायज एसोशिएशन	जमा	6,602				
8	शिक्षक स्टाफ क्लब	जमा	6,605				
9	वि. छात्र संघ	जमा	46,923				
10	उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्र संघ	जमा	194,432				
11	सक्लेटर एसोशिएशन (छात्रों के लिए)	जमा	2,800,807				
12	सहपाठ्यक्रम गतिविधियां	जमा	431,971				
13	पुस्तकालय क्लब उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	जमा	9,116				
14	छात्र क्लब	जमा	13,162				
15	हाईक क्लब	जमा	43,300				
16	विज्ञान क्लब / माध्यमिक विद्यालय उच्चतर मा. विद्यालय)	जमा	282,824				
17	विश्वविद्यालय पत्रिका कोश	जमा	1,398,400				
18	टीचर्स कॉलिज पत्रिका कोश (छात्र)	जमा	160,575				
19	इंजीनियरी संकाय पत्रिका कोश	जमा	642,042				
20	उच्चतम माध्यमिक विद्यालय पत्रिका	जमा	320,492				
21	मा. विद्यालय पत्रिका कोश	जमा	68,095				
22	मस्जिद जमा कोश	जमा	721,665				
23	बी एस बी बाल सहायता कोश	जमा	76,772				
24	प्रयोग: पाठ्यक्रम विकास कोश (वार्षिक)	जमा	275,886				
25	अकादमिक स्टाफ कलिज डिपार्टमेंट	जमा	563,159				
26	विभाग विकास कोश	जमा	1,865,420				
27	विश्वविद्यालय खेलकूद कोश	जमा	357,428				
28	उ.मा. खेलकूद कोश	जमा	248,304				
29	मा.वि. खेलकूद कोश	जमा	262,561				
30	सांस्कृतिक गतिविधियां	जमा	1,056,067				
31	जामिया स्थापना दिवस समारोह (छात्र)	जमा	1,639,768				
32	निर्देशित अध्ययन उ.मा. विद्यालय	जमा	98,038				
33	निर्देशित अध्ययन मा. विद्यालय	जमा	66,206				
34	कब्रिस्तान का विकास (स्टाफ का योगदान)	जमा	71,371				
35	कामकाजी महिला छात्रावास	जमा	514,881				

36	प्रौढ़ एवं साक्षर शिक्षा	जमा	57,446				
37	प्रयोगात्मक एवं सत्रीय कार्य (ललित कला)	जमा	799,079				
38	क्राफ्ट खर्च (समाज कार्य)	जमा	4,600				
39	सत्रीय परीक्षा (उ.मा. विद्यालय)	जमा	99,573				
40	फील्ड वर्क शुल्क (समाज कार्य) प्लेसमेंट	जमा	177,660				
41	गृह परीक्षा शुल्क (माध्यमिक विद्यालय)	जमा	83,655				
42	पर्यावरण प्रबंधन के लिए रिमोट सेंसिंग पर कार्यशाला	जमा	1,741				
43	विभागीय कार्यक्रम (छात्र)	जमा	285,232				
44	प्रायोगिक परीक्षण (विधि संकाय) छात्र	जमा	812,818				
45	संगोष्ठी एवं पाठ्यसामग्री (एल एल एम)	जमा	47,900				
46	बी एम सी में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	जमा	63,302				
47	प्रकाश लेख, जर्नल्स, मिनि थीसिस	जमा	39,175				
48	रा.से.यो. कार्यक्रम शुल्क, छात्र	जमा	33,886				
49	मुकदमा सामग्री शुल्क (विधि संकाय)	जमा	1,543,770				
50	परामर्श शुल्क सि (एफ) और इंजीनियरिंग संकाय	जमा	401,432				
51	स्नातक पाठ्यक्रम अंग्रेजी (प्रवेश) अंग्रेजी विभाग	जमा	11,044				
52	मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रयोगशाला (प्रोजेक्ट)	जमा	21,900				
53	जनता के लिए पुस्तकालय (इंजी. संकाय)	जमा	77,749				
54	फील्ड कार्य बी डी एस (भौगोलिक विभाग)	जमा	25,500				
55	विभागीय पुस्तकालय शुल्क	जमा	57,700				
56	प्रयोगशाला विकास शुल्क	जमा	58,000				
57	तुलनात्मक धर्म एवं सभ्यता केन्द्र	जमा	8,960				
58	शैक्षणिक भ्रमण (इंजी. एवं प्रौद्योगिकी संकाय)	जमा	848,075				
59	छात्रों के भ्रमण शुल्क (विद्यालय)	जमा	134,027				
60	[illegible]	जमा	300,430				
61	[illegible]	जमा	3,964				
62	[illegible]	जमा	281,333				
63	[illegible]	जमा	3,525				
64	[illegible]	जमा	9,000				
65	कम्प्यूटर प्रयोगशाला सुविधा (विधि)	जमा	815,136				
66	टूरिज्म एण्ड ट्रैवल मैनेजमेंट शुल्क	जमा	179,179				
67	स्नातक पाठ्यक्रमों (कम्प्यूटर) के लिए वि वि अ आ माडर्न पाठ्यक्रम	जमा	6,523				
68	अनुवाद दक्षता कार्यक्रम अतर शुल्क	जमा	66,400				
69	छात्र सहायता कोश	जमा	1,759,295				
70	गतिविधि सामग्री एवं पत्रिका कोश	जमा	46,266				
71	बच्चों की बुकबुक	जमा	12,391				
72	स्टाफ विकास कार्यक्रम	जमा	3,337,179				
73	ए आई यू ट्रॉफी क्रिकेट (एस) प्रतियोगिता	जमा	602,984				
74	स्वर्ण जयंती जामिया नर्सरी विद्यालय	जमा	20				
75	एक दिवस विद्यालय डेलवर माध्यमिक विद्यालय	जमा	11,275				

76	विश्वविद्यालय फार्मेसी एवं सहायता केन्द्र	जमा	412,177				
77	कैंटीन जमा	जमा	3,105,300	31,070,311			
C	अन्य						
1	कुलाधिपति दान	जमा	6,773,002				
2	स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रम *	जमा	48,312,996				
3	जामिया रेडियो शुल्क	जमा एम सी आर सी	453,529				
4	डॉ. जाकिर हुसैन स्मारक जमा	जमा	25,000				
5	एस एफ भविष्य निधि	जमा	8,538,966				
6	नयी पेंशन योजना	जमा	2,926,942				
7	आधिक्य छात्रावास एवं रसोई	छात्रा. एवं रसोई	3,709,563				
8	छात्रावास सुविधाएं	छात्रा. एवं रसोई	856,206				
9	एम सी डी / एन पी एल ए डी कोश से बी आई पी कब्रिस्तान का जीर्णोद्धार	प्रयोजन निर्दिष्ट	18,932				
10	नवीकरण एवं स्थानापन्न कोश (एम.सी.आर.सी.)	एम सी आर सी	6,899	71,622,035			
	कुल योग (ए+बी+सी)			102,909,146			
	घटाएं ऋण शेष						
	भ्रमण यात्रा जमा			32301			
				102,876,845			

* केन्द्रीय कम्प्यूटर सुविधा, भवन निर्माण, डी एवं आप्ट और संबंध विकास कोश सहित स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रमों से संबंध ऋण शेष का सकल

तालिका ४: स्थायी परिसंपत्तियां

पूंजीगत परिसंपत्तियां- जा.मि.इ. प्रमुख एवं एम सी आर सी संयुक्त २००५-२००६

विवरण	सकल खण्ड				ह्रास				नेट ब्लाक	
स्थायी परिसंपत्तियां	वर्ष के आरंभ में लागत / मूल्य निर्धारण	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान ह्रास	वर्ष के अंत में लागत / मूल्य निर्धारण	वर्ष के आरंभ में जैसी थी	वर्ष में अनुमानित ह्रास	वर्ष के दौरान घटाना मिटाना एंड	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष ३१.३.२००६ को जैसी थीं	पिछले वर्ष ३१.३.२००५ के अंत में जैसी थीं
भूमि	14,732,031	--	493	14,731,538	--	--	--	0	14,731,538	14,732,031
भवन	593,670,339	49,889,187	--	643,559,526	94,401,266	12,871,191	--	107,272,457	536,287,069	499,269,074
ट्यूबवैल	885,573	--	--	885,573	167,987	17,711	--	185,698	699,875	717,586
विद्युत फिटिंग्स (विद्युत स्थापना एवं उपकरण)	13,208,025	--	--	13,208,025	5,261,367	660,400	--	5,921,767	7,286,259	7,946,659
ड्रिलिंग सेट (प्लांट एवं मशीनरी)	127,464	--	--	127,461	127,463	--	--	127,463	1	1
प्रयोगशाला एवं कार्यशाला (विज्ञान एवं प्रयोगशाला)	374,233,276	45,664,343	--	419,897,619	330,776,959	14,788,477	--	345,565,436	74,332,183	43,456,317
मशीनरी एवं उपकरण	217,055,892	31,924,704	--	248,980,596	96,601,908	18,673,545	--	115,275,453	133,705,144	120,453,984
[illegible]	2,987,645	105,097	--	3,092,742	2,503,274	231,899	--	2,735,173	357,569	484,371
कम्प्यूटर्स	83,659,365	13,376,227	--	97,035,592	51,379,469	19,407,118	--	70,786,587	26,249,005	32,279,896
कार एवं अन्य वाहन	6,508,749	824,482	--	7,333,231	6,208,367	82,448	--	6,290,815	1,042,416	300,382
पुस्तकें	87,958,040	14,120,840	2,247,366	99,831,514	63,366,512	9,983,152	1,621,671	71,727,993	28,103,521	24,591,528
[illegible]	13,310	--	--	13,310	13,309	--	--	13,309	1	1
[illegible]	17,849	11,525	--	29,374	4,783	2,937	--	7,720	21,654	13,066
[illegible]	--	--	--	0	--	--	--	0	0	--
[illegible]	63,159	--	--	63,157	33,796	1,759	--	28,555	31,602	30,663
चालू वर्ष का योग	1,395,121,015	155,916,405	2,247,859	1,548,789,561	650,836,460	76,723,637	1,621,671	725,938,426	822,851,135	744,284,557
पिछला वर्ष	1,188,594,205	206,779,972	253,162	1,395,121,015	585,412,318	65,567,692	143,552	650,836,458	744,284,557	603,181,887
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	11,710,538	49,368,434	0	61,078,972	0	0	0	0	61,078,972	11,710,538
योग (ए+बी)	1,406,831,553	205,284,839	2,247,859	1,609,868,533	650,836,460	76,723,637	1,621,671	725,938,426	883,930,109	755,995,095

नोट: दिया जाता है जैसा कि किश्तों के आधार पर स्थायी परिसंपत्तियों की लागत को सम्मिलित किया गया है

ह्रास: भूमि 0 प्रतिशत भवन 2 प्रतिशत फर्नीचर और उपकरण 7.5 प्रतिशत वैज्ञानिक एवं प्रयोग. उपकरण 8 प्रतिशत, कम्प्यूटर्स 20 प्रतिशत पुस्तकें 10 प्रतिश. अन्य 10 प्रतिशत, विद्युत संस्थापना एवं उपकरण 5 प्रतिशत, प्लांट एवं मशीनरी 5 प्रतिशत, आफिस उपकरण 7.5 प्रतिशत, ट्यूबवैल 2 प्रतिशत, वाहन 10 प्रतिशत, कार्यालय उपकरण 7.5 प्रतिशत

तालिका 4: स्थायी परिसंपत्तियां

पूंजीगत [illegible] वर्ष प्रमुख २००५-२००६

प्रगति रिपोर्ट २६.१२.२००६ से आगे

विवरण	सकल ब्लॉक				ह्रास				नेट ब्लाक	
स्थायी परिसंपत्तियां	वर्ष के आरंभ में लागत / मूल्य निर्धारण	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान ह्रास	वर्ष के अंत में लागत / मूल्य निर्धारण	वर्ष के आरंभ में जैसी की	वर्ष में अनुमानित ह्रास	वर्ष के दौरान घटाया मिटाना एंड	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष ३१.३.२००६ को जैसी की	पिछले वर्ष ३१.३.२००५ के अंत में जैसी की
भूमि	14,732,031	--	493	14,731,538	0	0	0	0	14,731,538	14,732,031
भवन	587,628,941	49,889,187	--	637,518,128	92,815,096	12,750,363	--	105,565,459	531,952,669	494,813,845
ट्यूबवेल	885,573		--	885,573	167,987	17,711	--	185,698	699,875	717,586
विद्युत फिटिंग्स (विद्युत स्थापना एवं उपकरण)	10,405,060		--	10,405,060	2,598,550	520,253	--	3,118,803	7,286,257	7,806,510
प्रिंटिंग प्रेस (प्लांट एवं मशीनरी)	127,464	--	--	127,464	127,463	0	--	127,463	1	1
प्रयोगशाला एवं कार्यशाला (विज्ञान एवं प्रयोगशाला उपकरण)	139,191,611	305,199	--	139,496,810	95,921,315	11,159,745	--	107,081,060	32,415,750	43,270,296
फर्नीचर एवं उपकरण	162,301,513	30,602,750		192,904,263	85,469,645	14,467,820	--	99,937,465	92,966,798	76,831,868
फिल्म/वी.फिल्म (ऑडियो विजुअल उपकरण)	750	--	--	750	749	0	--	749	1	1
कम्प्यूटर्स	83,659,365	13,376,227	--	97,035,592	51,379,469	19,407,118	--	70,786,587	26,249,005	32,279,896
कार एवं लारी वाहन	4,994,645	824,482		5,819,127	4,694,264	82,448	--	4,776,712	1,042,415	300,381
पुस्तकें	85,793,082	13,514,440	2,247,366	97,060,156	61,907,208	9,706,016	1,621,671	69,991,553	27,068,603	23,885,874
कैंप उपकरण (फर्नीचर और उपकरण)	13,310		--	13,310	13,309	0	--	13,309	1	1
गाउंस (अन्य)	17,849	11,525	--	29,374	4,783	2,937	--	7,720	21,654	13,066
टेलीफोन (कार्यालय उपकरण)	0	--	--	0	0	0	—	0	0	0
हथियार और बारूद (फर्नीचर और उपकरण)	63,457	--	--	63,457	23,796	4,759	--	28,555	34,902	39,661
चालू वर्ष का योग	1,089,814,651	108,523,810	2,247,859	1,196,090,602	395,123,634	68,119,170	1,621,671	461,621,133	734,469,469	694,691,017
पिछला साल	924,054,021	166,013,792	253,162	1,089,814,651	334,350,975	60,916,211	143,552	395,123,634	694,691,017	589,703,046
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	11,710,538	49,368,434	--	61,078,942	—	--	—	--	61,078,972	11,710,538
योग (ए-बी)	1,101,525,189	157,892,244	2,247,859	1,257,169,544	395,123,634	68,119,170	1,621,671	461,621,133	795,548,411	706,401,555

नोट किया जाना है जैसा कि किश्तों के आधार पर स्थायी परिसंपत्तियों की लागत को सम्मिलित किया गया है

:X:X: भूमि 0 प्रतिशत भवन 2 प्रतिशत फर्नीचर और उपकरण 7.5 प्रतिशत वैज्ञानिक एवं प्रयोग. उपकरण 8 प्रतिशत, कम्प्यूटर्स 20 प्रतिशत पुस्तकें 10 प्रतिश, अन्य 10 प्रतिशत विद्युत स्थापना एवं उपकरण 5 प्रतिशत प्लांट एवं मशीनरी 5 प्रतिशत. ऑडियो उपकरण 7.5 प्रतिशत ट्यूबवैल 10 प्रतिशत, वाहन 10 प्रतिशत, कार्यालय उपकरण 7.5 प्रतिशत

तालिका 4: स्थायी परिसंपत्तियां

विकास स्थिति १९९१-१९९२ से आगे

पूंजीगत परिसंपत्तियां- एम सी आर सी २००५-२००६

विवरण	सकल खण्ड				ह्रास				नेट ब्लाक	
स्थायी परिसंपत्तियां	वर्ष के आरंभ में लागत / मूल्य निर्धारण	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान ह्रास	वर्ष के अंत में लागत / मूल्य निर्धारण	वर्ष के आरंभ में जैसी थी	वर्ष में अनुमानित ह्रास	वर्ष के दौरान घटाना मिटाना एंड	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष ३१.३.२००६ को जैसी थी	पिछले वर्ष ३१.३.२००५ के अंत में जैसी थी
[illegible]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	6,011,398	--	--	6,011,398	1,586,170	120,828	--	1,706,998	4,334,400	[illegible]
[illegible]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	2,802,965	--	--	2,802,965	2,662,817	140,147	--	2,802,964	1	140,148
[illegible]	--	--	--	0	--	--	--	--	--	--
[illegible]	235,041,065	45,359,144	--	280,400,809	231,855,644	3,628,732	--	238,484,376	41,916,433	[illegible]
[illegible]	54,754,379	1,321,954	-	56,076,333	11,132,263	4,205,725	--	15,337,988	40,738,345	[illegible]
[illegible]	2,986,895	105,097	--	3,091,992	2,502,525	231,899	--	2,734,424	357,568	[illegible]
[illegible]	--	-	--	--	--	--	--	--	--	
[illegible]	1,514,104	--	--	1,514,104	1,514,103	0	--	1,514,103	1	1
[illegible]	2,164,958	606,400	--	2,771,358	1,459,304	277,136	--	1,736,440	1,034,918	[illegible]
[illegible]	--	--	--	--	--	--	-	--	--	
[illegible]	--	--	--	--	-	--			--	
[illegible]	-	-	--	--	--	--	--	--	--	
[illegible]	--	--	-	-	-	-		-	-	
चालू वर्ष का योग	305,306,364	47,392,595	-	352,698,959	255,712,826	8,604,467	--	264,317,290	88,381,666	[illegible]
पिछला साल	264,540,184	40,766,180	--	305,306,364	251,061,345	4,651,481	--	255,712,824	49,593,540	[illegible]
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--
योग (ए+बी)	305,306,364	47,392,595		352,698,959	255,712,826	8,604,467	--	264,317,290	88,381,666	49,593,538

नोट दिया जाना है जैसा कि किश्तों के आधार पर स्थायी परिसंपत्तियों की लागत को सम्मिलित किया गया है

नोट: भूमि 0 प्रतिशत भवन 2 प्रतिशत फर्नीचर और उपकरण 7.5 प्रतिशत वैज्ञानिक एवं प्रयोग. उपकरण 8 प्रतिशत, कम्प्यूटर्स 20 प्रतिशत पुस्तकें 10 प्रतिशत, अन्य 10 प्रतिशत विद्युत सीमना एवं उपकरण 5 प्रतिशत प्लांट एवं मशीनरी 5 प्रतिशत,
श्रव्य-दृश्य उपकरण 7.5 प्रतिशत ट्यूबवेल 2 प्रतिशत, वाहन 10 प्रतिशत, कार्यालय उपकरण 7.5 प्रतिशत

तालिका ५ : प्रयोजन विशिष्ट / धर्मादा कोशों से निवेश

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
डिबेंचर्स एवं बॉड्स	-	-
अन्य बैंक स्थायी जमा	77,127,500	14,765,646
योग	**77,127,500**	**14,765,646**

प्रयोजन विशिष्ट / धर्मादा कोश (कोश अनुसार)

कोश	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
विश्वविद्यालय विकास कोश	55,000,000	-
एस आर सी कोश	5,300,000	-
धर्मादा कोश	16,827,500	-
योग	77,127,500	-

तालिका ६ : निवेश - अन्य

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मकतबा जामिया लि. में अंश (लागत पर)		
अथशेष	92,070	92,070
जोड़ें : बोनस ?	143,910	-
इक्विटी अंश रुपये 10 प्रतिशत)		
योग	**235,980**	**92,070**

तालिका ५ : वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
A वर्तमान परिसंपत्तियां			
नकद एवं बैंक शेष			
1. हाथ में नकद (स्टाम्प सहित)		372,644	179,075
2. बैंक शेष			
(क) अनुसूचित बैंकों में चालू बैंक खाते	150,251,566		
(ख) [illegible] मार्जिनमनी [illegible]	347,102,875	497,354,441	303,700,840
योग (ए)		**497,727,085**	**303,879,915**

		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
B ऋण एवं अग्रिम			
a. कर्मचारियों के लिए अग्रिम			
[illegible]			
[illegible]			
त्योहार	625,742		
[illegible]	43,000		
[illegible]	73,810		
[illegible] अग्रिम	292,857	1,035,409	1,160,827
[illegible]			
b. कर्मचारियों के लिए दीर्घकालीन अग्रिम (ब्याज पर)			
[illegible]	5,728		
[illegible]	70,010	75,738	33,602,390
c. [illegible] अग्रिम एवं अन्य [illegible]			
[illegible] को अग्रिम	2,281,040		
[illegible] पर अग्रिम	3,395,635		
अन्य	22,465,763	28,142,438	26,360,423
d. पूर्व भुगतान किए गए व्यय			
बीमा			
अन्य व्यय			
e. जमा			
फोन			
लीज किराया			
विद्युत		41,812	45,794
अन्य			

f. प्राप्त आय जो देय नहीं है			
योजना विशिष्ट / धर्मादा कोशों से निवेश पर	1,978,426		
निवेश पर - अन्य	15,173,095	17,151,521	
ऋण एवं अग्रिम पर			
अन्य			
g. अन्य प्रतिदेय्य			7,242,537
प्रायोजित परियोजनाओं में ऋणशेष	9,409,337		
प्रायोजित छात्रवृत्तियों में ऋणशेष	2,400		
वसूली योग्य अनुदान	64,021,523		
अन्य प्राप्ति योग्य	351,501	73,784,761	88,834,807
h. प्राप्ति योग्य दावे		-	-
योग बी.		**120,231,679**	**157,246,778**
योग ए + बी		**617,958,764**	**461,126,693**

संलग्नक (ए)

३१.३.२००६ को बचत बैंक खातों में शेष

		प्रमुख	एम सी आर सी	योग
I	इंडियन बैंक			
	राजस्व खाता	59,115,929	615	**59,116,544**
	योजना खाता	35,433,177	7,485,624	**42,918,801**
	प्रयोजन विशिष्ट खाता	3,998,001	700,000	**4,698,001**
	जमा खाता	38,216,846	3,465,911	**41,682,757**
	खाद्यान्न रसोई	1,167,399	-	**1,167,399**
	योग	**137,931,352**	**11,652,150**	**149,583,502**
II	यु. बैं. आ. कापिसा नगर*			
	राजस्व खाता	620,636	32,035	**652,671**
	योजना खाता	-	8,621	**8,621**
	जमा खाता	-	6,772	**6,772**
	योग	**620,636**	**47,428**	**668,064**
	कुल योग १ + २	138,551,988	11,699,578	150,251,566

तालिका ८ : सहायता अनुदान / छूट

विवरण	भारत सरकार	विविअआ योजना	विविअआ गैर योजना	विविअआ अन्य	योग
शेष जी/एफ	18,371,621	7,922,728	547,792	138,984,937	165,827,078
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्तियां	--	100,030,071	553,833,000	218,482,032	872,345,103
योग	18,371,621	107,952,799	554,380,792	357,466,969	1,038,172,181
घटाएं : पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	13,603,769	39,349,387	35,575,365	68,377,662	156,906,183 (a)
शेष	4,767,852	68,603,412	518,805,427	289,089,307	881,265,998
घटाएं : आगे ले जाया गया शेष	4,767,852	60,668,106	2,321,519	281,921,631	349,679,108 (b)
राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	--	7,935,306	516,483,908	7,167,676	531,586,890 (c)

(ए) तुलन पत्र में स्थायी परिसंपत्ति तालिका में वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि के रूप में और पूंजीगत निधि में वृद्धि के रूप में प्रस्तुत

(बी) (1) तुलन पत्र में वर्तमान देनदारियों के अधीन प्रस्तुत

(2) परिसंपत्तियां की ओर पूंजीगत खाते पर अग्रिम आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम, बैंक शेषों और नकद द्वारा दर्शाया गया।

(सी) आय और व्यय खाते में आय के रूप में प्रस्तुत

टिप्पणी: गैर योजना के अधीन आगे ले जाया गया 2321519 रूपये का शेष 80271482 रूपये 7,54,91,664 रूपये (प्रमुख) 47,79,818 रूपये (एम.सी.आर.सी) आंतरिक प्राप्ति के खाते में है ।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली ११००२५

तालिका ९ : अकादमिक प्राप्तियां

विवरण	जामिया मि.इ.	एस सी आर सी	योग
ए. छात्रों से शुल्क			
अकादमिक			
1. ट्यूशन शुल्क	9,765,825	255,000	10,020,825
2. प्रवेश शुल्क	922,560	7,900	930,460
3. पंजीकरण शुल्क	278,910	--	278,910
4. पुस्तकालय प्रवेश शुल्क	1,931,170	1,550	1,932,720
5. प्रयोगशाला शुल्क	2,452,830	--	2,452,830
6. [illegible] शुल्क : मा.वि. / उ.मा.वि.	103,200	--	103,200
7. [illegible] शुल्क नर्सरी स्कूल	20,400	--	20,400
8. [illegible] ड्राफ्ट शुल्क बी एस सी	23,940	--	23,940
9. [illegible] शुल्क बी एस सी	36,210	--	36,210
10. [illegible] शुल्क बी एस सी	4,200	--	4,200
11. [illegible] शुल्क	43,000	--	43,000
योग	15,582,245	264,450	15,846,695
परीक्षा			
1. [illegible] परीक्षा शुल्क	20,145,458	993,220	21,138,678
2. [illegible] परीक्षा शुल्क	10,365,003	--	10,365,003
3. [illegible], [illegible] पत्र शुल्क	102,550	--	102,550
योग	30,613,011	993,220	31,606,231
अन्य शुल्क			
1. [illegible] पत्र शुल्क	646,240		646,240
2. [illegible] शुल्क	199,150	2,206,854	2,406,004
3. चिकित्सा शुल्क	832,870	--	832,870
4. बागवानी शुल्क	527,860	4,250	532,110
5. यू जी सी आय	30,661	--	30,661
योग	2,236,781	2,211,104	4,447,885
प्रकाशनों की बिक्री			
1. पाठ्यक्रम व प्रश्नपत्र बिक्री	246,580	--	246,580
2. प्रवेश पत्र फार्म सहित प्रोस्पेक्टस की बिक्री	7,377,200	312,080	7,689,280
योग	7,623,780	312,080	7,935,860
कुल योग	66,055,817	3,780,854	59,836,671

तालिका १० : प्रकाशनों से आय

विवरण	जा.मि.इ.	एच.ई.आर.सी.	योग
सदस्यता जामिया मासिक	21,290	--	21,290
योग	**21,290**	**--**	**21,290**

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली ११००२५

तालिका ११ : निवेशों से आय

विवरण	प्रयोजन विशिष्ट / धर्मादा से निवेश	निवेश अन्य
1. ब्याज	--	--
(ए) सरकारी प्रतिभूतियों पर	--	--
(बी) बाण्ड्स / डिबेंचर्स		
2. डिविडेण्ड्स		
(ए) शेयरों (मकतबा जामिया लि.) पर	--	21,359
3. अन्य		
(ए) विश्वविद्यालय विकास कोश	1,061,370	
(बी) धर्मादा कोश	119,224	
योग	1,180,594	21,359
योजना विशिष्ट / धर्मादा कोश को स्थानांतरित	1,180,594	
योग	**0**	

तालिका 12 : अर्जित ब्याज़

विवरण	जेएमआई	एमसीआरसी	योग
क) मियादी जमा			
1. योजना अनुदान	1,100,114	151,707	1,251,821
2. रखरखाव अनुदान	341,919	55,856	397,775
3. विद्यालय का नया भवन	2,287,481	—	2,287,481
4. प्लेटिनम जुबली के अवसर पर विशेष अतिरिक्त अनुदान	1,434,289	--	1,434,289
5. नेहरू केंद्र	549,009	--	549,009
6. छात्रावासों का निर्माण - सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय	3,403,784	--	3,403,784
7. अन्य -			
(i) लघु मियादी जमा	--	4,321,291	4,321,291
B. बचत जमा खाता			
8. बैंक से प्राप्त ब्याज	289,975	--	289,975
योग	**9,406,571**	**4,528,854**	**13,935,425**

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली-110025

तालिका 13 : अन्य आय

विवरण	जेएमआई	एमसीआरसी	योग
1. भूमि एवं भवन से आय			
1. छात्रावास के कमरों का किराया			
2. लाइसेंस फीस	1,223,740	–	1,223,740
3. अतिथि गृह का किराया	2,203,317	–	2,203,317
4. ऑडिटोरियम, खेल के मैदान, सामुदायिक केंद्र आदि का किराया	1,312,257	–	1,312,257
5. विद्युत एवं जल शुल्क	1,842,150	–	1,842,150
योग	907,932	–	907,932
	7,489,396	–	**7,489,396**
2. अन्य			
1. कर्मचारियों से प्राप्त चिकित्सा योगदान			
2. स्व वित्तीय पाठ्यक्रमों के रखरखाव का खर्च	1,720,549	88,435	1,808,984
3. परियोजनाओं के ऊपरी खर्च	4,324,715	–	4,324,715
4. इग्नू के अध्ययन केंद्र से प्राप्त आय	219,285	–	219,285
5. आवेदन पत्रों की बिक्री (भरती)	266,910	–	266,910
6. विविध प्राप्तियाँ (निविदा प्रपत्र की बिक्री, रद्दी कागज़, आदि)	426,719	–	426,719
योग	4328363	854,673	5,183,036
	11,286,541	**943,108**	**12,229,649**
कुल योग			
	18,775,937	**943,108**	**19,719,045**

तालिका 14 : अवधि पूर्व आय

विवरण	जेएमआई	एमसीआरसी	योग
1. योजना अनुदान पर ब्याज			
योग	3,129,888	3,167,230	6,297,118
	3,129,888	**3,167,230**	**6,297,118**

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली-110025

तालिका 15 : स्थापना व्यय

विवरण	जेएमआई			एमसीआरसी			महा योग
	गैर योजना	योजना योग		गैर योजना	योजना योग		
1. तनख्वाह एवं भत्ते	369,103,985	5,040,972	374,144,957	20,972,318	793,324	21,765,642	395,910,599
2. मानदेय	7,440,298	--	7,440,298	--	--	--	7,440,298
3. बोनस	3,161,022	--	3,161,022	189,464	--	189,464	3,350,486
4. सेवा निवृत्ति लाभ	1,419,825,605	--	1,419,825,605	50,372,815	--	50,372,815	1,470,198,420
योग (क)	**1,799,530,910**	**5,040,972**	**1,804,571,882**	**71,534,597**	**793,324**	**72,327,921**	**1,876,899,803**
जोड़ें : बकाया खर्च							
1. तनख्वाह एवं भते	27,557,116	391,268	27,948,384	1,714,887	62,023	1,776,910	29,725,294
2. अन्य स्थापना खर्च	1,296,540	--	1,296,540	--	--	--	1,296,540
3. अंशदायी भविष्य निधि अंशदान	157,699	--	157,699	--	--	--	157,699
योग (ख)	**29,011,355**	**391,268**	**29,402,623**	**1,714,887**	**62,023**	**1,776,910**	**31,179,533**
घटाएँ : प्रबंध खाते में डाले गए अंतरण	39,835,306	--	39,835,306	916,588		916,588	40,751,894
घटाएँ : पूर्व कालिक खर्च							
1. तनख्वाह एवं भत्ते	26,034,570	203,484	26,238,054	1,608,650	53,380	1,662,030	27,900,084
2. सेवा निवृत्ति लाभ							
(i) पेंशन	1,045,418,000	--	1,045,418,000	39,574,000	-	39,574,000	1,084,992,000
(ii) ग्रेच्युटी	111,315,000	--	111,315,000	4,714,000	--	4,714,000	116,029,000
3. अन्य स्थापना खर्च	1,344,528	72,979	1,417,507	--	--	--	1,417,507
योग (ग)	**1,223,947,404**	**276,463**	**1,224,223,867**	**46,813,238**	**53,380**	**46,866,618**	**1,271,090,485**
महा योग (क+ख-ग)	**604,594,861**	**5,155,777**	**609,750,638**	**26,436,246**	**801,967**	**27,238,213**	**636,988,851**

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली-110025

तालिका 15 क : स्थापना व्यय (वेतन एवं भत्ते)

विवरण	जेएमआई			एमसीआरसी			महा योग
	गैर योजना	योजना	योग	गैर योजना	योजना	योग	
1. वेतन एवं भत्ते	328,532,178	5,040,972	333,573,150	20,306,926	793,324	21,100,250	354,673,400
2. ओवर टाइम भत्ते	455,476	--	455,476	79,787	--	79,787	535,263
3. एड-होक कर्मचारियों के वेतन	1,415,214	--	1,415,214	--	--	--	1,415,214
4. मंहगाई भत्ते का बकाया	3,738,402	--	3,738,402	218,107	--	218,107	3,956,509
5. वेतन वृद्धि के कारण वेतन बकाया	5,245,826	--	5,245,826	--	--	--	5,245,826
6. वेतन अग्रिम	2,496,226	--	2,496,226	--	--	--	2,496,226
7. विज़िटिंग प्रोफेसर के लिए प्रावधान	12,400	--	12,400	--	--	--	12,400
8. वेतन ग्रेड एच आई आई एस	678,618	--	678,618	--	--	--	678,618
9. जामिया समुदाय कला कार्यक्रम	158,773	--	158,773	--	--	--	158,773
10. अध्यक्ष एवं कर्मचारी अभियांत्रिकी संकाय	6,869,971	--	6,869,971	--	--	--	6,869,971
11. विशेष सहायता विभाग	1,429,300	--	1,429,300	--	--	--	1,429,300
12. एल.टी.सी. सुविधाएँ	3,851,216	--	3,851,216	354,058	--	354,058	4,205,274
13. चिकित्सा सुविधाएँ	14,093,042	--	14,093,042	--	--	--	14,093,042
14. शिक्षा शुल्क की वापसी	127,343	--	127,343	13,440	--	13,440	140,783
योग	**369,103,985**	**5,040,972**	**374,144,957**	**20,972,318**	**793,324**	**21,765,642**	**395,910,599**

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली-110025

तालिका 15 ख : सेवा निवृति लाभ (कुल)

विवरण	जेएमआई			एमसीआरसी			
	गैर योजना	योजना	योग	गैर योजना	योजना	योग	महा योग
(क) 2005-06 के दौरान भुगतान							
(i) पैंशन	34,726,984	--	34,726,984	916,588	--	916,588	35,643,572
(ii) ग्रेच्युटी	5,108,322	--	5,108,322	--	--	--	5,108,322
(iii) भविष्य निधि अंशदान	2,418,165	--	2,418,165	262,510	--	262,510	2,680,675
(iv) छुट्टियों का नकद भुगतान	4,652,286	--	4,652,286	26,129	--	26,129	4,678,415
(iv) अवकाशीय वेतन/पेंशन अंशदान	480,542	--	480,542	--	--	--	480,542
योग (क)	**47,386,299**	--	**47,386,299**	**1,205,227**	--	**1,205,227**	**48,591,526**
(ख) सेवा निवृति लाभ के प्रावधान							
बीमांकिक मूल्यांकन (पूर्व कालिक पद) अनुसार ३१.०३.०५ प्रावधान अपेक्षित							
(i) पैंशन	1,045,418,000	--	1,045,418,000	39,574,000	--	39,574,000	1,084,992,000
(ii) ग्रेच्युटी	111,315,000	--	111,315,000	4,714,000	--	4,714,000	116,029,000
योग (ख)	**1,156,733,000**	--	**1,156,733,000**	**44,288,000**	--	**44,288,000**	**1,201,021,000**
घटाएँ: 2005-06 के दौरान भुगतान (क)							
(i) पैंशन	34,726,984		34,726,984	916,588	--	916,588	35,643,572
(ii) ग्रेच्युटी	5,108,322	--	5,108,322	--	--	--	5,108,322
योग	39,835,306	--	39,835,306	916,588	--	916,588	40,751,894
(ग) बकाया प्रबंध (ख) ३१.०३.०५ को प्रबंध से बाहर							
(i) पैंशन	1,010,691,016	--	1,010,691,016	38,657,412	--	38,657,412	1,049,348,428
(ii) ग्रेच्युटी	106,206,678	--	106,206,678	4,714,000	--	4,714,000	110,920,678
योग ग=(ख-क)	1,116,897,694	-	1,116,897,694	43,371,412	--	43,371,412	1,160,269,106
(घ) बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार ३१.०३.०६ का प्रावधान अपेक्षित							
(i) पैंशन	1,202,955,000	--	1,202,955,000	42,380,000	--	42,380,000	1,245,335,000
(ii) ग्रेच्युटी	129,649,000	--	129,649,000	5,871,000	--	5,871,000	135,520,000
योग (घ)	1,332,604,000	--	1,332,604,000	48,251,000	--	48,251,000	1,380,855,000
(ङ) 2005-06 में किए गए प्रावधान							
(i) पैंशन	192,263,984	--	192,263,984	3,722,588	--	3,722,588	195,986,572
(ii) ग्रेच्युटी	23,442,322	--	23,442,322	1,157,000	--	1,157,000	24,599,322
योग ङ=(घ-ग)	**215,706,306**	--	**215,706,306**	**4,879,588**	--	**4,879,588**	**220,585,894**
महायोग (क+ख+ङ)	**1,419,825,605**	--	**1,419,825,605**	**50,372,815**	--	**50,372,815**	**1,470,198,420**

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली-110025

तालिका 15 ग : सेवा निवृत्ति लाभ (पेंशन एवं ग्रेच्युटी)

विवरण	जेएमआई गैर योजना	जेएमआई योजना	जेएमआई योग	एमसीआरसी गैर योजना	एमसीआरसी योजना	एमसीआरसी योग	महा योग
(क) 2005-06 वर्ष के दौरान किया गया भुगतान							
(i) पेंशन	34,726,984	--	34,726,984	916,588	--	916,588	35,643,572
(ii) ग्रेच्युटी	5,108,322	--	5,108,322	--	--	--	5,108,322
योग	**39,836,306**	--	**39,835,306**	**916,588**	--	**916,588**	**40,751,894**
(ख) सेवा निवृत्ति लाभ के प्रावधान							
बीमांकिक मूल्यांकन (पूर्व कालिक मद) अनुसार ३१.०३.०५ प्रावधान अपेक्षित							
(i) पेंशन	1,045,418,000	--	1,045,418,000	39,574,000	--	39,574,000	1,084,992,000
(ii) ग्रेच्युटी	111,315,000	--	111,315,000	4,714,000	--	4,714,000	116,029,000
योग	**1,156,733,000**	--	**1,156,733,000**	**44,288,000**	--	**44,288,000**	**1,201,021,000**
घटाएँ: 2005-06 के दौरान भुगतान							
(i) पेंशन	34,726,984	--	34,726,984	916,588	--	916,588	35,643,572
(ii) ग्रेच्युटी	5,108,322	--	5,108,322	--	--	--	5,108,322
योग	**39,835,306**	--	**39,836,306**	**916,588**	--	**916,588**	**40,751,894**
शेष प्रावधान (बी) प्रावधान मे से ३१.३.०५ को							
(i) पेंशन	1,010,691,016	--	1,010,691,016	38,657,412	--	38,657,412	1,049,348,428
(ii) ग्रेच्युटी	106,206,678	--	106,206,678	4,714,000	--	4,714,000	110,920,678
योग	**1,116,897,694**	--	**1,116,897,694**	**43,371,412**	--	**43,371,412**	**1,160,269,106**
बीमांकिक मूल्यांकन (क) के अनुसार ३१.०३.०६ का प्रावधान अपेक्षित							
(i) पेंशन	1,202,955,000	--	1,202,955,000	42,380,000	--	42,380,000	1,245,335,000
(ii) ग्रेच्युटी	129,649,000	--	129,649,000	5,871,000	--	5,871,000	135,520,000
योग	**1,332,604,000**	--	**1,332,604,000**	**48,251,000**	--	**48,251,000**	**1,380,855,000**
2005-06 (क-ख) में तय किए गए भुगतान							
(i) पेंशन	192,263,984	--	192,263,984	3,722,588	--	3,722,588	195,986,572
(ii) ग्रेच्युटी	23,442,322	--	23,442,322	1,157,000	--	1,157,000	24,599,322
योग	**215,706,306**	--	**215,706,306**	**4,879,588**	--	**4,879,588**	**220,585,894**
(ग) पूर्व कालिक सेवा निवृत्ति लाभ							
(i) पेंशन	1,045,418,000	--	1,045,418,000	39,574,000	--	39,574,000	1,084,992,000
(ii) ग्रेच्युटी	111,315,000	--	111,315,000	4,714,000	--	4,714,000	116,029,000
योग	**1,156,733,000**	--	**1,156,733,000**	**44,288,000**	--	**44,288,000**	**1,201,021,000**

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली-110025

तालिका 16 : शैक्षिक खर्चे

विवरण	जेएसआई			एमसीआरसी			महा योग
	गैर योजना	योजना योग		गैर योजना	योजना योग		
1. प्रयोगशाला खर्च	3,933,861	--	3,933,861	--	--	--	3,933,861
2. फ़ील्ड वर्क/भागीदारी	493,316	--	493,316	--	--	--	493,316
3. शैक्षिक सहायताएँ	--	--	--	--	--	--	-
4. संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ	744,259	--	744,259	--	--	--	744,259
5 विजिटिंग संकाय को भुगतान	1,954,849	--	1,954,849	--	--	--	1,954,849
6. शोध गतिविधियाँ	--	--	--	--	--	--	-
7. परीक्षा	8,302,269	--	8,302,269	--	--	--	8,302,269
8. प्रवेश परीक्षा	8,274,210	--	8,274,210	403,240	--	403,240	8,677,450
9 छात्र कल्याण खर्चे	588,807	--	588,807	--	--	--	588,807
10. प्रवेश संबंधी खर्चे	2,238,017	--	2,238,017	--	--	--	2,238,017
11. दीक्षांत समारोह खर्चे	384,516	--	384,516	--	--	--	384,516
12. प्रकाशन	46,693	--	46,693	--	--	--	46,693
13. फिल्म का कच्चा माल छपाई एवं प्रोसेसिंग	--	--	--	589,689	--	589,689	589,689
14. अतिथि वक्ताओं को मानदेय	--	--	--	59,800	--	59,800	59,800
15. वजीफा/मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्तियाँ	--	--	--	13,000	--	13,000	13,000
16 विविध	2,954,855	--	2,954,855	--	--	--	2,954,855
योग	**29,915,652**	--	**29,915,652**	1,065,729	--	**1,065,729**	**30,981,381**
जोड़ें : बकाया शैक्षिक खर्चे	123,520	--	123,520	--	--	--	123,520
योग	**30,039,172**	--	**30,039,172**	1,065,729	--	**1,065,729**	**31,104,901**
घटाएँ : पूर्व कालिक शैक्षिक खर्चे	222,753	--	222,753	--	--	--	222,753
योग	**29,816,419**	--	**29,816,419**	**1,065,729**	--	**1,065,729**	**30,882,148**

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली-110025

तालिका 17 : प्रशासनिक खर्च

विवरण	जेएमआई			एमसीआरसी			महा योग
	गैर योजना	योजना/अन्य	योग	गैर योजना	योजना/अन्य	योग	
1. किराया, दर एवं कर (संपत्ति कर सहित)	20,169,914	--	20,169,914	--	--	--	20,169,914
2. विद्युत प्रभार	28,601,414	--	28,601,414	4,369,006	--	4,369,006	32,970,420
3. जल प्रभार	467,073	--	467,073	--	--	-	467,073
4. वाहन प्रचालन खर्च	1,999,864	--	1,999,864	195,812	--	195,812	2,195,676
5. डाक टिकट एवं तार	238,654	--	238,654	23,740	--	23,740	262,394
6. टेलीफ़ोन एवं इंटरनेट प्रभार	2,327,244	--	2,327,244	285,275	--	285,275	2,612,519
7. विज्ञापन एवं प्रचार	2,027,430	--	2,027,430	268,408	--	268,408	2,295,838
8. विधायी खर्चे	1,013,332	--	1,013,332	--	--	--	1,013,332
9. दिहाड़ी मज़दूरी भुगतान	1,364,170	--	1,364,170	--	--	--	1,364,170
10. छपाई सामग्री खर्च	2,486,631	--	2,486,631	353,548	--	353,548	2,840,179
11. यात्रा वाहन खर्च	1,244,415	--	1,244,415	324,247	--	324,247	1,568,662
12. मेहमान नवाज़ी	289,134	--	289,134	30,841	--	30,841	319,975
13. विविध खर्चे	4,150,048	7,152,503	11,302,551	--	15,173	15,173	11,317,724
योग	**66,379,323**	**7,152,503**	**73,531,826**	**5,850,877**	**15,173**	**5,866,050**	**79,397,876**
जोड़ें : बकाया प्रशासनिक खर्च	28,708	--	28,708	--	--	--	28,708
योग	**66,408,031**	**--**	**66,408,031**	**5,850,877**	**--**	**5,850,877**	**79,426,584**
घटाएँ : पूर्व कालिक प्रशासनिक खर्च	640,961	--	640,961	--	--	--	640,961
योग	**65,767,070**	**--**	**65,767,070**	**5,850,877**	**--**	**5,850,877**	**78,785,623**

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली-110025

तालिका 18 : मरम्मत एवं रखरखाव

विवरण	जेएमआई गैर योजना	जेएमआई योजना	जेएमआई योग	एमसीआरसी गैर योजना	एमसीआरसी योजना	एमसीआरसी योग	महा योग
1. सफाई सामग्री एवं सेवाएँ	436,552	--	436,552	--	--	--	436,552
2. भवन रखरखाव (विद्युत एवं जल आपूर्ति सहित)	24,959,405	--	24,959,405	1,236,336	--	1,236,336	26,195,741
3. बागवानी	306,671	--	306,671	42,102	--	42,102	348,773
4. कंप्यूटरों का रखरखाव	3,019,446	--	3,019,446	--	--	--	3,019,446
5. फर्नीचर एवं सामान	4,013,607	--	4,013,607	1,749,473	--	1,749,473	5,763,080
योग	**32,735,681**	--	**32,735,681**	**3,027,911**	--	**3,027,911**	**35,763,592**
जोड़ें : बकाया सुधार एवं रखरखाव खर्चे	218,446	--	218,446	42,443	--	42,443	260,889
योग	**32,954,127**	--	**32,954,127**	**3,070,354**	--	**3,070,354**	**36,024,481**
घटाएँ पूर्व कालिक मरम्मत एवं रखरखाव खर्चे	203,352	--	203,352	--	--	--	203,352
महा योग	**32,750,775**	--	**32,750,775**	**3,070,354**	--	**3,070,354**	**35,821,129**

तालिका 19 : विविध खर्चे

विवरण	जेएमआई गैर योजना	जेएमआई योजना	जेएमआई योग	एमसीआरसी गैर योजना	एमसीआरसी योजना	एमसीआरसी योग	महा योग
1. विविध खर्चे	--	2,101,010	2,101,010	132,020	--	132,020	2,233,030
2. पत्रिकाएँ एवं जर्नल्स	--	--	--	25,339	--	25,339	25,339
3. बैंक प्रभार	--	--	--	9,348	--	9,348	9,348
4. आकस्मिक खर्चे	8,142,483	--	8,142,483	--	--	--	8,142,483
योग	**8,142,483**	**2,101,010**	**10,243,493**	**166,707**	--	**166,707**	**10,410,200**
जोड़ें : बकाया विविध खर्चे	127,220	--	127,220	5,313	--	5,313	132,533
योग	**8,269,703**	**2,101,010**	**10,370,713**	**172,020**	--	**172,020**	**10,542,733**
घटाएँ : पूर्व कालिक विविध खर्चे	63,684	--	63,684	--	--	--	63,684
महा योग	**8,206,019**	**2,101,010**	**10,307,029**	**172,020**	--	**172,020**	**10,479,049**

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली-110025

तालिका 20 : अवधि पूर्व खर्च

विवरण	जेएमआई			एमसीआरसी			
	गैर योजना	योजना योग		गैर योजना	योजना योग		महा योग
1. स्थापना खर्च							
A. वेतन एवं भत्ते	26,034,570	203,484	26,238,054	1,608,650	53,380	1,662,030	27,900,084
B. सेवा निवृत्ति लाभ							
(i) पैंशन	1,045,418,000	--	1,045,418,000	39,574,000	--	39,574,000	1,084,992,000
(ii) ग्रेच्युटी	111,315,000	--	111,315,000	4,714,000	--	4,714,000	116,029,000
अन्य स्थापना खर्च	1,344,528	72,979	1,417,507	--	--	--	1,417,507
योग	**1,184,112,098**	**276,463**	**1,184,388,561**	**45,896,650**	**53,380**	**45,950,030**	**1,230,338,591**
2. शैक्षिक खर्च	222,753	--	222,753	--	--	--	222,753
3. प्रशासनिक खर्च	640,961	--	640,961	--	--	--	640,961
4. मरम्मत एवं रखरखाव	203,352	--	203,352	--	--	--	203,352
5. विविध खर्च	17,880	45,804	63,684	--	--	--	63,684
योग	**1,084,946**	**45,804**	**1,130,750**	**--**	**--**	**--**	**1,130,750**
महा योग	**1,185,197,044**	**322,267**	**1,185,519,311**	**45,896,650**	**53,380**	**45,950,030**	**1,231,469,341**

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली -25
31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखे की तालिकाएँ

तालिका 21: <u>महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ</u>

1. लेखा तैयार करने का आधार

यह लेखा ऐतिहासिक लेखा पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है और अन्यथा न कहा जाए तो यह सामान्यत संभूति पद्धति के तहत तैयार किया जाता है।

2. राजस्व की पहचान

2.1 ऑर्डों से ली जाने वाली शुल्क, प्रवेश के आवेदनों की बिक्री, बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज को नकदी के आधार पर देखा जाता है।

2.2 भूमि, इमारतों और अन्य संपत्तियों से होने वाली आय तथा निवेशों से प्राप्त ब्याज को संभूति पद्धति के आधार पर किया गया है।

2.3 कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए दी गई अग्रिम राशि से प्राप्त ब्याज को हर वर्ष संभूति के आधार पर दर्ज किया जाता है हालांकि ब्याज की वसूली मूलधन के पूरे भुगतान के बाद ही हो पाती है।

3. स्थाई संपत्तियाँ और मूल्य स्फीती

3.1 स्थाई संपत्तियाँ आने के किराए, राजस्व और करों सहित खरीद के मूल्य तथा खरीदने, लगाने और चालू करने में लगे आकस्मिक एवं सीधे खर्चों से जोड़ कर देखा गया है।

3.2 स्थाई संपत्तियों अवलूल्यन घटा कर लागत मूल्य पर रखी गई है। स्थाई संपत्तियों के अवमूल्यन को सीधे रेखा पद्धति से निम्नलिखित दरों पर निर्धारित किया गया है

1	भूमि	0%
2	भवन	2%
3	ट्यूब वेल एवं जल आपूर्ति	2%

4.	बिजली का सामान एवं लगाई	5%
5	संयत्र एवं मशीनें	5%
6.	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला यंत्र	8%
7.	कार्यालयी सामान	7.5%
8.	दृश्य-श्रव्य यंत्र	7.5%
9.	कंप्यूटर एवं पेरिफ़ेरल्स	20%
10	फ़र्नीचर, फ़िक्सचर्स एवं फिटिंग्स	7.5%
11.	वाहन	10%
12.	पुस्तकें एवं वैज्ञानिक पत्रिकाएँ	10%
13.	अन्य	10%

3.3 पूर्ण अवमूल्यन वर्ष के दौरान जोड़े गई संपत्तियों पर उपलब्ध कराया गया है।

3.4 जब कोई संपत्ति पूरी तरह अवमूल्यित हुई है तो उसे बेलेंस शीट पर 1 रुपए के बचे हुए मूल्य की तरह दर्ज किया गया है और उसका भविष्य में अवमूल्यन नहीं होगा।

3.5 निर्धारित निधियों और प्रायोजित परियोजनाओं से सृजित संपत्तियों जिनका स्वामित्व विश्वविद्यालय के पास है उन्हें पूँजी कोष में दर्शाया गया है और विश्वविद्यालय की स्थाई संपत्तियों में शामिल कर लिया गया है। इनका अवमूल्यन अन्य संपत्तियों के ह्रास की दर पर आंका गया है।

3.6 विश्वविद्यालय को भेंट की गई संपत्तियाँ पूँजी निधि में निहित कर दी जाती हैं और उन्हें विश्वविद्यालय की स्थाई संपत्तियों में मिला दी जाती हैं। इसका अवमूल्यन भी अन्य संपत्तियों पर निर्धारित दरों पर ही होगा।

3.7 भेंट स्वरूप प्राप्त पुस्तकों का मूल्य वही रखा जाता है जो उन पर छपा होता होता है। जहाँ कोई मूल्य नहीं छपा होता है वहाँ मूल्यांकन के आधार पर मूल्य तय किया जाता है।

4. सेवा निवृत्ति के लाभ

सेवा निवृत्ति लाभ अर्थात् पैंशन और ग्रेच्युटी हर वर्ष के अंत में किए गए मूल्यांकन के आधार पर मुहैया करवाए जाते हैं। विश्वविद्यालय के उन कर्मचारियों के जिन्हें विश्वविद्यालय में समाहित कर लिया गया है उनके पूर्व नियोक्ताओं से प्राप्त पैंशन और ग्रेच्युटी की पूंजीगत मूल्य को उनके प्रोविज़नल खाते में जमा किया गया है। प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर गए विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त पैंशन अंशदान को भी पैंशन के प्रावधानों में जमा किया गया है।

5. **निवेश**

सभी निवेश लागत के अनुसार मूल्यांकित हैं।

6. निम्नलिखित दीर्घ-अवधि निधियाँ विशेष उद्देश्यों के लिए निर्धारित की गई हैं। इनमें से अधिक जमा राशि वाली निधियाँ डिबेंचर्स, बांड और बैंकों में मीयादी खातों में निवेशित की गई हैं। निवेश और (भवन निर्माण) अग्रिम की वसूली से प्राप्त आय को संबंधित खातों में जमा किया गया है। खर्च और (मकान बनाने के लिए परिक्रमण कोष के मामले में) अग्रिम को कोष में जमा किया गया। बकाया आगे ले जाया गया और उसे (वर्तमान परिसंपत्तियों में) निवेश और प्राप्त ब्याज तथा (निर्धारित/मियादी बचत खाता में मिला कर) बैंक मे शेष के साथ परिसंपत्तियों में दर्शाया गया है।

6.1 **विश्वविद्यालय विकास निधि:**

यह कोष विश्वविद्यालय के छात्रों से प्राप्त वार्षिक आय एवं अन्य पर्याप्त पूँजी प्राप्तियों से बनाया गया है। इसका उपयोग सुविधाओं को सुधारने, परिसंपत्तियों के अर्जन, आदि के लिए किया जाता है।

6.2 **मकान बनाने के लिए अग्रिम भुगतान कोष**

अधिकारियों और कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए दिए गए ब्याज वाले अग्रिमों का भुगतान करने के बनाया गया परिक्रामी निधि।

6.3 **वाहन कोष**

अधिकारियो और कर्मचारियों को मोटर कार, मोटरसिया और कंप्यूटर खरीदने के लिए दिए गए ब्याज वाले अग्रिमों का भुगतान करने के बनाया गया परिक्रामी कोष।

6.4 **यू.जी.सी.-जे.आर.एफ़ कोष**

फैलोशिप और कनिष्ठ शोधछात्रवृत्तियाँ देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई निधि।

6.5 **एस.आर.सी प्रकाशन निधि**

राज्य संसाधन केंद्र के प्रकाशनों की बिक्री से बनाया गया परिक्रामी कोष जिससे प्रकाशनों का छपाई आदि का खर्चा निकलता है। एस. आर. सी भवन के निर्माण का खर्च भी इसी कोष से निकला गया है।

6.6 एंडोवमेंट निधि

एंडोवमेंट वह निधियाँ हैं जो विभिन्न व्यक्तिगत दानकर्ताओं, ट्रस्टों और अन्य संगठनों से प्राप्त होती हैं। यह निधियाँ पीठ स्थापित करने के लिए और दानकर्ताओं द्वारा तय की गई छात्रवृत्तियों, पुरस्कारों, मेडलों के लिए होती हैं। जहाँ हर एंडोवमेंट निधि का अपना निवेश होता है वहीं अनिवेशित राशि को एक ही बैंक खाते में रखा जाता है क्योंकि यह राशियाँ बहुत अधिक नहीं होतीं।

प्रत्येक एंडोवमेंट निधि के निवेश से प्राप्त आय को सतत् आधार पर एक कोष में एकत्रित किया जाता है। पीठ, मेडल, पुरस्कार एवं छात्रवृत्तियों पर होने वाला खर्च इस विशेष एंडोवमेंट निधि से निकाला जाता है और बकाया आगे बढ़ा दिया जाता है। बकाया को स्थाई परिसंपत्तियों, प्राप्त ब्याज़ (वर्तमान परिसंपत्तियों) में निवेश के रूप में परिलक्षित किया जाता है और कुल बकाया सभी जमा राशियों को एक ही बचत खाते में रखा जाता है।

7. सरकारी एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान

7.1 सरकारी अनुदान एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदानों को प्राप्ति के आधार पर दर्शाया जाता है।

7.2 सरकारी अनुदान एवं यूजीसी के अनुदानों को उनका जितना उपयोग प्रमुख खर्च के लिए होता है उतना प्रमुख निधि में डाल दिया जाता है।

7.3 सरकारी और यूजीसी के अनुदानों को जिस हद तक राजस्व खर्च का भार उठाने के लिए उपयोग में लाया जाता है उस हद तक उन्हें उस वर्ष की आय माना जाता है जिस वर्ष वह प्राप्त हुए।

7.4 अप्रयुक्त अनुदान (ऐसे अनुदानों से दिए गए अग्रिमों सहित) आगे ले जाया गया और उसे बैलेंस शीट में देयता की तरह दर्शाया गया है।

8. निर्धारित/एंडोवमेंट निधियों का निवेश और ऐसे निवेशों से प्राप्त ब्याज़ की आय

जिस हद तक खर्च के लिए तुरंत आवश्यकता न हो, ऐसी निधियों से प्राप्त पैसे को स्वीकृत प्रतिभूतियों और बांड्स या बैंकों में मियादी जमा खातों में निवेशित किया गया और शेष राशि बचत खातों में रख छोड़ी गई।

ऐसे निवेशों में प्राप्त ब्याज, प्राप्य ब्याज और प्राप्य ब्याज लेकिन देय नहीं एवं देय को संबंधित कोषों में जोड़ दिया गया और उन्हें विश्वविद्यालय की आय नहीं माना गया है।

9. प्रायोजित परियोजनाएँ

9.1 चालू प्रायोजित परियोजनाओं के संदर्भ में प्रायोजकों से प्राप्त राशियों को "वर्तमान देयताओं और प्रावधानों – वर्तमान देयताओं – अन्य देयताओं – चालू प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्तियाँ" के शीर्ष में रखा गया है। जब भी ऐसी परियोजनाओं के लिए खर्च हुआ है/अग्रिम का भुगतान किया गया है या संबंधित परियोजना खाते में ओवरहेड प्रभार जमा किया गया है तब उसे देयता लेखे में दर्ज किया गया है। परियोजनाओं से वसूले गए ओवरहेड प्रभार को विश्वविद्यालय की आय में शामिल किया गया है।

9.2 व्यक्तिगत प्रायोजित परियोजनाओं में जमा शेष को प्रायोजकों से प्राप्त की जाने वाली वर्तमान परिसंपत्तियों अर्थात उधार एवं अग्रिम में दर्शाया गया है।

10. फ़ैलोशिप एवं छात्रवृत्तियाँ

10.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पोषित कनिष्ठ शोध फैलोशिप के लिए निर्धारित कोष के अतिरिक्त विभिन्न संगठनों की ओर से भी फैलोशिप एवं छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इनका उल्लेख भी इसी तरह किया जाता है जैसे प्रायोजित परियोजनाओं के संदर्भ में किया जाता है सिवाय इसके कि इसमें व्यय केवल इन छात्रवृत्तियों और फैलोशिप के वितरण का होता है जिसमें फैलो और शोधकर्ताओं के भत्ते एवं आकस्मिक व्यय भी शामिल किए गए हैं।

10.2 विश्वविद्यालय स्वयं भी फैलोशिप एवं छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है जिनका उल्लेख विश्वविद्यालय के शैक्षिक व्यय में किया गया है।

11. आय कर

विश्वविद्यालय की आय आयकर अधिनियम की धारा 10(23ग) के तहत आयकर से मुक्त है। इसलिए खाते में आयकर संबंधी कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

12. जनसंचार शोध केंद्र

जनसंचार शोध केंद्र विश्वविद्यालय का अभिन्न अंग है, उसका लेखा भी बैलेंस शीट, आय एवं व्यय लेखों, प्राप्ति एवं भुगतान लेखों में शामिल किया गया है। फिर भी बैलेंस शीट और आय एवं व्यय लेखे की तालिकाओं में केंद्र की गतिविधियों को अलग से भी दर्शाया गया है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(आयातुल्लाह)	(ज़फ़रुल्लाह खान)	(एन. यू. सिद्दकी)	(एस. एम. आफ़ज़ल)
लेखाकार	लेखाधिकारी	वित्त अधिकारी	कुलसचिव

तालिका: 22: <u>आकस्मिक देयताएँ एवं लेखा पर टिप्पणियाँ</u>

1. **आकस्मिक दायित्व**

1.1 31.03.2006 तक जामिया के पूर्व वर्तमान कर्मचारियों ने विभिन्न न्यायालयों में जामिया के खिलाफ़ मुकदमें दायर किए हुए हैं। यह मामले पदोन्नति, वेतनवृद्धि, वेतनमान और निष्कासन आदि से संबद्ध हैं। दावों के मूल्यों का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

1.2 बैंक ने विश्वविद्यालय के नाम पर लेटर ऑफ़ क्रेडिट खोला और 31.03.06 तक इसमें 49,01,255 रुपए का बकाया है।

2. **प्रमुख प्रतिबद्धताएँ**

पूंजीगत लेखा में निष्पादित की जाने वाली बकाया संविदाओं का मूल्य और गैर प्रावधान वाली अग्रिम की कुल राशि 31.03.2006 को 10,09,64,225 रुपए थी।

3. **अवमूल्यन**

पिछले वर्षों तक स्थाई परिसंपत्तियों का अवमूल्यन नहीं दिखाया जाता था। नकद लेखा से प्रोद्भूत लेखा पद्धति में परिवर्तन होने से पहली बार वर्ष 2005-06 के लिए जमा करने से लेकर पूंजीगत निधि तक 31 मार्च 2005 तक पिछले सभी वर्षों के लिए लेखों में पहली बार अवमूल्यन दर्ज किया गया है। पिछले सभी वर्षों के लिए अवमूल्यन की मात्रा निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालय के मुख्य लेखे में परिसंपत्तियों के संदर्भ में 26.12.1988 से प्रत्येक वर्ष के लिए और जन संचार शोध केंद्र की परिसंपत्तियों के लिए 01.04.1991 से लेखा नीति में अनुबंधित तथा तदर्थ दरों पर अवमूल्यन का परिकलन क्रमबद्ध तरीके से 26.12.1988 और 31.03.1991 से पहले के सभी वर्षों को क्रमशः सम्मिलित करते हुए किया गया है। तदर्थ दरें इस प्रकार हैं

1.	भूमि	0%
2.	स्थान विकास	0%
3.	भवन	10%
4.	ट्यूब वेल एवं जल आपूर्ति	10%
5.	बिजली का सामान एवं लगाई	25%
6.	संयत्र एवं मशीनें	25%
7.	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला यंत्र	40%

8.	कार्यालयी सामान	37.5%
9.	दृश्य-श्रव्य यंत्र	37.5%
10.	कंप्यूटर एवं पेरिफ़ेरल्स	50%
11.	फ़र्नीचर, फ़िक्सचर्स एवं फ़िटिंग्स	37.5%
12.	वाहन	50%
13.	पुस्तकें एवं वैज्ञानिक पत्रिकाएँ	50%
14.	अन्य	50%

वर्ष 2005-06 के लिए अवमूल्यन दर्शाया गया है और उसे आय और व्यय खाते में जमा कर दिया गया है।

5. <u>भूमि का विक्रय</u>: 2004-05 में भूमि के एक खंड की बिक्री से हुए लाभ को, जो 2,05,75,704 रुपए था और जिसे जमा खाते में रखा गया था, वर्ष 2005-06 में विश्वविद्यालय विकास निधि में जमा करा दिया गया।

6. वेतन:

जैसा कि लेखा की प्रद्धत पद्धति में परिवर्तित होने का यह पहला वर्ष है, तेरह महीने के वेतन पर व्यय का परिकलन 2005-06 में कर लिया गया है। मार्च 2005 के वेतन का जो भुगतान अप्रैल 2005 में किया गया उसे पूर्व कालिक ख़र्च के तौर पर दर्शाया गया है और मार्च 2006 के वेतन की व्यवस्था वर्ष 2005-06 के खातों में बकाया देयता के तौर पर की गई है।

7. **सेवा निवृत्ति लाभ – अवकाश भुनाना:** वास्तविक मूल्यांकन की अनुपस्थिति में अवकाश भुनाने के वर्ष के दौरान व्यय को नकद के आधार पर दर्ज किया गया है।

8. वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम

प्रबंधन की राय में, सामान्य तरीक़े से वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण तथा अग्रिम राशियों का वसूली के समय एक मूल्य होता है जो कम से कम बैलेंस शीट में दर्शाए गई कुल राशि के बराबर होता है।

9. बचत खाते में बकाया रिशि के विवरण संलग्नक 'क' में दिए गए हैं।
10. पिछले वर्ष के आँकड़े जहाँ भी आवश्यक था वहाँ पुनः समूहित किए गए हैं।
11. अंतिम लेखे में आँकड़ों को निकटतम रुपए तक राउंड ऑफ़ कर दिया गया है।

12. तालिका 1 से तक 31 मार्च 2006 तक की बैलेंस शीट के अभिन्न अंग की तरह और उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा में संलग्न किए गए हैं ।

13. क्योंकि भविष्य निधि लेखे उनके खातेदारों के होते हैं विश्वविद्यालय के नहीं, इसलिए 2005-06 में इन खातों को विश्वविद्यालय के लेखे से अलग रखा गया है। फिर भी प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा (प्रद्भूत के आधार पर) और भविष्य निधि खातों के तुलन-पत्र विश्वविद्यालय के लेखे के साथ संलग्न किए गए हैं।

14. क्योंकि स्व-पोषित पाठ्यक्रम भविष्य निधि एवं नई पेंशन योजना को अंशतः जमा लेखे और जमा बैंक खातों में मिला दिया गया इसलिए उन्हें वर्तमान वर्ष के लिए वर्तमान देयताओं- अन्य निधियों के तहत शामिल किया गया है। स्व-पोषित पाठ्यक्रम भविष्य निधि को 2006-07 से भविष्य निधि कोष में शामिल किया जाएगा। 2006-07 से नई पेंशन योजना को 2006-07 के एक अलग बैंक खाते के साथ अलग से दर्शाया जाएगा।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(आसारुल्लाह)	(ज़फ़रुल्लाह खान)	(एन.यू. सिद्दकी)	(एस.एम. आफ़ज़ल)
लेखाकार	लेखाधिकारी	वित्त अधिकारी	कुलसचिव

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

भविष्य निधि लेखा

31.03.2006 को बैलेंस शीट

देयता			परिसंपत्तियाँ		
विवरण		राशि	विवरण		राशि
जीपीएफ़ अंशदान					
कड़ जमा	283,103,625		निवेश		**374,635,000**
ड (2005-06 के दौरान)	79,204,444				
ड़े-ब्याज़	22,617,455		बढ़ा हुआ ब्याज(लेकिन देय नहीं)		**11,725,220**
टाएँ निकासी,					
यिम एवं अंतिम भुगतान	79,485,354	**305,440,170**			
सीपीएफ अंशदान					
कड़ जमा	23,002,700		**(मार्च 06 के वेतन से वसूली योग्य)**		
ड (2005-06 के दौरान)	7,479,510		1)जीपीएफ़ अंशदान	6,742,211	
ड़े-ब्याज़	1,864,933		2)सीपीएफ अंशदान	611,998	
टाएँ निकासी,			3)सीपीएफ योगदान	157,699	**7,511,908**
यिम एवं अंतिम भुगतान	4,655,196	**27,691,947**			
सीपीएफ़ योगदान					
कड़ जमा	13,136,540		इंडियन बैंक में बकाया		**595,307**
ड (2005-06 के दौरान)	2,084,958				
ड़े-ब्याज़	947,102				
टाएँ निकासी,					
यिम एवं अंतिम भुगतान	865,912	**15,302,688**			
मार्च 06 के वेतन से वसूली)					
जीपीएफ़ अंशदान	6,742,211				
सीपीएफ़ अंशदान	611,998				
सीपीएफ़ योगदान	157,699	**7,511,908**			
जना खाते से निकासी		**500,000**			
र्जित ब्याज-- रोकड़ जमा	21,367,341				
ड़े खर्चों के ऊपर अतिरिक्त आय	16,653,381	**38,020,722**			
कुल योग (रुपये में)		**394,467,435**	**कुल योग (रुपये में)**		**394,467,435**

क्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
यातुल्लाह)	(ज़फ़रुल्लाह खान)	(एन.यू. सिद्दकी)	(एस.एम. आफ़ज़ल)
ाकार	लेखाधिकारी	वित्त अधिकारी	कुलसचिव

जामिया मिल्लिया इस्लामिया
भविष्य निधि लेखा
आय एवं खर्च लेखा
(31 मार्च,2006 में समाप्त हो रहे वर्ष के लिए)

खर्च		आय	
विवरण	राशि	विवरण	राशि
पी एफ खातेदारों को स्वीकृत ब्याज		निवेशों के ब्याज से (प्राप्त)	30,357,651
1)जीपीएफ खातेदार	22,617,455		
2)सीपीएफ खातेदार	1,864,933	बढ़ा हुआ ब्याज(लेकिन देय नहीं)	
3)सीपीएफ योगदान	947,102	1) पूर्वकालिक आय --- आर बी आई और यूपी बांड्स से ब्याज	6,375,202
खर्च के ऊपर आय की आधिक्य	16,653,381	2) ब्याज से आय --- 2005-2006 के लिए आर बी आई और बांड्स पर ब्याज	5,350,018
कुल योग (रुपये में)	42,082,871	कुल योग (रुपये में)	42,082,871

प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा
(31 मार्च,2006 में समाप्त हो रहे वर्ष के लिए)

प्राप्तियाँ			भुगतान		
विवरण		राशि	विवरण		राशि
रोकड़ शेष			कर्ज़/निकासी/अंतिम		
इंडियन बैंक में		810,206	जीपीएफ अंशदान		79,485,354
			सीपीएफ अंशदान		4,655,196
निवेश नकद प्राप्ति		78,000,000	सीपीएफ योगदान	874,276	
			घटाएँ: नियोजन	8,364	865,912
प्राप्त ब्याज		30,357,651			
			किया गया निवेश		112,835,000
विश्वविद्यालय से कर्ज़ योजना खाते से		500,000			
			अंत शेष से		
वर्ष के दौरान जोड़			इंडियन बैंक में		595,307
जीपीएफ अंशदान		79,204,444			
सीपीएफ अंशदान		7,479,510			
सीपीएफ योगदान	2,093,322				
घटाएँ: नियोजन	8,364	2,084,958			
कुल योग (रुपये में)		198,436,769	कुल योग (रुपये में)		198,436,769

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली-110025
31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

प्राप्ति		राशि	भुगतान		राशि
रोकड़ शेष					
नकद	179075		खर्च/भुगतान (रिफंड सहित)		1,022,949,040
बैंक में शेष	53,389,490	53,568,565	प्रतिभूतियाँ और जमा खातों (की रीलीज़)		10,281,054
			प्रेषित रकम एवं अग्रिम राशियाँ		297,343,741
सहायता अनुदान		949,363,250	निवेश		705,512,197
अनुदान के अतिरिक्त प्राप्तियाँ		321,915,648			
प्रतिभूति एवं जमा खाते		19,054,951	अंत शेष		
प्रेषित रकम एवं अग्रिम राशियाँ		295,582,332	नकद	360,230	
निवेश (की प्राप्ति)		547,213,082	बैंक में शेष	150,251,566	150,611,796
कुल योग		**2,186,697,828**	**कुल योग**		**2,186,697,828**

38—69 GI/2007

लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 31 मार्च 2006 के संलग्न तुलन-पत्र तथा 31 मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे, प्राप्ति एवं भुगतान लेखाओं की लेखापरीक्षा कर ली है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रबंधन की है। मेरी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर विचार व्यक्त करने की है।

मैंने अपनी लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों और लागू नियमों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि वित्तीय विवरणों के आर्थिक अयथार्थ विवरणों से मुक्त होने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए मैं योजना तथा लेखापरीक्षा निष्पादित करूं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटन समर्पित साक्ष्य की नमूना आधार पर जांच शामिल है। मुझे विश्वास है कि मेरी लेखापरीक्षा मेरे विचारों के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर मैं सूचित करता हूँ कि:-

1. हमारी लेखापरीक्षा उद्देश्य के लिए हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार मैंने आवश्यक सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए है।

2. इसके साथ संलग्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विस्तृत अभ्युक्तियों के अधीन मैं सूचित करता हूँ कि इस प्रतिवेदन से सम्बन्धित तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखे तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखाओं को सही प्रकार से तैयार किया गया है और लेखे बहियों के अनुसार हैं।

3. मेरे विचार और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार :

लेखाकंन नीतियों तथा उन पर टिप्पणियों के साथ पठित तथा इसके साथ संलग्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित विषयों के अधीन कथित तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखे तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखे सही एवं उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

(क) जहाँ तक यह 31 मार्च 2006 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कार्यकलापों के तुलन-पत्र से सम्बन्धित है ; तथा

(ख) जहाँ तक यह 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा की कमी से सम्बन्धित है।

(जा.अं.कु.बनर्जी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 26-2-2007

वर्ष 2005-06 के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

प्रस्तावना

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जा.मि.इ.) की स्थापना 1920 में हुई थी और समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत इसका पंजीकरण 1939 में हुआ था और जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 के अंतर्गत 26 दिसम्बर 1988 से इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया ।

जा.मि.इ. के उद्देश्य अधिगम की विभिन्न शाखाओं में निर्देशात्मक अनुसंधान और विस्तार सुविधाएं उपलब्ध कराना और आधुनिक ज्ञान का प्रसार करना है । जा.मि.इ. मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) और संघ सरकार से प्राप्त अनुदानों से वित्तपोषित है । वर्ष 2005-06 के दौरान जा.मि.इ. ने 94.93 करोड़ रू.(योजनेत्तर 54.78 करोड़ रू., योजनागत 9.34 करोड़ रू, चिन्हित लेखे 22.51 करोड़ रू. तथा जनसंचार अनुसंधान केन्द्र (ज.स.अ.के) 8.30 करोड़ रू) के अनुदान प्राप्त किए । वर्ष के दौरान जा.मि.इ. ने 8.03 करोड़ रू. की प्राप्तिगों भी उपार्जित की थी ।

जा.मि.इ. के लेखाओं की लेखापरीक्षा जा.मि.इ. अधिनियम, 1988 की धारा 26(1) के साथ पठित नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत की जाती है ।

लेखाओं पर टिप्पणियाँ

2 तुलनपत्र

2.1 परिसम्पत्तियाँ

2.1.1 स्थायी परिसम्पत्तियों (अनुसूची - 4)- 82.29 करोड़ रू.

(i) जनसंचार अनुसंधान केन्द्र (ज.सं.अ.के.) के परिसम्पत्ति लेखों 31.3.2006 को 8.94 करोड़ रू. को परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के अंकित मूल्य को दर्शाते है तथा 1.36 करोड़ रू. मूल्य की अप्रचलित, अप्रोज्य, अंसशोधनीय और असाध्य परिसम्पत्तियों को अलग नहीं करते है जिसका परिणाम 1.36 करोड़ रू. की परिसम्पत्तियों के अधिकथन में हुआ जिसके कारण सही स्थिति प्रकट नहीं करते । इसे पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी इंगित किया गया था परन्तु जा.मि.इ. द्वारा कोई कार्रवाही नहीं की गई है ।

(ii) वर्ष 2005-06 के दौरान निपटाई गई परिसम्पत्तियों (वाहन) के कटौती न करने के कारण ज.स.अ.के. की परिसम्पत्तियों का 3.93 लाख रू. तक अधिकथन हुआ ।

2.1.2 चालू परिसम्पत्तियों की न्यूनोक्ति 1.72 लाख रु.

ज.सं.अ.के. के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि उप-शीर्ष "प्राप्य खाता" के अंतर्गत तुलन-पत्र के परिसम्पत्ति पक्ष पर "इग्नू" से प्राप्ति योग्य 1.72 लाख रु. का जमा खाता दर्शाया नहीं गया था जिसका परिणाम परिसम्पत्तियों की 1.72 लाख रु. तक न्यूनोक्ति में हुआ।

2.1.3 लाईब्रेरी पुस्तकें

31 मार्च 2006 तक ज.मि.इ. द्वारा अर्जित पुस्तकों के मूल्य के प्रभावी मॉनिटर लाईब्रेरी पुस्तकों के परिग्रहण रजिस्टर में नहीं थे। परिणामतः तुलन-पत्र में दर्शाए गए पुस्तकों के मूल्य की परिशुद्धता को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

खण्ड-ग

3.1 परिसम्पत्तियों का सत्यापन न किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 192(1) के अनुसार स्थायी परिसम्पत्तियों का प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना चाहिए। ज.मि.इ. के विभिन्न विभागों में उनके द्वारा रखी व अभिग्रहित परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन कभी भी संचालित नहीं किया गया। परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के अभाव में, वार्षिक लेखाओं में दर्शाए गए परिसम्पत्तियों के मूल्य की परिशुद्धता को सत्यापित नहीं किया जा सका। इसे पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी इंगित किया गया था परन्तु ज.मि.इ. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

4. लेखापरीक्षा टिप्पणियों का तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा पर प्रभाव

पूर्ववर्ती पैराओं में की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव यह है कि 31.03.2006 को परिसम्पत्तियों का 1.72 लाख रु. तक अधिकथन हुआ।

5 कमियाँ, जिन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किया गया, पृथक रूप से जारी प्रबन्धन पत्र के माध्यम से शोधक कार्रवाही हेतु वित्त अधिकारी, जामिया मिलिया इस्लामिया के ध्यान में लाई गई है।

(डा.अ.कु.बनर्जी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26-2-2007

कार्रवाई रपट
(लेखा परीक्षा पर्यवेक्षणों पर टिप्पणियां)
वित्तीय वर्ष 2005-2006

पैरा नं.	पर्यवेक्षणों की संक्षिप्त विषय वस्तु	की गयी कार्यवाई
1.	प्रस्तावना	तथ्यों की पुष्टि की गयी, कोई टिप्पणी नहीं।
	लेखाओं पर टिप्पणीयाँ	
2.	तुलन पत्र	
2.1	परिसंपत्तियाँ	
2.1.1.	स्थायी परिसंपत्तियाँ (अनुसूची 4) 82.29 करोड़ रु	
(i)	रु.1.36 करोड़ के पुराने मदों को बट्टेखाते में डालना	रु.1.36 करोड़ की राशि के उपकरणों को बट्टे खाते डालने की प्रक्रिया प्रशासनिक औपचारिकताओं के कारण अभी पूरी की जानी है।
(ii)	रु.3.93 लाख के वाहन को बट्टे खाते में डालना	अनुपालन हेतु दर्ज कर लिया गया।
2.1.2	रु.1.72 लाख की मौजूदा परिसंपत्तियों को कम दिखाया जाना।	अनुपालन हेतु दर्ज कर लिया गया।
2.1.3	लाईब्रेरी की पुस्तकें	पुस्तकालय की पुस्तकों का आगमन रजिस्ट्रार को पूरा किया जा रहा है और इसके अनुपालन को अगले लेखा परीक्षा दल को दिखाया जाएगा।
3.1	परिसंपत्तियों का सत्यापन न किया जाना	पूरे विश्वविद्यालय की परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है और सत्यापन रपट को तैयार किया जा चुका है।
4.	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का तुलन पत्र, आय एंव व्यय लेखा तथा प्राप्ति एंव भुगतान लेखा पर प्रभाव	लेखा परीक्षा पर्यवेक्षणों का अनुपालन हेतु दर्ज कर लिया गया।
5.	कमियों, जो लेखा परीक्षा रपट में शामिल नहीं हैं, सुधारात्मक कार्रवाही के लिए अलग से प्रबंध पत्र द्वारा जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वित्त अधिकारी के ध्यान में लाई गई है।	अनुपालन हेतु दर्ज कर लिया गया।

हस्ताक्षर
एन.यू.सिद्दिकी
वित्त अधिकारी

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF NON-BANKING
SUPERVISION
CENTRAL OFFICE

Mumbai-400005, the 22nd February 2007

No. DNBS. 192/DG (VL)-2007.

The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest, and being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to issue the Directions relating to the prudential norms as set out below, in exercise of the powers conferred by Section 45JA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, and in supersession of the Non-Banking Financial Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 1998 contained in Notification No. DFC. 119/DG(SPT)/98 dated January 31, 1998, gives to every non-banking financial company (other than Residuary Non-Banking Company) accepting/holding public deposits and to every Residuary Non-Banking Company the Directions hereinafter specified.

Short title, commencement and applicability of the Directions:

1. (1) These Directions shall be known as the "Non-Banking Financial (Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007".

(2) These Directions shall come into force with immediate effect.

(3) (i) The provisions of these Directions, shall apply to

(a) a non-banking financial company, except a mutual benefit financial company [*and a mutual benefit company*] as defined in the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998 and accepting/holding public deposit;

(b) a residuary non-banking company as defined in the Residuary Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1987.

(ii) These Directions shall not apply to a non-banking financial company being a Government company as defined under Section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and accepting / holding public deposit.

Definitions

2. (1) For the purpose of these Directions, unless the context otherwise requires:

(i) "break up value" means the equity capital and reserves as reduced by intangible assets and revaluation reserves, divided by the number of equity shares of the investee company;

(ii) "carrying cost" means book value of the assets and interest accrued thereon but not received;

(iii) "current investment" means an investment which is by its nature readily realisable and is intended to be held for not more than one year from the date on which such investment is made;

(iv) "doubtful asset" means:

(a) a term loan, or
(b) a lease asset, or
(c) a hire purchase asset, or
(d) any other asset,

which remains a sub-standard asset for a period exceeding 18 months;

(v) "earning value" means the value of an equity share computed by taking the average of profits after tax as reduced by the preference dividend and adjusted for extra-ordinary and non-recurring items, for the immediately preceding three years and further divided by the number of equity shares of the investee company and capitalised at the following rate:

a) in case of predominantly manufacturing company, eight per cent;
(b) in case of predominantly trading company, ten per cent; and
(c) in case of any other company, including non-banking financial company, twelve per cent;

NOTE : If, an investee company is a loss making company, the earning value will be taken at zero;

(vi) "fair value" means the mean of the earning value and the break up value;

(vii) "hybrid debt" means capital instrument which possesses certain characteristics of equity as well as of debt;

(viii) 'infrastructure loan' means a credit facility extended by non-banking financial companies to a borrower, by way of term loan, project loan subscription to bonds/debentures/ preference shares / equity shares in a project company acquired as a part of the project finance package such that such subscription amount to be "in the nature of advance" or any other form of long term funded facility provided to a borrower company engaged in:

- Developing or
- Operating and maintaining, or
- Developing, operating and maintaining

any infrastructure facility that is a project in any of the following sectors:

a) a road, including toll road, a bridge or a rail system;
b) a highway project including other activities being an integral part of the highway project;
c) a port, airport, inland waterway or inland port;
d) a water supply project, irrigation project, water treatment system, sanitation and sewerage system or solid waste management system;
e) telecommunication services whether basic or cellular, including radio paging, domestic satellite service (i.e., a satellite owned and operated by an Indian company for providing telecommunication service), network of trunking, broadband network and internet services;
f) an industrial park or special economic zone;
g) generation or generation and distribution of power;
h) transmission or distribution of power by laying a network of new transmission or distribution lines;
i) construction relating to projects involving agro-processing and supply of inputs to agriculture;
j) construction for preservation and storage of processed agro-products, perishable goods such as fruits, vegetables and flowers including testing facilities for quality; and
k) construction of educational institutions and hospitals; and
l) any other infrastructure facility of similar nature.

(ix) "loss asset" means:

(a) an asset which has been identified as loss asset by the non-banking financial company or its internal or external auditor or by the Reserve Bank of India during the inspection of the non-banking financial company, to the extent it is not written off by the non-banking financial company; and

(b) an asset which is adversely affected by a potential threat of non-recoverability due to either erosion in the value of security or non availability of security or due to any fraudulent act or omission on the part of the borrower;

(x) "long term investment" means an investment other than a current investment;

(xi) "net asset value" means the latest declared net asset value by the mutual fund concerned in respect of that particular scheme;

(xii) "net book value" means:

(a) in the case of hire purchase asset, the aggregate of overdue and future

instalments receivable as reduced by the balance of unmatured finance charges and further reduced by the provisions made as per paragraph 9(2)(i) of these Directions;

(b) in the case of leased asset, aggregate of capital portion of overdue lease rentals accounted as receivable and depreciated book value of the lease asset as adjusted by the balance of lease adjustment account.

(xiii) 'non-performing asset' (referred to in these Directions as "NPA") means:

(a) an asset, in respect of which, interest has remained overdue for a period of six months or more;

(b) a term loan inclusive of unpaid interest, when the instalment is overdue for a period of six months or more or on which interest amount remained overdue for a period of six months or more;

(c) a demand or call loan, which remained overdue for a period of six months or more from the date of demand or call or on which interest amount remained overdue for a period of six months or more;

(d) a bill which remains overdue for a period of six months or more;

(e) the interest in respect of a debt or the income on receivables under the head 'other current assets' in the nature of short term loans/advances, which facility remained overdue for a period of six months or more;

(f) any dues on account of sale of assets or services rendered or reimbursement of expenses incurred, which remained overdue for a period of six months or more;

(g) the lease rental and hire purchase instalment, which has become overdue for a period of twelve months or more;

(h) in respect of loans, advances and other credit facilities (including bills purchased and discounted), the balance outstanding under the credit facilities (including accrued interest) made available to the same borrower/beneficiary when any of the above credit facilities becomes non-performing asset:

Provided that in the case of lease and hire purchase transactions, a non-banking financial company may classify each such account on the basis of its record of recovery;

(xiv) "owned fund" means paid up equity capital, preference shares which are compulsorily convertible into equity, free reserves, balance in share premium account and capital reserves representing surplus arising out of sale proceeds of asset, excluding reserves created by revaluation of asset, as reduced by

accumulated loss balance, book value of intangible assets and deferred revenue expenditure, if any;

(xv) "standard asset" means the asset in respect of which, no default in repayment of principal or payment of interest is perceived and which does not disclose any problem nor carry more than normal risk attached to the business;

(xvi) "sub-standard asset" means:

(a) an asset which has been classified as non-performing asset for a period not exceeding 18 months;

(b) an asset where the terms of the agreement regarding interest and / or principal have been renegotiated or rescheduled or restructured after commencement of operations, until the expiry of one year of satisfactory performance under the renegotiated or rescheduled or restructured terms:

Provided that the classification of infrastructure loan as a sub-standard asset shall be in accordance with the provisions of paragraph 23 of these Directions;

(xvii) "subordinated debt" means an instrument, which is fully paid up, is unsecured and is subordinated to the claims of other creditors and is free from restrictive clauses and is not redeemable at the instance of the holder or without the consent of the supervisory authority of non-banking financial company. The book value of such instrument shall be subjected to discounting as provided hereunder:

Remaining Maturity of the instruments	Rate of discount
(a) Upto one year	100%
(b) More than one year but upto two years	80%
(c) More than two years but upto three years	60%
(d) More than three years but upto four years	40%
(e) More than four years but upto five years	20%

to the extent such discounted value does not exceed fifty per cent of Tier I capital;

(xviii) "substantial interest" means holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together in the shares of a company, the amount paid up on which exceeds ten per cent of the paid up capital of the company; or the capital subscribed by all the partners of a partnership firm;

(xix) "Tier I Capital" means owned fund as reduced by investment in shares of other non-banking financial companies and in shares, debentures, bonds, outstanding loans and advances including hire purchase and lease finance made to and deposits with subsidiaries and companies in the same group exceeding, in aggregate, ten per cent of the owned fund;

(xx) "Tier II capital" includes the following:

(a) preference shares other than those which are compulsorily convertible into equity;

(b) revaluation reserves at discounted rate of fifty five percent;

(c) general provisions and loss reserves to the extent these are not attributable to actual diminution in value or identifiable potential loss in any specific asset and are available to meet unexpected losses, to the extent of one and one fourth percent of risk weighted assets;

(d) hybrid debt capital instruments; and

(e) subordinated debt

to the extent the aggregate does not exceed Tier I capital.

(2) Other words or expressions used but not defined herein and defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) or the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998 or the Residuary Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1987 shall have the same meaning as assigned to them under that Act or those Directions. Any other words or expressions not defined in that Act or those Directions, shall have the same meaning assigned to them in the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

Income recognition

3. (1) The income recognition shall be based on recognised accounting principles.

(2) Income including interest/discount or any other charges on NPA shall be recognised only when it is actually realised. Any such income recognised before the asset became non-performing and remaining unrealised shall be reversed.

(3) In respect of hire purchase assets, where instalments are overdue for more than 12 months, income shall be recognised only when hire charges are actually received. Any such income taken to the credit of profit and loss account before the asset became non-performing and remaining unrealised, shall be reversed.

(4) In respect of lease assets, where lease rentals are overdue for more than 12 months, the income shall be recognised only when lease rentals are actually

received. The net lease rentals taken to the credit of profit and loss account before the asset became non-performing and remaining unrealised shall be reversed.

Explanation

For the purpose of this paragraph, 'net lease rentals' mean gross lease rentals as adjusted by the lease adjustment account debited/credited to the profit and loss account and as reduced by depreciation at the rate applicable under Schedule XIV of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

Income from investments

4. (1) Income from dividend on shares of corporate bodies and units of mutual funds shall be taken into account on cash basis:

Provided that the income from dividend on shares of corporate bodies may be taken into account on accrual basis when such dividend has been declared by the corporate body in its annual general meeting and the non-banking financial company's right to receive payment is established.

(2) Income from bonds and debentures of corporate bodies and from Government securities/bonds may be taken into account on accrual basis:

Provided that the interest rate on these instruments is pre-determined and interest is serviced regularly and is not in arrears.

(3) Income on securities of corporate bodies or public sector undertakings, the payment of interest and repayment of principal of which have been guaranteed by Central Government or a State Government may be taken into account on accrual basis.

Accounting standards

5. Accounting Standards and Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (referred to in these Directions as "ICAI") shall be followed insofar as they are not inconsistent with any of these Directions.

Accounting of investments

6. (1) (a) The Board of Directors of every non-banking financial company shall frame investment policy for the company and implement the same;

(b) The criteria to classify the investments into current and long term investments shall be spelt out by the Board of the company in the investment policy;

(c) Investments in securities shall be classified into current and long term, at the time of making each investment;

(d) (i) There shall be no inter-class transfer on ad-hoc basis;

(ii) The inter-class transfer, if warranted, shall be effected only at the beginning of each half year, on April 1 or October 1, with the approval of the Board;

(iii) The investments shall be transferred scrip-wise, from current to long-term or vice-versa, at book value or market value, whichever is lower;

(iv) The depreciation, if any, in each scrip shall be fully provided for and appreciation, if any, shall be ignored;

(v) The depreciation in one scrip shall not be set off against appreciation in another scrip, at the time of such inter-class transfer, even in respect of the scrips of the same category.

(2) Quoted current investments shall, for the purposes of valuation, be grouped into the following categories, viz.,

(a) equity shares,
(b) preference shares,
(c) debentures and bonds,
(d) Government securities including treasury bills,
(e) units of mutual fund, and
(f) others.

Quoted current investments for each category shall be valued at cost or market value whichever is lower. For this purpose, the investments in each category shall be considered scrip-wise and the cost and market value aggregated for all investments in each category. If the aggregate market value for the category is less than the aggregate cost for that category, the net depreciation shall be provided for or charged to the profit and loss account. If the aggregate market value for the category exceeds the aggregate cost for the category, the net appreciation shall be ignored. Depreciation in one category of investments shall not be set off against appreciation in another category.

(3) Unquoted equity shares in the nature of current investments shall be valued at cost or break up value, whichever is lower. However, non-banking financial companies may substitute fair value for the break up value of the shares, if considered necessary. Where the balance sheet of the investee company is not available for two years, such shares shall be valued at one Rupee only.

(4) Unquoted preference shares in the nature of current investments shall be valued at cost or face value, whichever is lower.

(5) Investments in unquoted Government securities or Government guaranteed bonds shall be valued at carrying cost.

(6) Unquoted investments in the units of mutual funds in the nature of current investments shall be valued at the net asset value declared by the mutual fund in respect of each particular scheme.

(7) Commercial papers shall be valued at carrying cost

(8) A long term investment shall be valued in accordance with the Accounting Standard issued by ICAI.

Note: Unquoted debentures shall be treated as term loans or other type of credit facilities depending upon the tenure of such debentures for the purpose of income recognition and asset classification.

Need for Policy on Demand/Call Loans

7. (1) The Board of Directors of every non-banking financial company granting/intending to grant demand/call loans shall frame a policy for the company and implement the same.

(2) Such policy shall, inter alia, stipulate the following, -

(i) A cut off date within which the repayment of demand or call loan shall be demanded or called up;

(ii) The sanctioning authority shall, record specific reasons in writing at the time of sanctioning demand or call loan, if the cut off date for demanding or calling up such loan is stipulated beyond a period of one year from the date of sanction;

(iii) The rate of interest which shall be payable on such loans;

(iv) Interest on such loans, as stipulated shall be payable either at monthly or quarterly rests;

(v) The sanctioning authority shall, record specific reasons in writing at the time of sanctioning demand or call loan, if no interest is stipulated or a moratorium is granted for any period;

(vi) A cut off date, for review of performance of the loan, not exceeding six months commencing from the date of sanction;

(vii) Such demand or call loans shall not be renewed unless the periodical review has shown satisfactory compliance with the terms of sanction.

Asset Classification

8. (1) Every non-banking financial company shall, after taking into account the degree of well defined credit weaknesses and extent of dependence on collateral security for realisation, classify its lease/hire purchase assets, loans and advances

and any other forms of credit into the following classes, namely,:

(i) Standard assets;
(ii) Sub-standard assets;
(iii) Doubtful assets; and
(iv) Loss assets.

(2) The class of assets referred to above shall not be upgraded merely as a result of rescheduling, unless it satisfies the conditions required for the upgradation.

Provisioning requirements

9. Every non-banking financial company shall, after taking into account the time lag between an account becoming non-performing, its recognition as such, the realisation of the security and the erosion over time in the value of security charged, make provision against sub-standard assets, doubtful assets and loss assets as provided hereunder:

Loans, advances and other credit facilities including bills purchased and discounted

(1) The provisioning requirement in respect of loans, advances and other credit facilities including bills purchased and discounted shall be as under :

(i) Loss Assets	The entire asset shall be written off. If the assets are permitted to remain in the books for any reason, 100% of the outstanding should be provided for;
(ii) Doubtful Assets	(a) 100% provision to the extent to which the advance is not covered by the realisable value of the security to which the non-banking financial company has a valid recourse shall be made. The realisable value is to be estimated on a realistic basis;
	(b) In addition to item (a) above, depending upon the period for which the asset has remained doubtful, provision to the extent of 20% to 50% of the secured portion (i.e. estimated realisable value of the outstanding) shall be made on the following basis : -

Period for which the asset has been considered as doubtful	% of provision
Upto one year	20
One to three years	30
More than three years	50

iii) Sub-standard assets — A general provision of 10% of total outstanding shall be made.

Lease and hire purchase assets

(2) The provisioning requirements in respect of hire purchase and leased assets shall be as under:

Hire purchase assets

(i) In respect of hire purchase assets, the total dues (overdue and future instalments taken together) as reduced by

(a) the finance charges not credited to the profit and loss account and carried forward as unmatured finance charges; and

(b) the depreciated value of the underlying asset.

shall be provided for.

Explanation :

For the purpose of this paragraph,

(1) the depreciated value of the asset shall be notionally computed as the original cost of the asset to be reduced by depreciation at the rate of twenty per cent per annum on a straight line method; and

(2) in the case of second hand asset, the original cost shall be the actual cost incurred for acquisition of such second hand asset.

Additional provision for hire purchase and leased assets

(ii) In respect of hire purchase and leased assets, additional provision shall be made as under :

(a) Where hire charges or lease rentals are overdue upto 12 months	Nil
(b) where hire charges or lease rentals are overdue for more than 12 months but upto 24 months	10 percent of the net book value

(c) where hire charges or lease rentals are overdue for more than 24 months but upto 36 months	40 percent of the net book value
(d) where hire charges or lease rentals are overdue for more than 36 months but upto 48 months	70 percent of the net book value
(e) where hire charges or lease rentals are overdue for more than 48 months	100 percent of the net book value

(iii) On expiry of a period of 12 months after the due date of the last instalment of hire purchase/leased asset, the entire net book value shall be fully provided for.

NOTES:

(1) The amount of caution money/margin money or security deposits kept by the borrower with the non-banking financial company in pursuance of the hire purchase agreement may be deducted against the provisions stipulated under clause (i) above, if not already taken into account while arriving at the equated monthly instalments under the agreement. The value of any other security available in pursuance to the hire purchase agreement may be deducted only against the provisions stipulated under clause (ii) above.

(2) The amount of security deposits kept by the borrower with the non-banking financial company in pursuance to the lease agreement together with the value of any other security available in pursuance to the lease agreement may be deducted only against the provisions stipulated under clause (ii) above.

(3) It is clarified that income recognition on and provisioning against NPAs are two different aspects of prudential norms and provisions as per the norms are required to be made on NPAs on total outstanding balances including the depreciated book value of the leased asset under reference after adjusting the balance, if any, in the lease adjustment account. The fact that income on an NPA has not been recognised cannot be taken as reason for not making provision.

(4) An asset which has been renegotiated or rescheduled as referred to in paragraph (2) (1) (xvi) (b) of these Directions shall be a sub-standard asset or continue to remain in the same category in which it was prior to its renegotiation or reschedulement as a doubtful asset or a loss asset as the case may be. Necessary provision is required to be made as applicable to such asset till it is upgraded.

(5) The balance sheet to be prepared by the non-banking financial company may be in accordance with the provisions contained in sub-paragraph (2) of paragraph 10.

(6) All financial leases written on or after April 1, 2001 attract the provisioning requirements as applicable to hire purchase assets.

Disclosure in the balance sheet

10. (1)Every non-banking financial company shall separately disclose in its balance sheet the provisions made as per paragraph 9 above without netting them from the income or against the value of assets.

(2) The provisions shall be distinctly indicated under separate heads of account as under :

(i) provisions for bad and doubtful debts; and

(ii) provisions for depreciation in investments.

(3) Such provisions shall not be appropriated from the general provisions and loss reserves held, if any, by the non-banking financial company.

(4) Such provisions for each year shall be debited to the profit and loss account. The excess of provisions, if any, held under the heads general provisions and loss reserves may be written back without making adjustment against them.

Constitution of Audit Committee by non-banking financial companies

11. A non-banking financial company having assets of Rs. 50 crore and above as per its last audited balance sheet shall constitute an Audit Committee, consisting of not less than three members of its Board of Directors.

Explanation I: The Audit Committee constituted by a non-banking financial company as required under Section 292A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall be the Audit Committee for the purposes of this paragraph.

Explanation II: The Audit Committee constituted under this paragraph shall have the same powers, functions and duties as laid down in Section 292A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

Accounting year

12. Every non-banking financial company shall prepare its balance sheet and profit and loss account as on March 31 every year. Whenever a non-banking financial company intends to extend the date of its balance sheet as per provisions of the Companies Act, it should take prior approval of the Reserve Bank of India before approaching the Registrar of Companies for this purpose.

Further, even in cases where the Bank and the Registrar of Companies grant extension of time, the non-banking financial company shall furnish to the Bank a proforma balance sheet (unaudited) as on March 31 of the year and the statutory returns due on the said date.

Schedule to the balance sheet

13. Every non-banking financial company shall append to its balance sheet prescribed under the Companies Act, 1956, the particulars in the schedule as set out in Annex 1.

Transactions in Government securities

14. Every non-banking financial company may undertake transactions in Government securities through its CSGL account or its demat account:

provided that no non-banking financial company shall undertake any transaction in government security in physical form through any broker.

Submission of a certificate from Statutory Auditor to the Bank

15. Every non-banking financial company shall submit a Certificate from its Statutory Auditor that it is engaged in the business of non-banking financial institution requiring it to hold a Certificate of Registration under Section 45-IA of the RBI Act. A certificate from the Statutory Auditor in this regard with reference to the position of the company as at end of the financial year ended March 31 may be submitted to the Regional Office of the Department of Non-Banking Supervision under whose jurisdiction the non-banking financial company is registered, latest by June 30, every year. Such certificate shall also indicate the asset / income pattern of the non-banking financial company for making it eligible for classification as Asset Finance Company, Investment Company or Loan Company.

Requirement as to capital adequacy

16. (1) Every non-banking financial company shall maintain a minimum capital ratio consisting of Tier I and Tier II capital which shall not be less than twelve per cent of its aggregate risk weighted assets on balance sheet and of risk adjusted value of off-balance sheet items.

(2) The total of Tier II capital, at any point of time, shall not exceed one hundred per cent of Tier I capital.

Explanations :

On balance sheet assets

(1) In these Directions, degrees of credit risk expressed as percentage weightages have been assigned to balance sheet assets. Hence, the value of each asset/item requires to be multiplied by the relevant risk weights to arrive at risk adjusted value of assets. The aggregate shall be taken into account for reckoning the minimum capital ratio. The risk weighted asset shall be calculated as the weighted aggregate of funded items as detailed hereunder:

Weighted risk assets - On-Balance Sheet items

	Percentage weight
(i) Cash and bank balances including fixed deposits and certificates of deposits with banks	0
(ii) Investments	
(a) Approved securities [Except at (c) below]	0
(b) Bonds of public sector banks	20
(c) Fixed deposits/certificates of deposits/ bonds of public financial institutions	100
(d) Shares of all companies and debentures/bonds/commercial papers of all companies and units of all mutual funds	100
(iii) Current assets	
(a) Stock on hire (net book value)	100
(b) Intercorporate loans/deposits	100
(c) Loans and advances fully secured against deposits held by the company itself	0
(d) Loans to staff	0

(e) Other secured loans and advances considered good	100
(f) Bills purchased/discounted	100
(g) Others (To be specified)	100
(iv) Fixed Assets (net of depreciation)	
(a) Assets leased out (net book value)	100
(b) Premises	100
(c) Furniture & Fixtures	100
(v) Other assets	
(a) Income tax deducted at source (net of provision)	0
(b) Advance tax paid (net of provision)	0
(c) Interest due on Government securities	0
(d) Others (to be specified)	100

Notes:

(1) Netting may be done only in respect of assets where provisions for depreciation or for bad and doubtful debts have been made.

(2) Assets which have been deducted from owned fund to arrive at net owned fund shall have a weightage of 'zero'.

(3) While calculating the aggregate of funded exposure of a borrower for the purpose of assignment of risk weight, non-banking financial companies may net off the amount of cash margin / caution money/security deposits (against which right to set-off is available) held as collateral against the advances out of the total outstanding exposure of the borrower.

Off-balance sheet items

(2) In these Directions, degrees of credit risk exposure attached to off-balance sheet items have been expressed as percentage of credit conversion factor. Hence, the face value of each item requires to be first multiplied by the relevant conversion factor to arrive at risk adjusted value of off-balance sheet item. The aggregate shall be taken into account for reckoning the minimum capital ratio. This shall have to be again multiplied by the risk weight of 100.

The risk adjusted value of the off-balance sheet items shall be calculated as per the credit conversion factors of non-funded items as detailed hereunder : -

Nature of Item	Credit conversion factor – Percentage
i) Financial & other guarantees	100
ii) Share/debenture underwriting obligations	50
iii) Partly-paid shares/debentures	100
iv) Bills discounted/rediscounted	100
v) Lease contracts entered into but yet to be executed	100
vi) Other contingent liabilities (To be specified)	50

Note: Cash margins/deposits shall be deducted before applying the conversion factor.

Loans against non-banking financial company's own shares prohibited

17. (1) No non-banking financial company shall lend against its own shares.

(2) Any outstanding loan granted by a non-banking financial company against its own shares on the date of commencement of these Directions shall be recovered by the non-banking financial company as per the repayment schedule.

Non-banking financial company failing to repay public deposit prohibited from making loans and investments

18. A non-banking financial company which has failed to repay any public deposit or part thereof in accordance with the terms and conditions of such deposit, as provided in Section 45QA(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) shall not grant any loan or other credit facility by whatever name called or make any investment or create any other asset as long as the default exists.

Restrictions on investments in land and building and Unquoted shares

19. (i) No Asset Finance Company, which is accepting public deposit, shall, invest in -

(a) land or building, except for its own use, an amount exceeding ten percent of its owned fund;

(b) unquoted shares of another company, which is not a subsidiary company or a company in the same group of the non-banking financial company, an amount exceeding ten percent of its owned fund.

(ii) No loan company or investment company, which is accepting public deposit, shall, invest in -

(a) land or building, except for its own use, an amount exceeding ten percent of its owned fund ;

(b) unquoted shares of another company, which is not a subsidiary company or a company in the same group of the non-banking financial company, an amount exceeding twenty percent of its owned fund:

Provided that the land or building or unquoted shares acquired in satisfaction of its debts shall be disposed off by the non-banking financial company within a period of three years or within such period as extended by the Bank, from the date of such acquisition if the investment in these assets together with such assets already held by the non-banking financial company exceeds the above ceiling;

Explanation

While calculating the ceiling on investment in unquoted shares, investments in such shares of all companies shall be aggregated.

Provided further that the ceiling on the investment in unquoted shares shall not be applicable to an Asset Finance Company or a loan company or an investment company in respect of investment in the equity capital of an insurance company upto the extent specifically permitted, in writing, by the Reserve Bank of India.

Concentration of credit/investment

20. (1) No non-banking financial company shall,

(i) lend to

(a) any single borrower exceeding fifteen per cent of its owned fund; and

(b) any single group of borrowers exceeding twenty five per cent of its owned fund;

(ii) invest in

(a) the shares of another company exceeding fifteen per cent of its owned fund; and

(b) the shares of a single group of companies exceeding twenty five per cent of its owned fund;

(iii) lend and invest (loans/investments taken together) exceeding

(a) twenty five per cent of its owned fund to a single party; and

(b) forty per cent of its owned fund to a single group of parties.

Provided that the ceiling on credit/investment concentration shall not be applicable to a residuary non-banking company in respect of investments in approved securities, bonds, debentures and other securities issued by a Government company or a public financial institution or a scheduled commercial bank under the provisions of paragraphs 6(1)(a) and 6(1)(b) of the Residuary Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1987.

Provided further that the ceiling on the investment in shares of another company shall not be applicable to a non-banking financial company in respect of investment in the equity capital of an insurance company upto the extent specifically permitted, in writing, by the Reserve Bank of India.

Provided further that any non-banking financial company, classified as Asset Finance Company by the Reserve Bank of India, may in exceptional circumstances, exceed the above ceilings on credit/investment concentration to a single party or a single group of parties by 5 per cent of its owned fund, with the approval of its Board.

Notes:

(1) For determining the limits, off-balance sheet exposures shall be converted into credit risk by applying the conversion factors as explained in paragraph 16.

(2) The investments in debentures for the purposes specified in this paragraph shall be treated as credit and not investment.

(3) These ceilings shall be applicable to the credit/investment by such a non-banking financial company to companies/firms in its own group as well as to

the borrowers/ investee company's group.

Submission of half yearly return

21. Non-banking financial companies including residuary non-banking companies referred to in paragraphs 1(3)(i)(a) and (b) shall submit a half-yearly return within three months of the expiry of the relative half-year as on September and March every year, in the format NBS 2 provided in Annex 2 to the Regional Office of the Department of Non-Banking Supervision of the Reserve Bank of India under whose jurisdiction the registered office of the company is located as per Second Schedule to the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998 and Schedule B to Residuary Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1987.

Exposure to Capital Market

22. Every non-banking financial company (including residuary non-banking company) with total assets of Rs. 100 crore and above according to the previous audited balance sheet, shall submit a monthly return within a period of 7 days of the expiry of the month to which it pertains in the format NBS 6 provided in Annex 3 to the Regional Office of the Department of Non-Banking Supervision of the Reserve Bank of India as indicated in the Second Schedule to the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998 and Schedule B to the Residuary Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1987.

Norms relating to Infrastructure loan

23. (1) Applicability

(i) These norms shall be applicable to restructuring and/or rescheduling and/or renegotiation of the terms of agreement relating to infrastructure loan, as defined in paragraph 2(1)(viii) of these Directions which is fully or partly secured standard and sub-standard asset and to the loan, which is subjected to restructuring and/or rescheduling and/or renegotiation of terms.

(ii) Where the asset is partly secured, a provision to the extent of shortfall in the security available, shall be made while restructuring and/or rescheduling and/or renegotiation of the loans, apart from the provision required on present value basis and as per prudential norms.

(2) Restructuring, reschedulement or renegotiation of terms of infrastructure loan

The non-banking financial companies may, not more than once, restructure or reschedule or renegotiate the terms of infrastructure loan agreement as per the policy framework laid down by the Board of

Directors of the company under the following stages.

(a) before commencement of commercial production;

(b) after commencement of commercial production but before the asset has been classified as sub-standard;

(c) after commencement of commercial production and the asset has been classified as sub-standard:

Provided that in each of the above three stages, the restructuring and/or rescheduling and/or renegotiation of principal and / or of interest may take place, with or without sacrifice, as part of the restructuring or rescheduling or renegotiating package evolved

(3) Treatment of restructured standard loan

The rescheduling or restructuring or renegotiation of the instalments of principal alone, at any of the aforesaid first two stages shall not cause a standard asset to be re-classified in the sub-standard category, if the project is re-examined and found to be viable by the Board of Directors of the company or by a functionary at least one step senior to the functionary who sanctioned the initial loan for the project, within the policy framework laid down by the Board:

Provided that rescheduling or renegotiation or restructuring of interest element at any of the foregoing first two stages shall not cause an asset to be downgraded to sub-standard category subject to the condition that the amount of interest foregone, if any, on account of adjustment in the element of interest as specified later, is either written off or 100 per cent provision is made thereagainst.

(4) Treatment of restructured sub-standard asset

A sub-standard asset shall continue to remain in the same category in case of restructuring or rescheduling or renegotiation of the instalments of principal until the expiry of one year and the amount of interest foregone, if any, on account of adjustment, including adjustment by way of write off of the past interest dues, in the element of interest as specified later, shall be written off or 100 per cent provision made thereagainst.

(5) Adjustment of interest

Where rescheduling or renegotiation or restructuring involves a reduction in the rate of interest, the interest adjustment shall be computed by taking the difference between the rate of interest as

currently applicable to infrastructure loan (as adjusted for the risk rating applicable to the borrower) and the reduced rate and aggregating the present value (discounted at the rate currently applicable to infrastructure loan, adjusted for risk enhancement) of the future interest payable so stipulated in the restructuring or rescheduling or renegotiation proposal.

(6) Funded Interest:

In the case of funding of interest in respect of NPAs, where the interest funded is recognized as income, the interest funded shall be fully provided for.

(7) Income Recognition norms

The income recognition in respect of infrastructure loan shall be governed by the provisions of paragraph 3 of these Directions;

(8) Treatment of Provisions held

The provisions held by the non-banking financial companies against non-performing infrastructure loan, which may be classified as 'standard' in terms of sub-paragraph (3) hereinabove, shall continue to be held until full recovery of the loan is made.

(9) Eligibility for upgradation of restructured sub-standard infrastructure loan

The sub-standard asset subjected to rescheduling and/or renegotiation and/or restructuring, whether in respect of instalments of principal amount, or interest amount, by whatever modality, shall not be upgraded to the standard category until expiry of one year of satisfactory performance under the restructuring and/or rescheduling and/or renegotiation terms.

(10) Conversion of debt into equity

Where the amount due as interest, is converted into equity or any other instrument, and income is recognized in consequence, full provision shall be made for the amount of income so recognized to offset the effect of such income recognition:

Provided that no provision is required to be made, if the conversion of interest is into equity which is quoted;

Provided further that in such cases, interest income may be recognized at market value of equity, as on the date of conversion, not exceeding the amount of interest converted to equity.

(11) Conversion of debt into debentures

Where principal amount and/or interest amount in respect of NPAs is converted into debentures, such debentures shall be treated as NPA, ab initio, in the same asset classification as was applicable to the loan just before conversion and provision shall be made as per norms.

(12) Increase in exposure limits for Infrastructure related loan and investment

The non-banking financial companies may exceed the concentration of credit/investment norms, as provided in paragraph 20 of these Directions, by 5 per cent for any single party and by 10 per cent for a single group of parties, if the additional exposure is on account of infrastructure loan and/ or investment.

(13) Risk weight for investment in AAA rated securitized paper

The investment in "AAA" rated securitized paper pertaining to the infrastructure facility shall attract risk weight of 50 per cent for capital adequacy purposes subject to the fulfilment of the following conditions:

(i) The infrastructure facility generates income / cash flows, which ensures servicing / repayment of the securitized paper.

(ii) The rating by one of the approved credit rating agencies is current and valid.

Explanation:

The rating relied upon shall be deemed to be current and valid, if the rating is not more than one month old on the date of opening of the issue, and the rating rationale from the rating agency is not more than one year old on the date of opening of the issue, and the rating letter and the rating rationale form part of the offer document.

(iii) In the case of secondary market acquisition, the 'AAA' rating of the issue is in force and confirmed from the monthly bulletin published by the respective rating agency

(iv) The securitized paper is a performing asset.

Exemptions

24. The Reserve Bank of India may, if it considers it necessary for avoiding any hardship or for any other just and sufficient reason, grant extension of time to comply with or exempt any non-banking financial company or class of non-banking financial companies, from all or any of the provisions of these Directions either generally or for

any specified period, subject to such conditions as the Reserve Bank of India may impose.

Interpretations

25. For the purpose of giving effect to the provisions of these Directions, the Reserve Bank of India may, if it considers necessary, issue necessary clarifications in respect of any matter covered herein and the interpretation of any provision of these Directions given by the Reserve Bank of India shall be final and binding on all the parties concerned.

Repeal and saving

26. (1) The Non-Banking Financial Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 1998 shall stand repealed by these Directions.

(2) Notwithstanding such repeal, any circular, instruction, order issued under the Directions in sub–section (1) shall continue to apply to non-banking financial companies in the same manner as they applied to such companies before such repeal.

V. LEELADHAR
Dy. Governor

Annex 1

Schedule to the

Balance Sheet of a non-banking financial company

(as required in terms of paragraph 13 of
Non-Banking Financial (Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007)

(Rs. in lakhs)

	Particulars		
	Liabilities side :		
(1)	**Loans and advances availed by the non-banking financial company inclusive of interest accrued thereon but not paid:**	Amount out-standing	Amount overdue
	(a) Debentures : Secured : Unsecured (other than falling within the meaning of public deposits*)		
	(b) Deferred Credits		
	(c) Term Loans		
	(d) Inter-corporate loans and borrowing		
	(e) Commercial Paper		
	(f) Public Deposits*		
	(g) Other Loans (specify nature)		
	* Please see Note 1 below		
(2)	**Break-up of (1)(f) above (Outstanding public deposits inclusive of interest accrued thereon but not paid):**		
	(a) In the form of Unsecured debentures		
	(b) In the form of partly secured debentures i.e. debentures where there is a shortfall in the value of security		
	(c) Other public deposits		
	* Please see Note 1 below		

	Assets side :	
		Amount outstanding
(3)	**Break-up of Loans and Advances including bills receivables [other than those included in (4) below] :** (a) Secured (b) Unsecured	
(4)	**Break up of Leased Assets and stock on hire and other assets counting towards AFC activities**	
	(i) Lease assets including lease rentals under sundry debtors : (a) Financial lease (b) Operating lease (ii) Stock on hire including hire charges under sundry debtors: (a) Assets on hire (b) Repossessed Assets (iii) Other loans counting towards AFC activities (a) Loans where assets have been repossessed (b) Loans other than (a) above	
(5)	**Break-up of Investments :** Current Investments : 1. Quoted : (i) Shares : (a) Equity (b) Preference (ii) Debentures and Bonds (iii) Units of mutual funds (iv) Government Securities (v) Others (please specify)	

	2. Unquoted :	
	(i) Shares : (a) Equity (b) Preference	
	(ii) Debentures and Bonds	
	(iii) Units of mutual funds (iv) Government Securities (v) Others (please specify)	
	Long Term investments :	
	1. Quoted :	
	(i) Shares : (a) Equity (b) Preference	
	(ii) Debentures and Bonds (iii) Units of mutual funds (iv) Government Securities (v) Others (please specify)	
	2. Unquoted :	
	(i) Shares : (a) Equity (b) Preference	
	(ii) Debentures and Bonds	
	(iii) Units of mutual funds	
	(iv) Government Securities	
	(v) Others (please specify)	
(6)	**Borrower group-wise classification of assets financed as in (3) and (4) above :**	
	Please see Note 2 below	

Category	Amount net of provisions		
	Secured	Unsecured	Total
1. Related Parties **			
(a) Subsidiaries			
(b) Companies in the same group			
(c) Other related parties			

	2. Other than related parties			
	Total			

(7)	**Investor group-wise classification of all investments (current and long term) in shares and securities (both quoted and unquoted):** Please see note 3 below		
	Category	Market Value / Break up or fair value or NAV	Book Value (Net of Provisions)
	1. Related Parties **		
	(a) Subsidiaries		
	(b) Companies in the same group		
	(c) Other related parties		
	2. Other than related parties		
	Total		

** As per Accounting Standard of ICAI (please see Note 3)

(8) Other Information

	Particulars	Amount
(i)	Gross Non-Performing Assets	
	(a) Related parties	
	(b) Other than related parties	
(ii)	Net Non-Performing Assets	
	(a) Related parties	
	(b) Other than related parties	
(iii)	Assets acquired in satisfaction of debt	

Notes:

1. As defined in paragraph 2(1)(xii) of the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998.

2. Provisioning norms shall be applicable as prescribed in the Non-Banking Financial (Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007.

3. All Accounting Standards and Guidance Notes issued by ICAI are applicable including for valuation of investments and other assets as also assets acquired in satisfaction of debt. However, market value in respect of quoted investments and break up/fair value/NAV in respect of unquoted investments should be disclosed irrespective of whether they are classified as long term or current in (5) above.

xxx

Annex 2

Form NBS 2

Half yearly Statement of capital funds, risk assets/exposures and risk asset ratio etc., as at the end of March/September 200....

Name and address of the Non-Banking Financial Company

Company code number (as given by RBI) _____

Registration number (as given by RBI) _____

Classification of the company (as given by RBI) _____

(Rupees in lakh)

PART - A

Item Name	Item Code	Amount
Capital Funds – Tier I		
(i) Paid-up Equity Capital	111	
(ii) Preference shares to be compulsorily convertible into equity	112	
(iii) Free reserves		
(a) General Reserves	113	
(b) Share Premium	114	
(c) Capital Reserves (representing surplus on sale of assets held in separate account)	115	
(d) Debenture Redemption Reserve	116	
(e) Capital Redemption Reserve	117	
(f) Credit Balance in P & L Account	118	
(g) Other free reserves (to be specified)	119	
Total (111 to 119)	**110**	
(iv) Accumulated balance of loss	121	
(v) Deferred Revenue Expenditure	122	
(vi) Other Intangible Assets	123	
Total (121 to 123)	**120**	
(vii) Owned Fund (110 - 120)	**130**	
(viii) Investment in shares of :		
(a) Subsidiaries	141	
(b) Companies in the same Group	142	
(c) Other non-banking financial companies	143	

ix) The book value of debentures, bonds, outstanding loans and advances, bills purchased and discounted (including hire-purchase and lease finance) made to, and deposits with		
(a) Subsidiaries	144	
(b) Companies in the same Group	145	
(x) Total (141 to 145)	**140**	
(xi) Amount of Item 140 in excess of 10% of item 130 above	**150**	
(xii) Tier I Capital		
Net owned fund (130 -150)	**151**	

(Rupees in lakh)

PART - B

Item Name	Item Code	Amount
Capital Funds – Tier II		
(Para 2(1)(xx)(b) of Directions)		
(i) Preference Share Capital other than those compulsorily convertible into equity	161	
(ii) Revaluation reserves	162	
(iii) General provisions and loss reserves	163	
(iv) Hybrid debt capital instruments	164	
(v) Subordinated debt	165	
(vi) Aggregate Tier II Capital (Items 161 to 165)	**160**	
Total Capital Funds (151 + 160)	**170**	

(Rupees in lakh)

PART - C

Item Name	Item Code	Amount
Risk Assets and Off-Balance Sheet items		
(i) Adjusted value of funded risk assets i.e. on-balance sheet items (To tally with Part D)	181	
(ii) Adjusted value of non-funded and off-balance sheet items (To tally with Part E)	182	
(iii) Total risk weighted assets/ exposures (181 + 182)	180	
(iv) Percentage of capital funds to risk weighted assets/exposures:		
(a) Tier I capital (Percentage of item 151 to item 180)	191	
(b) Tier II capital (Percentage of item 160 to item 180)	192	
(c) Total (Percentage of item 170 to item 180)	193	

(Rupees in lakh)

PART – D

Weighted assets i.e. On - balance Sheet items

Item name	Item code	Book value	Risk weight	Adjusted value
I. Cash and bank balances including fixed deposits & certificates of deposits	210		0	0
II. Investments [see paragraph 6 of the Directions]				
(a) Approved securities as defined in Reserve Bank of India Act, 1934	221		0	0
(b) Bonds of public sector banks				
(i) Amounts deducted in part 'A' item (x) (Item code 150)	222A		0	
(ii) Amounts not deducted in part 'A' item (x) (Item code 150)	223A		20	
(c) FDs/CDs/bonds of public financial institutions				
(i) Amounts deducted in part 'A' item (x) (Item code 150)	224A		0	0
(ii) Amounts not deducted in part 'A' item (x) (Item code 150)	225A		100	
Sub-total(222A+223A+224A+225A)	**ST225A**			
(d) Shares of all companies and debentures/ bonds/ commercial papers of companies and units of all mutual funds				
(i) Amounts deducted in Part 'A' Item (xi) (Item code 150)	226		0	0
(ii) Amounts not deducted in Part A	227		100	
Sub-total(226+227)	**ST227**			
III. Current Assets				
(a) Stock on hire (Please see Note 2 below)				
(i) Amounts deducted in Part A [Item (xi) Item code 150]	231		0	0
(ii) Amounts not deducted in part A	232		100	
Sub-total(231+232)	**ST232**			
(b) Inter-corporate loans/ deposits				
(i) Amounts deducted in Part 'A' [Item (xi) Item code 150]	233		0	0
(ii) Amounts not deducted in Part A	234		100	
Sub-total (233+234)	**ST234**			
(c) Loans and advances fully secured by company's own deposits	235		0	0
(d) Loans to staff	236		0	0
(e) Other secured loans and advances considered good				
(i) Amounts deducted in Part A [Item (xi) Item code 150)]	241		0	0

(ii) Amounts not deducted in Part A	242	100	
Sub-total(235+236+241+242)	**ST242**		
(f) Bills purchased/discounted			
(i) Amounts deducted in Part A [Item (xi) item code 150)]	243	0	0
(ii) Amounts not deducted in Part A	244	100	
Sub-total (243+244)	**ST244**		
(g) Others (to be specified)	245	100	
IV. Fixed Asset (net of depreciation)			
(a) Assets leased out			
(i) Amounts deducted in Part A [Item (xi) item code 150)]	251	0	0
(ii) Amounts not deducted in Part A	252	100	
Sub-total (251+252)	**ST252**		
Total credit exposure (ST232+ST234+ST242+ ST244+245+ST252)	**CT200**		
(b) Premises	253	100	
(c) Furniture & Fixtures	254	100	
V. Other assets			
(a) Income-tax deducted at source (net of provisions)	255	0	0
(b) Advance tax paid (net of provision)	256	0	0
(c) Interest due on Government securities	257	0	0
(d) Others (to be specified)	258	100	
Total weighted assets (Items 210 to 258 please exclude item codes prefixed by "ST")	200		

NOTES:

1. Netting may be done in respect of assets where provisions for depreciation or for bad and doubtful debts have been made.
2. Stock on hire should be shown net of finance charges i.e. interest and other charges recoverable.
3. Assets which have been deducted (item code 150) from owned fund to arrive at net owned fund will have a weightage of '0'.
4. Netting may be done in respect of total outstanding exposure of a borrower by cash margin/caution money/security deposits against which right to set-off is available.

PART - E

Weighted non-funded exposures/off-balance sheet items

Item Name	Item Code	Book value	Conversion factor	Equivalent value	Risk weight	Adjusted value
1. Financial & Other guarantees	310		100		100	
2. Share/debenture underwriting obligations	320		50		100	
3. Partly paid shares/ debentures	330		100		100	
4. Bills rediscounted	340		100		100	
5. Lease contracts entered into but yet to be executed	350		100		100	
6. Other contingent liabilities (To be specified)	360		50		100	
Total non-funded exposures (Items 310 to 360)	300		--		--	

Note: Cash margin/deposits shall be deducted before applying the conversion factor.

PART - F
Asset Classification

I. Aggregate of credit exposures categorised into:

Item name	*Item code*	*Amount*
(i) Standard assets	411	
(ii) Sub-standard assets :		
(a) Lease and hire purchase assets	412	
(b) Other credit facilities	413	
(iii) Doubtful assets	414	
(iv) Loss assets	415	
Total (411 to 415)	**410**	

Note: (item 410 should tally with CT200)

II. Aggregate provisioning in respect of I above as per the Directions prescribed

Item Name	Item code	Provision required	Actual provision made
(A) Loans, advances and other credit facilities			
(i) Sub-standard assets :			
(a) entire amount taken to the credit of profit and loss account before the asset became NPA and remaining unrealised [paragraph 3(2) of the Directions]	421		
(b) 10% of the balance of outstanding dues	422		
(ii) Doubtful assets :			
(a) entire amount taken to the credit of profit and loss account before the asset became NPA and remaining unrealised [paragraph 3(2) of the Directions]	423		

Item Name	Item code	Provision required	Actual provision made
(b) 100% to the extent not covered by realisable value of security plus 20% to 50% of the secured portion for the period the asset has remained doubtful	424		
(iii) Loss assets :			
(a) entire amount taken to the credit of profit and loss account before the asset became NPA and remaining unrealised [paragraph 3(2) of the Directions]	425		
(b) 100 % of the outstanding balance	426		
Total: (Item No.421 to 426)	**ST426**		

(B) Hire purchase and Leased assets

(i) Sub-standard assets : [paragraph 9(2) of the Directions]

Hire Purchase assets

(a) entire amount taken to the credit of profit and loss account before the asset became NPA and remaining unrealised [paragraph 3(3) of the Directions]	427
(b) deficit between total dues and depreciated value [paragraph 9(2)(i) of the Directions]	428
(c) 10% of net book value [paragraph 9(2)(ii) of the Directions]	429

Leased Assets

(d) net lease rentals credited to profit and loss account before the asset became NPA and remaining unrealised [paragraph 3(4) of the Directions]	430
(e) 10% of the net book value [paragraph 9(2)(ii) of the Directions]	431

Item name	Item code	Provision required	Actual provision made
(ii) Doubtful assets			
Hire Purchase assets			
(a) entire amount taken to the credit of profit and loss account before the asset became NPA and remaining unrealised [paragraph 3(3) of the Directions]	432		
(b) deficit between total dues and depreciated value [paragraph 9(2)(i) of the Directions]	433		
(c) 40% of net book value [paragraph 9(2)(ii) of the Directions]	434		
Leased Assets			
(d) net lease rentals credited to profit and loss account before the asset became NPA and remaining unrealised [paragraph 3(4) of the Directions]	435		
(e) 40% of the net book value [paragraph 9(2)(ii) of the Directions]	436		
Hire Purchase assets			
(f) entire amount taken to the credit of profit and loss account before the asset became NPA and remaining unrealised [paragraph 3(3) of the Directions]	437		
(g) deficit between total dues and depreciated value [paragraph 9(2)(i) of the Directions]	438		
(h) 70% of net book value [paragraph 9(2)(ii) of the Directions]	439		
Leased Assets			
(i) net lease rentals credited to profit and loss account before the asset became NPA and remaining unrealised [paragraph 3(4) of the Directions]	440		
(j) 70% of the net book value [paragraph 9(2)(ii) of the Directions]	441		

Item name	Item code	Provision required	Actual provision made
(iii) Loss assets			
Hire Purchase assets			
(a) entire amount taken to the credit of profit and loss account before the asset became NPA and remaining unrealised [paragraph 3(3) of the Directions]	442		
(b) deficit between total dues and depreciated value [paragraph 9(2)(i) of the Directions]	443		
(c) 100% of net book value [paragraph 9(2)(ii) of the Directions]	444		
Leased Assets			
(a) net lease rentals credited to profit and loss account before the asset became NPA and remaining unrealised [paragraph 3(4) of the Directions]	445		
(b) 100% of the net book value [paragraph 9(2)(ii) of the Directions]	446		
Sub-Total: (item No.427 to 446)	**ST 446**		
Total provisions (ST426+ST446)	**420**		
III. Other provisions in respect of :			
(i) Depreciation in fixed assets	451		
(ii) Depreciation in investments	452		
(iii) Loss/intangible assets	453		
(iv) Provision for taxation	454		
(v) Gratuity/provident fund	455		
(vi) Others (to be specified)	456		
Total	**450**		

PART- G

Particulars regarding investments in and advances to companies/firms in the same group and other non-banking financial companies

Item name	Item code	Amount
i) Book value of bonds and debentures and outstanding loans and advances to and deposits with subsidiaries and companies in the same group (Details to be enclosed in Appendix No.).	510	
ii) Investments in shares of subsidiaries and companies in the same group and all non-banking financial companies (Details to be enclosed in Appendix No.).	520	
iii) Investments by way of shares, debentures, loans and advances, leasing, hire purchase finance, deposits etc. in other companies, firms and proprietary concerns where directors of the company hold substantial interest (Details to be enclosed in Appendix No.).	530	

PART - H

Particulars regarding concentration of advances including off balance sheet exposure and investments to parties including those in Part G above

Item name	Item Code	Amount
i) Loans and advances including off-balance sheet exposures to any single party in excess of 15 per cent of owned fund of the non-banking financial company (Details to be enclosed in Appendix No.)	610	
ii) Loans and advances including off-balance sheet exposures to a single group of parties in excess of 25 per cent of owned fund of the non-banking financial company (Details to be enclosed in Appendix No.)	620	
iii) Investments in a single company in excess of 15 per cent of the owned fund of the non-banking financial company (Details to be enclosed in Appendix No.)	630	
iv) Investments in the shares issued by a single group of companies in excess of 25 per cent of the owned fund of the non-banking financial company	640	
v) Loans, advances to (including debentures/ bonds and off-balance sheet exposures) and investment in the shares of single party in excess of 25 per cent of the owned fund of the non-banking financial company	650	
vi) Loans, advances to (including debentures/ bonds and off-balance sheet exposures) and investment in the shares of single group of parties in excess of 40 per cent of the owned fund of the non-banking financial company	660	

Notes :

(1) All these exposure limits shall be applicable to the non-banking financial company's own group as well as to the borrower/investee company's group.

(2) Investment in debentures for this purpose shall be treated as credit and not investment.

Part - I

Particulars regarding Investments in premises and unquoted shares

Item name	Item Code	Amount
(i) Investments in Premises, (Land and buildings) except for own use, (out of item code 253 in the return) held by the company in excess of 10 percent of the owned fund		
(a) Acquired by the company independently	710	
(b) Acquired in satisfaction of its debts.	720	
(ii) Investments in unquoted shares except those held in the subsidiaries and companies in the same group (vide item code 141 and 142) in excess of		
(a) 10 percent of the owned fund in case of Asset Finance Companies	730	
(b) 20 percent of the owned fund in case of loan and investment companies	740	

PART – J

Particulars on suit filed and decreed debts by the non-banking financial company and against it

Item Name	Item Code	Amount
I.		
(i) Loans, advances, other credit facilities, leased assets and hire purchase assets for which the non-banking financial company has filed suits in any Court of Law for recovery of its dues including the decreed debts :	810	
Pending for over 5 years	811	
Pending for 3 to 5 years	812	
Pending for 1 to 3 years	813	
Pending for less than one year	814	
(ii) Out of (I) above, the loans, advances, other credit facilities and hire purchase assets for which decree has been obtained by the non-banking financial company	820	
(iii) Recoveries made in suit filed / decreed debts (including amounts deposited in the Court)	830	
II. Suit filed and decreed against the company	840	

CERTIFICATE

Certified that

(1) the data/information furnished in this statement are in accordance with the Directions issued by the Reserve Bank of India relating to income recognition, accounting standards, asset classification, provisioning for bad and doubtful debts, capital adequacy and concentration of credit and investments. The statement has been compiled from the books of account and other records of the company and to the best of my knowledge and belief they are correct;

(2) Reserve Bank's classification of the company as a ..... on the basis of its principal business as evidenced from its asset and income pattern continues/does not continue to hold good (delete whatever is not applicable);

(3) the company has accepted public deposit and the quantum of such deposit is within the limits applicable to the company;

(4) the company has not paid interest/brokerage on deposit beyond the ceiling prescribed under the Directions;

(5) the company has not defaulted in repayment of matured deposit;

(6) the credit rating for fixed deposits assigned by the Credit Rating Agency viz.----------(Name of the Agency) at ----------(rating level) is valid;

(7) the capital adequacy as disclosed in part C of the return after taking into account the particulars contained in part D, E and F has been correctly worked out;

(8) the aggregate of amount outstanding in respect of loans, equipment leasing, hire purchase finance and investment held together with other assets of the company during the half year ended March / September _____ is taken into account to ensure that the minimum stipulated capital adequacy ratio as applicable to the company has been maintained throughout the relevant period on an on-going basis;

(9) classification of assets as disclosed in part F of the return has been verified and found to be correct. No rollover/rephasement of loans, lease and hire purchase transactions and bills discounted beyond due dates has been observed. The sub-standard or doubtful or loss asset, if up-graded, has been done so, in conformity with the Non-Banking Financial (Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007;

(10) investments in group companies as disclosed in part G of the return, exposures to individuals/firms/other companies exceeding the credit/investment concentration norms as disclosed in part H of the half-yearly return, investments in premises and unquoted shares as

disclosed in part I of the return and particulars on suit filed and decreed debts by the company and against it as disclosed in part J of the return and classification of such assets is correct.

Place :
Date :

For and on behalf of
(Name of the company)

Managing Director/Chief Executive Officer

Auditor's Report

We have examined the books of account and other records maintained by ..... Limited in respect of the capital funds, risk assets/exposures and risk asset ratio etc. as on .....20.., and statements/certificate hereinabove made by the Managing Director/Chief Executive Officer of the company or his authorised representative. On the basis of random checking, we certify the statement in paragraph (8) above. We further report that to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and as shown by the record examined by us, the figures shown in Parts A, B, C, D, E, F, G, H, I and J of the statement hereinabove are correct.

Place:

Date:

Statutory auditors

Annex 3

Form NBS 6

Monthly return on exposure to capital market

as at end of month_____, 20...

Name of the NBFC/RNBC :

Company Code No. :
(To be filled by RBI)

Address of Registered Office:

RBI Registration No.:

Classification of the Company : AFC/Loan/Investment/RNBC

Notes and Instructions for filling of the Return

1. **Applicability**

This return is to be filled by all deposit taking NBFCs having total assets of Rs 100 crore and above as on March 31 of the previous year (e.g. for the return for the month of April 2007 or October 2007 the base date total assets would be March 2007, similarly for the return for the month of March 2008 base date total assets would be March 2007). In the absence of audited figures, provisional figures may be taken for the purpose.

2. The return should be submitted to the Regional Office of the Department of Non-Banking Supervision, Reserve Bank of India under whose jurisdiction its Registered Office is situated.

3. **Definition of capital market exposure (CME)**

The CME, for the purpose of this return, would be the aggregate of exposures of the company in the form of:

(i) investment in quoted equity shares, quoted compulsorily convertible preference shares (CCPS), quoted convertible bonds and debentures and quoted units of primarily equity oriented mutual funds;

(ii) loans and advances against securities at (i) above, including those for financing of IPOs, etc.

(iii) secured and unsecured loans and advances to and guarantees issued on behalf of stock brokers; and

(iv) underwriting commitments in respect of equity related primary issues including through book building route; and

(v) any other equity related exposure to capital market.

4. The CME does not cover acceptance of shares, debentures, units of mutual funds, etc. assigned to the NBFCs and RNBCs as collateral or additional security, if they are accepted as per normal business practice and appraisal procedure, as also the investments by RNBCs in compliance with the provisions of paragraph 6 of the Residuary Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1987.

5 'Subsidiaries' and 'Companies in the same group' mentioned in this Return have the same meanings assigned to them in Section 4 and Section 372 (11) respectively, of the Companies Act, 1956.

6 Turnover means total of sales and purchases in the same category of investments.

7 In case there is nothing to report in any part / item of the Return, ***00s*** may be indicated in the column(s) meant for *"Amount"*.

8. The Return should be signed by any of the Principal Officers as given in the Annual return on deposits (NBS-1/NBS-1A).

9. The term Gross Purchases indicates exposures which result in increase in capital market exposure and Gross Sales means exposure which result in decline in capital market exposure of the NBFC/RNBC.

Part 1 – Quoted Investments

(Amount in lakhs of Rs.)

Particulars of investments	Turnover during the last month			Book value as at the end of the month	Market value as at the end of month
	GP*	GS**	Total		
1. Investment in Quoted Equity shares of Companies including Public Sector Undertakings					
1.1 Companies in the same group					
1.2 Other companies					
2. Investment in quoted convertible bonds / debentures of Companies including Public Sector Undertakings					
2.1 Companies in the same group					
2.2 Other companies					
3. Investment in units of primarily equity oriented Mutual Funds					
4. Investments in quoted Compulsorily Convertible Preference Shares					
4.1 Companies in the same group					
4.2 Other companies					
5. Total of investments in quoted shares, bonds/ convertible debentures, units of primarily equity oriented Mutual Funds (1+2+3+4)					
6. Loans and advances against quoted shares or quoted convertible bonds/debentures or units of primarily equity oriented Mutual Funds to companies against					
(a) physical securities					
(b) demat securities					
6.1 Of 6 above, maximum amount given to a company					

6.2 Of 6 above, loans and advances to companies for financing of IPOs					
6.2.1 physical securities					
6.2.2 demat securities					
6.3 Of 6 above, loans and advances to					
6.3.1 Companies in the same group					
6.3.2 Other companies					
7. Loans and advances against quoted shares or quoted convertible bonds/debentures or units of primarily equity oriented Mutual Funds to Individuals, firms, HUFs and unincorporated associations of persons against					
(a) physical securities					
(b) demat securities					
7.1 Of 7 above, maximum amount of loan and advances given to one individual or a firm or an HUF or an unincorporated association of persons					
7.2. Of (7) above, loans and advances to individuals, firms, HUFs and unincorporated associations of persons for financing of IPOs against					
7.2.1 physical securities					
7.2.2 demat securities					
8. Exposure to stock brokers					
8.1 Loans to stock brokers:					
8.1.1 Secured					
8.1.2 Unsecured					
8.1.3 Sub Total 8.1.1 + 8.1.2					
8.2 Guarantees on behalf of stock brokers					
8.3 Maximum amount of loan and advances given to a stock broker					
8.4 Total of exposure to stock brokers (8.1.3+8.2)					
8.5 Of 8.4 above, the exposure to broking entities/firms in the own group of NBFC					

9. Underwriting commitments of the company in respect of equity related primary issues including through book building route				
10. Any other equity related exposure to capital market (Please specify)				
11. **TOTAL CAPITAL MARKET EXPOSURE** – (5 +6 + 7 + 8 + 9 + 10)				

Part – 2 Unquoted investments

12. Investment in unquoted Equity shares of Companies including Public Sector Undertakings				
12.1 Companies in the same group				
12.2 Other companies				
13. Investment in unquoted bonds / debentures of Companies including Public Sector Undertakings				
13.1 Companies in the same group				
13.2 Other companies				
14. Total of investments in unquoted equity shares/bonds/debentures (12+13)				

* GP – Gross Purchases

** GS – Gross Sales

Part - 3 Position as per last Audited Balance Sheet

15. Owned Funds of the company as per last audited balance sheet	
16. Total assets of the company (net of intangibles) as per last audited balance sheet	
17. Total deposits (for RNBCs)/public deposits (for NBFCs) of the company as at the end of the month to which the return relates	

Signature of Manager/ Managing Director / Authorised Official

Place : ----------

Name : ----------

Date:----------

Designation : ----------

No. DNBS. 193 DG(VI.)-2007

The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest, and being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to issue the Directions relating to the prudential norms as set out below, in exercise of the powers conferred by Section 45JA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, and in supersession of the Non-Banking Financial Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 1998 contained in Notification No. DFC. 119/DG(SPT)/98 dated January 31, 1998, gives to every non-banking financial company not accepting / holding public deposits the Directions hereinafter specified.

Short title, commencement and applicability of the Directions:

1. (1) These Directions shall be known as the "Non-Banking Financial (Non- Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007".

(2) These Directions shall come into force with immediate effect.

(3) (i) The provisions of these Directions save as provided for in clauses (ii) (iii) and (iv) hereinafter, shall apply to -

every non-banking financial company not accepting / holding public deposits.

(ii) The provisions of paragraphs 16 and 18 of these Directions shall not apply to -

(a) a loan company;
(b) an investment company;
(c) an asset finance company

which is not a systemically important non-deposit taking non-banking financial company.

(iii) These Directions shall not apply to a non-banking financial company being

an investment company;

Provided that, it is

(a) holding investments in the securities of its group/ holding/ subsidiary companies and book value of such holding is not less than ninety per cent of its total assets and it is not trading in such securities;

(b) not accepting/holding public deposit; and

(c) is not a systemically important non-deposit taking non-banking financial company.

However, the provisions of paragraphs 16 and 18 shall be applicable to such investment companies which are systemically important non-deposit taking non-banking financial company.

(iv) These Directions except the provisions of paragraph 19 shall not apply to non-banking financial company being a Government company as defined under Section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and not accepting / holding public deposit.

Definitions

2. (1) For the purpose of these Directions, unless the context otherwise requires:

(i) "break up value" means the equity capital and reserves as reduced by intangible assets and revaluation reserves, divided by the number of equity shares of the investee company;

(ii) "carrying cost" means book value of the assets and interest accrued thereon but not received;

(iii) "current investment" means an investment which is by its nature readily realisable and is intended to be held for not more than one year from the date on which such investment is made;

(iv) "doubtful asset" means .

(a) a term loan, or
(b) a lease asset, or
(c) a hire purchase asset, or
(d) any other asset,

which remains a sub-standard asset for a period exceeding 18 months;

(v) "earning value" means the value of an equity share computed by taking the average of profits after tax as reduced by the preference dividend and adjusted for extra-ordinary and non-recurring items, for the immediately preceding three years and further divided by the number of equity shares of the investee company and capitalised at the following rate:

(a) in case of predominantly manufacturing company, eight per cent;
(b) in case of predominantly trading company, ten per cent; and
(c) in case of any other company, including non-banking financial company, twelve per cent;

NOTE : If, an investee company is a loss making company, the earning value will be taken at zero;

(vi) "fair value" means the mean of the earning value and the break up value;

(vii) "hybrid debt" means capital instrument which possesses certain characteristics of equity as well as of debt;

(viii) 'infrastructure loan' means a credit facility extended by non-banking financial companies to a borrower, by way of term loan, project loan subscription to bonds/debentures/ preference shares / equity shares in a project company acquired as a part of the project finance package such that such subscription amount to be "in the nature of advance" or any other form of long term funded facility provided to a borrower company engaged in:

- Developing or
- Operating and maintaining, or
- Developing, operating and maintaining

any infrastructure facility that is a project in any of the following sectors:

a) a road, including toll road, a bridge or a rail system;
b) a highway project including other activities being an integral part of the highway project;
c) a port, airport, inland waterway or inland port;
d) a water supply project, irrigation project, water treatment system, sanitation and sewerage system or solid waste management system;
e) telecommunication services whether basic or cellular, including radio paging, domestic satellite service (i.e., a satellite owned and operated by an Indian company for providing telecommunication service), network of trunking, broadband network and internet services;
f) an industrial park or special economic zone;
g) generation or generation and distribution of power;
h) transmission or distribution of power by laying a network of new transmission or distribution lines;
i) construction relating to projects involving agro-processing and supply of inputs to agriculture;

j) construction for preservation and storage of processed agro-products, perishable goods such as fruits, vegetables and flowers including testing facilities for quality,

k) construction of educational institutions and hospitals; and

l) any other infrastructure facility of similar nature.

(ix) "loss asset" means:

(a) an asset which has been identified as loss asset by the non-banking financial company or its internal or external auditor or by the Reserve Bank of India during the inspection of the non-banking financial company, to the extent it is not written off by the non-banking financial company; and

(b) an asset which is adversely affected by a potential threat of non-recoverability due to either erosion in the value of security or non availability of security or due to any fraudulent act or omission on the part of the borrower;

(x)"long term investment" means an investment other than a current investment;

(xi) "net asset value" means the latest declared net asset value by the mutual fund concerned in respect of that particular scheme;

(xii) "net book value" means:

(a) in the case of hire purchase asset, the aggregate of overdue and future instalments receivable as reduced by the balance of unmatured finance charges and further reduced by the provisions made as per paragraph 9(2)(i) of these Directions;

(b) in the case of leased asset, aggregate of capital portion of overdue lease rentals accounted as receivable and depreciated book value of the lease asset as adjusted by the balance of lease adjustment account.

(xiii) 'non-performing asset' (referred to in these Directions as "NPA") means:

(a) an asset, in respect of which, interest has remained overdue for a period of six months or more;

(b) a term loan inclusive of unpaid interest, when the instalment is overdue for a period of six months or more or on which interest amount remained overdue for a period of six months or more;

(c) a demand or call loan, which remained overdue for a period of six months or more from the date of demand or call or on which interest amount remained overdue for a period of six months or more;

(d) a bill which remains overdue for a period of six months or more;

(e) the interest in respect of a debt or the income on receivables under the head 'other current assets' in the nature of short term loans/advances, which facility remained overdue for a period of six months or more;

(f) any dues on account of sale of assets or services rendered or reimbursement of expenses incurred, which remained overdue for a period of six months or more;

(g) the lease rental and hire purchase instalment, which has become overdue for a period of twelve months or more;

(h) in respect of loans, advances and other credit facilities (including bills purchased and discounted), the balance outstanding under the credit facilities (including accrued interest) made available to the same borrower/beneficiary when any of the above credit facilities becomes non-performing asset:

Provided that in the case of lease and hire purchase transactions, a non-banking financial company may classify each such account on the basis of its record of recovery;

(xiv) "owned fund" means paid up equity capital, preference shares which are compulsorily convertible into equity, free reserves, balance in share premium account and capital reserves representing surplus arising out of sale proceeds of asset, excluding reserves created by revaluation of asset, as reduced by accumulated loss balance, book value of intangible assets and deferred revenue expenditure, if any;

(xv) "standard asset" means the asset in respect of which, no default in repayment of principal or payment of interest is perceived and which does not disclose any problem nor carry more than normal risk attached to the business;

(xvi) "sub-standard asset" means:

(a) an asset which has been classified as non-performing asset for a period not exceeding 18 months;

(b) an asset where the terms of the agreement regarding interest and / or principal have been renegotiated or rescheduled or restructured after commencement of operations, until the expiry of one year of satisfactory performance under the renegotiated or rescheduled or restructured terms:

Provided that the classification of infrastructure loan as a sub-standard asset shall be in accordance with the provisions of paragraph 20 of these Directions;

(xvii) "subordinated debt" means an instrument, which is fully paid up, is unsecured and is subordinated to the claims of other creditors and is free from restrictive clauses and is not redeemable at the instance of the holder or without the consent of the supervisory authority of the non-banking financial company. The book value of such instrument shall be subjected to discounting as provided hereunder:

Remaining Maturity of the instruments	Rate of discount
(a) Upto one year	100%
(b) More than one year but upto two years	80%
(c) More than two years but upto three years	60%
(d) More than three years but upto four years	40%
(e) More than four years but upto five years	20%

to the extent such discounted value does not exceed fifty per cent of Tier I capital;

(xviii) "substantial interest" means holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together in the shares of a company, the amount paid up on which exceeds ten per cent of the paid up capital of the company; or the capital subscribed by all the partners of a partnership firm;

(xix) 'Systemically important non-deposit taking non-banking financial company', means a non-banking financial company not accepting / holding public deposits and having total assets of Rs 100 crore and above as shown in the last audited balance sheet."

(xx) "Tier I Capital" means owned fund as reduced by investment in shares of other non-banking financial companies and in shares debentures, bonds, outstanding loans and advances including hire purchase and lease finance made to and deposits with subsidiaries and companies in the same group exceeding, in aggregate, ten per cent of the owned fund;

(xxi) "Tier II capital" includes the following :-

(a) preference shares other than those which are compulsorily convertible into equity;

(b) revaluation reserves at discounted rate of fifty five percent;

(c) general provisions and loss reserves to the extent these are not

attributable to actual diminution in value or identifiable potential loss in any specific asset and are available to meet unexpected losses, to the extent of one and one fourth percent of risk weighted assets;

(d) hybrid debt capital instruments; and

(e) subordinated debt

to the extent the aggregate does not exceed Tier I capital.

(2) Other words or expressions used but not defined herein and defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) or the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998 shall have the same meaning as assigned to them under that Act or that Directions. Any other words or expressions not defined in that Act or that Directions, shall have the same meaning assigned to them in the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

Income recognition

3. (1) The income recognition shall be based on recognised accounting principles.

(2) Income including interest/discount or any other charges on NPA shall be recognised only when it is actually realised. Any such income recognised before the asset became non-performing and remaining unrealised shall be reversed.

(3) In respect of hire purchase assets, where instalments are overdue for more than 12 months, income shall be recognised only when hire charges are actually received. Any such income taken to the credit of profit and loss account before the asset became non-performing and remaining unrealised, shall be reversed.

(4) In respect of lease assets, where lease rentals are overdue for more than 12 months, the income shall be recognised only when lease rentals are actually received. The net lease rentals taken to the credit of profit and loss account before the asset became non-performing and remaining unrealised shall be reversed.

Explanation

For the purpose of this paragraph, 'net lease rentals' mean gross lease rentals as adjusted by the lease adjustment account debited/credited to the profit and loss account and as reduced by depreciation at the rate applicable under Schedule XIV of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

Income from investments

4. (1) Income from dividend on shares of corporate bodies and units of mutual funds shall be taken into account on cash basis:

Provided that the income from dividend on shares of corporate bodies may be taken into account on accrual basis when such dividend has been declared by the corporate body in its annual general meeting and the non-banking financial company's right to receive payment is established.

(2) Income from bonds and debentures of corporate bodies and from Government securities/bonds may be taken into account on accrual basis

Provided that the interest rate on these instruments is pre-determined and interest is serviced regularly and is not in arrears.

(3) Income on securities of corporate bodies or public sector undertakings, the payment of interest and repayment of principal of which have been guaranteed by Central Government or a State Government may be taken into account on accrual basis.

Accounting standards

5. Accounting Standards and Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (referred to in these Directions as "ICAI") shall be followed insofar as they are not inconsistent with any of these Directions

Accounting of investments

6. (1)(a) The Board of Directors of every non-banking financial company shall frame investment policy for the company and implement the same;

(b) The criteria to classify the investments into current and long term investments shall be spelt out by the Board of the company in the investment policy;

(c) Investments in securities shall be classified into current and long term, at the time of making each investment;

(d) (i) There shall be no inter-class transfer on ad-hoc basis;

(ii) The inter-class transfer, if warranted, shall be effected only at the beginning of each half year, on April 1 or October 1, with the approval of the Board;

(iii) The investments shall be transferred scrip-wise, from current to long-term or vice-versa, at book value or market value, whichever is lower;

(iv) The depreciation, if any, in each scrip shall be fully provided for and appreciation, if any, shall be ignored;

(v) The depreciation in one scrip shall not be set off against appreciation in another scrip, at the time of such inter-class transfer, even in respect of the scrips of the same category.

(2) Quoted current investments shall, for the purposes of valuation, be grouped into the following categories, viz.,

(a) equity shares,
(b) preference shares,
(c) debentures and bonds,
(d) Government securities including treasury bills,
(e) units of mutual fund, and
(f) others.

Quoted current investments for each category shall be valued at cost or market value whichever is lower. For this purpose, the investments in each category shall be considered scrip-wise and the cost and market value aggregated for all investments in each category. If the aggregate market value for the category is less than the aggregate cost for that category, the net depreciation shall be provided for or charged to the profit and loss account. If the aggregate market value for the category exceeds the aggregate cost for the category, the net appreciation shall be ignored. Depreciation in one category of investments shall not be set off against appreciation in another category.

(3) Unquoted equity shares in the nature of current investments shall be valued at cost or break up value, whichever is lower. However, non-banking financial companies may substitute fair value for the break up value of the shares, if considered necessary. Where the balance sheet of the investee company is not available for two years, such shares shall be valued at one Rupee only.

(4) Unquoted preference shares in the nature of current investments shall be valued at cost or face value, whichever is lower.

(5) Investments in unquoted Government securities or Government guaranteed bonds shall be valued at carrying cost.

(6) Unquoted investments in the units of mutual funds in the nature of current investments shall be valued at the net asset value declared by the mutual fund in respect of each particular scheme.

(7) Commercial papers shall be valued at carrying cost.

(8) A long term investment shall be valued in accordance with the Accounting Standard issued by ICAI.

Note: Unquoted debentures shall be treated as term loans or other type of credit facilities depending upon the tenure of such debentures for the purpose of income recognition and asset classification.

Need for Policy on Demand/Call Loans

7. (1) The Board of Directors of every non-banking financial company granting/intending to grant demand/call loans shall frame a policy for the company and implement the same.

(2) Such policy shall, inter alia, stipulate the following, -

(i) A cut off date within which the repayment of demand or call loan shall be demanded or called up;

(ii) The sanctioning authority shall, record specific reasons in writing at the time of sanctioning demand or call loan, if the cut off date for demanding or calling up such loan is stipulated beyond a period of one year from the date of sanction;

(iii) The rate of interest which shall be payable on such loans;

(iv) Interest on such loans, as stipulated shall be payable either at monthly or quarterly rests;

(v) The sanctioning authority shall, record specific reasons in writing at the time of sanctioning demand or call loan, if no interest is stipulated or a moratorium is granted for any period;

(vi) A cut off date, for review of performance of the loan, not exceeding six months commencing from the date of sanction;

(vii) Such demand or call loans shall not be renewed unless the periodical review has shown satisfactory compliance with the terms of sanction.

Asset Classification

8. (1) Every non-banking financial company shall, after taking into account the degree of well defined credit weaknesses and extent of dependence on collateral security for realisation, classify its lease/hire purchase assets, loans and advances and any other forms of credit into the following classes, namely.

(i) Standard assets;
(ii) Sub-standard assets;
(iii) Doubtful assets; and
(iv) Loss assets.

(2) The class of assets referred to above shall not be upgraded merely as a result of rescheduling, unless it satisfies the conditions required for the upgradation.

Provisioning requirements

9. Every non-banking financial company shall, after taking into account the time lag between an account becoming non-performing, its recognition as such, the

realisation of the security and the erosion over time in the value of security charged, make provision against sub-standard assets, doubtful assets and loss assets as provided hereunder :-

Loans, advances and other credit facilities including bills purchased and discounted

(1) The provisioning requirement in respect of loans, advances and other credit facilities including bills purchased and discounted shall be as under :

(i) Loss Assets	The entire asset shall be written off. If the assets are permitted to remain in the books for any reason, 100% of the outstanding should be provided for;
(ii) Doubtful Assets	(a) 100% provision to the extent to which the advance is not covered by the realisable value of the security to which the non-banking financial company has a valid recourse shall be made. The realisable value is to be estimated on a realistic basis;
	(b) In addition to item (a) above, depending upon the period for which the asset has remained doubtful, provision to the extent of 20% to 50% of the secured portion (i.e. estimated realisable value of the outstanding) shall be made on the following basis : -

Period for which the asset has been considered as doubtful	% of provision
Up to one year	20
One to three years	30
More than three years	50

iii) Sub-standard assets	A general provision of 10% of total outstanding shall be made.

Lease and hire purchase assets

(2) The provisioning requirements in respect of hire purchase and leased assets shall be as under:

Hire purchase assets

(i) In respect of hire purchase assets, the total dues (overdue and future instalments taken together) as reduced by

(a) the finance charges not credited to the profit and loss account and carried forward as unmatured finance charges; and

(b) the depreciated value of the underlying asset

shall be provided for.

Explanation : For the purpose of this paragraph,

(1) the depreciated value of the asset shall be notionally computed as the original cost of the asset to be reduced by depreciation at the rate of twenty per cent per annum on a straight line method; and

(2) in the case of second hand asset, the original cost shall be the actual cost incurred for acquisition of such second hand asset.

Additional provision for hire purchase and leased assets

(ii) In respect of hire purchase and leased assets, additional provision shall be made as under :

(a) Where hire charges or lease rentals are overdue upto 12 months	Nil
(b) where hire charges or lease rentals are overdue for more than 12 months but upto 24 months	10 percent of the net book value
(c) where hire charges or lease rentals are overdue for more than 24 months but upto 36 months	40 percent of the net book value
(d) where hire charges or lease rentals are overdue for more than 36 months but upto 48 months	70 percent of the net book value
(e) where hire charges or lease rentals are overdue for more than 48 months	100 percent of the net book value

(iii) On expiry of a period of 12 months after the due date of the last instalment of hire purchase/leased asset, the entire net book value shall be fully provided for.

NOTES :

(1) The amount of caution money/margin money or security deposits kept by the borrower with the non-banking financial company in pursuance of the hire purchase agreement may be deducted against the provisions stipulated under clause (i) above, if not already taken into account while arriving at the equated monthly instalments under the agreement. The value of any other security available in pursuance to the hire purchase agreement may be deducted only against the provisions stipulated under clause (ii) above.

(2) The amount of security deposits kept by the borrower with the non-banking financial company in pursuance to the lease agreement together with the value of any other security available in pursuance to the lease agreement may be deducted only against the provisions stipulated under clause (ii) above.

(3) It is clarified that income recognition on and provisioning against NPAs are two different aspects of prudential norms and provisions as per the norms are required to be made on NPAs on total outstanding balances including the depreciated book value of the leased asset under reference after adjusting the balance, if any, in the lease adjustment account. The fact that income on an NPA has not been recognised cannot be taken as reason for not making provision.

(4) An asset which has been renegotiated or rescheduled as referred to in paragraph (2) (1) (xvi) (b) of these Directions shall be a sub-standard asset or continue to remain in the same category in which it was prior to its renegotiation or reschedulement as a doubtful asset or a loss asset as the case may be. Necessary provision is required to be made as applicable to such asset till it is upgraded.

(5) The balance sheet to be prepared by the NBFC may be in accordance with the provisions contained in sub-paragraph (2) of paragraph 10.

(6) All financial leases written on or after April 1, 2001 attract the provisioning requirements as applicable to hire purchase assets.

Disclosure in the balance sheet

10. (1) Every non-banking financial company shall separately disclose in its balance sheet the provisions made as per paragraph 9 above without netting them from the income or against the value of assets.

(2) The provisions shall be distinctly indicated under separate heads of account as

under :-

(i) provisions for bad and doubtful debts; and

(ii) provisions for depreciation in investments.

(3) Such provisions shall not be appropriated from the general provisions and loss reserves held, if any, by the non-banking financial company.

(4) Such provisions for each year shall be debited to the profit and loss account. The excess of provisions, if any, held under the heads general provisions and loss reserves may be written back without making adjustment against them.

Constitution of Audit Committee by non-banking financial companies

11. A non-banking financial company having assets of Rs. 50 crore and above as per its last audited balance sheet shall constitute an Audit Committee, consisting of not less than three members of its Board of Directors.

Explanation I: The Audit Committee constituted by a non-banking financial company as required under Section 292A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall be the Audit Committee for the purposes of this paragraph.

Explanation II: The Audit Committee constituted under this paragraph shall have the same powers, functions and duties as laid down in Section 292A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

Accounting year

12. Every non-banking financial company shall prepare its balance sheet and profit and loss account as on March 31 every year. Whenever a non-banking financial company intends to extend the date of its balance sheet as per provisions of the Companies Act, it should take prior approval of the Reserve Bank of India before approaching the Registrar of Companies for this purpose.

Further, even in cases where the Bank and the Registrar of Companies grant extension of time, the non-banking financial company shall furnish to the Bank a proforma balance sheet (unaudited) as on March 31 of the year and the statutory returns due on the said date.

Schedule to the balance sheet

13. Every non-banking financial company shall append to its balance sheet prescribed under the Companies Act, 1956, the particulars in the schedule as set out in Annex.

Transactions in Government securities

14. Every non-banking financial company may undertake transactions in Government securities through its CSGL account or its demat account:

provided that no non-banking financial company shall undertake any transaction in government security in physical form through any broker.

Submission of a certificate from Statutory Auditor to the Bank

15. Every non-banking financial company shall submit a Certificate from its Statutory Auditor that it is engaged in the business of non-banking financial institution requiring it to hold a Certificate of Registration under Section 45-IA of the RBI Act. A certificate from the Statutory Auditor in this regard with reference to the position of the company as at end of the financial year ended March 31 may be submitted to the Regional Office of the Department of Non-Banking Supervision under whose jurisdiction the non-banking financial company is registered, latest by June 30, every year. Such certificate shall also indicate the asset / income pattern of the non-banking financial company for making it eligible for classification as Asset Finance Company, Investment Company or Loan Company.

Requirement as to capital adequacy

16. (1) Every systemically important non-deposit taking non-banking financial company shall maintain, with effect from April 1, 2007, a minimum capital ratio consisting of Tier I and Tier II capital which shall not be less than ten per cent of its aggregate risk weighted assets on balance sheet and of risk adjusted value of off-balance sheet items.

(2) The total of Tier II capital, at any point of time, shall not exceed one hundred per cent of Tier I capital.

Explanations:

On balance sheet assets

(1) In these Directions, degrees of credit risk expressed as percentage weightages have been assigned to balance sheet assets. Hence, the value of each asset/item requires to be multiplied by the relevant risk weights to arrive at risk adjusted value of assets. The aggregate shall be taken into account for reckoning the minimum capital ratio. The risk weighted asset shall be calculated as the weighted aggregate of funded items as detailed hereunder:

Weighted risk assets - On-Balance Sheet items

	Percentage weight
(i) Cash and bank balances including	

fixed deposits and certificates of deposits with banks	0
(ii) Investments	
(a) Approved securities [Except at (c) below]	0
(b) Bonds of public sector banks	20
(c) Fixed deposits/certificates of deposits/ bonds of public financial institutions	100
(d) Shares of all companies and debentures/bonds/commercial papers of all companies and units of all mutual funds	100
(iii) Current assets	
(a) Stock on hire (net book value)	100
(b) Intercorporate loans/deposits	100
(c) Loans and advances fully secured against deposits held by the company itself	0
(d) Loans to staff	0
(e) Other secured loans and advances considered good	100
(f) Bills purchased/discounted	100
(g) Others (To be specified)	100
(iv) Fixed Assets (net of depreciation)	
(a) Assets leased out (net book value)	100
(b) Premises	100
(c) Furniture & Fixtures	100
(v) Other assets	
(a) Income tax deducted at source (net of provision)	0

(b) Advance tax paid (net of provision)	0
(c) Interest due on Government securities	0
(d) Others (to be specified)	100

Notes:

(1) Netting may be done only in respect of assets where provisions for depreciation or for bad and doubtful debts have been made.

(2) Assets which have been deducted from owned fund to arrive at net owned fund shall have a weightage of 'zero'.

(3) While calculating the aggregate of funded exposure of a borrower for the purpose of assignment of risk weight, such non-banking financial companies may net off the amount of cash margin/caution money/security deposits (against which right to set-off is available) held as collateral against the advances out of the total outstanding exposure of the borrower.

Off-balance sheet items

(2) In these Directions, degrees of credit risk exposure attached to off-balance sheet items have been expressed as percentage of credit conversion factor. Hence, the face value of each item requires to be first multiplied by the relevant conversion factor to arrive at risk adjusted value of off-balance sheet item. The aggregate shall be taken into account for reckoning the minimum capital ratio. This shall have to be again multiplied by the risk weight of 100. The risk adjusted value of the off-balance sheet items shall be calculated as per the credit conversion factors of non-funded items as detailed hereunder : -

Nature of item	Credit conversion factor – Percentage
i) Financial & other guarantees	100
ii) Share/debenture underwriting obligations	50
iii) Partly-paid shares/debentures	100
iv) Bills discounted/rediscounted	100
v) Lease contracts entered into but yet to be executed	100

vi) Other contingent liabilities 50
(To be specified)

Note: Cash margins/deposits shall be deducted before applying the conversion factor.

Loans against non-banking financial company's own shares prohibited

17. (1) No non-banking financial company shall lend against its own shares.

(2) Any outstanding loan granted by a non-banking financial company against its own shares on the date of commencement of these Directions shall be recovered by the non-banking financial company as per the repayment schedule.

Concentration of credit/investment

18. (1) On and from April 1, 2007 no systemically important non-deposit taking non-banking financial company shall,

(i) lend to

(a) any single borrower exceeding fifteen per cent of its owned fund; and

(b) any single group of borrowers exceeding twenty five per cent of its owned fund;

(ii) invest in

(a) the shares of another company exceeding fifteen per cent of its owned fund; and

(b) the shares of a single group of companies exceeding twenty five per cent of its owned fund;

(iii) lend and invest (loans/investments taken together) exceeding

(a) twenty five per cent of its owned fund to a single party; and

(b) forty per cent of its owned fund to a single group of parties.

Provided that the ceiling on the investment in shares of another company shall not be applicable to a systemically important non-deposit taking non-banking financial company in respect of investment in the equity capital of an insurance company upto the extent specifically permitted, in writing, by the Reserve Bank of India.

Provided further that any systemically important non-deposit taking non-banking financial company, classified as Asset Finance Company by the Reserve Bank of India, may in exceptional circumstances, exceed the above ceilings on credit / investment concentration to a single party or a single group of parties by 5 per cent of its owned fund, with the approval of its Board.

Provided further that any systemically important non-deposit taking non-banking financial company not accessing public funds, either directly or indirectly, may make an application to the Bank for modifications in the prescribed ceilings.

Explanation: "Public funds" for the purpose of the proviso shall include funds raised either directly or indirectly through public deposits, Commercial Papers, debentures, inter-corporate deposits and bank finance.

(2) Every systemically important non-deposit taking non-banking financial company shall formulate a policy in respect of exposures to a single party / a single group of parties.

Notes :

(1) For determining the limits, off-balance sheet exposures shall be converted into credit risk by applying the conversion factors as explained in paragraph 16.

(2) The investments in debentures for the purposes specified in this paragraph shall be treated as credit and not investment.

(3) These ceilings shall be applicable to the credit/investment by such a non-banking financial company to companies/firms in its own group as well as to the borrowers/ investee company's group.

Information in regard to change of address, directors, auditors, etc. to be submitted

19. Every non-banking financial company not accepting/holding public deposit shall communicate, not later than one month from the occurrence of any change in:

(a) the complete postal address, telephone number/s and fax number/s of the registered/corporate office;

(b) the names and residential addresses of the directors of the company;

(c) the names and the official designations of its principal officers;

(d) the names and office address of the auditors of the company; and

(e) the specimen signatures of the officers authorised to sign on behalf of the company

to the Regional Office of the Department of Non-Banking Supervision of the Reserve Bank of India as indicated in the Second Schedule to the Non-

Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998.

Norms relating to infrastructure loan

20. (1) Applicability

(i) These norms shall be applicable to restructuring and/or rescheduling and/or renegotiation of the terms of agreement relating to infrastructure loan, as defined in paragraph 2(1)(viii) of these Directions which is fully or partly secured standard and sub-standard asset and to the loan, which is subjected to restructuring and/or rescheduling and/or renegotiation of terms.

(ii) Where the asset is partly secured, a provision to the extent of shortfall in the security available, shall be made while restructuring and/or rescheduling and/or renegotiation of the loans, apart from the provision required on present value basis and as per prudential norms.

(2) Restructuring, reschedulement or renegotiation of terms of infrastructure loan

The non-banking financial companies may, not more than once, restructure or reschedule or renegotiate the terms of infrastructure loan agreement as per the policy framework laid down by the Board of Directors of the company under the following stages

(a) before commencement of commercial production;

(b) after commencement of commercial production but before the asset has been classified as sub-standard;

(c) after commencement of commercial production and the asset has been classified as sub-standard:

Provided that in each of the above three stages, the restructuring and/or rescheduling and/or renegotiation of principal and / or of interest may take place, with or without sacrifice, as part of the restructuring or rescheduling or renegotiating package evolved.

(3) Treatment of restructured standard loan

The rescheduling or restructuring or renegotiation of the instalments of principal alone, at any of the aforesaid first two stages shall not cause a standard asset to be re-classified in the sub-standard category, if the project is re-examined and found to be viable by the Board of Directors of the company or by a functionary at least one step senior to the

functionary who sanctioned the initial loan for the project, within the policy framework laid down by the Board:

Provided that rescheduling or renegotiation or restructuring of interest element at any of the foregoing first two stages shall not cause an asset to be downgraded to sub-standard category subject to the condition that the amount of interest foregone, if any, on account of adjustment in the element of interest as specified later, is either written off or 100 per cent provision is made thereagainst.

(4) Treatment of restructured sub-standard asset

A sub-standard asset shall continue to remain in the same category in case of restructuring or rescheduling or renegotiation of the instalments of principal until the expiry of one year and the amount of interest foregone, if any, on account of adjustment, including adjustment by way of write off of the past interest dues, in the element of interest as specified later, shall be written off or 100 per cent provision made thereagainst.

(5) Adjustment of interest

Where rescheduling or renegotiation or restructuring involves a reduction in the rate of interest, the interest adjustment shall be computed by taking the difference between the rate of interest as currently applicable to infrastructure loan (as adjusted for the risk rating applicable to the borrower) and the reduced rate and aggregating the present value (discounted at the rate currently applicable to infrastructure loan, adjusted for risk enhancement) of the future interest payable so stipulated in the restructuring or rescheduling or renegotiation proposal.

(6) Funded Interest

In the case of funding of interest in respect of NPAs, where the interest funded is recognized as income, the interest funded shall be fully provided for.

(7) Income Recognition norms

The income recognition in respect of infrastructure loan shall be governed by the provisions of paragraph 3 of these Directions;

(8) Treatment of Provisions held

The provisions held by the non-banking financial companies against non-performing infrastructure loan, which may be classified as 'standard' in terms of sub-paragraph (3) hereinabove, shall continue to be held until full recovery of the loan is made.

(9) Eligibility for upgradation of restructured sub-standard infrastructure loan

The sub-standard asset subjected to rescheduling and/or renegotiation and/or restructuring, whether in respect of instalments of principal amount, or interest amount, by whatever modality, shall not be upgraded to the standard category until expiry of one year of satisfactory performance under the restructuring and/or rescheduling and/or renegotiation terms.

(10) Conversion of debt into equity

Where the amount due as interest, is converted into equity or any other instrument, and income is recognized in consequence, full provision shall be made for the amount of income so recognized to offset the effect of such income recognition:

Provided that no provision is required to be made, if the conversion of interest is into equity which is quoted;

Provided further that in such cases, interest income may be recognized at market value of equity, as on the date of conversion, not exceeding the amount of interest converted to equity.

(11) Conversion of debt into debentures

Where principal amount and/or interest amount in respect of NPAs is converted into debentures, such debentures shall be treated as NPA, ab initio, in the same asset classification as was applicable to the loan just before conversion and provision shall be made as per norms.

(12) Increase in exposure limits for Infrastructure related loan and investment

The systemically important non-deposit taking non-banking financial companies may exceed the concentration of credit/investment norms, as provided in paragraph 18 of these Directions, by 5 per cent for any single party and by 10 per cent for a single group of parties, if the additional exposure is on account of infrastructure loan and/ or investment.

(13) Risk weight for investment in AAA rated securitized paper

The investment in "AAA" rated securitized paper pertaining to the infrastructure facility shall attract risk weight of 50 per cent for capital adequacy purposes subject to the fulfilment of the following conditions:

(i) The infrastructure facility generates income / cash flows, which ensures servicing / repayment of the securitized paper.

(ii) The rating by one of the approved credit rating agencies is current and valid.

Explanation:

The rating relied upon shall be deemed to be current and valid, if the rating is not more than one month old on the date of opening of the issue, and the rating rationale from the rating agency is not more than one year old on the date of opening of the issue, and the rating letter and the rating rationale form part of the offer document.

(iii) In the case of secondary market acquisition, the 'AAA' rating of the issue is in force and confirmed from the monthly bulletin published by the respective rating agency.

(iv) The securitized paper is a performing asset.

Exemptions

21. The Reserve Bank of India may, if it considers it necessary for avoiding any hardship or for any other just and sufficient reason, grant extension of time to comply with or exempt any non-banking financial company or class of non-banking financial companies, from all or any of the provisions of these Directions either generally or for any specified period, subject to such conditions as the Reserve Bank of India may impose.

Interpretations

22. For the purpose of giving effect to the provisions of these Directions, the Reserve Bank of India may, if it considers necessary, issue necessary clarifications in respect of any matter covered herein and the interpretation of any provision of these Directions given by the Reserve Bank of India shall be final and binding on all the parties concerned.

Repeal and Saving

23. (1) The Non-Banking Financial Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 1998 shall stand repealed by these Directions.

(2) Notwithstanding such repeal, any circular, instruction, order issued under the Directions in sub–section (1) shall continue to apply to non-banking financial companies in the same manner as they applied to such companies before such repeal.

(V. Leeladhar)
Deputy Governor

Annex

Schedule to the

Balance Sheet of a non-deposit taking non-banking financial company

(as required in terms of paragraph 13 of Non-Banking Financial (Non-Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007)

(Rs. in lakhs)

	Particulars		
	Liabilities side :		
(1)	**Loans and advances availed by the non-banking financial company inclusive of interest accrued thereon but not paid:**	Amount out-standing	Amount overdue
	(a) Debentures : Secured		
	: Unsecured		
	(other than falling within the meaning of public deposits*)		
	(b) Deferred Credits		
	(c) Term Loans		
	(d) Inter-corporate loans and borrowing		
	(e) Commercial Paper		
	(f) Other Loans (specify nature)		
	* Please see Note 1 below		

	Assets side :	
		Amount outstanding
(2)	**Break-up of Loans and Advances including bills receivables [other than those included in (4) below] :** (a) Secured (b) Unsecured	
(3)	**Break up of Leased Assets and stock on hire and other assets counting towards AFC activities**	
	(i) Lease assets including lease rentals under sundry debtors : (a) Financial lease (b) Operating lease (ii) Stock on hire including hire charges under sundry debtors: (a) Assets on hire (b) Repossessed Assets (iii) Other loans counting towards AFC activities (a) Loans where assets have been repossessed (b) Loans other than (a) above	
(4)	**Break-up of Investments :** Current Investments : 1. Quoted : (i) Shares : (a) Equity (b) Preference (ii) Debentures and Bonds (iii) Units of mutual funds (iv) Government Securities (v) Others (please specify)	

	2. Unquoted : (i) Shares : (a) Equity (b) Preference
	(ii) Debentures and Bonds
	(iii) Units of mutual funds (iv) Government Securities (v) Others (please specify) Long Term investments : 1. Quoted : (i) Shares : (a) Equity (b) Preference (ii) Debentures and Bonds (iii) Units of mutual funds (iv) Government Securities (v) Others (please specify) 2. Unquoted : (i) Shares : (a) Equity (b) Preference (ii) Debentures and Bonds (iii) Units of mutual funds (iv) Government Securities (v) Others (please specify)
(5)	**Borrower group-wise classification of assets financed as in (2) and (3) above :** Please see Note 2 below

Category	Amount net of provisions		
	Secured	Unsecured	Total
1. Related Parties **			
(a) Subsidiaries			
(b) Companies in the same group			
(c) Other related parties			

	2. Other than related parties			
	Total			

(6)	**Investor group-wise classification of all investments (current and long term) in shares and securities (both quoted and unquoted):** Please see note 3 below		
	Category	Market Value / Break up or fair value or NAV	Book Value (Net of Provisions)
	1. Related Parties **		
	(a) Subsidiaries		
	(b) Companies in the same group		
	(c) Other related parties		
	2. Other than related parties		
	Total		

** As per Accounting Standard of ICAI (Please see Note 3)

(7) Other Information

	Particulars	Amount
(i)	Gross Non-Performing Assets	
	(a) Related parties	
	(b) Other than related parties	
(ii)	Net Non-Performing Assets	
	(a) Related parties	
	(b) Other than related parties	
(iii)	Assets acquired in satisfaction of debt	

Notes:

1. As defined in paragraph 2(1)(xii) of the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998.

2. Provisioning norms shall be applicable as prescribed in Non-Banking Financial (Non-Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007

3. All Accounting Standards and Guidance Notes issued by ICAI are applicable including for valuation of investments and other assets as also assets acquired in satisfaction of debt. However, market value in respect of quoted investments and break up/fair value/NAV in respect of unquoted investments should be disclosed irrespective of whether they are classified as long term or current in (4) above.

XXX

Mumbai-400005, the 24th April 2007

No. DNBS. 195/CGM (PK)-2007.—

The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998, in exercise of the powers conferred by Sections 45J, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the said directions contained in Notification No. DFC. 118 / DG (SPT)-98 dated January 31, 1998 shall stand amended, with immediate effect, as follows, namely –

In Paragraph 4, sub-paragraph (7) shall be substituted by the following, namely

> "(7) On and from April 24, 2007, no non-banking financial company shall invite or accept or renew public deposit at a rate of interest exceeding twelve and half per cent per annum. Interest may be paid or compounded at rests which shall not be shorter than monthly rests."

P. KRISHNAMURTHY
Chief General Manager-in-Charge

No. DNBS. 196/CGM (PK.)-2007.—
The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Miscellaneous Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1977, in exercise of the powers conferred by Sections 45J, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the said directions contained in Notification No. DNBC. 39 / DG (H)-77 dated June 20, 1977 shall stand amended with immediate effect, as follows, namely -

1. In paragraph 9A, for the words and figures, "March 4, 2003", the words and figures "April 24, 2007" shall be substituted.

2. In paragraph 9A, in clause (a), for the word "eleven", the words "twelve and a half" shall be substituted.

P. KRISHNAMURTHY
Chief General Manager-in-Charge

Mumbai-400005, the 20th April 2007

DBOD. No. Ret.BC.83/12.01.001/2006-07.—
Consequent upon the notification of Section 3 of the Reserve Bank of India (Amendment) Act, 2006, the amendment carried out to sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) has come into force with effect from April 01, 2007. Accordingly, the minimum Cash Reserve Ratio (CRR) requirement of 3 per cent of the total demand and time liabilities no longer exists in respect of Scheduled Commercial Banks with effect from April 01, 2007. It has been decided to modify the operation of Notification DBOD. No.Ret.BC.73/12.01.001/2006-07 dated April 04, 2007 accordingly. Further in exercise of the powers conferred under the amended sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Reserve Bank of India hereby notifies that every Scheduled Commercial Bank should continue to maintain a Cash Reserve Ratio of 6.25 per cent from the fortnight beginning from April 14, 2007 and 6.50 per cent from the fortnight beginning from April 28, 2007, subject to the exemptions as envisaged in Notification No.DBOD.Ret.BC.85 /12.01.001/2006-2007 dated April 20, 2007.

ANAND SINHA
Executive Director

DBOD. No. Ret.BC.85/12.01.001/2006-07.—

Consequent upon the notification of Section 3 of the Reserve Bank of India (Amendment) Act, 2006 as coming into force with effect from April 01, 2007, the amendment carried out to sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) has been brought into force. Accordingly, the statutory minimum Cash Reserve Ratio (CRR) requirement of 3 per cent of the total demand and time liabilities in respect of Scheduled Commercial Banks no longer exists with effect from April 01, 2007. Therefore, it has been decided to modify the operation of the notification DBOD. No .BC. 83 /12.01.001/ 2006-2007 dated March 01, 2007 accordingly with effect from April 01, 2007. In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Reserve Bank of India hereby exempts every Scheduled Commercial Bank from the maintenance of Cash Reserve Ratio (CRR) on the following liabilities with effect from April 01, 2007:

(i) Liabilities to the banking system in India as computed under Clause (d) of the explanation to sub-section (1) of Section 42 of the RBI Act, 1934;

(ii) Credit balances in ACU (US$) accounts;

(iii) Transactions in Collateralized Borrowing and Lending Obligation (CBLO) with Clearing Corporation of India Ltd.(CCIL);and

(iv) Demand and Time Liabilities in respect of their Offshore Banking Units (OBUs)

ANAND SINHA
Executive Director

DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS
CENTRAL DEBT DIVISION
Mumbai, the 25th April 2007

In pursuance of Rule 18 of the Public Debt Rules, 1946 made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April 1946 [as amended under the Notification No. F (8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990], the following list of securities lost etc. in respect of which *prima facie* ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended March 2007 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai-400 008.

The list has been divided into two parts List "A" being securities now advertised for the first time and List "B" being the list of securities previously advertised.

List "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1.	2.	3.	4.	5	6.
		AHMEDABAD CIRCLE 9% Relief Bonds 1999 (Cumulative)			
AHC-001637	3,00,000/-	1. Harismita N. Divatia & 2. Jyoti R. Mazumdar (Either or Survivor)	N.A.	Jyoti R. Mazumdar	LN/S/001 09.03.2007
		BYCULLA MUMBAI CIRCLE 9% Relief Bonds 1999 (Demat)			
BCC 010160 to 10165	50,000/- each	Sarojini Vasudev Kamath (deceased) & Nayana P. Nayak	10.08.2000	Sarojini Vasudev Kamath (deceased) & Nayana P. Nayak	06.25.100 8-11-2006

List "B"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1.	2.	3.	4.	5	6.
		NEW DELHI CIRCLE 10% Relief Bonds 1993			
DH-000432	40,000/-	Kishan Singh	–	Smt. Jagdip Sawhney & Surinder Jit Singh	PDO/DT/LN-1/2002 dt. 5.2.2007

J. M. BAVA
Asstt. Manager

59—69 GI/2007

STATE BANK OF INDIA

Mumbai, the 28th April 2007

SBD. No. 1/2007-08.—

It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of Section 25 of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, the State Bank of India has, in consultation with Reserve Bank of India, re-nominated Shri Avtar Singh Dhindsa, 1-26, Sarabha Nagar, Ludhiana, as a director on the Board of Directors of State Bank of Patiala from 1st May 2007 to 31st October 2008 (both days inclusive).

(O. P. BHATT)
CHAIRMAN

NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi the 1st May, 2007

No. NHB.HFC.REG-II/CMD/2007- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 29A of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) the National Housing Bank, hereby specifies the minimum Net Owned Fund to be two crores of rupees for a housing finance institution which is a company which carries on the business of a housing finance institution on or before March 31, 2008.

S. SRIDHAR
Chairman & Managing Director

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 7th May 2007

No.13-CA(EXAM)/ISA/J/2007: - In pursuance of Rule 7 of Schedule 'F' to Regulation 204 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 (as amended vide Notification No. 1-CA(7)/59/2001 dated 28th September 2001), the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Information Systems Audit (ISA) Course Assessment Test will be held on **23rd June 2007 from 8.00 am to 12.00 noon** at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre as detailed below.

1	Ahmedabad	13	Kanpur
2	Bangalore	14	Kolkata
3	Bhubaneswar	15	Lucknow
4	Chandigarh	16	Mumbai
5	Chennai	17	Nagpur
6	Delhi/New Delhi	18	Nashik
7	Ernakulam	19	Pune
8	Goa	20	Raipur
9	Guwahati	21	Rajkot
10	Hyderabad	22	Surat
11	Indore	23	Varanasi
12	Jaipur		

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason. The above test is open only to eligible Members of the Institute who are already registered with the Institute for the said course. The fees payable for the above Assessment Test is Rs. 1000/-.

Payment of fees for the Assessment Test should be made only by Demand Draft. The Demand Draft may be of any Scheduled Bank and should be drawn in favour of the Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi only. Application together with the prescribed fee be sent so as to reach the Joint Secretary (Exams) at New Delhi on or before **1st June 2007**.

Applications for admission to the Assessment Test is required to be made in the prescribed form which may be obtained from the Joint Secretary (Exams), The Institute of Chartered Accountants of India, ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi – 110 002 on payment of Rs.25/- per application form. **The forms are also available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained on cash payment on or from 12th May 2007. Alternatively, the format of application form can be downloaded from the website of the Institute viz. www.icai.org and the cost of the application form of Rs. 25/- can be added to the Assessment Test fee of Rs. 1000/- and the Demand Draft for Rs. 1025/- has to be sent. The last date for receipt of duly filled in application forms is 1st June 2007.** The application together with the prescribed fee should be sent by Speed Post/Registered Post to the Joint Secretary (Exams.), New Delhi. The applications received after 1st June 2007 will not be entertained under any circumstances.

G. SOMASEKHAR
Jt. Secy. (Exams.)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 16th April 2007

No. A-12(11)-4/2002-Estt. I - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2 A) of section 97 and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation (Insurance Inspector/Manager Grade-II/Superintendent) Recruitment Regulations, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes, with the approval of the Central Government, the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Insurance Inspector/Manager Grade-II/Superintendent in the Employees' State Insurance Corporation, namely:-

1. **Short title and commencement**:- (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Insurance Inspector/Manager Grade-II/Superintendent) Recruitment Regulations, 2007.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay:-** The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. **The method of recruitment, age limit, qualification, etc.**:- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification**:- No person,

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

   shall be eligible for appointment to the said posts.

   Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these regulations.

5. **Power to relax**:- Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, after taking prior approval of the Central Government, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations, with respect to any class or category of persons.

6. **Residuary matters**:- Subject to the provisions of these regulations, all other regulations or instructions, laid down in the Employees' State Insurance Corporation (Recruitment) Regulations, 1965, applicable to the corresponding category of posts in the Corporation, shall apply to the post specified in the Schedule annexed to these regulations.

7. **Savings**:- Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972.	Age limit for Direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insurance Inspector / Manager Grade II / Superintendent	1873 * (2007) * Subject to variation depending on work load.	Group 'C' Ministerial	Rs. 5500-175-9000/-	Non-selection	No	Between 21 to 27 years. (Relaxible for Employees' State Insurance Corporation employees, Government servants and persons belonging to the reserved categories in accordance with the instructions and orders issued from time to time **Note.** The cut-off date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)	**Essential:** 1. A degree of a recognised University (Preference will be given to the graduates in Commerce/Law/ Management) 2. Working knowledge of Computer including use of office suites and databases. **Desirable** Three years service in a Government Organisation or Corporation or Government Undertaking or Local Body or Scheduled Bank, etc.	1. Age:- No 2. Educational Qualification:- No "Working knowledge of Computer including use of office suites and databases" is essential qualification for promotees through Limited Departmental Competitive Examination

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and the percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13	14
One year (for promotees) Two years (for direct recruits)	i a) 50% by promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit. b) 25% by promotion on merit on the basis of Limited Departmental Competitive Examination c) 25% by direct recruitment through a competitive examination and interview. **ii Syllabus for limited departmental competitive examination :-** (1) Employees' State Insurance Act, 1948 and the Rules and Regulations framed thereunder (2) Local Office Manual (3) Accounts Manual (4) Medical Manual (5) Recovery Manual (6) Fundamental Rules, Supplementary Rules, Staffing and office procedure, Pension Rules, Conduct Rules and General Financial Rules (7) Book Keeping and Double Entry System (8) Administrative Law (9) General Principles of Management and (10) Aptitude with [illegible]	**Promotion** Head Clerks / Assistants with 3 years regular service in the grade. **Note-1** [illegible] have completed their qualifying eligibility service and being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying eligibility service by more than half of such qualifying eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed the probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying eligibility service. **Note-2** The eligibility for admission to the limited Competitive Departmental Examination will be reckoned with reference to the date [illegible] for this purpose in the Memorandum inviting for applications for the said examination.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of** 1. Insurance Commissioner, Employees' State Insurance Corporation – Chairman 2. Additional Commissioner (Personnel & Administration), Employees' State Insurance Corporation – Member 3. An Officer of the rank [illegible] Organisation [illegible] Central Provident Fund [illegible] – Member **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)** 1. Additional Commissioner (Personnel & Administration), Employees' State Insurance Corporation – Chairman 2. [illegible]	Not applicable

[illegible]

S. KRISHNAN
Director General
ESI Corporation

JAMIA MILLIA ISLAMIA
BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2006

Liabilities	Schedule	Current Year	Previous Year
Capital Fund	1	-	1,406,831,553
Earmarked / Endowment Funds	2	144,054,552	79,218,182
Current Liabilities and Provisions	3	1,945,753,303	396,766,227
Total		**2,089,807,855**	**1,882,815,962**
Assets			
Fixed Assets (Net Block)	4	883,930,109	1,406,831,553
Investments from Earmarked / Endowment Funds	5	77,127,500	14,765,646
Investments - others	6	235,980	92,070
Current Assets, Loans & Advances	7	617,958,764	461,126,693
Miscellaneous Expenditure to the extent not written off (Debit Balance in the Capital Fund)		510,555,502	-
Total		**2,089,807,855**	**1,882,815,962**

Sd.	Sd.	Sd.	Sd.
(Aayatullah)	(Zafarullah Khan)	(N.U. Siddiqui)	(S.M. Afzal)
Accountant	**Accounts Officer**	**Finance Officer**	**Registrar**

JAMIA MILLIA ISLAMIA, NEW DELHI-110025
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2006

A. INCOME

(Amount in Rs.)

Particulars	Schedule	Amount
Grants in aid /subsidies	8	531,586,890
Academic receipts	9	59,836,671
Income from Publications	10	21,290
Income from Investment	11	21,359
Interest earned	12	13,935,425
Other Income	13	19,719,045
Prior Period Income	14	6,297,118
Total (A)		**631,417,798**

B. EXPENDITURE

Establishment Expenses	15	636,988,851
Academic Expenses	16	30,882,148
Administrative Expenses	17	78,785,623
Repairs and Maintenance	18	35,821,129
Miscellaneous Expenses	19	10,479,049
Depreciation	4	76,723,637
Prior Period Expenditure	20	1,231,469,341
Total (B)		**2,101,149,778**
Balance Being Surplus/(Deficit) carried to Capital Fund (A-B)		**-1,469,731,980**
Significant Accounting Policies	21	
Contingent Liabilities & Notes on Accounts	22	

61—69 GI/2007

Jamia Millia Islamia

Schedules Forming part of Balance Sheet as on 31.03.2006

Schedule 1: Capital Fund

Particulars		Current Year	Previous Year
Opening Balance		1,406,831,553	1,188,931,827
Add: Grants to the extent utilised for capital expr.		156,906,183	
		1,563,737,736	
Add: Gifted assets	42,366		
Assets created out of Earmarked Funds(UDF)	586,726		
Assets created out of sponsored projects-MCRC	2,012,055		
Assets created out of sponsored projects-MAIN	13,897,355		
Assets created out of Hostel & Kitchen	289,299		
Capitalisation of expr. Wrongly treated as Rev. expr.in past	763,731		
Assets created from SFC only	30,787,124		
		48,378,656	
Add: Value of Bonus Shares from Muktaba Jamia Ltd.		143,910	
Total		**1,612,260,302**	
Less: Reduction of Capital Fund due to Depreciation for all the years upto including 2004-05	650,836,458		
Less: Assets written off during the year	2,247,366	653,083,824	217,899,726
Balance		**959,176,478**	
Less: Deficit for the year as per Income & Expenditure account		1,469,731,980	
Closing Balance *		**(510,555,502)**	**1,406,831,553**

*Note: The debit balance in the Capital Fund has been shown on the Assets side of the Balance Sheet against the head "Miscellaneous expenditure to the extent not written off"

Schedule 2: Earmarked / Endowment Funds

Particulars	Fund-Wise Break up						
	University Devpt. Fund	HBA Fund	MCA Fund	UGC JRF	SRC Publication Fund	Endowment Funds	Total
a) Opening Balance	21,442,267	33,110,438	2,652,156	1,413,809	2,801,857	17,797,655	**79,218,182**
b) Additions during the year	81,267,332	5,009,078		2,920,253	5,904,939	4,467,768	**99,569,370**
i) Income from investments made of the funds	1,061,370	15,582,503				119,224	**16,763,097**
ii) Accrued Interest on investments made of the funds							
iii) Other additions					465,809		**465,809**
Total	**103,770,969**	**53,702,019**	**2,652,156**	**4,334,062**	**9,172,605**	**22,384,647**	**196,016,458**
c) Utilisation /Expenditure towards objectives of funds		37,905,520	2,652,156	3,348,819	219,749	2,101,469	**46,227,713**
i) Revenue expenditure	305,936						**305,936**
ii) Capital Expenditure	586,726				4,841,531		**5,428,257**
Total	**892,662**	**37,905,520**	**2,652,156**	**3,348,819**	**5,061,280**	**2,101,469**	**51,961,906**
Closing balance at the year end	**102,878,307**	**15,796,499**	**-**	**985,243**	**4,111,325**	**20,283,178**	**144,054,552**
Previous Year	21,442,267	33,110,438	2,652,156	1,413,809	2,801,857	17,797,655	**79,218,182**

Note 1. The amount of Rs. 1,55,82,503 shown against Income from investments represents accrued interest income on House Building Advances to employees.

2. Additions during the year against SRC Publication Fund represents the grant received from UGC (Rs. 62,00,000) for the construction of State Resource Centre Building, less the opening debit balance of Rs. 295,061.

Schedule 2A:

	ENDOWMENT FUNDS - 31.03.2006		Amount	Total
1	PROF. M. MUJEEB RESEARCH PRIZE FUND	Deposit	6,686	
2	E.J. KELLALT SCHOLARSHIP FUND	Deposit	157,938	
3	DISABLED CHILDREN FUND (NURSERY SCHOOL)	Deposit	49,417	
4	STUDENTS UNION SCHOLORSHIP FUND	Deposit	765,786	

5	QAZI MOHAMMAD AHMAD MEMORIAL FUND	Deposit	28,971	
6	MIRZA MEHMOOD BEG SCHOLARSHIP	Deposit	2,000	
7	S.C. SHUKLA MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND	Deposit	213,691	
8	PROF. DALEEP ENDOWMENT FUND	Deposit	25,000	
9	PROF. SAEED ANSARI MEMORIAL SCHOLARSHIP	Deposit	104,630	
10	BARR.& MRS. N-DIN & AHMAD MEM. SCHOLARSHIP	Deposit	26,107	
11	JAMIA TEACHERS SCHOLARSHIP FOR STUDENT	Deposit	60,500	
12	KANWAR MOHINDER SINGH BEDI LIT TRUST	Deposit	12,000	
13	SCHOLARSHIP FUND FOR TOPPER (CLASS X-XII)	Deposit	75,504	
14	PRIZE FUND FOR BEST ESSAYS	Deposit	93,599	
15	ISLAMIC STUDIES SCHOLARSHIP FUND FOR TOPPER	Deposit	249,039	
16	TEHAT & MERSIA KHWANI FUND	Deposit	10,500	
17	SCHOLARSHIP FUND FOR TOPPER - ARABIC DEPTT.	Deposit	132,481	
18	SCHOLARSHIP FUND FOR TOPPER OF FACULTIES	Deposit	219,714	
19	NASIMA EDUCATIONAL AWARD FOR TOPPER	Deposit	125,000	
20	MOHAMMAD AIJAZ STUDENT TOP EXCEL AWARD	Deposit	125,000	
21	BARR. NOORUDDIN MEM. SCHOLARSHIP FUND	Deposit	1,100,000	
22	BIKRAM N.NANDA MEMORIAL ENOWMENT FUND (ATWS)	Deposit	114,614	
23	CENTRAL SCHOLARSHIP FUND	Deposit	251,803	
24	ANSARI HEALTH CENTRE - UPGRADATION OF	Deposit	476,000	
25	MUSHER FATMA MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND	Deposit	80,000	**4,505,980**
1	ZAKIR HUSSAIN ENDOWMENT	Earmarked	1,500,000	
2	DALIT STUDY CHAIR ENDOWMENT**	Earmarked	13,277,637	
3	DALIT STUDY CHAIR***	Earmarked	348,993	**15,126,630**
1	FUND FOR AWARD/FELLOWSHIP TO YOUNG MEDIA PERSONS (MCRC)	MCRC	653,043	
2	MEDIA STAR SCHOLARSHIP(MCRC)	MCRC	12,082	**665,125**
	TOTAL			**20,297,735**
	Less: Debit Balance			
1	JAMIA TEACHERS SCHOLARSHIP FUND*	Deposit	11,857	
2	STIPEND/SCHOLARSHIP(MCRC)	MCRC	2,700	**14,557**
	NET AMOUNT			**20,283,178**
	*Recoveries in April 2006			
	**Represents the corpus with 50% of the interest, cumulated every year.			
	***Represents the balance 50% of the interest which is used for the expenditure on the chair.			

Schedule 3 : CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

		Current Year		Previous Year
A. CURRENT LIABILITIES				
(i)	Deposits from staff	-		2,000
(ii)	Deposits from Students	11,989,554		10,382,006
(iii)	Deposits Others (EMD, Security Deposit)	25,982,577		20,296,587
(iv)	Statutory Liabilities (GPF, TDS, WC TAX, CPF, GIS,NPS)			6,341,839
(v)	Other Current Liabilities			
	a) Salaries	31,179,533		-
	b) Receipts against sponsored projects (Net of expenditure)	36,353,981		31,118,674
	c) Receipts against sponsored Fellowships & Scholarships	1,569,765		2,150,926
	d) Unutilized Grants	349,679,108		160,459,772
	d) Other Funds	102,876,845		153,009,708
	e) Other Liabilities	5,266,940		13,004,715
	Total (A)		**564,898,303**	**396,766,227**
B. PROVISIONS				
1	Superannuation Pension	1,245,335,000		
2	Gratuity	135,520,000		
3	Leave Encashment	-		
4	Others	-	1,380,855,000	
	Total (B)		**1,380,855,000**	-
	Total (A+B)		**1,945,753,303**	**396,766,227**

SCHEDULE : 3(V) (b)

CURRENT LIABILITIES-OTHER LIABILITIES-RECEIPTS AGAINST ONGOING SPONSORED PROJECTS

HEAD OF ACCOUNT	OPENING BALANCE AS ON 1.4.2005		TRANSACTIONS DURING THE YEAR 2005-2006		CLOSING BALANCE AS ON 31.3.2006	
	DR	CR	DR	CR	DR	CR
SPONSORED PROJECTS						
FINANCED BY :						
University Grants Commission	1,637,547	5,170,951	14,112,611	10,762,922	2,341,752	2,525,467
Ministry of Human Resource Development	675,296	1,155,269	6,508,059	6,375,956	972,346	1,320,216
Ministry of Science & Technology (DST)	212,653	8,229,031	5,932,766	8,721,553	206,524	11,011,469
Ministry of Welfare	64,005	2,780	637	40,712	23,283	2,123
I.C.S.S.R.	75,757	750,605	1,157,181	948,805	27,518	493,990
I.C.H.R.	109,129	5,891	91,514	135,000	69,054	9,302
I.C.C.R.	–	–	–	250,000	–	250,000
C.S.I.R.	–	130,879	610,328	958,542	–	479,095
Miscellaneous Sources	4,680,931	10,129,690	14,977,120	14,713,018	5,747,776	10,932,433
Total:	**7,455,518**	**25,575,076**	**43,390,234**	**42,906,608**	**9,388,283**	**27,024,095**

CURRENT LIABILITIES-OTHER LIABILITIES-RECEIPTS AGAINST ONGOING SPONSORED PROJECTS

HEAD OF ACCOUNT	OPENING BALANCE AS ON 1.4.2006		TRANSACTIONS DURING THE YEAR 2006-2007		CLOSING BALANCE AS ON 31.3.2007	
	Dr.	Cr.	Dr.	Cr.	Dr.	Cr.
1	2	3	4	5	6	7
International Conf. On New Challenges For Civil Engg.	--	3,970	--	--	--	3,970
Symposium On Astronomy & Astrophysics	--	2,000	--	--	--	2,000
Trg , Prg. On Rainwater Harvesting	--	32,523	21,219	--	--	11,304
Conference On 'Recent Trends In Power Management' (Deptt. Of Electrical Engg.)	--	14,134	--	--	--	14,134
Second International Caliber-2004, Dr. Z.H. Library ,	--	98,269	600	--	--	97,669
Ranbaxy: Cyanobacterial Extracts On Various Micro-Organisms	--	3,267	78,267	100,000	--	25,000
"Third Glogift Conference" International Conference	--	105,234	3,800	--	--	101,434
Thompson Press: Community Baseline	--	780	--	--	--	780
Research Project Collaboratron With Yashraj Biotech Mumbai	--	97,500	22,762	--	--	74,738
National Workshop On "Softcomputing, Machine Learning And Bioinformatics Applications" Prof. S.I Ahsan	--	32,030	5,000	--	--	27,030
Study On Assess. Of Soc. & Eco. Impact Of Rural Roads In Up (Safia Mahdi --Atws)	--	375,000	--	--	--	375,000
Hadi Hasan Memorial Lecture	--	--	--	1,000	--	1,000
Workshop On Capacity Building For Community Teachers (Deptt Of Social Work)	--	--	11,000	11,000	--	--
Development Of New Anti-Amoebic Agents (Principal Investigator Dr Amir Azam)	--	--	--	205,500	--	205,500
National Conference On 'Advances In Mechanical Engineering'	--	--	48,900	63,719	--	14,819
National Seminar On "Emerging Issues In Inter. Business" Deptt. Of Commerce	--	--	--	10,000	--	10,000
South Asia Workshop On Human Rights Education In Schools (Osaka)	--	--	40,000	40,000	--	--
A M Khwaja Mem. Foundation Aligarh:Assist. for Lecture At Centre For J N. Studies	--	--	--	100,000	--	100,000
Seminar "India & East Asia Paradigams For New Global Co-Operation"	--		20,000	20,000	--	--
Progressive Writers Move: Ideology & Soc. Base : Centre for Jawahalal Nehru Studies	--		49,980	50,000		20
Need Assessment Servey And Impact Assessment --------Faridabad Gps : A.S Kohli	--	--	--	37,129	--	37,129
International Seminar On Amir Khusrou Deptt. Of Persian	--	--	3,586	55,000	--	51,414
Workshop On Sustainable Development	--	--	--	10,000	--	10,000
Seminar at ATWS	--	25,000	20,000	20,000	--	25,000
Corpus Fund for Computer Application & DTP Centre	--	--	77,822	259,525	--	181,703
Disaster Management Unit Deptt. of Social Work	--	--	200,500	219,307	--	18,807
TOTAL	--	**789,707**	**603,436**	**1,202,180**	--	**1,388,451**

CURRENT LIABILITIES-OTHER LIABILITIES-RECEIPTS AGAINST ONGOING SPONSORED PROJECTS - MCRC

HEAD OF ACCOUNT	OPENING BALANCE AS ON 1.4.2005		TRANSACTIONS DURING THE YEAR 2005-2006		CLOSING BALANCE AS ON 31.3.2006	
	DR.	CR.	DR.	CR.	DR.	CR.
Ratan Tata Trust	--	--	--	700,000	--	700,000
Stipend/ Scholarship	--	--	2,700	--	2,700	--
Short term course in Film Studies	--	21,983	--	--	--	21,983
Worshop Media centre of Kashmir University	--	2,780	--	--	--	2,780
Sikkim Project	--	11,847	--	--	--	11,847
PG Diploma in Broadcast	--	17,173	300,693	354,350	--	70,830
Folk Media in Social Mobilisation	--	2,600	--	--	--	2,600
Rural Litigation (RLEK)	--	20,000	--	--	--	20,000
Outside Agency	--	1,359,740	2,447,919	1,768,933	--	680,754
Pria	--	28,000	--	--	--	28,000
Workshop on EMRC	--	7,500	--	--	--	7,500
Advance Diploma in Journalism	--	--	770,392	1,452,335	--	681,943
Country wide Classroom	--	30,969	451,124	450,000	--	29,845
Unesco Project	--	--	512,014	493,640	18,374	--
Development Comm.	--	5,563,678	1,185,549	1,267,050	--	5,645,179
C.E.C.	--	34,500	--	--	--	34,500
Workshop/ Seminar	--	2,674	--	--	--	2,674
TOTAL	--	7,104,444	5,670,391	6,486,308	21,074	7,941,435
GRAND TOTAL	7,455,518	33,469,227	49,664,061	50,694,996	9,409,337	36,353,961

SCHEDULE : 3(V) (c)

CURRENT LIABILITIES-OTHER LIABILITIES-RECEIPTS AGAINST ONGOING SPONSORED FELLOWSHIPS & SCHOLARSHIPS

HEAD OF ACCOUNT	OPENING BALANCE AS ON 1.4.2005		TRANSACTIONS DURING THE YEAR 2005-2006		CLOSING BALANCE AS ON 31.3.2006	
	DR	CR	DR	CR	DR	CR
SPONSORED FELLOWSHIPS & SCHOLARSHIPS						
FINANCED BY :						
University Grants Commission	--	98,001	173,692	115,600	--	39,909
Ministry of Human Resource Development	--	17,914	17,914	--	--	--
I.C.S.S.R.	--	155,556	402,681	400,680	--	153,555
I.C.H.R.	--	86,000	399,433	392,100	2,400	81,067
I.C.C.R.	--	17,400	25,980	9,730	--	1,150
C.S.I.R.	--	800,051	2,787,968	2,490,935	--	503,018
Miscellaneous Sources	--	834,640	1,918,683	1,875,109	--	791,066
Total:	--	2,009,562	5,726,351	5,284,154	2,400	1,569,765

Schedule 3(v)(d) Unutilised Grants from UGC, Government of India

	JMI MAIN	MCRC	TOTAL
A. Plan grants: Govt. of India			
Balance B/F	18,371,621	-	18,371,621
Add Receipts during the year	-	-	-
Total	**18,371,621**	-	18,371,621
Less utilized for Capital Expenditure	13,603,769	-	13,603,769
Balance	4,767,852	-	4,767,852
Less utilized for Revenue Expenditure	-	-	-
Balance C/F	**4,767,852**	-	4,767,852
B. UGC Grants: Non-Plan			
Balance B/F	-	547,792	547,792
Add Receipts during the year	527,833,000	26,000,000	553,833,000
Total	**527,833,000**	**26,547,792**	554,380,792
Less utilized for Capital Expenditure	32,516,526	3,058,839	35,575,365
Balance	495,316,474	23,488,953	518,805,427
Less utilized for Revenue Expenditure	564,277,157	32,478,233	596,755,390
Deficit	68,960,683	8,989,280	77,949,963
Internal Receipts	75,491,664	4,779,818	80,271,482
Balance C/F	6,530,981	4,209,462	2,321,519
C. UGC Grants: Plan			
Balance B/F	8,581,626	(658,898)	7,922,728
Add Receipts during the year	93,432,071	6,598,000	100,030,071
Total	**102,013,697**	**5,939,102**	107,952,799
Less utilized for Capital Expenditure	38,932,948	416,439	39,349,387
Balance	63,080,749	5,522,663	68,603,412
Less utilized for Revenue Expenditure	7,141,982	793,324	7,935,306
Balance C/F	**55,938,767**	**4,729,339**	60,668,106
C. UGC Grants: Others			
Balance B/F	69,920,849	69,064,088	138,984,937
Add Receipts during the year	168,482,032	50,000,000	218,482,032
Total	**238,402,881**	**119,064,088**	357,466,969
Less utilized for Capital Expenditure	26,472,400	41,905,262	68,377,662
Balance	211,930,481	77,158,826	289,089,307
Less utilized for Revenue Expenditure	7,152,503	15,173	7,167,676
Balance C/F	**204,777,978**	**77,143,653**	281,921,631
Grand Total Balance C/F	**272,015,578**	**86,082,454**	**349,679,108**

UGC-EMF (2005-06) Other Grants									
Sr.	HEAD OF ACCOUNT	Opening Balance		Receipts	Total Expenditure	Capital Expenditure	Revenue Expenditure	CLOSING BALANCE	
		DR	CR					DR	CR
1	X Plan Programme Of Adult & Continuing Education & Extn.		1,746,198		525,870	275,587	250,283		1,220,328
2	Infonet Programme Establishment Of Ernet Xth Plan	174,038		1,589,600	1,544,561		1,544,561	128,999	
3	Const. Of Sub-Station For A.T.W.S, C.I.T,F/O H&L, G.House, Mgmt.Bld.			2,354,229	31,655	31,655	-		2,322,574
4	Construction Of Sub-Station At Jamia College Campus (Against Spl. Grant Of 44.28 Crore)			5,250,618	39,818	39,818	-		5,210,800
5	Construction Of Castro Canteen At J.M.I. (Against Spl. Grant Of 44.28 Crore)			3,934,383	63,457	63,457	-		3,870,926
6	Construction Of Dining Hall & Kitchen At S S. Mahdi Hall Of Res. (Against Spl. Grant Of 44.28 Crore)			4,947,303	2,281,855	2,281,855	-		2,665,448
7	Dr. Zakir Husain Studies Centre			450,000	-	-	-		450,000
8	Xth Plan Sarojini Naidu Centre For Woman Studies			860,000	848,586	243,714	604,872	-	11,414
9	Centre For Jawaharlal Nehru Studies(Against 1 Crore Grant)		9,809,549	-	708,583	573,066	135,517		9,100,966
10	Centre For Comparative Religions And Civilizations (Recuring)			500,000	428,446	165,060	263,386		71,554
11	Centre For New Gandhian Studies			820,000	474,338	128,003	346,335		345,662
12	Centre For Dalit & Minorities Studies (Recuring)			500,000	472,635	206,475	266,160		27,365
13	Centre For West Asian Studies (Recurring)			500,000	359,662	269,403	90,259		140,338
14	Centre For Spanish Portugese And Latin American Studies(Recuring)			500,000	389,952	46,606	343,346		110,048
15	Centre For Comparative Religions And Civilisations (Salaries & Allowance)			176,434	176,434	-	176,434		
16	Centre For Jawaher Lal Nehru Centre			1,163,018	1,163,018	-	1,163,018		
17	Centre For West Asian Studies (Salaries & Allowances)			595,144	595,144	-	595,144		

Sr.	HEAD OF ACCOUNT	Opening Balance		Receipts	Total Expenditure	Capital Expenditure	Revenue Expenditure	CLOSING BALANCE	
18	Centre For Dalit & Minorities Studies (Salaries & Allowances)			77,869	77,869	-	77,869		
19	Centre For Spanish Portugese And Latin American Studies (Salaries & Allowances)			57,040	57,040	-	57,040		
20	Centre For Pakistan Studies At A.T.W.S.			300,000	145,818	145,818	-		154,182
21	Jawaharlal Nehru Studies Centre (Centre Against 44.28 Crore)			500,000	231,156	50,000	181,156		268,844
22	Special Additional Grant Occasion Of Platinum Jubilee		14,964,325	-	6,581,025	6,581,025	-		8,383,300
	a. New Girls Hostel		-	-	-	-	-	-	-
	b. New Boys Hostel		-	-	-	-	-	-	-
	c. Const. of Ist & IInd Floor of Academic Building Over Nelson Mandela House (Jubilee Grant)		-	-	-	-	-	-	-
23	Assistance For Strengthing Of The Infrastructure Of Humanities & Social Science		2,758,000		1,028,481	866,212	162,269		1,729,519
24	Const. Of Building For M.Sc. Electronics & Env. Engg.				-	-	-		
25	New School Building		40,000,000	*0	-	-	-		40,000,000
26	Construction Of Five Centres & International Boys Hostel (Against Spl. Grant Of 44.28 Crore)			40,641,536	12,649,538	12,649,538	-		27,991,998
27	Construction Of New Central Library Building (Against Spl. Grant Of 44.28			48,669,323	449,255	449,255	-		48,220,068
28	Infrastructure Devlopment Grant Under Ncmp. (Special Grant Rs. 44.28 Crore)			51,233,103	-	-	-		51,233,103
29	Building - M.Sc. Electronics & Env. Engg.	1,167,877					-	1,167,877	
30	Special Assistance Programme (Drs.) Physics (2nd Phase)		3,521		3,521	-	3,521		-
31	Special Assistance Programme (Drs.) Deptt. Of History & Culture		425,310	331,811	923,949	675,755	248,094	166,728	
32	Special Assistance Programme (Drs.) English & Mel (3rd Phase)		111,382	421,456	608,880	296,768	312,112	76,042	

Sr.	HEAD OF ACCOUNT	Opening Balance		Receipts	Total Expenditure	Capital Expenditure	Revenue Expenditure	CLOSING BALANCE	
83	Special Assistance Programme (Drs.) Urdu (1st Phase)		395,835	109,165	441,724	161,552	280,172		63,276
84	Special Assistance Programme (Drs) Psychology (3rd Phase)		1,070,000	-	322,733	271,778	50,955		747,267
85	Upgradation of Computer Centre			2,000,000					2,000,000
86	IX Plan Sarojini Naidu Women Studies Centre	21,356	-	-	-	-	-	21,356	
	Total	**1,363,271**	**71,284,120**	**168,482,032**	**33,624,903**	**26,472,400**	**7,152,503**	**1,561,002**	**206,338,980**
	* Interest Rs. 1434289 & Rs 2287481. Sr Nos 23 & 28 respectivly not reflected.								

Net 20,47,77,978

Summary for Balance Sheet

Unutilized Grants			**Total**
UGC Others	Cr.	281,921,631	
UGC Plan	Cr.	60,668,106	
GOI Plan	Cr.	4,767,852	
UGC Non-Plan	Cr.	2,321,519	**349,679,108**
Grants Receivable			
UGC Non-Plan	Dr.	62,346,459	
UGC Unassigned Grants	Dr.	1,675,064	**64,021,523**

Schedule: 3(f)(d)

OTHER FUNDS							
A			**Amount**	**Total**			
1	V.C. Relief Fund	Deposit	211,800				
2	Maktaba Jamia Fund	Deposit	5,000	**216,800**			
B	**Employee, Student related Funds**						
1	Jamia Employees Relief Fund	Deposit	6,633				
2	Admn. Staff Reserve Fund	Deposit	25,770				
3	Admn. Staff Association	Deposit	28,394				
4	S.R.K. Association	Deposit	5,000				
5	University Teachers' Association	Deposit	106,695				
6	School Teachers Association	Deposit	8,346				
7	Old boys Association	Deposit	6,602				
8	Teaching Staff Club	Deposit	6,605				
9	University Students Union	Deposit	46,923				
10	Sr. Sec. School Student Association	Deposit	194,432				
11	Subject Association (For Student)	Deposit	2,800,807				
12	Co-Curruclar Activities	Deposit	431,971				
13	Literary Club - Sr. Sec. School	Deposit	9,116				
14	Student Club	Deposit	13,162				
15	Heinz Club	Deposit	43,300				
16	Science Club (Middle School & Sr Sec School)	Deposit	282,824				
17	University Magazine Fund (Student)	Deposit	1,398,400				
18	Teachers College Magazine Fund	Deposit	160,575				
19	Faculty of Engg. Magazine Fund	Deposit	642,042				
20	Sr. Sec School Magazine Fund	Deposit	320,492				
21	Middle School Magazine Fund	Deposit	68,095				
22	Masjid Deposit Fund	Deposit	721,665				
23	BMC Children Aid Fund	Deposit	76,772				
24	Lab Course Development Fund Annual	Deposit	275,886				
25	Academic Staff College Development Fund	Deposit	563,159				
26	Department Development Fund	Deposit	1,865,420				
27	University Games Fund	Deposit	357,428				
28	Sr. Sec. School Games Fund	Deposit	248,304				
29	Middle School Games Fund	Deposit	262,561				
30	Cultural Activities	Deposit	1,056,067				
31	Jamia Foundation Day Celebration (Students)	Deposit	1,639,768				
32	Supervised Study - Sr. Sec. School	Deposit	98,038				
33	Supervised Study - Middle School	Deposit	66,206				
34	Improvement of Grave Yard (Staff Contribution)	Deposit	71,371				
35	Working Women's Hostel	Deposit	514,881				

36	Adult & Continuing Eduction	Deposit	57,446				
37	Practical & Sessional Work (Fine Arts)	Deposit	799,079				
38	Craft Charges (Social Work)	Deposit	4,600				
39	Sessional Test (Sr. Sec. School)	Deposit	99,573				
40	Field Work Fee (Social Work) Placement	Deposit	177,660				
41	Home Examination Fee (Middle School)	Deposit	83,655				
42	Workshop on Remote Sening for Environment Magt.	Deposit	1,741				
43	Department Functions (Students)	Deposit	285,232				
44	Practical Training (F/Law) (Students)	Deposit	812,818				
45	Seminar & Reading Material (LLM)	Deposit	47,900				
46	Computer Training Centre at B.M.C.	Deposit	63,302				
47	SCADA Lab at JMI - Mini Thoms	Deposit	39,175				
48	Fee for NSS Programme (Students)	Deposit	33,886				
49	Case Material Fee (F/Law)	Deposit	1,543,770				
50	Counseling Fee Pre(F) Student (F/Engg.)	Deposit	401,432				
51	Remedial course English (Madrasa) D/o English	Deposit	11,044				
52	Institute of Mech. Engg.(Exam)	Deposit	21,900				
53	Architecture for Masses (F/o Engg./Tech.)	Deposit	77,749				
54	Field Work - BBS (D/o Commerce)	Deposit	25,500				
55	Department Library Fee	Deposit	57,700				
56	Lab. Development Fee	Deposit	58,000				
57	Centre for Comparative Religion & Civilizations	Deposit	8,960				
58	Short Education Tour (F/Engg./Tech.)	Deposit	848,075				
59	Talimi-Sair Tour Deposit (School)	Deposit	134,027				
60	Home Task Diary (Student)	Deposit	300,430				
61	Vehicle Account (Social Work)	Deposit	3,964				
62	Consultancy Charges (F/Engg.)	Deposit	281,333				
63	Central Sect. Library - Stipend to trainee (ZHL)	Deposit	3,525				
64	Urdu Academy (Tamseeli Mushaira)	Deposit	9,000				
65	Computer Lab Facility(Law)	Deposit	815,136				
66	Tourism & Travel Management Fee	Deposit	179,179				
67	UGC Model Curriculum for Ug Courses (Computer)	Deposit	6,523				
68	Differential Fee Translation Proficiency Programme	Deposit	66,400				
69	Students' Aid Fund	Deposit	1,759,295				
70	Activity Material & Magazine Fund	Deposit	46,266				
71	Bachchon Ki Hukoomat	Deposit	12,391				
72	Staff Development Programme	Deposit	3,337,179				
73	AIO. Trophy Cricket(M) Tournament	Deposit	602,984				
74	Golden Jubilee - Jamia Nursary School	Deposit	20				
75	One Day School - Sr. Sec. School	Deposit	11,275				

76	University Conceiling & Guidance Centre	Deposit	412,177				
77	Canteen Deposit	Deposit	3,105,300	**31,070,311**			
C	**Others**						
1	Chancellor's Donation	Deposit	6,773,002				
2	Self Financing Courses *	Deposit	48,312,996				
3	Jamia Radio Fee	Dep.&MCRC	453,529				
4	Dr Z.H. Memorial Deposit	Deposit	25,000				
5	S F Provident Fund	Deposit	8,538,966				
6	New Pension Scheme	Deposit	2,926,942				
7	Surplus - Hostel & Kitchen	H&K	3,709,563				
8	Hostel Amenities	H&K	856,206				
9	MCD - Face Lifting of VIP Graveyard out of MPLADS Funds	Earmarked	18,932				
10	Renewal & Replacement Fund(MCRC)	MCRC	6,899	**71,622,035**			
	Grand Total (A+B+C)			**102,909,146**			
	Less Debit Balance						
	Tour Deposit			32301			
				102,876,845			
*Net of debit balances in r/o the S F. Courses including central computer facility, Cont of Bldg Centre for D&Op L and the releated Dev. Funds							

SCHEDULE 4- FIXED ASSETS

Capital Assets JMI Main & MCRC Combined 2005-2006

DESCRIPTION	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
A. FIXED ASSETS:	Cost/valuation as at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/valuation at the year-end	As at the beginning of the year	Depreciation for the year at stipulated	Deductions/ Deletions/ Adj. during the year	Total up to the year-end	As at the current year-end 31.3.2006	As at the previous year-end 31.3.2005
Land	14,732,031	--	493	14,731,538	--	--	--	0	14,731,538	14,732,031
Building	593,670,339	49,889,187	--	643,559,526	94,401,266	12,871,191	--	107,272,457	536,287,069	499,269,074
Tubewell	885,573	--	--	885,573	167,987	17,711	--	185,698	699,875	717,586
Electric Fittings (Electric Install. & Equ.)	13,208,025	--	--	13,208,025	5,261,367	660,400	--	5,921,767	7,286,259	7,946,659
Printing Press (Plant & Machinery)	127,464	--	--	127,464	127,463	--	--	127,463	1	1
Lab & workshop (Scien. & Lab. Equip.)	374,233,276	45,664,343	--	419,897,619	330,776,959	14,788,477	--	345,565,436	74,332,183	43,456,317
Furniture & Equipment	217,055,892	31,924,704	--	248,980,596	96,601,908	18,673,545	--	115,275,453	133,705,144	120,453,984
Film/Vfilm (Audio Visual Equipments)	2,987,645	105,097	--	3,092,742	2,503,274	231,899	--	2,735,173	357,569	484,371
Computers	83,659,365	13,376,227	--	97,035,592	51,379,469	19,407,118	--	70,786,587	26,249,005	32,279,896
Car & Lory (Vehicles)	6,508,749	824,482	--	7,333,231	6,208,367	82,448	--	6,290,815	1,042,416	300,382
Books	87,958,040	14,120,840	2,247,366	99,831,514	63,366,512	9,983,152	1,621,671	71,727,993	28,103,521	24,591,528
Camp Equipment (Fur. & Equipment)	13,310	--	--	13,310	13,309	--	--	13,309	1	1
Gowns (others)	17,849	11,525	--	29,374	4,783	2,937	--	7,720	21,654	13,066
Telephone (Office Equipment)	--	--	--	0	--	--	--	0	0	--
Arms & Ammunition (Fur. & Equip.)	63,457	--	--	63,457	23,796	4,759	--	28,555	34,902	39,661
TOTAL OF CURRENT YEAR	1,395,121,015	155,916,405	2,247,859	1,548,789,561	650,836,460	76,723,637	1,621,671	725,938,426	822,851,137	744,284,557
PREVIOUS YEAR	1,188,594,205	206,779,972	253,162	1,395,121,015	585,412,318	65,567,692	143,552	650,836,458	744,284,557	603,181,887
B. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS	11,710,538	49,368,434	0	61,078,972	0	0	0	0	61,078,972	11,710,538
TOTAL (A+B)	1,406,831,553	205,284,839	2,247,859	1,609,868,533	650,836,460	76,723,637	1,621,671	725,938,426	883,930,109	755,995,095

(Note to be given as to cost of assets on hire purchase basis included above)

:x:x: Land 0% , Buildings 2% ,Furniture & Equipment 7.5%, Scientific. & Lab. Equip. 8%, Computers 20%, Books 10%, Others 10%, Electric Install. & Equ. 5%, Plant & Machinery 5%, Audio Visual Equipments 7.5%, Tubewell 2% , Vehicles 10%, Office Equipment 7.5%.

SCHEDULE 4- FIXED ASSETS

Progressive Position from 26.12.1988 onwards

Capital Assets JMI Main 2005-2006

DESCRIPTION	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
A. FIXED ASSETS:	Cost/valuation as at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/valuation at the year-end	As at the beginning of the year	Depreciation for the year at stipulated rate :x:x:	Deductions / Deletions/ Adj. during the year	Total up to the year-end	As at the current year-end 31.3.2006	As at the previous year-end 31.3.2005
Land	14,732,031	--	493	14,731,538	0	0	0	0	14,731,538	14,732,031
Building	587,628,941	49,889,187	--	637,518,128	92,815,096	12,750,363	--	105,565,459	531,952,669	494,813,845
Tubewell	885,573		--	885,573	167,987	17,711	--	185,698	699,875	717,586
Electric Fittings (Electric Install. & Equ.)	10,405,060		--	10,405,060	2,598,550	520,253	--	3,118,803	7,286,257	7,806,510
Printing Press (Plant & Machinery)	127,464	--	--	127,464	127,463	0	--	127,463	1	1
Lab & workshop (Scientific. & Lab Equip.)	139,191,611	305,199	--	139,496,810	95,921,315	11,159,745	--	107,081,060	32,415,750	43,270,296
Furniture & Equipment	162,301,513	30,602,750		192,904,263	85,469,615	14,467,820	--	99,937,465	92,966,798	76,831,868
Film/Video (Audio Visual Equipments)	750	--	--	750	749	0	--	749	1	1
Computers	83,659,365	13,376,227	--	97,035,592	51,379,469	19,407,118	--	70,786,587	26,249,005	32,279,896
Car & Jeep (Vehicles)	4,994,645	824,482		5,819,127	4,694,264	82,448	--	4,776,712	1,042,415	300,381
Books	85,793,082	13,514,440	2,247,366	97,060,156	61,907,208	9,706,016	1,621,671	69,991,553	27,068,603	23,885,874
Camp Equipment (Furniture & Equipment)	13,310		--	13,310	13,309	0	--	13,309	1	1
Gowns (others)	17,849	11,525	--	29,374	4,783	2,937	--	7,720	21,654	13,066
Telephone (Office Equipment)	0	--	--	0	0	0	--	0	0	0
Arms & Ammunition (Furniture & Equip)	63,457	--	--	63,457	23,796	4,759	--	28,555	34,902	39,661
TOTAL OF CURRENT YEAR	1,089,814,651	108,523,810	2,247,859	1,196,090,602	395,123,634	68,119,170	1,621,671	461,621,133	734,469,469	694,691,017
PREVIOUS YEAR	924,054,021	166,013,792	253,162	1,089,814,651	334,350,975	60,916,211	143,552	395,123,634	694,691,017	589,703,046
B. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS	11,710,538	49,368,434	--	61,078,942		--	--	--	61,078,972	11,710,538
TOTAL (A+B)	1,101,525,189	157,892,244	2,247,859	1,257,169,544	395,123,634	68,119,170	1,621,671	461,621,133	795,548,411	706,401,555

(Note to be given as to cost of assets on hire purchase basis included above)

:x:x: Land 0% , Buildings 2% ,Furniture & Equipment 7.5%, Scientific. & Lab. Equip. 8%, Computers 20%, Books 10%, Others 10%, Electric Install. & Equ. 5%, Plant & Machinery 5%, Audio Visual Equipments 7.5%, Tubewell 2% , Vehicles 10%, Office Equipment 7.5%.

SCHEDULE 4- FIXED ASSETS

Capital Assets MCRC 2005-2006

Progressive Position 1991-1992 onwards

DESCRIPTION	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
A. FIXED ASSETS:	Cost/valuation as at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/valuation at the year-end	As at the beginning of the year	Depreciation for the year at stipulated rate :x:x:	Deductions / Deletions/ Adj. during the	Total up to the year-end	As at the current year-end 31.3.2006	As at the previous year-end 31.3.2005
Land	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Building	6,041,398	--	--	6,041,398	1,586,170	120,828	--	1,706,998	4,334,400	4,455,228
Tubewell	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Electric Fittings (Electric Install. & Equ.)	2,802,965	--	--	2,802,965	2,662,817	140,147	--	2,802,964	1	140,148
Printing Press (Plant & Machinery)	--	--	--	0	--	--	--	--	--	--
Lab & workshop (Scien. & Lab. Equip.)	235,041,665	45,359,144	--	280,400,809	234,855,644	3,628,732	--	238,484,376	41,916,433	186,021
Furniture & Equipment	54,754,379	1,321,954	--	56,076,333	11,132,263	4,205,725	--	15,337,988	40,738,345	43,622,116
Film/Vfilm (Audio Visual Equipments)	2,986,895	105,097	--	3,091,992	2,502,525	231,899	--	2,734,424	357,568	484,370
Computers	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Car & Lory (Vehicles)	1,514,104	--	--	1,514,104	1,514,103	0	--	1,514,103	1	1
Books	2,164,958	606,400	--	2,771,358	1,459,304	277,136	--	1,736,440	1,034,918	705,654
Camp Equipment (Furn. & Equipment)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Gowns (others)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telephone (Office Equipment)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Arms & Ammunition (Furniture & Equip)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TOTAL OF CURRENT YEAR	305,306,364	47,392,595	--	352,698,959	255,712,826	8,604,467	--	264,317,290	88,381,666	49,593,538
PREVIOUS YEAR	264,540,184	40,766,180	--	305,306,364	251,061,343	4,651,481	--	255,712,824	49,593,540	13,478,841
B. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TOTAL (A+B)	305,306,364	47,392,595	--	352,698,959	255,712,826	8,604,467	--	264,317,290	88,381,666	49,593,538

(Note to be given as to cost of assets on hire purchase basis included above)

:x:x: Land 0%, Buildings 2%, Furniture & Equipment 7.5%, Scientific. & Lab. Equip. 8%, Computers 20%, Books 10%, Others 10%, Electric Install. & Equ. 5%, Plant & Machinery 5%, Audio Visual Equipments 7.5%, Tubewell 2%, Vehicles 10%, Office Equipment 7.5%.

Schedule 5: Investments from Earmarked/Endowment Funds

Particulars	Current Year	Previous Year
1. Debentures and Bonds	-	-
2. Others - Bank Fixed Deposits	77,127,500	14,765,646
Total	**77,127,500**	**14,765,646**

Earmarked/Endowment Funds (Fund wise)

Funds	Current Year	Previous Year
1 University Development Fund	55,000,000	-
2. SRC Publication Fund	5,300,000	-
3. Endowment Funds	16,827,500	-
Total	77,127,500	-

Schedule 6: Investments - Others

Particulars	Current Year	Previous Year
Shares in Maktaba Jamia Ltd. (at cost)		
Opening Balance	92,070	92,070
Add: Bonus Shares	143,910	-
(Equity Shares of Rs 10 each)		
Total	**235,980**	**92,070**

Schedule 7: Current Assets, Loan & Advances			
A Current Assets		**Current Year**	**Previous Year**
Cash and Bank Balances:			
1. Cash in hand (including stamps)		372,644	179,075
2. Bank Balances			
a. Scheduled Banks in Saving Bank Accounts	150,251,566		
b. In Term Deposits (including margin money)	347,102,875	497,354,441	303,700,840
Total (A)		**497,727,085**	**303,879,915**

B Loans and Advances		**Current Year**	**Previous Year**
a. Advances to Employees			
(Non-Interest Bearing)			
-- Salary			
-- Festival	625,742		
-- TA	43,000		
-- LTC	73,810		
-- Medical Advance	292,857	1,035,409	1,160,827
-- Others			
b. Long Term Advances to Employees (Interest Bearing)			
-- Fans	5,728		
-- Cycles	70,010	75,738	33,602,390
c. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind of for value to be received			
-- Advances to Supplier	2,281,040		
-- Advances on Capital a/c	3,395,635		
-- Others	22,465,763	28,142,438	26,360,423
d. Prepaid Expenses			
-- Insurance			
-- Other Expenses			
e. Deposits			
-- Telephone			
-- Lease Rent			
-- Electricity		41,812	45,794
-- Others			

66—69 GI/2007

f. Income Accrued but not due			
-- On Investments From Earmarked / Endowment Funds	1,978,426		
-- On Investments - Others	15,173,095	17,151,521	
-- On Loans & Advances			
-- Others			
g. Other receivable			
-- Debit balances in Sponsored Project	9,409,337		7,242,537
-- Debit balances in Sponsored Scholarship	2,400		
-- Grants recoverable	64,021,523		
-- Other receivables	351,501	73,784,761	88,834,807
h. Claims receivable		-	-
Total (B)		**120,231,679**	**157,246,778**
Total (A+B)		**617,958,764**	**461,126,693**

Attachment 'A'

Balances in Saving Bank Accounts as on 31.03.2006

I Indian Bank	**Main**	**MCRC**	**Total**
i. Revenue Account	59,115,929	615	**59,116,544**
ii. Plan Account	35,433,177	7,485,624	**42,918,801**
iii. Earmarked Account	3,998,001	700,000	**4,698,001**
iv Deposit Account	38,216,846	3,465,911	**41,682,757**
v Hostel & Kitchen	1,167,399	-	**1,167,399**
Total	**137,931,352**	**11,652,150**	**149,583,502**
II UBI Jamia Nagar			
i. Revenue Account	620,636	32,035	**652,671**
ii. Plan Account	-	8,621	**8,621**
iii. Deposit Account	-	6,772	**6,772**
Total	**620,636**	**47,428**	**668,064**
Grand Total I+II	**138,551,988**	**11,699,578**	**150,251,566**

JAMIA MILLIA ISLAMIA, NEW DELHI-110025

SCHEDULE 8 : GRANTS IN AID/SUBSIDIES

Particulars	Govt. of India	UGC Plan	UGC Non-Plan	UGC Others	Total
Balance B/F	18,371,621	7,922,728	547,792	138,984,937	165,827,078
Add Receipts during the year	--	100,030,071	553,833,000	218,482,032	872,345,103
Total	18,371,621	107,952,799	554,380,792	357,466,969	1,038,172,181
Less utilized for Capital Expenditure	13,603,769	39,349,387	35,575,365	68,377,662	156,906,183 (a)
Balance	4,767,852	68,603,412	518,805,427	289,089,307	881,265,998
Less Balance Carried Forward	4,767,852	60,668,106	2,321,519	281,921,631	349,679,108 (b)
Utilized for Revenue Expenditure	--	7,935,306	516,483,908	7,167,676	531,586,890 (c)

(a) Appear as additions to Capital Fund as well as Additions to Fixed Assets during the year in the Fixed Assets Schedule in the Balance Sheet.

(b) (i) Appear under Current Liabilities in the Balance Sheet.

(ii) Represented by cash and Bank Balances, Advances to Suppliers and Advances on Capital Account on the Assets side.

(c) Appears as Income in the Income and Expenditure Account.

Note: Balance of Rs. 23,21519 carried forward under non-plan takes into account internal Receipts of Rs. 8,02,71,482
Rs.7,54,91,664 (Main) Rs.47,79,818(MCRC)

JAMIA MILLIA ISLAMIA, NEW DELHI-110025

SCHEDULE 9 : ACADEMIC RECEIPTS

Particulars	JMI	MCRC	Total
A. FEE FROM STUDENTS			
Academic			
1. Tuition Fee	9,765,825	255,000	10,020,825
2. Admission Fee	922,560	7,900	930,460
3. Enrolment Fee	278,910	--	278,910
4. Library Admission Fee	1,931,170	1,550	1,932,720
5. Laboratory Fee	2,452,830	--	2,452,830
6. Annual Fee : M.School/S.S. School	103,200	--	103,200
7. Annual Fee : Nursery School	20,400	--	20,400
8 Adult & Craft Fee - BMC	23,940	--	23,940
9. Nursery Fee - BMC	36,210	--	36,210
10. Primary Fee - BMC	4,200	--	4,200
11. Registration Fee	43,000	--	43,000
Total	**15,582,245**	**264,450**	**15,846,695**
Examinations			
1. Admission Test Fee	20,145,458	993,220	21,138,678
2. Annual Examination Fee	10,365,003	--	10,365,003
3. Mark Sheet, Certificate Fee	102,550	--	102,550
Total	**30,613,011**	**993,220**	**31,606,231**
Other Fees			
1. Identity Card Fee	646,240	--	646,240
2. Fine/Misc. Fee	199,150	2,206,854	2,406,004
3. Medical Fee	832,870	--	832,870
4. Garden Fee	527,860	4,250	532,110
5. Income from UCC	30,661	--	30,661
Total	**2,236,781**	**2,211,104**	**4,447,885**
B. SALE OF PUBLICATIONS			
1. Sale of Syllabus and Question Paper etc.	246,580	--	246,580
2. Sale of Prospectus including admission forms	7,377,200	312,080	7,689,280
Total	**7,623,780**	**312,080**	**7,935,860**
Grand Total	**56,055,817**	**3,780,854**	**59,836,671**

JAMIA MILLIA ISLAMIA, NEW DELHI-110025

SCHEDULE 10 : INCOME FROM PUBLICATIONS

Particulars	JMI	MCRC	Total
Subscription : Jamia Monthly	21,290	--	21,290
Total	**21,290**	--	**21,290**

JAMIA MILLIA ISLAMIA, NEW DELHI-110025

SCHEDULE 11 : INCOME FROM INVESTMENTS

Particulars	Investment from Earmarked/Endowment	Investment - Others
1. Interest	--	--
a) On Government Securities	--	--
b) Bonds/Debentures		
2. Dividends		
a) On Shares (Maktaba Jamia Ltd.)	--	21,359
3. Others		
a) University Development Fund	1,061,370	
b) Endowment Fund	119,224	
Total	1,180,594	21,359
Transferred to Earmarked Fund/Endowment Fund	1,180,594	
Total	**0**	

JAMIA MILLIA ISLAMIA, NEW DELHI-110025

SCHEDULE 12 : INTEREST EARNED

Particulars	JMI	MCRC	Total
A. Fixed Deposits			
1. Plan Grant	1,100,114	151,707	1,251,821
2. Maintenance Grant	341,919	55,856	397,775
3. New School Building	2,287,481	--	2,287,481
4. Special Add. Grant on the Occasion of Platinum Jubilee	1,434,289	--	1,434,289
5. Nehru Centre	549,009	--	549,009
6. Construction of Hostels - Min. of Social Justice & Empowerment	3,403,784	--	3,403,784
7 Others -			
(i) Term Deposit	--	4,321,291	4,321,291
B. Savings Bank Account			
8. Bank Interest	289,975	--	289,975
Total	**9,406,571**	**4,528,854**	**13,935,425**

JAMIA MILLIA ISLAMIA, NEW DELHI-110025

SCHEDULE 13 : OTHER INCOME

Particulars	JMI	MCRC	Total
1. Income From Land & Building			
1. Hostel Room Rent	1,223,740	--	1,223,740
2. License Fee	2,203,317	--	2,203,317
3. Guest House Rent	1,312,257	--	1,312,257
4. Hire Charges of Auditorium/Play Ground/C.Centre etc.	1,842,150	--	1,842,150
5. Electricity & Water Charges	907,932	--	907,932
Total	7,489,396	--	7,489,396
2. Others			
1. Medical Contribution from Employees	1,720,549	88,435	1,808,984
2. Maint. Charges from S.F. Courses	4,324,715	--	4,324,715
3. Overhead Charges from Projects	219,285	--	219,285
4. Income from IGNOU study centre	266,910	--	266,910
5. Sale of Application Form (Recruitment)	426,719	--	426,719
6. Misc. Receipt (Sale of Tender Form, Waste Paper etc.)	4328363	854,673	5,183,036
Total	**11,286,541**	**943,108**	**12,229,649**
Grand Total	**18,775,937**	**943,108**	**19,719,045**

SCHEDULE 14 : PRIOR PERIOD INCOME

Particulars	JMI	MCRC	Total
1. Interest on Plan Grant	3,129,888	3,167,230	6,297,118
Total	**3,129,888**	**3,167,230**	**6,297,118**

SCHEDULE 15 : ESTABLISHMENT EXPENSES

Particulars	JMI			MCRC			
	Non-Plan	Plan	Total	Non-Plan	Plan	Total	Grand Total
1. Salaries and Allowances	369,103,985	5,040,972	374,144,957	20,972,318	793,324	21,765,642	395,910,599
2. Honorarium	7,440,298	--	7,440,298	--	--	--	7,440,298
3. Bonus	3,161,022	--	3,161,022	189,464	--	189,464	3,350,486
4. Retirement Benefits	1,419,825,605	--	1,419,825,605	50,372,815	--	50,372,815	1,470,198,420
Total (A)	**1,799,530,910**	**5,040,972**	**1,804,571,882**	**71,534,597**	**793,324**	**72,327,921**	**1,876,899,803**
Add : Outstanding Expenses							
1. Salaries & Allowances	27,557,116	391,268	27,948,384	1,714,887	62,023	1,776,910	29,725,294
2. Other Establishment Expenses	1,296,540	--	1,296,540	--	--	--	1,296,540
3. CPF Contribution	157,699	--	157,699	--	--	--	157,699
Total (B)	**29,011,355**	**391,268**	**29,402,623**	**1,714,887**	**62,023**	**1,776,910**	**31,179,533**
Less : Transfer by debit to Provision a/c	39,835,306	--	39,835,306	916,588		916,588	40,751,894
Less : Prior Period Expenses							
1. Salaries & Allowances	26,034,570	203,484	26,238,054	1,608,650	53,380	1,662,030	27,900,084
2. Retirement Benefits							
(i) Pension	1,045,418,000	--	1,045,418,000	39,574,000	--	39,574,000	1,084,992,000
(ii) Gratuity	111,315,000	--	111,315,000	4,714,000	--	4,714,000	116,029,000
3. Other Establishment Expenses	1,344,528	72,979	1,417,507	--	--	--	1,417,507
Total (C)	**1,223,947,404**	**276,463**	**1,224,223,867**	**46,813,238**	**53,380**	**46,866,618**	**1,271,090,485**
Grand Total (A+B-C)	**604,594,861**	**5,155,777**	**609,750,638**	**26,436,246**	**801,967**	**27,238,213**	**636,988,851**

JAMIA MILLIA ISLAMIA, NEW DELHI-110025

SCHEDULE 15 A : ESTABLISHMENT EXPENSES (SALARIES & ALLOWANCES)

Particulars	JMI			MCRC			
	Non-Plan	Plan	Total	Non-Plan	Plan	Total	Grand Total
1. Salary & Allowances	328,532,176	5,040,972	333,573,150	20,306,926	793,324	21,100,250	354,673,400
2. OTA	455,476	--	455,476	79,787	--	79,787	535,263
3. Salaries Of Adhoc Staff	1,415,214	--	1,415,214	--	--	--	1,415,214
4. Arrear Of DA	3,738,402	--	3,738,402	218,107	--	218,107	3,956,509
5. Salary Arrear Due To Increment	5,245,826	--	5,245,826	--	--	--	5,245,826
6. Salary Hostel	2,496,226	--	2,496,226	--	--	--	2,496,226
7. Provision For Visiting Professor	12,400	--	12,400	--	--	--	12,400
8. Salary Z.H.I.I.S	678,618	--	678,618	--	--	--	678,618
9. Jamia Communty Art Programme	158,773	--	158,773	--	--	--	158,773
10. Dean Fac. Engg. Staff	6,869,971	--	6,869,971	--	--	--	6,869,971
11. Deptt. Of Sepcial Assistance	1,429,300	--	1,429,300	--	--	--	1,429,300
12. L.T.C. Facilities	3,851,216	--	3,851,216	354,058	--	354,058	4,205,274
13. Medical Facilities	14,093,042	--	14,093,042	--	--	--	14,093,042
14. Reimbursement Of Tution Fee	127,343	--	127,343	13,440	--	13,440	140,783
Total	**369,103,985**	**5,040,972**	**374,144,957**	**20,972,318**	**793,324**	**21,765,642**	**395,910,599**

JAMIA MILLIA ISLAMIA, NEW DELHI-110025

SCHEDULE 15 B : RETIREMENT BENEFITS (GROSS)

Particulars	JMI			MCRC			
	Non-Plan	Plan	Total	Non-Plan	Plan	Total	Grand Total
(A) Paid During the Year : 2006-06							
(i) Pension	34,726,984	--	34,726,984	916,588	--	916,588	35,643,572
(ii) Gratuity	5,108,322	--	5,108,322	--	--	--	5,108,322
(iii) PF Contribution	2,418,165	--	2,418,165	262,510	--	262,510	2,680,675
(iv) Encashment of Leave	4,652,286	--	4,652,286	26,129	--	26,129	4,678,415
(iv) Leave Salary/Pension Contribution	480,542	--	480,542	--	--	--	480,542
Total (A)	**47,386,299**	--	**47,386,299**	**1,205,227**	--	**1,205,227**	**48,591,526**
(B) Provision for Retirement Benefits							
Pro. Req. on 31.03.05 as per acturial valuation (Prior Period Item)							
(i) Pension	1,045,418,000	--	1,045,418,000	39,574,000	--	39,574,000	1,084,992,000
(ii) Gratuity	111,315,000	--	111,315,000	4,714,000	--	4,714,000	116,029,000
Total (B)	**1,156,733,000**	--	**1,156,733,000**	**44,288,000**	--	**44,288,000**	**1,201,021,000**
Less Payment During 2005-06 (A)							
(i) Pension	34,726,984	--	34,726,984	916,588	--	916,588	35,643,572
(ii) Gratuity	5,108,322	--	5,108,322	--	--	--	5,108,322
Total	39,835,306	--	39,835,306	916,588	--	916,588	40,751,894
(C) Balance Provision (B) Out of Provision on 31.3.05							
(i) Pension	1,010,691,016	--	1,010,691,016	38,657,412	--	38,657,412	1,049,348,428
(ii) Gratuity	106,206,678	--	106,206,678	4,714,000	--	4,714,000	110,920,678
Total C=(B-A)	1,116,897,694	--	1,116,897,694	43,371,412	--	43,371,412	1,160,269,106
(D) Pro. Req. as on 31-03-06 as per acturial valuation							
(i) Pension	1,202,955,000		1,202,955,000	42,380,000		42,380,000	1,245,335,000
(ii) Gratuity	129,649,000	--	129,649,000	5,871,000	--	5,871,000	135,520,000
Total (D)	1,332,604,000	--	1,332,604,000	48,251,000	--	48,251,000	1,380,855,000
(E) Provision to be made in 2005-06							
(i) Pension	192,263,984	--	192,263,984	3,722,588	--	3,722,588	195,986,572
(ii) Gratuity	23,442,322	--	23,442,322	1,157,000	--	1,157,000	24,599,322
Total E=(D-C)	**215,706,306**	--	**215,706,306**	**4,879,588**	--	**4,879,588**	**220,585,894**
Grand Total (A+B+E)	**1,419,825,605**	--	**1,419,825,605**	**50,372,815**	--	**50,372,815**	**1,470,198,420**

JAMIA MILLIA ISLAMIA, NEW DELHI-110025

SCHEDULE 15 C : RETIREMENT BENEFITS (PENSION & GRATUITY)

Particulars	JMI			MCRC			
	Non-Plan	Plan	Total	Non-Plan	Plan	Total	Grand Total
(A) Paid During the Year : 2005-06							
(i) Pension	34,726,984	--	34,726,984	916,588	--	916,588	35,643,572
(ii) Gratuity	5,108,322	--	5,108,322	--	--	--	5,108,322
Total	**39,835,306**	--	**39,835,306**	**916,588**	--	**916,588**	**40,751,894**
(B) Provision for Retirement Benefits							
Pro. Req. on 31.03.06 as per acturial valuation (Prior Period Item)							
(i) Pension	1,045,418,000	--	1,045,418,000	39,574,000	--	39,574,000	1,084,992,000
(ii) Gratuity	111,315,000	--	111,315,000	4,714,000	--	4,714,000	116,029,000
Total	**1,156,733,000**	--	**1,156,733,000**	**44,288,000**	--	**44,288,000**	**1,201,021,000**
Less Payment During 2005-06							
(i) Pension	34,726,984	--	34,726,984	916,588	--	916,588	35,643,572
(ii) Gratuity	5,108,322	--	5,108,322	--	--	--	5,108,322
Total	**39,835,306**	--	**39,835,306**	**916,588**	--	**916,588**	**40,751,894**
Balance Provision (B) Out of Provision on 31.3.05							
(i) Pension	1,010,691,016	--	1,010,691,016	38,657,412	--	38,657,412	1,049,348,428
(ii) Gratuity	106,206,678	--	106,206,678	4,714,000	--	4,714,000	110,920,678
Total	**1,116,897,694**	--	**1,116,897,694**	**43,371,412**	--	**43,371,412**	**1,160,269,106**
Pro. Req. as on 31-03-06 as per acturial valuation (A)							
(i) Pension	1,202,955,000	--	1,202,955,000	42,380,000	--	42,380,000	1,245,335,000
(ii) Gratuity	129,649,000	--	129,649,000	5,871,000	--	5,871,000	135,520,000
Total	**1,332,604,000**	--	**1,332,604,000**	**48,251,000**	--	**48,251,000**	**1,380,856,000**
Provision to be made in 2005-06 (A-B)							
(i) Pension	192,263,984	--	192,263,984	3,722,588	--	3,722,588	195,986,572
(ii) Gratuity	23,442,322	--	23,442,322	1,157,000	--	1,157,000	24,599,322
Total	**215,706,306**	--	**215,706,306**	**4,879,588**	--	**4,879,588**	**220,585,894**
(C) Prior Period Retirement Benefits							
(i) Pension	1,045,418,000	--	1,045,418,000	39,574,000	--	39,574,000	1,084,992,000
(ii) Gratuity	111,315,000	--	111,315,000	4,714,000	--	4,714,000	116,029,000
Total	**1,156,733,000**	--	**1,156,733,000**	**44,288,000**	--	**44,288,000**	**1,201,021,000**

JAMIA MILLIA ISLAMIA, NEW DELHI-110025

SCHEDULE 16 : ACADEMIC EXPENSES

Particulars	JMI			MCRC			
	Non-Plan	Plan	Total	Non-Plan	Plan	Total	Grand Total
1. Laboratory Expenses	3,933,861	--	3,933,861	--	--	--	3,933,861
2. Field Work/Participation	493,316	--	493,316	--	--	--	493,316
3. Teaching Aids	--	--	--	--	--	--	-
4. Seminar Workshop	744,259	--	744,259	--	--	--	744,259
5. Payment to Visiting Faculty	1,954,849	--	1,954,849	--	--	--	1,954,849
6. Research Activities	--	--	--	--	--	--	-
7. Examination	8,302,269	--	8,302,269	--	--	--	8,302,269
8. Admission Test	8,274,210	--	8,274,210	403,240	--	403,240	8,677,450
9. Student Welfare Expenses	588,807	--	588,807	--	--	--	588,807
10. Admission Expenses	2,238,017	--	2,238,017	--	--	--	2,238,017
11. Convocation Expenses	384,516	--	384,516	--	--	--	384,516
12. Publications	46,693	--	46,693	--	--	--	46,693
13. Film Raw Stock Printing & Processing	--	--	--	589,689	--	589,689	589,689
14. Honorarium to Guest Lecturer	--	--	--	59,800	--	59,800	59,800
15 Stipend/means-cum-merit scholarship	--	--	--	13,000	--	13,000	13,000
16. Miscellaneous	2,954,855	--	2,954,855	--	--	--	2,954,855
Total	**29,915,652**	--	**29,915,652**	**1,065,729**	--	**1,065,729**	**30,981,381**
Add : Outstanding Academic Expenses	123,520	--	123,520	--	--	--	123,520
Total	**30,039,172**	--	**30,039,172**	**1,065,729**	--	**1,065,729**	**31,104,901**
Less : Prior Period Academic Expenses	222,753	--	222,753	--	--	--	222,753
Total	**29,816,419**	--	**29,816,419**	**1,065,729**	--	**1,065,729**	**30,882,148**

JAMIA MILLIA ISLAMIA, NEW DELHI-110025

SCHEDULE 17 : ADMINISTRATIVE EXPENSES

Particulars	JMI			MCRC			
	Non-Plan	Plan/Others	Total	Non-Plan	Plan/Others	Total	Grand Total
1. Rent, Rates & Taxes(Including Prop. Tax)	20,169,914	--	20,169,914	--	--	--	20,169,914
2. Electricity Charges	28,601,414	--	28,601,414	4,369,006	--	4,369,006	32,970,420
3. Water Charges	467,073	--	467,073	--	--	-	467,073
4. Vehicle Running Expenses	1,999,864	--	1,999,864	195,812	--	195,812	2,195,676
5. Postage & Telegram	238,654	--	238,654	23,740	--	23,740	262,394
6. Telephone & Internet Charges	2,327,244	--	2,327,244	285,275	--	285,275	2,612,519
7. Advertisement & Publicity	2,027,430	--	2,027,430	268,408	--	268,408	2,295,838
8. Legal Expenses	1,013,332	--	1,013,332	--	--	--	1,013,332
9. Liveries & Dialy Wages	1,364,170	--	1,364,170	--	--	--	1,364,170
10. Printing Stationary Charges	2,486,631	--	2,486,631	353,548	--	353,548	2,840,179
11. Travel Conveyance Charges	1,244,415	--	1,244,415	324,247	--	324,247	1,568,662
12. Hospitality	289,134	--	289,134	30,841	--	30,841	319,975
13. Misc. Expenses	4,150,048	7,152,503	11,302,551	--	15,173	15,173	11,317,724
Total	**66,379,323**	**7,152,503**	**73,531,826**	**5,850,877**	**15,173**	**5,866,050**	**79,397,876**
Add : Outstanding Administrative Expenses	28,708	--	28,708	--	--	--	28,708
Total	**66,408,031**	--	**66,408,031**	**5,850,877**	--	**5,850,877**	**79,426,584**
Less : Prior Period Administrative Expenses	640,961	--	640,961	--	--	--	640,961
Total	**65,767,070**	--	**65,767,070**	**5,850,877**	--	**5,850,877**	**78,785,623**

JAMIA MILLIA ISLAMIA, NEW DELHI-110025

SCHEDULE 18 : REPAIRS AND MAINTENANCE

Particulars	JMI			MCRC			
	Non-Plan	Plan	Total	Non-Plan	Plan	Total	Grand Total
1. Cleaning Material & Services	436,552	--	436,552	--	--	--	436,552
2. Maint. of Building (Inc. Elec & Water Supply)	24,959,405	--	24,959,405	1,236,336	--	1,236,336	26,195,741
3. Gardening	306,671	--	306,671	42,102	--	42,102	348,773
4. Maintenance of Computer	3,019,446	--	3,019,446	--	--	--	3,019,446
5. Furniture & Equipment	4,013,607	--	4,013,607	1,749,473	--	1,749,473	5,763,080
Total	**32,735,681**	**--**	**32,735,681**	**3,027,911**	**--**	**3,027,911**	**35,763,592**
Add : Outstanding Repairs & Maint.Expenses	218,446	--	218,446	42,443	--	42,443	260,889
Total	**32,954,127**	**--**	**32,954,127**	**3,070,354**	**--**	**3,070,354**	**36,024,481**
Less : Prior Period Repairs & Maint.Expenses	203,352	--	203,352	--	--	--	203,352
Grand Total	**32,750,775**	**--**	**32,750,775**	**3,070,354**	**--**	**3,070,354**	**35,821,129**

SCHEDULE 19 : MISCELLANEOUS EXPENSES

Particulars	JMI			MCRC			
	Non-Plan	Plan	Total	Non-Plan	Plan	Total	Grand Total
1. Misc. Expenses	--	2,101,010	2,101,010	132,020	--	132,020	2,233,030
2. Magazine & Journals	--	--	--	25,339	--	25,339	25,339
3. Bank Charges	--	--	--	9,348	--	9,348	9,348
4. Contingencies	8,142,483	--	8,142,483	--	--	--	8,142,483
Total	**8,142,483**	**2,101,010**	**10,243,493**	**166,707**	**--**	**166,707**	**10,410,200**
Add : Outstanding Miscellaneous Expenses	127,220	--	127,220	5,313	--	5,313	132,533
Total	**8,269,703**	**2,101,010**	**10,370,713**	**172,020**	**--**	**172,020**	**10,642,733**
Less : Prior Period Miscellaneous Expenses	63,684	--	63,684	--	--	--	63,684
Grand Total	**8,206,019**	**2,101,010**	**10,307,029**	**172,020**	**--**	**172,020**	**10,479,049**

JAMIA MILLIA ISLAMIA, NEW DELHI-110025

SCHEDULE 20 : PRIOR PERIOD EXPENDITURE

Particulars	JMI			MCRC			
	Non-Plan	Plan	Total	Non-Plan	Plan	Total	Grand Total
1. Establishment Expenses							
A. Salaries & Allowances	26,034,570	203,484	26,238,054	1,608,650	53,380	1,662,030	27,900,084
B. Retirement Benefits							
(i) Pension	1,045,418,000	--	1,045,418,000	39,574,000	--	39,574,000	1,084,992,000
(ii) Gratuity	111,315,000	--	111,315,000	4,714,000	--	4,714,000	116,029,000
Other Establishment Expenses	1,344,528	72,979	1,417,507	--	--	--	1,417,507
Total	**1,184,112,098**	**276,463**	**1,184,388,561**	**45,896,650**	**53,380**	**45,950,030**	**1,230,338,591**
2. Academic Expenses	222,753	--	222,753	--	--	--	222,753
3. Administrative Expenses	640,961	--	640,961	--	--	--	640,961
4. Repairs & Maintenance	203,352	--	203,352	--	--	--	203,352
5. Miscellaneous Expenses	17,880	45,804	63,684	--	--	--	63,684
Total	**1,084,946**	**45,804**	**1,130,750**	**--**	**--**	**--**	**1,130,750**
Grand Total	**1,185,197,044**	**322,267**	**1,185,519,311**	**45,896,650**	**53,380**	**45,950,030**	**1,231,469,341**

JAMIA MILLIA ISLAMIA, NEW DELHI-25

SCHEDULES FORMAING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2006

SCHEDULE: 21: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS FOR PREPARATION OF ACCOUNTS.

The Accounts are prepared under the Historical Cost Convention unless otherwise stated and generally on the Accrual method of accounting.

2. REVENUE RECOGNITION

2.1 Fees from Students, Sale of Admission Forms, and Interest on Saving Bank a/c are accounted on cash basis.

2.2 Income from Land, Buildings and Other Property and Interest on Investments are accounted on accrual basis.

2.3 Interest on interest bearing advances to staff for House Building Advances is accounted on accrual basis every year, though the actual recovery of interest starts after the full repayments of the Principal.

3. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION.

3.1 Fixed assets are stated at cost of acquisition including inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition, installation and commissioning.

3.2 Fixed assets are valued at cost less accumulated depreciation. Depreciation on fixed assets is provided on Straight line method, at the following rates:

1.	Land	0%
2.	Buildings	2%
3.	Tube wells & water supply	2%

4.	Electrical Installation and equipment	5%
5.	Plant & Machinery	5%
6.	Scientific & Laboratory Equipment	8%
7.	Office Equipment	7.5%
8.	Audio Visual Equipment	7.5%
9.	Computer & Peripherals	20%
10.	Furniture, Fixtures & Fittings	7.5%
11.	Vehicles	10%
12.	Lib. Books & Scientific Journals	10%
13.	Others	10%

3.3 Full depreciation is provided on additions during the year.

3.4 Where an asset is fully depreciated, it will be carried at a residual value of Re 1 in the Balance Sheet and will not be further depreciated.

3.5 Assets created out of Earmarked Funds and Sponsored Projects, where the ownership of such assets vests in the university, are setup by credit to Capital fund and merged with the Fixed Assets of the university. Depreciation is charged at the rates applicable to the respective assets.

3.6 Assets gifted to the university are set up by credit to Capital Fund and merged with the Fixed Assets of the university. Depreciation is charged at the rates applicable to the respective assets.

3.7 Books received as gifts are valued at selling prices printed on the books. Where they are not printed, the value is based on an assessment.

4. RETIREMENT BENEFITS

Retirement benefits i.e. pension and gratuity are provided on the basis of actuarial valuation at the end of each year. Capitalized Value of pension and Gratuity received from previous employers of the university employees, who have been absorbed in the university, is credited to the respective Provision Accounts. Pensionary contribution received from present employers of the employees of the university on deputation / Foreign Service, is also credited to the provision for pension.

70—69 GI/2007

5. INVESTMENTS

All investments are valued at cost.

6. The following long-term funds are earmarked for specific purposes. Those with large balances have ~~investments in Debentures and Bonds and Term Deposits with Banks.~~ The incomes from investments / recoveries of advances (House Building) on accrued basis are credited to the respective Funds. The expenditure and advances (in the case of House Building Revolving Fund) are debited to the Fund. The balance is carried forward and is represented on the assets side by the balance at Bank (merged in Earmarked/Deposit savings Account), Investments and accrued interest (Current Assets).

6.1 University Development Fund:

This fund is built up from annual fees towards the fund collected from students of the university, and any other substantial capital receipts. It is utilized towards improving the infrastructure, acquisition of assets etc.

6.2 House Building Advance Fund

A revolving fund for the purpose of paying interest bearing advances to officers & staff for House Building.

6.3 Conveyance Fund

A revolving fund for the purpose of paying interest bearing advances to officers & staff for the purchase of motor cars, two wheelers and computers.

6.4 UGC-JRF Fund

Fund provided by UGC for the purpose of paying Fellowships to junior Research Fellows

6.5 S.R.C. Publication Fund

A revolving fund created out of sale proceeds of publications of State Resource Centre (SRC), to meet the expenditure in producing the publications. The expenditure on the construction of SRC Building is also met out of this fund.

6.6 Endowment Funds

Endowment are funds received from various individual donors, Trusts and other organizations, for establishing Chairs and for award medals, prizes & scholarships as specified by the Donors. While each of the Endowment funds has its own investment, the uninvested balances have been kept in a common Bank Account as the amounts involved are not significant.

The income from investment of each Endowment Fund on accrual basis is added to the Fund. The expenditure on the Chairs, Medals, Prizes and Scholarships is debited to the respective Endowment Funds and the balance is carried forward. The balance is represented by Investment in Fixed Deposits, accrued interest (Current Assets) and total balance in a common Saving Bank Account for all Deposits.

7. GOVERNMENT AND UGC GRANTS

7.1 Government Grants and UGC grants are accounted on realization basis.

7.2 To the extent utilized towards capital expenditure, government grants and grants from UGC are transferred to the Capital Fund.

7.3 Government and UGC grants for meeting Revenue Expenditure are treated, to the extent utilized, as income of the year in which they are realized.

7.4 Unutilized grants (including advances paid out of such grants) are carried forward and exhibited as a Liability in the Balance Sheet.

8. INVESTMENT OF EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS AND INTEREST INCOME ACCRUED ON SUCH INVESTMANTS.

To the extent not immediately required for expenditure, the amounts available against such funds are invested in approved Securities & Bonds or deposited for fixed term with Banks, leaving the balance in Saving Bank Accounts.

Interest received, interest accrued and due and interest accrued but not due on such investments are added to the respective funds and not treated as Income of the University.

9. SPONSORED PROJECTS

9.1 In respect of ongoing Sponsored Projects, the amounts received from sponsors are credited to the head "Current Liabilities and Provisions – Current Liabilities – Other Liabilities – Receipts against ongoing sponsored projects." As and when expenditure is incurred / advances are paid against such projects, or the concerned project account is debited with allocated overhead charges, the liability account is debited. Overhead charges recovered from projects are treated as income of the university.

9.2 The debit balances in individual sponsored projects are exhibited under Current Assets - Loans & Advances as recoverable from sponsors.

10. Fellowships & Scholarships

10.1 In addition to the Earmarked Fund for Junior Research Fellowships funded by the University Grants Commission, Fellowships and Scholarships are also sponsored by various organizations. These are accounted in the same way as Sponsored Projects except that the expenditure generally is only on disbursement of Fellowships and Scholarships, which may include allowances for contingent expenditure by the Fellows and Scholars.

10.2 The university itself also awards Fellowships and Scholarships, which are accounted as Academic expenses of the university

11. INCOME TAX

The income of the University is exempt from Income Tax under Section 10(23c) of the Income Tax Act. No provision for tax is therefore made in the accounts.

12. MASS COMMUNICATION RESEARCH CENTRE

Accounts of Mass Communication Research Centre, which is an integral part of the university, have been merged in the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account. However, the schedules forming part of the Balance Sheet and of the Income & Expenditure Account disclose distinctly the transactions of the centre.

Sd.	Sd.	Sd.	Sd.
(Aayatullah)	(Zafarullah Khan)	(N.U. Siddiqui)	(S.M. Afzal)
Accountant	**Account Officer**	**Finance Officer**	**Registrar**

SCHEDULE: 22: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 As on 31.03.2006 suits filled against Jamia, by former / present employees of Jamia pending for decisions by various courts. They were establishment related viz promotion, increments, pay scales, termination etc. The quantum of the claims is not ascertainable.

1.2 Letters of credit opened by the Bank on behalf of the university and outstanding on 31.03.2006 Rs. 49, 01,255.

2. CAPITAL COMMITMENTS

The Value of contracts remaining to be executed on capital Account and not provided for (Net of Advances) amounted to Rs 10,09,64,225 as on 31.03.2006

3. DEPRECIATION

Depreciation on Fixed Assets was not being provided in the past With the change from cash accounting to Accrual Accounting System, Depreciation has been provided for the first time, for all the previous years up to 31st March 2005 in the accounts for the year 2005-06 by debit to Capital Fund. For the purpose of determining the quantum of depreciation for all the previous years, depreciation has been calculated systematically for each of the years from 26.12.1988 in respect of the assets of the main University Account and from 01.04.1991 in respect of the assets of the Media Communication Research Centre at the rates stipulated in the Accounting Policy and at ad hoc rates to cover all the years before 26.12.1988 and 31.03.1991 respectively. The ad hoc rates adopted were

1.	Land	0%
2.	Site Development	0%
3.	Buildings	10%
4.	Tube wells & Water Supply	10%
5.	Electrical Installation and equipment	25%
6.	Plant & Machinery	25%
7.	Scientific & Laboratory Equipment	40%

8.	Office Equipment	37.5%
9.	Audio Visual Equipment	37.5%
10.	Computers & Peripherals	50%
11.	Furniture, Fixtures & Fittings	37.5%
12.	Vehicles	50%
13.	Lib. Books & Scientific Journals	50%
14.	Others	50%

Depreciation for the year 2005-06 has been provided and debited to the Income & Expenditure Account.

5. **Sale of Land:** The gain on sale of a piece of land in 2004-05, amounting to Rs. 2,05,75,704, which was kept in the Deposit account has been credited to the University Development Fund in 2005-06.

6. **SALARIES:**
As this is the first year of change over to accrual system of accounting, expenditure of 13 months' salaries has been accounted for in 2005-06. Salaries for March 2005 paid in April 2005 have been classified as Prior Period expenses, and provision for salaries for March 2006 has been made in the accounts for 2005-06 as Outstanding Liability.

7. **Retirement Benefits – Leave Encashment:** In the absence of actuarial valuation, expenditure during the year on Leave Encashment has been accounted on cash basis.

8. **CURRENT ASSETS. LOANS AND ADVANCES**

In the opinion of the Management, the Current assets, Loans and advances have a value on realization in the ordinary course, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

9. The details of balances in Savings Bank Account are enclosed as attachment 'A'.

10. Previous years figures have been regrouped wherever necessary.

11. Figures in the Final accounts have been rounded off to the nearest rupee.

12. Schedules 1 to are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31st March 2006 and the Income & Expenditure account for the year ended on that date.

13. As the Provident Fund Accounts are owned by the members of those funds and not by the university, these accounts were separated from the University Account, in 2005-06. However, a Receipts & Payments Account, an Income & Expenditure Account (on Accrual basis) and a Balance Sheet of the Provident Fund Accounts, have been attached, to the university's Accounts.

14. As the Self Financing Course Provident Fund and New Pension Scheme were in the part merged in the Deposit Account and Bank Account of Deposits, they have been included in the current year under current liabilities – other funds. The Self Financing Course Provident Fund will be merged with the Provident Fund in 2006-07. The New Pension Scheme will be separated in 2006-07, with a separate Bank Account in 2006-07.

Sd. (Aayatullah) **Accountant**	Sd. (Zafarullah Khan) **Account Officer**	Sd. (N.U. Siddiqui) **Finance Officer**	Sd. (S.M. Afzal) **Registrar**

JAMIA MILLIA ISLAMIA
PROVIDENT FUND ACCOUNT
BALANCE SHEET AS ON 31-03-2006

LIABILITY			ASSETS		
PARTICULARS		AMOUNT	PARTICULARS		AMOUNT
GPF SUBSCRIPTION					
PENING BALANCE	283,103,625		INVESTMENTS		374,635,000
DITION (DURING 2005-06)	79,204,444				
D-INTEREST	22,617,455		INTEREST ACCRUED(BUT NOT DUE)		11,725,220
SS:					
THDRAWAL,ADVANCES & FINAL PAYMENTS	79,485,354	305,440,170			
CPF SUBSCRIPTION					
PENING BALANCE	23,002,700		(RECOVERABLE FROM SALARIES FOR MARCH-06)		
DITION (DURING 2005-06)	7,479,510		1)GPF SUBSCSRIPTION	6,742,211	
D-INTEREST	1,864,933		2)CPF SUBSCRIPTION	611,998	
SS:			3)CPF CONTRIBUTION	157,699	7,511,908
THDRAWAL,ADVANCES & FINAL PAYMENTS	4,655,196	27,691,947			
CPF CONTRIBUTION					
PENING BALANCE	13,136,540		BALANCE AT INDIAN BANK		595,307
DITION (DURING 2005-06)	2,084,958				
D-INTEREST	947,102				
SS:					
THDRAWAL,ADVANCES & FINAL PAYMENTS	865,912	15,302,688			
ECOVERED FROM SALARIES FOR MARCH-06)					
GPF SUBSCSRIPTION	6,742,211				
CPF SUBSCRIPTION	611,998				
CPF CONTRIBUTION	157,699	7,511,908			
RAWAL FROM PLAN A/C		500,000			
TEREST RESERVE-- OPENING BAL.	21,367,341				
D EXCESS OF INCOME OVER EXP	16,653,381	38,020,722			
TOTAL (RS)		394,467,435	TOTAL (RS)		394,467,435

Sd.
ayatullah)
ccountant

Sd.
(Zafarullah Khan)
Accounts Officer

Sd.
(N.U. Siddiqui)
Finance Officer

Sd.
(S.M. Afzal)
Registrar

JAMIA MILLIA ISLAMIA
PROVIDENT FUND ACCOUNT
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
(FOR THE YEAR ENDING MARCH 31,2006)

EXPENDITURE		INCOME	
PARTICULARS	**AMOUNT**	**PARTICULARS**	**AMOUNT**
TO INTEREST ALLOWED TO PF SUBSCRIBERS		BY INTEREST ON INVESTMENTS (RECD)	30,357,651
1) GPF SUBSCRIBERS	22,617,455		
2) CPF SUBSCRIBERS	1,864,933	BY INTEREST ACCRUED (BUT NOT DUE)	
3) CPF CONTRIBUTION	947,102	1) PRIOR PERIOD INCOME --- INTEREST ON RBI CUM BONDS UP	6,375,202
TO EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	16,653,381	2) INTEREST INCOME --- INTEREST ON RBI CUM BONDS FOR 2005-2006	5,350,018
TOTAL (RS)	**42,082,871**	**TOTAL (RS)**	**42,082,871**

RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT
(FOR THE YEAR ENDING MARCH 31,2006)

RECEIPTS			PAYMENTS		
PARTICULARS		**AMOUNT**	**PARTICULARS**		**AMOUNT**
TO OPENING BALANCE			LAON/WITHDRAWAL/FINAL		
AT INDIAN BANK		810,206	GPF SUBSCRIPTION		79,485,354
			CPF SUBSCRIPTION		4,655,196
INVESTMENT ENCASHED		79,000,000	CPF CONTRIBUTION	874,276	
			LESS ADJUSTMENTS	8,364	865,912
INTEREST RECEIVED		30,357,651			
			INVESTMENT MADE		112,835,000
LOAN FROM UNIV. PLAN A/C		500,000			
			BY CLOSING BALANCE		
ADDITION DURING THE YEAR			AT INDIAN BANK		595,307
GPF SUBSCRIPTION		79,204,444			
CPF SUBSCRIPTION		7,479,510			
CPF CONTRIBUTION	2,093,322				
LESS: ADJUSTMENTS	8,364	2,084,958			
TOTAL (RS)		**198,436,769**	**TOTAL (RS)**		**198,436,769**

JAMIA MILLIA ISLAMIA, NEW DELHI-110025
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2006

RECEIPT		AMOUNT	PAYMENT		AMOUNT
Opening Balances					
Cash in hand	179075		Expenditure/Payment (Including Refund)		1,022,949,040
Balance at Bank	53,389,490	53,568,565	Securities & Deposits (Release of)		10,281,054
			Remittances & Advances		297,343,741
Grants-in-Aid		949,363,250	Investments		705,512,197
Receipt Other than Grant		321,915,648			
Securities & Deposits		19,054,951	**Closing Balances**		
Remittances & Advances		295,582,332	Cash in hand	360,230	
Investments (Realisation of)		547,213,082	Balance at Bank	150,251,566	150,611,796
Total		**2,186,697,828**	**Total**		**2,186,697,828**

Audit Certificate

I have audited the attached Balance Sheet of Jamia Millia Islamia as on 31 March 2006 and the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on 31 March 2006. Preparation of these financial statements is the responsibility of the management of Jamia Millia Islamia. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.

I have conducted my audit in accordance with applicable rules and the auditing standards generally accepted in India. These standards require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

Bases on the audit, I report that:

I have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

2. Subject to the observations in the Audit Report annexed herewith, I report that the Balance Sheet, the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are properly drawn up and are in agreement with the books of accounts.

3. In my opinion and to the best of my information and according to the explanations given to me.

The said Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account read together with the Accounting Policies and Notes thereon, and subject to the matters mentioned in the Audit Report annexed herewith, give a true and fair view:

a. In so far as it relates to the Balance Sheet of the state of affairs of the Jamia Millia Islamia as on 31 March 2006; and

b. In so far as it relates to the Income and Expenditure Account of the deficit for the year ended 31 March 2006.

Director General of Audit
Central Revenues

Place: New Delhi
Date: 5-1-2007

Audit Report on the accounts of Jamia Millia Islamia for the year 2005-06

Introductory

Jamia Millia Islamia (JMI) was established in 1920 and registered in 1939 under the Societies Registration Act, 1860 and given the status of a Central University with effect form 26 December 1988 under the Jamia Millia Islamia Act, 1988.

The objectives of JMI are to disseminate advanced knowledge and provide instructional research and extension facilities in various branches of learning. JMI is financed mainly from the grants received from the University Grants Commission (UGC) and Union Government. During the year 2005-06, JMI received grants of Rs.94.93 crore (Non-Plan Rs. 54.78 crore, Plan Rs. 9.34 crore, Earmarked Accounts Rs. 22.51 crore and Mass Communication Research Centre(MCRC) Rs. 8.30 crore). JMI also generated receipts of Rs. 8.03 crore during the year.

The accounts of JMI are audited under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 28 (1) of JMI Act, 1988.

Comments of accounts

2. Balance Sheet

2.1 Assets

2.1.1 Fixed Assets (schedule-4) Rs.82.29 crore

(i) The assets account of Mass Communication Research Centre (MCRC) depicts the books value of acquisition of assets as Rs. 8.84 crore as on 31.3.2006 and does not exclude obsolete, unserviceable, irreparable and condemned assets valuing Rs. 1.36 crore. This has resulted in overstatement of assets by Rs. 1.36 crore thereby not giving the correct picture. This was also pointed out in the previous year's Audit Report but no action has been taken by JMI.

(ii) The assets of MCRC were overstated by Rs. 3.93 lakh due to non-deduction of assets (vehicles) disposed of during the year 2005-06.

2.1.2 Understatement of current assets Rs. 1.72 lakh

Scrutiny of records of MCRC revealed that claim of Rs. 1.72 lakh receivable from IGNOU was not shown on the assets side of the Balance Sheet under the sub-head "claim receivable" which resulted in understatement of assets by Rs. 1.72 lakh.

2.1.3 Library Books

The accession register of library books did not contain progressive totals of the value of books acquired by JMI up to 31 March 2006. Consequently, the correctness of the value of books as shown in the Balance Sheet could not be verified in audit.

3. General

3.1 Non-verification of Assets

As per General Financial Rules 192(1), physical verification of Fixed Assets shall be made at least once in every year. The various departments of JMI had never conducted physical verification of the assets, acquired and held by them. In the absence of physical verification of assets, the correctness of the value of assets depicted in the annual accounts could not be verified. This was also pointed out in the previous year's Audit Report but no action has been taken by JMI.

4. Effect of audit comments on Balance Sheet, Income and Expenditure account and Receipts and payments account.

The net impact of audit comments given in the preceding paras is that as on 31.3.2006, the assets were overstated by Rs. 1.38 crore.

5. Deficiencies, which are not included in the audit report, have been brought to the notice of the Finance Officer, Jamia Millia Islamia through a management letter issued separately for corrective action.

Director General of Audit
Central Revenues

Place: New Delhi
Date: 5-1-2007

Action Taken Report
(COMMENTS ON AUDIT OBSERVATION)
FINANCIAL YEAR 2005-2006

PARA NO.	BRIEF CONTENT OF OBSERVATION	ACTION TAKEN
1.	Introductory	Facts confirmed, no comments
	Comments on Accounts	
2.	Balance Sheet	
2.1	Assets	
2.1.1	Fixed Assets (Schedule-4) Rs. 82.29 Crore. (i) Writing off of obsolete items of Rs. 1.36 crore. (ii) Writing off of vehicle of Rs. 3.93 lakh.	(i) The write off process of equipment amounting to Rs.1.36 crore is yet to be completed due to the administrative procedure involved. (ii) Noted for compliance.
2.1.2	Understatement of Current Assets Rs.1.72 Lakhs	Noted for Compliance.
2.1.3	Library Books	The accession Register of Library Books is being updated and compliance will be shown to the next Audit Party.
3.	General	
3.1	Non-Verification of Assets.	The physical verification of assets of the whole University has been carried out and Verification Report has been prepared.
4.	Effect of Audit comments on Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account.	The audit observations have been noted for compliance.
5.	Deficiencies, Which are not included in the audit report, have been brought to the notice of the Finance Officer, Jamia Millia Islamia through a management letter issued separately for corrective action.	Noted for compliance.

-sd-
(N.U. Siddiqui)
Finance Officer

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2007
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2007